खण्ड-442, अंक-6
शुक्रवार, 24 श्रावण, शक संवत् 1924
(16 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 442 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय – सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–2
प्रश्नोत्तर	..	3–83

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

जनपद सन्त रविदासनगर की तहसील घनघटा में ढढवा एवं जिगना ताल नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	84
जनपद आजमगढ़ के दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं महाराजगंज में भैरव बाबा के स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	84
जनपद रायबरेली के सरैंमी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	84
जनपद बरेली के नवाबगंज बहिर-जागीर मार्ग का पुन: निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	85
जनपद महोबा के कस्बा कबरई के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषि योग्य पट्टे वाली भूमि को बिना अनुमति आवासीय प्लाट के रूप में बेचे जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	85
जनपद बाँदा में जिला राजकीय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकें एवं अन्य सामान गायब कराने की जाँच कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	86

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

केन्द्र की भांति प्रदेश में बजट प्रस्तुतीकरण से एक दिन पूर्व 'आर्थिक समीक्षा' सदस्यों में वितरित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	86–88
आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के लिए निर्धारित समय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..... (जारी)	..	88
पुलिस विभाग में एक जाति विशेष के कर्मियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .....(जारी)	..	89–93
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .....(जारी)		

विषय	पृष्ठ संख्या
पुलिस विभाग में एक जाति विशेष के कर्मियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	93–105
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (जारी) ..	105–121
आय-व्ययक पर साधारण चर्चा कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ..	121–122
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	122–126
विशेष उल्लेख के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	126–136
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय -व्ययक पर साधारण चर्चा .....(जारी) ..	136–148
कार्य -मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ....(स्वीकृत). .	149
विधेयक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . .	149–150
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ....(जारी) ..	150
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण, (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक , 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ..	150–175
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एवं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ..	175–182
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक , 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ..	182–187
उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 का स्थगन ..	187
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ..	187
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती पर शासन द्वारा रोक के कारण जनस्वास्थ्य के प्रति उत्पन्न गम्भीर खतरे के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..	188
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जलस्तर कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदानन्द अंचल आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	189–191
जनपद गोण्डा में मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग तथा सिकन्दरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ..	192–193
जनपद आगरा के फतेहपुर-सीकरी में पीने के पानी के भंयकर संकट के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..	193–194
शाहजहाँपुर नगर में पेयजल के भंयकर संकट के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	194–195
जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी के गोड़िया नं0 3 ग्राम के परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ..	195–197
जनपद सहारनपुर में श्रम-न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य ..	197–198
जनपद लखीमपुर में छात्रों के दाखिले की समस्या को देखते हुए डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ..	198–199
जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्र में गड़वार, नगरा आदि कतिपय मार्गों के निर्माण में फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ..	199
श्री मोख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	200
नत्थी... ..	201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 2002 ई0

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यगण उपस्थित थे : -

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदय भान सिंह, श्री	वाराणसी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जमालुद्दीन सिद्दकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
मदन भैया, श्री	बागपत
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/ पडरौना
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राजनाथ सिंह,श्री	बारावंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास-नगर, भदोही
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	ललितपुर
'भगत राजा',श्री	
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ब्लाक-प्रमुखों एवं जिला पंचायत-अध्यक्षों के चुनाव जनता द्वारा सीधे कराये जाने की माँग

**1.—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से सीधे कराये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

इस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ग-(5)-ख में यह व्यवस्था है कि मध्ययवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल —

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस प्रश्न को देख लीजिए कि मैंने माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा की है कि राज्य सरकार ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराये जाने पर विचार करेगी, लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मौजूदा प्राविधान में मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा लेकिन मान्यवर, प्रदेश में जिस तरीके से ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं वह पंचायती राज व्यवस्था की मंशा के विपरीत भ्रष्टाचार और खरीद-फरोख्त को ही बढ़ावा देती है तो अगर आप व्यवहारिक और सैद्धान्तिक रूप से इससे सहमत हैं तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ? मान्यवर, लाल जी टण्डन जी ने प्रयास किया और मेयर के चुनाव सीधे हो गए जिसमें लाख मतदाताओं के हिस्सेदारी होती है, तो मान्यवर, इसमें तो 50 हजार से 75हजार मतदाताओं की ही हिस्सेदारी होती है और इससे कम से कम सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले और जमीन से जुड़े हुए अच्छे कार्यकर्ता निकल कर आयेंगे । इसमें सरकार का सिद्धान्त क्या है ? उसकी नीयत क्या है ? अगर वह इससे सहमत हैं तो इसमें क्या उपाय करेंगे ?

*श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, भारत के संविधान के 73वें संशोधन में अनुच्छेद 243 (क) और (ख) पढ़ें तो (क) में है—ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं। (ख) में है— ग्राम स्तर

नोट :--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर, जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाएगा यही संवैधानिक व्यवस्था है। यह संवैधानिक व्यवस्था है, इस संवैधानिक व्यवस्था में प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं पायेगी। जब तक यह संवैधानिक व्यवस्था है तब तक इस व्यवस्था में प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संविधान के 73वें संशोधन का उल्लेख किया है। 73वें या 74वें संविधान संशोधन की मूल मंशा थी कि थ्री-टियर पंचायती राज व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली करें। इसके पीछे जो शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से निहित हैं वह यही है कि जैसे लोक सभा या विधान सभा का चुनाव होता है उसी तरह से पंचायती राज्य के स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव हो। इसी मंशा के अनुरूप 73वें और 74वें संशोधन का उपबन्ध-5 है उसका उललेख किया है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाय, किया जायेगा। उसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है गाँव के प्रधानों और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का और अन्य प्रतिनिधियों का अगर सरकार चाहेगी तो संशोधन भी हो सकता है। तो क्या यह सरकार संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को करेगी कि ब्लाक प्रमुखों एवं जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा हो ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसके पूर्व भी यह सवाल किया गया था तब भी यही उत्तर आया था। इसमें अनुपूरक भी आये थे, डा0 अशोक बाजपेयी एवं अन्य सदस्यों के थे। मैंने कार्यवाही पढ़ी है। इसमें दो चीजें हैं एक हिस्से को विधान मण्डल के विवेक पर छोड़ दिया। दूसरे में एक व्यवस्था कर दी कि यह विशेष व्यवस्था होगी। ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत के अध्यक्ष जो जिला पंचायत की संस्थायें हैं, उसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यह संवैधानिक व्यवस्था है, किसी अधिनियम की व्यवस्था नहीं है। जब तक यह व्यवस्था है। विधान मण्डल द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। आपने बल दिया कि प्रदेश सरकार का अपना मत क्या है ? वर्ष 2000 में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार का आया था और केन्द्र सरकार ने इसमें कुछ संशोधन की रूपरेखा तैयार की थी उस रूपरेखा में यह भी था कि जो व्यवस्था 243-5(क) में है। ग्राम स्तर पर जो व्यवस्था है क्या वही व्यवस्था जिस प्रकार 243-5(क) में राज्य के विधान मण्डल को अधिकार दिया गया है क्या वही अधिकार 243-5(ख) में दिया जायेगा और क्या यह प्रदेश के लिए सम्भव होगा। प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2000 में उस पर अपनी अनापत्ति दी और कहा कि यह व्यवस्था हो जाये तो हमें स्वीकार है। संविधान में संशोधन हो जाये तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह संशोधन स्वीकार है, हम तो पहले ही जो आपकी भावना है उस भावना के अनुरूप केन्द्र सरकार को अवगत करा चुके हैं। अभी केन्द्र में संविधान संशोधन आना है, वह संशोधन अभी नहीं आया है।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी कहा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। इसलिए सीधे चुनाव

कराया जाना सम्भव नहीं है। श्रीमान, नगरपालिका में नगर पंचायत के विभिन्न स्तरों पर वहाँ के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता कर देती है। लेकिन उसके लिए उस निकाय के तमाम सदस्यों का चुनाव भी होता है और जिला पंचायत के लिए यह किया जाना है। जिला पंचायत का अध्यक्ष न सिर्फ उन सदस्यों का अध्यक्ष होता है बल्कि जिला पंचायत का अध्यक्ष एक प्रकार से सम्पूर्ण जिले के विकास के लिए जो उसकी भूमिका है, खास तौर से परिवर्तित पंचायतीराज की जो व्यवस्था है, श्रीमन् यह 73वें व 74वें संशोधन के हिसाब से है इसलिए उसके हिसाब से चुना जाना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से अपना प्रश्न रखना चाहता हूँ कि इन चुनावों की आलोचना करने की आवश्यकता इसलिए है कि बार-बार यह शिकायतें आती रहती हैं कि इसमें खरीद-फरोख्त होती है और यह आयोग ने भी स्वीकार किया है कि इससे खरीद-फरोख्त की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि खरीद फरोख्त के आधार पर पंचायती राज की जो व्यवस्था है और जिससे जिला पंचायत और विकास खण्ड है इसका स्वरूप विकृत हो रहा है इन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या यह चुनाव सीधे कराने का विचार सरकार करेगी ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने खरीद-फरोख्त पर जो चिंता जताई है अब इस पर रोक लगनी ही चाहिए। जहाँ चुनाव का सही स्तर नहीं होगा वहाँ भ्रष्टाचार होगा ही। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि खरीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए। माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह हमारे विधान मण्डल की शक्ति के बाहर की बात है। अगर यह बात हमारे प्रदेश की शक्ति के अन्तर्गत आती होती तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात पर विचार करता।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई संविधान के विरुद्ध प्राविधान करता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब मैं और आप भी और इस सदन में बैठे हुए बहुत से बहुमत के लोग सन् 1974 के भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन में मुख्य रूप से भाग लेकर लगभग 19-20 महीने तक जेल में रहे हैं और वह इसलिए रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। चाहे विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों सभी लोग देखते हैं कि प्रधान तो सीधे चुना जाता है, बी0 डी0 सी0 भी सीधे, जिला परिषद अध्यक्ष भी सीधे नहीं चुना जाता है।

मान्यवर, क्या इसको समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी इस सदन में एक प्रस्ताव लायेंगे जिसे सर्वसम्मति से पास कराकर इसे केन्द्र सरकार को भेजा जाए और इसमें तत्काल संविधान संशोधन करके जिला प्रमुख और जिला परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव जनता से सीधे करा दिया जाए ? क्या माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को इस सदन से सर्वसम्मति से पास करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब मैं बोल रहा था तो उसमें मैंने कहा था शायद माननीय सदस्य इस बात को सुन नहीं पाये थे। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदश सरकार 26 सितम्बर को इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव संसद में भेज चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सदन का प्रस्ताव भेजने की बात कही जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी पुन: इसे केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा करेंगे ? यह प्रस्ताव सरकार का प्रस्ताव न होकर पूरे सदन का प्रस्ताव होना चाहिए।

श्री राम नरेश यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रश्न है क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। मैं एक बात आपको और सरकार को भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके महत्व को स्वीकार करते हुए और शायद आपको स्मरण भी होगा कि जब हम लोग सरकार में थे तो ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को हमने जो डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया था। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मेयर का चुनाव हो जाता है, श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा था कि प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए तो उत्तर आया कि सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है लेकिन मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यह प्रस्ताव सदन की ओर से भेजा जाना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा सदन इस बात से सहमत है और जब पूरा सदन इस बात से सहमत है तो इसे सदन की तरफ से एक बार पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए, उसकी संवैधानिक अड़चन को दूर करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि क्या कठिनाई है जब सारा सदन इस बात के लिए सहमत है ? अभी अगर इसी समय वोटिंग हो जाए इस बात पर तो अभी सब लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे देंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि सदन जो चाहता है उसके आधार पर इस सदन से प्रस्ताव को पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि उसके आधार पर ही संविधान में संशोधन हो सके।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, संशोधन करने की प्रक्रिया निर्धारित है और उस प्रक्रिया के तहत न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि सभी राज्यों की राय मांगी गयी है कि क्या लोकल लेविल पर यह अधिकार विधान मंडल को दे दिया जाए। यह प्रस्ताव आया और हमने इस पर अपनी सहमति दे दी है। जब वहाँ से स्वीकृति मिल जायेगी तो जो विधान मंडल चाहेगा वह संशोधन हो जायेगा। हम प्रस्ताव भेज चुके हैं। अपनी अनापत्ति भेज चुके हैं। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आती है कि प्रदेश विधान मण्डल को यह अधिकार दे दिया गया है तो फिर सरकार का यह दायित्व होगा कि आपकी भावनाओं के अनुसार यहाँ पर संशोधन लाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो जाय।अगर पूरी विधान सभा प्रस्ताव करती है तो इससे बल मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो पूँजीपति, दारू बेचने वाले, गुंडे और अराजक तत्व लाखों रूपये देकर आ जाते हैं वह न आ सकेंगे। इस प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये क्या सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे ताकि अगले चुनाव डायरेक्ट हो सके ?

श्री अध्यक्ष–

जिस बात को आप सदन के प्रस्ताव के माध्यम से भेजने की बात करते हैं वह सरकार केन्द्र सरकार तक पहले पहुँचा चुकी है। उनकी सहमति आ जायेगी तो संशोधन हो जायगा।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो सवाल माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय राम नरेश यादव और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने उठाया कि क्या सरकार सदन की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आज जो नीचे की इकाइयां हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज राजनीति करने वाले लोगों के चेहरों का रंग जनता के बीच में खराब हो रहा है। हमारी और सरकार की मंशा है कि इसमें सुधार होना चाहिये। सरकार अपनी मंशा को भेज चुकी है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सदन में प्रस्ताव पास करे जिससे सदन के बाहर जो आम जनता है उसके मन में एक संदेश जाय कि हमारी विधान सभा भ्रष्टाचार की जो जड़ है उस पर प्रहार करने के लिये तत्पर है। अगर सदन से ऐसा प्रस्ताव भेजते हैं जो एक संदेश जायेगा कि भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करने का मन हमारा हाउस बना चुका है और केन्द्र सरकार पर एक दबाव भी पड़ेगा। यह एक प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष का केन्द्र सरकार पर दबाव होगा और भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त करने के लिये केन्द्र सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो कहा था, वही आपने कह दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप इस प्रस्ताव को करवा दीजिये इसमें न तो सरकार की और न विरोध पक्ष की कोई फजीहत है। यह प्रदेश के कल्याण और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात है। आपकी कृपा से सर्वसम्मति प्रस्ताव चला जाय।

श्री अध्यक्ष–

सरकार यह प्रस्ताव पहले ही पहुँचा चुकी है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

अध्यक्ष महोदय, जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ उसके उपरान्त दो बार चुनाव हो चुके हैं जिला पंचायतों और ब्लाक अध्यक्षों के इन दोनों चुनावों में यह देखा गया है कि धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनावों के निर्णय प्रभावित होते रहे हैं। हमारी मंशा है कि जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हों। वह इन दोनों चुनावों में सम्भव नहीं हो सका है। मंत्री जी ने संविधान के 73वें संशोधन का "ख" पढ़ा है। खण्ड "क" में राज्य सरकारों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के चुनाव के उपरान्त की व्यवस्था उसके लिए इलेक्टोरल कालेज के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकारों को है। जो इन्होंने खण्ड "ख" पढ़ा है तो मुझे लगता है कि

कुछ विरोधाभास है। "क" में राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है मंत्री जी इसका विधिक परीक्षण करा लें। जो खण्ड "क" बनाया गया है उसमें स्पष्ट है राज्य सरकारों को अधिकार है जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के इलेक्टोरल कॉलेज का। इसके बाद खण्ड "ख" में प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में लीगल राय ले ली जाए सविधिक राय लेकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें। क्या उसके बाद सीधे-सीधे चुनाव कराने का आश्वासन मंत्री जी सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी अनुच्छेद 243(ग) (1) पढ़ दीजिए स्पष्ट हो जाएगा। बाजपेयी जी की शंका का समाधान भी हो जाएगा।

श्री हुकुम सिंह—

उसके बाद विधिक राय की भी आवश्यकता नहीं होगी। 243-ग (5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए, किया जाएगा।

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

अनुच्छेद 243 (ग) (1) में पढ़ देता हूँ। इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा। इसी में यह प्राविधान दिया गया है। इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिस भाग में जो उपबन्ध दिए हुए हैं उनके विरूद्ध प्रदेश की सरकार कोई अधिनियम बनाती है तो वह उसकी शक्ति के बाहर होगा। 243 (क) में दिया हुआ है। यह आप कह रहे हैं। 243 (क) में दिया हुआ है ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएँ। ग्राम सभा व ग्राम स्तर पर शक्तियों के प्रयोग के बारे में उपबंध है लेकिन 243(ग) (1) संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यवस्था की जा सकती है।

श्री शिव कुमार बेरिया—

प्रदेश सरकार के बस की बात नहीं है। अगर इनके बस की बात होती तो पूरे हाउस से प्रस्ताव प्राप्त करा देते। प्रदेश सरकार उन उपबन्धों से बन्धी है और प्रस्ताव पास नहीं करा सकती है। हमारी मंशा यही है कि आप भारत सरकार से अनुरोध कीजिये और फिर पूरे सदन से कराइये।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

श्रीमन्, भ्रम इस बात का है कि इस सदन में सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जो संस्तुति भारत सरकार को भेजी है, वह किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भेजी गई और उसकी भाषा क्या है ? एक तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उस पत्र को जिसको बता रहे हैं कि

सितम्बर 26 को भेजा है, उसको सदन में पढ़कर बतायेंगे कि क्या संस्तुति भेजी है ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि पहले इन चुनावों में माननीय विधायकों को वोट देने का अधिकार था चाहे ब्लाक प्रमुख का हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का हो। इस तरह से उन पर हमारा अंकुश भी रहता था।

श्री अध्यक्ष--

यह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह सारे सदस्यों से सम्बन्धित है। मान्यवर, आज इसी कारण जिला परिषद पर हम लोगों का कोई अंकुश नहीं रह गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह राज्य सरकार का अधिकार है। जैसे नगरपालिका है यहाँ पर नगर निगम है वहाँ पर एम0एल0ए0 को वोट देने का अधिकार है उसी तरह से आप लोग विचार करके ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में फिर से वही स्थिति बहाल करें।

श्री हुकुम सिंह--

प्रसन्नता है कि जिस बिन्दु पर माननीय नरेश अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया है। यह बहुत सीनियर सदस्य हैं और इधर भी बैठे हैं बहुत दिनों तक। पूरे विस्तार से इस बारे में विचार हुए हैं और उनको भी सुनने का मौका मिला है हमको इस बिन्दु पर। बार-बार यह विचार व्यक्त किये गये कि जिस तरह से वोट देने का अधिकार पहले था वह फिर से हो जाना चाहिए। पहले भी आपके सामने यह बात आ चुकी है। 243-5(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा। पहले भी यह बात आपके सामने आई थी। मैं कुछ कानून ज्यादा नहीं जानता हूँ। बड़े-बड़े कानूनविद आये थे। विचार-विमर्श हुआ था। सरकारी और गैर सरकारी विद भी थे। प्रयास किया गया कि कोई रास्ता निकल जाय। मान्यवर, जब तक यह क्लाज दिया हुआ है उसके बाहर जाना सम्भव नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, जिस पत्र का जिक्र किया गया कि 26 सितम्बर को पत्र भेजा गया था भारत सरकार को, तो मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि उसमें क्या संस्तुति लिखकर भेजी है ? उस पत्र की भाषा क्या है ? उस पत्र को सदन में पढ़कर बता दें ?

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नीतिगत होता है।

श्री बीजू पटनायक—

मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, मैं जानता हूँ चुनाव कैसे होता है। अब मैं विधान सभा का सदस्य हूँ।

श्री अध्यक्ष—

10 मिनट होते हैं अल्पसूचित प्रश्न के लिये। एक प्रश्न पर 25 मिनट हो गये हैं। माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी का अनुरोध है कि वह पत्र जो भारत सरकार को भेजा गया है, आपके सामने हो तो उसकी भाषा बता दें, जो भाषा है।

श्री हुकुम सिंह—

जो प्रस्ताव बना था, आपकी मौजूदगी में बना था। यह स्वत: नहीं भेजा गया था केन्द्र सरकार की ओर से जिज्ञासा जाहिर की गई थी कि विभिन्न अनुच्छेदों पर संशोधन का विचार है। उसमें एक विचार यह भी था कि जो व्यवस्था ग्राम प्रधान के बारे में है, जहाँ प्रदेश के विभिन्न मण्डलों जिलों को अधिकार दिया गया है इसमें जो व्यवस्था है इस पर मैंने कहा।

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब ने कहा, विधायक होते हैं उसमें पदेन माननीय सदस्यगण जो बैठकों और ब्लाक में जाते हैं, वोट देने का अधिकार न होने के कारण या तो वहाँ नहीं जाते हैं या फिर बेशर्मी से जाकर बैठ जाते हैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ यह सही है कि जनतंत्र में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ब्लाक प्रमुख के चुनाव होते हैं, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नियम निर्देश जो हैं उसमें परिवर्तन किया जाए कि विधायकों को अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न का उत्तर पहले वाले उत्तर में आ गया है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य ने बड़ी जिज्ञासा जाहिर की है मैं फिर से 243-(ग)-(4) पढ़ देता हूँ।

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य —

मान्यवर, मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी मेरे अनुरोध पर खड़े हुए हैं।

श्री हुकुम सिंह—

अभी स्पष्ट हो जाएगा, वोट देने के अधिकार के बारे में आपने कहा मैं 243-(ग) (4) पढ़ देता हूँ— "किस पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हो या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा।"

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य —

क्या विधायक को वोट देने का अधिकार होगा, यह बतायें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

असीमित संख्या में अनुपूरक प्रश्न नहीं होते हैं, 20 मिनट का समय होता है, मैंने 30 मिनट दे दिए हैं।

श्री बीजू पटनायक—

श्रीमन्, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अनुसूचित जाति के जिला पंचायत सदस्य हैं अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य हैं, उसमें किस तरह से डरवाया जाता है, धमकाया जाता है, रुपये का प्रलोभन दिया जाता है मैं जानता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ।

(व्यवधान)

जो लोग रायफल की नोंक पर वोट मांगते हैं वह जीतते हैं, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। यह पंचायत का चुनाव तीन स्तरीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत और जिस पर अभी चर्चा चल रही है वह है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत। मैं 20 साल पहले ब्लाक प्रमुख था और जो बातें खड़ी हुई थीं....

श्री अध्यक्ष—

आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री दिनेश सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। सदन में कई न्यायालयों का फैसला सुनाया हम उसका स्वागत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों के प्रधान पर अविश्वास प्रस्ताव, जिसे चुना जनता के द्वारा जाता था, बीच में....

श्री अध्यक्ष—

आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री दिनेश सिंह—

मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि यह संशोधन स्वयं विवेक से करें। मैं चाहूँगा कि इसमें सदन की आम राय से प्रस्ताव बनाकर भेज दें तो कृपा होगी। आप इस सदन का सम्पूर्ण प्रस्ताव बनाकर भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है।

श्री राकेश सचान—

मान्यवर, ब्लाक और जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता से कराये जाने के सवाल को लेकर आज सदन में गम्भीर चर्चा हुई और आपने भी उसमें रुचि ली है। लेकिन माननीय मंत्री

जी ने इसमें कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया है और यह जितने भी माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं उन सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक माननीय सदस्य, जो कि जिला पंचायत के सदस्य थे अब विधान सभा के सदस्य होकर आये हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा को सुनाया। इस पर आपके रहते हुए कोई ऐसा उत्तर आ जाय कि यह चुनाव जनता से हो जाये और यह भ्रष्टाचार जो हो रहा है, वह खत्म हो जाय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरे सदन का प्रस्ताव बनाकर केन्द्र को भेज दें ताकि कोई संशोधन हो जाय और चुनाव सीधे जनता से हो।

प्रदेश में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा फसलों की हानि की रोकथाम हेतु उपाय की जानकारी

**2–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा0 अशोक बाजपेयी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलगायों से बड़ी मात्रा में फसलें नष्ट हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने कोई कार्य-योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह) –

वन रोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुँचाये जाने की संभावना प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पायी जाती है।

कृषि फसलों को क्षति पहुँचाने वाले उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) से कृषकों को होने वाली क्षति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों को, इनको नष्ट करने हेतु वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम--1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपनी-अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर अनुज्ञा जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषक, उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने हेतु संबंधित जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त से स्थिति स्पष्ट है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्नीय अधिष्ठाता महोदय, नीलगायों या वनरोज का प्रकोप पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपदों में फैला हुआ है और इस सच को माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और संभवत: यह अनुमान लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि क्षेत्र की उपज की क्षति होती है। यह प्रश्न कई बार इस विधान सभा में इससे पहले भी आ चुका है।

(इस समय 11 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जिस अधिनियम का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया इसमें अनुज्ञा बहुत पहले जारी हो चुकी है। इसमें नील गायों के प्रकोप पर कोई अन्तर नहीं पड़ा! इसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन युद्ध-स्तर पर कोई कार्यवाही करेगा ? जैसे जिलों में या क्षेत्रवार बड़े-बड़े बाड़े बनाये जायें और उसमें इन्हें पकड़ कर बन्द कर दिया जाये और भी कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाये ताकि बनरोजों से प्रति वर्ष होने वाली कृषि उपज की क्षति को रोका जा सके इसमें कोई दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। जहां तक उनको मारने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न है वह मान्यवर, तकनीकी दृष्टि से कठिन होता है और बहुत बार संभवत: वह अनुज्ञा प्राप्त नही हो पाती है। आज नील गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है उन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है।

ठाकुर जयवीर सिंह–

मान्यवर, वनरोज (नीलगाय) एक संरक्षित वन्य जीव है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार केवल ऐसे वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट कराया जा सकता है जो मानव जीवन और सम्पत्ति के लिए घातक (नुकसानदेह) हो गये हैं। इसलिए कृषकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने फसलों को नुकसान पहुँचा रहे वनरोजों (नीलगायों) को जिलाधिकारी; उप जिलाधिकारी अथवा क्षेत्र विकास अधिकारी से अनुमति लेकर नष्ट कर सकते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सदन का यह नियम है कि मंत्री जी पढ़कर उत्तर नहीं दे सकते।

ठाकुर जयवीर सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ। नील गाय गोवंश का जीव नहीं है गोवंश के जीवों अर्थात गाय-बैल में नर-मादा दोनों के सीगें होती हैं। गाय के चार थन होते हैं जबकि नील गाय के दो थन होते हैं। गाय मल त्याग गोबर के रूप में करती है जबकि नीलगाय लेड़ी के रूप में मल त्याग करती है। इन्हीं कारणों से नीलगाय को गोवंश का जीव नहीं मानकर ऐण्टीलोप वर्ग का जीव माना जाता है।

मान्यवर, धार्मिक भावनाओं के कारण लोग अनुज्ञा लेना नहीं चाहते हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इससे प्रति वर्ष कितनी कृषि उपज की क्षति होती है क्या इसका अनुमान लगाया गया है ? मान्यवर, गांव में एक तो अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन है और दूसरे जो कृषक हैं वह कोई प्रशिक्षित शूटर नहीं हैं और बहुत बार तो यह देखने में आया है कि उस प्रहार में खेत में काम करने वाले दूसरे किसान को गोली लग गयी हो और वह मर गया हो। तो मैं चाहता हूँ कि इन वनरोजों से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्य-योजना सरकार बनायेगी ?

ठाकुर जयवीर सिंह–

मान्यवर, सरकार ने कृषि उपज की क्षति का अनुमान नहीं लगाया है।

मान्यवर, जैसा कि हमने बताया कि प्रभावित कृषक अनुमति लेकर उत्पाती नीलगाय को दूसरे की सहायता से आखेट करवा सकता है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) –

मान्यवर, जो क्षति होती है उपज की उसको रोकने के लिए एक अधिनियम का आपने उल्लेख किया। मान्यवर, इसमें तमाम बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, तनाव पैदा हुआ है। कहीं नीलगाय मारी गयी तो मारने वाले का घर लोगों ने फूँक दिया। यह संवेदनशीलता के आधार पर ऐक्ट बनाया गया है। मान्यवर, इसको रोकने के लिए जन सहयोग की जरूरत है। जो क्षति हुई है उसके आंकड़े मंगा रहे हैं। मान्यवर, इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है इसको माननीय सदस्य को बता देंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कितनी क्षति हुई है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वह बता देगें।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, डा0 अशोक बाजपेयी जी के दो प्रश्न है एक तो यह कि क्या क्षति का कोई आंकलन कराया है और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे फसलों को क्षति न हो पाये।

ठाकुर जयवीर सिंह–

मान्यवर, फसलों के क्षतिपूर्ति के आँकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

वनरोजों को सामान्यदशा में नष्ट करने के लिए कोई योजना सरकार नहीं बना सकती है इनको कृषक मार सकते हैं वह भी अनुज्ञा लेकर।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री जी ने क्षतिपूर्ति की बात कही है क्या वनरोजों से जो उपज को क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है क्या उसकी क्षतिपूर्ति दिलाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है और किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारे बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं। इसके प्रकोप के बारे में वास्तव में सभी किसान चिन्तित हैं और नियम के अनुसार कार्यवाही करने का प्रयास भी हो रहा है। जहाँ तक क्षतिपूर्ति और क्षति का सवाल है, माननीय सदस्य भी गाँव के रहने वाले हैं और हम लोग भी हैं, सब जानते हैं कि इसका कोई सीमित एरिया नही है जिसको कलकुलेट कर लिया जाय। कहीं एक गाँव में कुछ हुआ, कहीं 10 गाँव बाद कुछ हुआ तो ये चीजें हैं। इसको सर्वे करवा लेगें। क्षति जितनी हुई है उसका आंकलन करा लेगें। मान्यवर, इसको दिखवा लेगें और कर लेगें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारंकित प्रश्न]

प्रदेश में, शहरी क्षेत्रों में, वर्षा के पानी को संरक्षित कर, भूजल स्तर को, रीचार्ज करने की योजना

*1—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में वर्षा के पानी को एकत्र करके भूजल स्तर को रीचार्ज करने हेतु कोई योजना आरम्भ की गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या शहरी क्षेत्रों के मकान मालिकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिये जाने हेतु सरकारी सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन) —

प्रदेश के महानगरों में वर्षा के पानी का संरक्षण कर जल स्तर को गिरने से बचाने के लिए शासन द्वारा नीति निर्धारित की गयी है जिसमें प्रदेश के मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं।

शहरी क्षेत्रों के मकान मालिकों को इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन दिये जाने हेतु आवास विभाग में सरकारी सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने पिछले सदन में भी ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत चिन्ता व्यक्त की थी। सरकार की तरफ से मैं केवल आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसके लिए जो कानून बनाया था उसके अन्तर्गत जो शासनादेश जारी किये गये थे क्या प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों में उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है और उनका क्या लाभ प्राप्त हुआ है? प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि जो पुराने मकान हैं उनमें यदि लोग यह व्यवस्था करना चाहें तो क्या सरकार कोई सहायता देने पर विचार कर रही है ? मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ कि जो प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना पेयजल की है उसकी कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग वर्षा जल संचयन पर व्यय करने का प्राविधान है। 20 अप्रैल 2002 को एक सेमिनार हुई थी कि वर्षा जल संचयन को वृहद रूप से लागू किया जाये, सरकार का भी यह निर्णय है कि शासकीय भवनों पर जल संचयन की प्रणाली को लागू करेंगे, अभी एक जगह आपने उद्घाटन किया पर क्या उसके अतिरिक्त क्या प्रदेश के किसी संस्थान या शासकीय भवनों पर इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है ? इस बार जो सूखे की स्थिति

आई है उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। सरकार की चिन्ता साल-डेढ़ साल पहले से है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए जो कानून बनाये गये हैं उन कानूनों का पालन हुआ है कि नहीं और जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है उसको ध्यान में रखते हुए जो सेमिनार हुई है इस पर सरकार भविष्य में कितनी कार्यवाही करना चाहती है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ ?

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर उसको प्राथमिकता के रूप में लिया गया है। यह देखा गया कि 4-5 साल बाद जो स्थिति आने वाली है उस पर अभी से कार्यवाही की जाये, उसके लिए कोई कानून नहीं बना है बल्कि शासनादेश जारी किये गये हैं कि कोई भी शहरी मकान जो एकल मकान हैं उसको छोड़कर जो सरकारी भवन हैं, विद्यालय हैं जहां बड़ी मात्रा में वर्षा का पानी उनकी छतों पर इकट्ठा होता है वहां इस संयत्र को लगाने का काम शुरू हो। केवल लखनऊ का ही एक उदाहरण दिया गया है लेकिन कई शहरों में इस तरह के संयत्र लगाये जा रहे हैं। अब जो नये भवन बन रहे हैं उनका नक्शा तल तक पास नहीं होगा जब तक यह योजना नहीं लागू होगी। सरकार द्वारा मंडलायुक्तों को भवन दिया गया है कि जो भी बड़े भवन बनें, उनमें ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो। मान्यवर, जहाँ तलाबों, पोखरों में वर्षा का पानी एकत्र होता है लोग उसको धीरे-धीरे पाटकर खत्म कर रहे हैं, उसके ऊपर शासनादेश द्वारा नियंत्रण लगा दिया गया है। उसमें जहां -जहां तालाब-पोखरे आदि हैं उसका भूमि उपयोग निश्चित कर दिया जायेगा।

इसमें शुरुआत हमने की, और कल प्रधान मंत्री जी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इसे अभियान के रूप में लेने की घोषणा की है। यदि भारत सरकार की कोई योजना आ जाती है तो प्रदेश और भारत सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयासों से यह एक बड़े अभियान के रूप में शुरू होगा। जो व्यवस्था लागू की गई है, इसमें सहयोग हमारे जन-प्रतिनिधियों, जनता और सभी नागरिकों का अपेक्षित है। यह संकट सभी के लिये आने वाला है, यदि अभी से व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले 5 सालों में भूगर्भ जल का स्तर बहुत नीचे चला जायेगा, भले ही सूखा पड़े अथवा न पड़े। इसीलिये सरकारी भवनों में भी निर्देश भेज दिये गये हैं, जो बड़े भवन बने हैं, कि वह छत का पानी जमीन में ले जाने के लिये संयंत्र बनवायें. इसमें जहाँ शासन के तरफ से अनुदान की जरूरत होगी, तो वह व्यवस्था कर दी जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो पानी निकाल रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा जल का दोहन करके जलापूर्ति की जा रही है, उसकी रिचार्जिंग कौन करेगा? हमारी चिन्ता और माननीय मंत्री जी की चिन्ता में कोई अन्तर नहीं है। यह खतरा बिल्कुल साफ है कि 5-6 साल बाद पेयजल की व्यवस्था कैसे की जायेगी ? लेकिन यदि कबूतर, बिल्ली के डर से आँख मूँदकर बैठ जायेगा, तो कैसे काम चलेगा ? मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो प्रधान मंत्री

ग्रामोदय योजना में पेयजल वाला भाग है, उसका 25 प्रतिशत भाग वर्षा जल संचयन के लिये ही है, इसलिये उसमे जो धनराशि प्राविधानित है, लोगों को प्रेरणा देने के लिये, ताकि वह अपने भवनों पर रीचार्जिंग की व्यवस्था कर सकें, सरकार कोई अनुदान देने पर विचार करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नगरीय क्षेत्रों में नहीं हैं। यह स्वजल योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है। शहरों में देने के लिये ऐसा कोई फंड नहीं है जिससे इंसेटिव दिया जा सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि यह सरकार की चिन्ता है कि जल संचयन हो। इस दिशा में उन्होंने एक स्पष्ट गाइडलाइन, जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के शहरों में अब जो मास्टर प्लान बनेगा, उसमें स्पष्ट रूप से तालाब, पोखरों आदि को दर्शाया जायेगा और उनके लैंडयूज को चेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन तमाम क्षेत्रों में जो तालाब, पोखरे हैं, उन पर बराबर अतिक्रमण हो रहा है, इसी तरह शहरों में जो ड्रेनेज तथा जल-संचयन की चीजें हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है। लखनऊ में तो माननीय मंत्री जी थोड़ी कार्यवाही कराते रहते हैं, लेकिन प्रदेश के विभिन्न शहरों में अतिक्रमण करके तालाब, पोखरों पर लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं और उन पर भवन बन रहे हैं। इसको रोकने के संबंध में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लाल जी टण्डन–

अभी तक किसी के हिस्से में तालाब या पोखरा होता था तो लोग उसको सार्वजनिक रूप से छोड़ देते थे, लेकिन अब लोग अपना स्वामित्व दिखाकर कब्जा कर रहे हैं, और अवैध कब्जे भी हो रहे हैं, लेकिन अब जब लेन्ड यूज निश्चित हो जायेगा और इसके लिये कानून बन जायेगा तो ऐसे तालाब, पोखरों की जमीनें सरकार के हक में शामिल होगीं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अवैध कब्जे हैं, वह खाली कराये जायेगें, यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलीगंज में एक तालाब को लोगों ने पाट दिया था उसे खाली कराके बनाया गया है और पहला मैंने अपनी विधायक निधि से इस प्रकार का यह कार्य कराया है। लोग उसे देखें और प्रेरणा लें और यह पहला पाइलेट प्रोजेक्ट वाटर रिचार्जिंग का है।

श्री जगदम्बिका पाल–

हमें भी दिखा दीजिए।

श्री लाल जी टण्डन–

आप लोग उसे देखिए, जो–हनुमान जी का ऐतिहासिक मन्दिर है, उसके पीछे यह बनाया गया है, बहुत सुन्दर स्थान निकल आया है, फोवारे भी लगा दिए गए हैं। आप उसे देखें।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं नगर विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं , जैसा उन्होंने बताया योजना तो बहुत अच्छी है। मान्यवर, इलाहाबाद में यमुना और गंगा दो बड़ी नदियाँ हैं, बहुत पानी है लेकिन

फिर भी क्षेत्र में पीने के पानी की कमी रहती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई योजना बनाकर इन नदियों के पानी का उपयोग करने पर विचार करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन –

मान्यवर, जमीन के अन्दर से पानी लेना मुश्किल है लेकिन जिन बड़े शहरों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, प्राथमिकता से प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ एक जलकल है तो दूसरा भी बना लिया जाए। इस तरह हम जमीन का पानी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े संसाधन की व्यवस्था करनी होगी।

तारांकित प्रश्न

नवगठित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पर, गठन की तिथि से होने वाली लाभ-हानि के विवरण एवं इसे दूर करने के उपाय

श्री अधिष्ठाता–

नत्थी 'ग', प्रश्न सं0 1, डा0 अशोक बाजपेयी .....

*1–डा0,अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पर उसके गठन की तिथि से अब तक प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ है और उस घाटे को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा , चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री रामवीर उपाध्याय)–

(1) वर्ष 1999-2000 (15-1-2000 से 31-3-2000) के असंप्रेक्षित लाभ-हानि खाता के अनुसार रु0 142.95 करोड़ का घाटा हुआ।

(2) वर्ष 2000-2001 के टेन्टेटिव लाभ हानि खाते के अनुसार रु0 1452.64 करोड़ का घाटा हुआ है।

(3) वर्ष 2001-2002 की बैलेन्स शीट अभी नहीं बनी है अत: घाटे/लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाइन हानियाँ कम करने, टैरिफ में वृद्धि तथा वसूली बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ .....

श्री अधिष्ठाता–

अगला प्रश्न ले लिया गया है, आप कृपया बैठ जायें। अगले प्रश्न में आप बोल लीजिएगा।

(ऊर्जा मंत्री द्वारा लिखित उत्तर पढ़े जाने के समय श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल बोलते रहे, लेकिन कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जायें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जो मास्टर प्लान है आवास विकास का, बड़े-बड़े फैक्ट्री मालिक जिनकी फैक्ट्रियाँ सैकड़ों एकड़ में हैं उसको ध्वस्त करके उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं वहाँ पर कोई सीवरेज डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है। जब वहाँ बिल्डिंग बन जाती है और हम लोग जब वोट मांगने निकलते हैं तो लोग पानी मांगते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ मास्टर प्लान में पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज आदि का क्या प्राविधान है ?

श्री अधिष्ठाता–

बहुत सी बातें ऐसी हैं, जब विभागों के बजट आयेंगे, उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं। यह प्रश्न का मौका है, इसमें आप सहयोग करें।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय 14 जनवरी, 2000 को पावर कारपोरेशन का गठन हुआ था, उसी समय विद्युत् परिषद् की देनदारियाँ लगभग 6 हजार करोड़ की थी।

राज्य सरकार ने इनको समाप्त करके शून्य कर दिया था, कोई देनदारी पावर कारपोरेशन के ऊपर नहीं थी, एक पैसे की भी नहीं थी। मान्यवर, उस समय सरकार ने एस0बी0आई कैंप और आई0सी0आई0सी0आई0 इन दो संस्थाओं के माध्यम से एक अध्ययन कराया था और इन दोनों संस्थाओं ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की थी जिसमें यह बताया गया था कि कितने वर्ष तक घाटा होगा और कितने दिनों में घाटा समाप्त हो जाएगा और घाटे को दूर करने के लिए उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे, उस पर क्या अमल हुआ ? और उसका क्या प्रभाव पड़ा ? क्या उसी के अनुरूप आज की स्थिति है ? इन्होंने बताया कि पहले वर्ष में 142.95 करोड़ का घाटा हुआ दूसरे वर्ष 1452.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और तीसरे वर्ष का घाटा इन्होंने बताया नहीं। आज अगस्त का महीना चल रहा है और मार्च तक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। मान्यवर, प्रति वर्ष टैरिफ बढ़ा रहे हैं और बिजली दरों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जनता के उत्पीड़न में किसी तरह की कमी है नहीं, बिजली उन्हें मिल नहीं रही है और उसके बाद भी पावर कारपोरेशन का घाटा तेजी से बढ़ा है और साथ ही साथ प्रदेश की जनता पर भी निरन्तर भार बढ़ रहा है। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि एस0बी0आई0 कैंप और आई0सी0आई0सी0आई0 ने जो सुझाव दिए थे, उनकी स्थिति क्या है ? कितने दिनों तक घाटा होता था, कितना होता था ? उनके सुझाव के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं, स्थिति क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, पूरी स्थिति तो छः माह बाद ही क्लियर हो पाएगी, फिर भी 1578 करोड़ का घाटा हुआ है वर्ष 2001-2002 में ।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जहाँ तक सुधार की बात है तो 3 मई, 2002 को विभाग हमको मिला और उस समय यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 को 11 हजार 106 करोड़ रूपये की देनदारी थी फिर भी हम लाइन लॉस को कम करने के लिए पूरा जोर दे रहे हैं और व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 की रिपोर्ट में घाटा दिखाया गया था तो उस रिपोर्ट में प्रति वर्ष कितना घाटा अनुमानित था और सरकार ने कितने रुपये सहायता देने के लिए पावर कारपोरेशन से बात की थी। यह जो घाटा दिखाया गया तो यह घाटा सरकार से जो सहायता मिली थी, उसको जोड़कर है या निकाल कर है। जो विद्युत् सुधार अधिनियम था उसमें घाटा चलने की जो अवधि थी वह शायद पांच वर्ष थी और उसके बाद कहा गया था कि पावर कारपोरेशन लाभ में जाएगा, तो क्या सरकार ने उसमें दो वर्ष जोड़ कर उस अवधि को सात वर्ष कर दिया है ? यदि हां तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, श्री नरेश अग्रवाल जी 5 साल तक विभाग के मंत्री रहे। यह उन्हीं की देनदारियाँ हैं। 11 हजार 106 करोड़ की देनदारियाँ थी।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्त रहिये । मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, लीपापोती करके इन्होंने परे उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा गया था। पहले भी मैंने पूछा था और दोबारा भी वही प्रश्न पूछा गया कि आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ मानक तय किये गये कि इतने वर्ष तक घाटा रहेगा उसके बाद घाटे की स्थिति में अन्तर आयेगा और फिर स्थिति सामान्य पर आ जायेगी। उस रिपोर्ट के संबंध में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बताया। बकायेदारी के संबंध में जो घाटा दिखाया गया है उसमें जो राज्य सरकार ने सहायता की थी क्या वह भी सम्मिलित है या नहीं ? इन दोनों के बारे में उत्तर नहीं आया है, उसका मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक तो जो घाटा लगातार चलता आ रहा है उसके बारे में बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जब से निगम बना था 57 हजार करोड़ रुपये का घाटा अभी तक का है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मैंने पावर कारपोरेशन बनने के बाद की स्थिति जाननी चाही है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वह मैंने बता दिया है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पावर कारपोरेशन बनने के बाद जो घाटा माननीय मंत्री जी ने बताया क्या सरकार से जो सहायता मिली है उसको सम्मिलित करने के बाद यह घाटा हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह पूछा गया है कि जो घाटा दिखाया गया है क्या उसमें सरकारी सहायता शामिल है या उसके बगैर है ? यह मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

सरकार की सहायता भी इसमें शामिल है। उसके बाद यह घाटा है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

इसका ब्रेकअप बता दें ?

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

(शोर/व्यवधान)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

अधिष्ठाता महोदय, बाजपेयी जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं आया कि सरकार ने कितना सहयोग किया है तथा उस समिति की रिपोर्ट क्या है ? जब से कारपोरेशन गठित हुआ है उसका घाटा क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 850 करोड़ रुपये का घाटा है।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अवैध बिजली कनेक्शन के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और जिस प्रकार से जिनके ऊपर विद्युत का बिल बकाया है उनके खिलाफ वसूली का अभियान छेड़ रखा है तो इस संबंध में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिन गाँवों में या जिन कस्बों में जहाँ पर विद्युत सप्लाई पिछले 4-5 महीने से नहीं हो रही है और फिर भी वहाँ पर विद्युत सप्लाई का बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है तो क्या माननीय ऊर्जा मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन गाँवों और जिन कस्बों में विद्युत सप्लाई न होने पर भी बिल आ रहे हैं उनकी वसूली रोकी जाए ? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में एक गाँव में पिछले 6 महीने से विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है और

वहां पर बिजली का बिल आ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहाँ पर विद्युत सप्लाई के जो बिल आ रहे हैं जबकि वहाँ पर बिजली पिछले 6 महीने से नहीं आ रही है तो क्या वहाँ पर वसूली रोकने का निर्देश देंगे ? या इस विद्युत बिलों को समाप्त करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, यह प्रश्न इससे संबन्धित नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य जी की संतुष्टि के लिए इस पर .....

(व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि एक प्रश्न आ गया है और दूसरा प्रश्न भी आ गया है। दूसरा प्रश्न इससे संबधित नहीं है यह भी उन्होंने कहा। चूंकि माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं तो पुन: यही प्रश्न हो रहा है। इस संबंध में मान्यवर, आपसे आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम करन आर्य –

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि और मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस प्रश्न का उत्तर आना ही चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जाइये।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ । आपने कहा कि 6 महीने से विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है यही आपका प्रश्न है ? मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेश अग्रवाल जी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे उस समय क्या स्थिति थी ? दूसरे मैं तो अभी मई, 2002 को ही इस विभाग का मंत्री बना हूँ। इस पद को संभालने के बाद मैंने कई मण्डलों का दौरा किया जिसमें 100 से अधिक गाँव थे। इन गाँवों में मैं गया। यह सही है कि कहीं-कहीं पर डेढ़ तो कई जगह 5 घण्टे तो कहीं पर आठ घण्टे की बिजली नहीं मिल रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कृपया इसे सही करने का कष्ट करें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूँ और मैं यह श्री नरेश अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है लेकिन यह सब हमें आप ही से मिला है। जब मैंने यह विभाग संभाला

तो हमारी बहन जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि चाहे जितना पैसा देना पड़े लेकिन किसानों को 8 घण्टे की विद्युत सप्लाई होनी चाहिए जहाँ पर डेढ़ घण्टे या जहाँ पर 3 घण्टे या जहाँ पर 8 घण्टे की विद्युत आपूर्ति होती थी वहाँ पर 8 घण्टे की विद्युत सप्लाई की हमने व्यवस्था कराई हमने किसानों के लिए, आज गाँवों में बिजली दी जा रही है। कहीं-कहीं पर विद्युत सप्लाई ठीक नहीं है तो वहां पर ठीक करा देंगे।

श्री राम करन आर्य –

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी नहीं चल सकेगा।

श्री राम करन आर्य –

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आठ घण्टे की बिजली सप्लाई हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोरहरा में दिन भर बिजली नहीं रहती है रात में दो बजे आती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दो बजे रात में किसान क्या करेंगे जब कि बिजली भी आधे ही घण्टे की आती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस सरकार के आते ही इतना भयंकर बिजली संकट हुआ कि दो नई पंचायतें हैं, मेरे जिले की हैं जिसमें बिजली के खम्भे स्थापित न होने से करीब डेढ़ महीने से कम से कम 50 गाँवों में बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि खम्भे गिर गये हैं इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर बिजली के खम्भे गिर गये हैं क्या माननीय मंत्री जी जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करा कर बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 ने कहा है कि 5 वर्षों में कर्ज की स्थिति समाप्त हो जायेगी इसके बाद घाटा नहीं होगा। माननीय नरेश जी ने प्रश्न किया था जिसका उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न है कि क्या 5 वर्ष से अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष की गयी है ? अगर की गयी है तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, घाटे को पूरा करने के लिये 15-1-2000 से 31-3-2000 तक 45 करोड़, वर्ष 2000-2001 में 240 करोड़ और वर्ष 2001-2002 में 962 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरे यहां ढाई महीने से बिजली नहीं दी जा रही है। इसको ठीक करवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । आप अपना स्थान ग्रहण करें।

नोट:--नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*2—कुँवर रेवती रमण सिंह—

[4थे बुधवार के तारां0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

[1ले गुरुवार के तारां0 प्र0 सं0-05 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4—श्री जगदम्बिका पाल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना

*5—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना में उत्पादन कब शुरू होना था ? क्या यह सही है कि इस योजना में देरी के कारण उत्पादन दर में भारी वृद्धि हो गई है और इससे यू0 पी0 पी0 सी0 पर करीब 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बोझ बढ़ गया है ? यदि हाँ, तो देरी होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस बढ़ी दर को न दिये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) के अनुसार परियोजना से उत्पादन फाइनेन्शियल क्लोजर (वित्तीय प्रबन्धन) की तिथि से 60 माह के अन्दर होना है। परियोजना का फाइनेन्शियल क्लोजर अभी होना बाकी है जिसे विकासकर्ता द्वारा दिनांक 31-12-2002 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना की लागत मूल्य 30-6-97 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) द्वारा रुपये 1233.57 करोड़ एवं यू0 एस0 डालर 107.35 मिलियन अनुमोदित है जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नही हुआ है। ऊर्जा उत्पादन की दर टेक्नो इकनामिक क्लीयरेंस (टी0 ई0 सी0) में स्वीकृत परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित होगी।

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप परियोजना उत्तरांचल में चली गई है अत: इसके क्रियान्वयन अनुबन्ध में उत्तरांचल की भागीदारी भी आवश्यक है, जिस हेतु वार्ता की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी विद्युत वितरण संहिता

*6—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण संहिता क्या है और इसके लागू करने पर उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 10 के अंतर्गत दिए गए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण संहिता, 2002 का अनुमोदन किया है जो दिनांक 1-7-2002 से लागू है। विद्युत वितरण संहिता में उपभोक्ताओं एवं लाइसेंसी के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है।

विद्युत वितरण संहिता, 2002 के लागू होने के फलस्वरूप इसके माध्यम से विद्युत लाइसेंसी द्वारा विद्युत वितरण, उपभोग के विद्युत के बिल, नये कनेक्शन देने से संबंधित प्रक्रिया के लिए

उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ताकि उपभोक्ता को समयबद्ध तरीके से कनेक्शन निर्गत किया जा सकें और उसको राहत मिले।

– मीटर रीडिंग प्राप्त की जाये

–उपभोक्ता को विद्युत उपभोग बीजक उपलब्ध कराया जाए।

इस सम्बन्ध में विद्युत वितरण संहिता, 2002 के विशेष मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

1–नये कनेक्शन देने की प्रक्रिया–

1–25 किलोवाट तक के भार के लिए आवेदक द्वारा संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करने के 7 दिन के अन्दर आपूर्ति कर दी जायेगी।

2–यदि कनेक्शन निर्गत करने में नये खम्बे लगने हैं तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसी 7 दिनों के अन्दर भुगतान करने वाले प्रभार की सूचना देगा।

3–आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं भुगतान करने के पश्चात् 30 दिन के अन्दर आपूर्ति कर दी जायेगी।

4–इसी प्रकार 25 किलोवाट से अधिक भार के नये संयोजन निर्गत करने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार 10 मेगावाट एवं उससे अधिक भार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् 300 दिनों में निर्गत किया जाना होगा।

5–आवेदक को यह विकल्प होगा कि वह लाइन का निर्माण स्वयं करा ले या लाइसेंसी द्वारा करवाये ।

6–संयोजित भार बढ़ाने एवं कम कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

7–नया संयोजन लेते समय उपभोक्ता को अपना मीटर क्रय करने का विकल्प दिया गया है।

8–उपभोक्ता द्वारा अपनी सुविधानुसार अनुमानित उपभोग के मूल्य का अग्रिम भुगतान कर सकेगा।

9–बिल संबंधी शिकायतें 7 दिन में निपटायी जायेंगी।

10–चैक से भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अभिसूचित स्थानों पर बक्से रखे जायेंगे।

11–60 मेगावाट से अधिक की पूर्व घोषित कटौती/व्यवधान की पूर्व सूचना दी जायेगी।

12–5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें विद्युत आपूर्ति की सूचना उपलब्ध रहेगी।

13–विद्युत व्यवधान की सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र द्वारा या टेलीफोन के माध्यम से दी जा सकेगी।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*7—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने.की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हाँ , तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

राजधानी लखनऊ का मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ नगर का ही भाग है। लखनऊ नगर के पेयजल श्रोत में सुधार एवं तत्संबंधित कार्य करने पर मध्य विधान सभा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में भी सुधार होगा। लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु रु0 102.60 करोड़ की दीर्घकालीन योजना विरचित की गयी है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य प्राविधान हैं :—

1—स्रोत का सुधार रु0 9.10 करोड़

2—पाइप लाइन का विस्तार एवं इन्टर कनेक्शन रु0 2.00 करोड़

उक्त के अतिरिक्त मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् कालोनी के ब्लाक "ई एवं एफ" की पेयजल पुनर्गठन योजना भी निर्माणाधीन है।

उपरोक्त प्रस्तावित योजना पर अनुमानित व्यय रु0 102.60 करोड़ के सापेक्ष अब तक रु0 19.50 करोड़ की धनराशि तथा राजाजीपुरम् कालोनी के ब्लाक "ई एवं एफ" की पेयजल पुनर्गठन योजना के सापेक्ष 1.50 करोड़ रु0 की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है जिससे निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दैवी आपदा निधि से भी रु0 1.24 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा नदी के जल में प्रदूषण के कारण जलीय गुण में ह्रास को रोकने हेतु कार्य-योजना

*8—श्री संजय गर्ग—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गंगा नदी के जल में प्रदूषण के कारण जलीय गुण में निरन्तर ह्रास हो रहा है ? यदि हाँ, तो इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में कोई योजना बनाई.जा रही है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जा रहे गंगा नदी की जल गुणता जाँच/अनुश्रवण से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार प्रदूषण के कारण निरन्तर जलीय गुण में ह्रास नहीं हो रहा है।

जी हाँ।

गंगा नदी के प्रदूषण निवारण हेतु वर्तमान में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें गंगा के किनारे स्थित 12 नगर सम्मिलित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*9—श्री अनिल सिंह—

[1ले बुधवार के तारां0 प्र0 सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में घरेलू बिजली बिलों में फिक्स चार्ज के रूप में ली जाने वाली धनराशि का औचित्य

*10—श्री कैलाश यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में घरेलू बिजली बिल में फिक्स चार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से रु0 25.00 प्रति किलोवाट की दर से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो फिक्सड चार्ज लिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी फिक्सड चार्ज के रूप में ली जा रही धनराशि को समाप्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ, 1991 की जनगणना के अनुसार 10,000 से कम आबादी में 2 कि0 वाट तक के ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार प्रेषित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य घरेलू पंखा-बत्ती के 1 कि0 वाट तक के उपभोक्ताओं से इनर्जी चार्ज के अतिरिक्त रु0 25 प्रति किलोवाट की दर से फिक्स चार्ज लिया जा रहा है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू विद्युत दरों का निर्धारण स्वतंत्र संस्था उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के द्वारा किया जाता है। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये लाइनों एवं संयंत्रों के रख-रखाव, अवमूल्यन एवं देय ब्याज/कर्मचारी सेवा आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं से फिक्सड चार्ज लिये जाते हैं।

जी नहीं।

विद्युत लाइनों एवं संयंत्रों के रख-रखाव, अवमूल्यन एवं देय ब्याज/कर्मचारी सेवा आदि मदों में किये जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति आवश्यक है। अत: विद्युत दरों में फिक्स चार्ज का अंश समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में टेऊगा स्थित 132 के0 वी0 के विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

*11—श्री राम नरेश यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में टेऊगा में 132 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु यू0पी0एफ0सी0 से 75 लाख रुपये स्वीकृत होकर निर्माण कार्य पुन: आरम्भ किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ।

उक्त उपकेन्द्र के पूर्ण होने का लक्ष्य 9/2003 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड मोहम्मदाबाद स्थित नीब करोरी विद्युत आपूर्ति उपकेन्द्र द्वारा वहाँ के कोल्ड स्टोरेज हेतु 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की माँग

*12—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज हेतु 16 घण्टे बिजली देने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद में उक्त निर्णयानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी नहीं।

प्राइमरी उपकेन्द्रों से निकलने वाले पोषकों को विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रदान किये गये स्तर के अनुसार उनसे पोषित कोल्ड स्टोरेज की विद्युत आपूर्ति निर्भर करती है। वर्तमान में प्रदान किये गये ग्रामीण एवं तहसील स्तर के पोषकों पर प्रतिदिन लगभग 08 घंटे तथा अन्य सभी स्तर के पोषकों पर प्रतिदिन लगभग 16 घंटे या अधिक, स्तर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की विद्युत आपूर्ति 132 के0वी0 नीबकरोरी उपकेन्द्र से निकलने वाले ग्रामीण पोषक से होने के कारण वर्तमान नीति के अनुसार प्रतिदिन लगभग 08 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद महोबा के कबरई कस्बे व जैतपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

*13—श्री सिद्ध गोपाल साहू—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद महोबा के महोबा शहर कबरई कस्बे व जैतपुर ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था को निर्धारित समय में पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जनपद महोबा के कबरई कस्बे एवं जैतपुर ग्राम पंचायत की पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा यह योजनायें निर्धारित समय में पूर्ण कर ली जायेंगी।

महोबा नगर पेयजल का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसके लिये "बीजा सागर" से पेयजल हेतु 6 क्यूसेक कच्चा पानी दिये जाने के लिये इन्टेकवेल बनाने की अनुमति वन विभाग से नहीं मिल पायी है। "बीजा सागर" में पक्षी बिहार है तथा इन्टेकवेल बनाने की अनुमति भारत सरकार से अपेक्षित है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् योजना पर कार्य शुरु किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रतिवर्ष मा0 विधायकों के प्रस्ताव पर पाँच-पाँच गावों में विद्युतीकरण कराये जाने की योजना

*14—श्री आलोक कुमार शाक्य—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों के प्रस्ताव पर प्रत्येक वर्ष पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सरकार कोई स्थायी नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

ग्रामीण विद्युतीकरण व्यापक मात्रा में कराने का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में 1अप्रैल, 2001 को अवशेष 42185 गांवों का विद्युतीकरण 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण कराने हेतु संसाधनों की मांग केन्द्र सरकार से की गयी है। देश के समस्त ग्रामों का वर्ष 2002 तक विद्युतीकरण की घोषणा मा0 प्रधान मंत्री जी ने भी की है।

प्रदेश में सरकार ने अवशेष अम्बेडकर ग्रामों एवं निर्बल वर्गों के विद्युतीकरण पर तत्काल प्राथमिकता दी है। ग्रामीण विद्युतीकरण में मुख्य अवरोध संसाधनों की उपलब्धता का होता है और संसाधनों की स्थिति को देखते हुए ही मा0 विधायकगणों द्वारा चयनित ग्रामों को विद्युतीकृत कराने की योजना रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*15–श्री कमाल युसुफ मलिक–

[3सरे सोमवार के तारां0 प्र0 सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सम्पूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक (पालीथीन) थैलों के उपयोग से बढ़ता दुष्प्रभाव

*16–डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पालीथीन के बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप पशुओं में जानलेवा बीमारी फैल रही है तथा पालीथीन के थैले जल निकासी हेतु बने नाली, नालों को अवरुद्ध कर देते हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने इसके निराकरण के लिये क्या कोई उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हाँ।

उक्त के दृष्टिगत प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा के उपयोग और निस्तारण का विनियमन करने और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है।

उक्त अधिनियम, 2000 में निम्नवत् व्यवस्थायें दी गयी है :–

1–सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेकने पर प्रतिबन्ध।

2–जीव अनाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना।

3–जीव अनाशिक कूड़ा-कचरा को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति।

4–निर्धारित मानकों के कम मोटाई के पुन:चक्रित प्लास्टिक का उपयोग खाद्य भण्डारण करने, उसे ले जाने एवं उसकी पैकेजिंग करने पर निषेध लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति दर अलग-अलग लिए जाने का औचित्य

*17—श्री कल्याण सिंह दोहरे—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के फीडरों से जुड़े निजी नलकूपों में विद्युत आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा 55 रुपये प्रति हार्स पावर तथा शहरी क्षेत्र के फीडरों से विद्युत आपूर्ति किए जाने वाले नलकूपों पर रु0 2.90 प्रति यूनिट धनराशि के बिल लिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार ग्रामीण एवं शहरी फीडरों से आपूर्ति की जा रही विद्युत की दरों को एक समान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू विद्युत दरों का निर्धारण स्वतंत्र संस्था उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग के द्वारा किया जाता है।

जी नहीं।

विद्युत दरों का निर्धारण शासन स्तर पर न होकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियमक आयोग के स्तर पर किया जाता है।

प्रदेश में विगत वर्ष 1999 में पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा जमा की गयी जमानत की जमा-धनराशि वापस किये जाने में अनियमितताओं की शिकायत

*18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1999 में प्रदेश में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि क्या उम्मीदवारों को वापस कर दी गयी है? यदि नहीं, तो जमानत धनराशि कब तक वापस करा दी जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—

पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की जमानत की जमा धनराशि की वापसी का कार्य जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाता है। जिन प्रत्याशियों द्वारा जमानत वापसी के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, उनमें से अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत धनराशि वापस कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 30-7-2002 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के तीन माह के अंदर जमानत धनराशि वापस किये जाने के निर्देश पुन: निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों के उपचार प्रारम्भ करने हेतु सरकार की विचाराधीन कार्य-योजना

*19—श्री राजेन्द्र सिंह राणा—

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार प्रारम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में अभी इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में, विद्युत क्षमता वृद्धि हेतु सन् 2001 में 63 के0वी0ए0 क्षमता के क्रय किये गये ट्रान्सफारमर्स की जानकारी

1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में देवरिया जिले में विद्युत क्षमता वृद्धि 63 के0वी0ए0 के कितने ट्रान्सफार्मर खरीदे गए ? उनमें से कितने का उपयोग किया जा रहा है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

गत एक वर्ष में देवरिया जिले में विद्युत क्षमता वृद्धि हेतु 63 के0वी0ए0 का एक भी ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री अनुग्रह नाराणण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत गैसड़ी एवं पचपेड़वा क्षेत्र पंचायतों के कतिपय क्षेत्रों की भूमि की पथरीली सतह होने के कारण हैण्डपम्प लगाने हेतु शासन से बोरिंग मशीन क्रय किये जाने की मांग

3–डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत गैसड़ी एवं पचपेड़वा क्षेत्र के पंचायतों के कतिपय क्षेत्रों में पथरीली सतह होने के कारण साधारण बोरिंग नहीं हो पाती है ? क्या वहाँ इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने हेतु बोरिंग मशीन की व्यवस्था शासन द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छबिया में स्थित श्रवण पाकर तीर्थ स्थल के विकास हेतु जिला योजना में स्वीकृत धनराशि की जानकारी

4–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छविया में श्रवण पाकर तीर्थ स्थल है ? क्या उक्त स्थल के विकास के लिये वर्ष 1999-2000 की जिला योजना में

कोई धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या स्वीकृत धनराशि से उक्त तीर्थस्थल पर स्वीकृत कार्य करवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में जिला योजना के अंतर्गत उक्त योजना के लिए आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं था।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

5–श्री छोटे लाल यादव तथा डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में विगत दो वर्षों से प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 1909/9-3-2002-18 सी/91, दिनांक 11-7-2002 द्वारा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है।

जल निगम उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव (प्रशासन) द्वारा निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक वर्ग के कर्मचारियों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

6–श्री छोटे लाल यादव तथा डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम के वर्तमान सचिव (प्रशासन) द्वारा निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीड़ित/प्रताड़ित किये जाने विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद् तथा डिप्लोमा इंजीनियर एशोसियेशन एवं अभियन्ता संघ शिकायती-पत्र फरवरी, 2002 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर से सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विपणन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित, शिकायती-पत्र

7—सुश्री अरुण कुमारी कोरी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर के श्रमिक संगठन उ0 प्र0, दुग्धशाला मजदूर सभा, डेरी वर्क्स एसोसियेशन एवं मिल्क बोर्ड इम्पलाइज एसोसियेशन ने संयुक्त रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 शासन लखनऊ को कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कानपुर के अन्तर्गत विपणन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 09-05-02 दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ ।

शिकायतों की जॉच करायी गयी। शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कपूर, मा0 सदस्य द्वारा कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कानपुर में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार

8—सुश्री अरुण कुमारी कोरी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर के श्रमिक संगठनों का शिकायती-पत्र श्री अजय कपूर विधायक कानपुर के पत्रांक 129/2002, दिनांक 05-06-02 के संलग्नक सहित प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

शिकायत की जाँच कराई गयी। जाँच में शिकायत प्रमाणित नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 में पाँच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत प्रबन्धकों को एक ही स्थान पर रखे जाने के औचित्य की जानकारी

9— सुश्री अरुण कुमारी कोरी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर में कितने प्रबन्धक पांच वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उक्त प्रबन्धकों को कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लाल जी टण्डन—

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कानपुर में 04 प्रबन्धक पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

उपर्युक्त अधिकारियों का कार्य संतोषजनक है। प्रबन्धन द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है तथा उक्त अधिकारियों की तैनाती कार्य आवश्यकता के अनुरूप है।

मथुरा जनपद में खेलकूद विभाग द्वारा बनवाये गये मिनी स्टेडियम के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग एवं धन के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायती-पत्र

10—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री कुशल पाल सिंह द्वारा दिनांक 24-4-2001 को मथुरा जनपद में खेलकूद विभाग द्वारा बनवाये गये मिनी स्टेडियम के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग व धन के दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

11—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री कुशलपाल सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-2001, जो द्वितीय निर्माण शाखा, जल निगम मथुरा में व्याप्त गम्भीर भ्रष्टाचार तथा करोड़ों रुपया के दुरुपयोग के संबंध में था, इन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

शिकायतों के संबंध में तथ्यान्वेषण जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु न्याय पंचायतों के गठन की मांग

12—श्री कमाल यूसुफ मलिक—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिए न्याय पंचायतों के गठन पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अंतर्गत न्याय पंचायतों की स्थापना का प्राविधान है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं, परन्तु संविधान में न्याय पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में न्याय पंचायतों के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद सिद्धार्थ नगर में दुग्ध उत्पादन एवं आपूर्ति व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

13—श्री कमाल यूसुफ मलिक—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

जनपद सिद्धार्थनगर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा रु0 176.732 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है और प्रथम किश्त के रूप में रु0 36.462 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। योजना के मुख्य अंश समिति संगठन, दुग्ध उपार्जन, नगर दुग्ध बिक्री को बढ़ावा देना आदि है। योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है और इसे चार वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

आवास विकास परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत आवास सं0 22/622 को अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे से खाली कराकर मूल अध्यासी को कब्जा दिलाने विषयक पत्र

14—डा0 विनोद तिवारी—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा का पत्र माह मई , 2002 जो आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगरा लखनऊ योजना के अन्तर्गत आवास सं0 22/622 को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे से खाली कराकर मूल अध्यासी को कब्जा दिलाये जाने विषयक था उन्हें प्राप्त हुआ है.? यदि हां, तो क्या उक्त आवास का अवैध कब्जा खाली कराकर मूल आवंटी को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

जी नहीं।

इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में स्थित भवन संख्या 22/622 का कब्जा मूल आवंटी श्रीमती लक्ष्मीदेवी को दिनांक 30-3-1993 को हस्तगत करा दिया गया था। सम्बन्धित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा परिषद द्वारा हस्तान्तरित कर दिए जाने के पश्चात् उसकी सुरक्षा/संरक्षा का दायित्व स्वयं आवंटी का होता है। इसमें परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

जनपद हरदोई में, ग्राम सभा सहुतेरा मढ़िया, ब्लाक सुरसा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत, कार्यवाही की जानकारी

15—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा डा0 अशोक बाजपेयी—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सहुतेरा मढ़िया, ब्लाक-सुरसा, जनपद हरदोई के प्रधान के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की जांच वर्ष 2001-2002 में की गई थीं और जांच में अनियमितताएं सत्य पायी गयी थी ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ग्राम प्रधान श्रीमती रामबेटी के विरूद्ध शिकायत की जांच में कतिपय आरोपों के संबंध में दिनांक 25-4-2002 को कारण बताओं नोटिस दी गई थी। ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 20-5-2002 को उत्तर दिया गया, जिसमें उनके ऊपर लगाये गये आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के नवगठित विद्युत नियामक आयोग द्वारा शहरी क्षेत्र की विद्युत दरों पर प्रेषित विद्युत बिलों को संशोधित करने की माँग

16—श्री कौशल किशोर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बिल न भेजकर शहरी दर पर बिल भेजे गये हैं ? क्या विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरें लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रेषित किए गये विद्युत बिलों को संशोधित कर आयोग की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ।

2 कि0वा0 तक के घरेलू पंखा-बत्ती संयोजनों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 10000 से कम है, विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य घरेलू पंखा-बत्ती ग्रामीण/कस्बों के उपभोक्ताओं को जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 10000 से अधिक है एवं शहरी शेड्यूल से बिजली आपूर्ति की जा रही है, नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरें भिन्न हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत बिल नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रेषित किए जाते हैं।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सांडी में स्थित दहर झील/पक्षी बिहार को पर्यटन केन्द्र बनाने की माँग

17—श्री विश्राम सिंह यादव—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के सांडी में स्थित दहर झील/पंक्षी बिहार को पर्यटन केन्द के रूप में विकसित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंण्डन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद स्थित सांडी में पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से पूर्व में ही एक मोटेल के निर्माण, वाच टावर, नाव-घाट के निर्माण, संपर्क मार्ग, कलवर्ट के निर्माण तथा साइनेज की व्यवस्था कराई जा चुकी है। अत: संप्रति किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बाँदा में वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 में बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा कराये गये सड़क निर्माण, खड़ंजा, नाली एवं बाउन्ड्री आदि कार्यों की टी0ए0सी0 से जाँच की माँग

18—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1999-2000-2001 में बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0, बांदा में सड़क निर्माण खड़ंजा, लाली एवं बाउन्ड्री के कराये गये कार्य मानक के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मानक के विपरीत कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के विपरीत कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 से जाँच करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

19--श्री संजय गर्ग [2सरे बुधवार के अता0 प्र0स0—32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा स्थित महाकवि तुलसी जन्म भूमि सूकर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की माँग

20—श्री राम विशुन आजाद—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तुलसी जन्म भूमि सूकर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ ।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत रु0 4.00 लाख स्वीकृत किया गया है। उक्त धनराशि से यात्री छादक का निर्माण, मन्दिर का जीर्णोद्धार/मरम्मत, वृक्षारोपण, 5 बेंचों का निर्माण एवं दो इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था का प्राविधान हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कल्याणपुर मोहल्ले के नागरिकों द्वारा वहाँ नालियों में व्यापक अवरोध जल निकासी एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी को दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री छोटे लाल यादव –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के कल्याणपुर में नाली का निर्माण, जल निकासी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित एक लिखित शिकायती -पत्र जो अमरनाथ, प्रेमकुमार , शिवकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को 24-6-2002 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

पत्र में वर्णित मकान नम्बर ए - 61 के सामने निर्मित नाली के ऊपर हुए अवरोध, मलवा, झाड़-झंखाड़, को हटा दिया गया है। वर्तमान में नाली से पानी का बहाव हो रहा है। सड़क पर कोई कब्जा नहीं है। नाली की दिवाल झुकने के कारण जहाँ पर नाली की चौड़ाई कम हो गयी है उसे ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाँदा के नगर मुख्यालय बाँदा स्थित ऐतिहासिक छाबी तालाब के सुन्दरीकरण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में सहायक अभियन्ता द्वारा गबन किये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22– श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर मुख्यालय बांदा में स्थित ऐतिहासिक छाबी तालाब के सुन्दरीकरण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रु 0 18.96 लाख से सहायक अभियन्ता जल संस्थान, बांदा, आर0 के0 सिंह के द्वारा रु0 1.36 लाख का गबन किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा के आदेश सं0 483/मु0 लि0/जांच/2001,दिनांक 13-9-2001 के माध्यम से महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल, जल संस्थान, बांदा से जवाब तलब किया गया है। यदि हाँ तो प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के आदेश संख्या-483/मु0 लि0/जांच/2001, दिनांक 13-9-2001 द्वारा महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल, जल संस्थान, बांदा से जबाब तलब नहीं किया गया था, अपितु शिकायत से संबंधित अभिलेख मांगे गये थे।

23—डा0 विनोद तिवारी—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित]

24—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह—

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित]

बुलेन्दखण्ड विकास निधि के निर्धारित कार्यों में कथित धांधली की जाँच के सम्बन्ध में मा0 विधायक तिन्दवारी, बाँदा के प्राप्त पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

25— श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के कार्यों में धांधली की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24-6-2002 मुख्य विकास अधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती —

जी हाँ।

बुलेन्दखण्ड विकास निधि वर्ष 2001-2002 के अंतर्गत कराये गये कार्यों के संबंध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मा0 विधायक, तिन्दवारी, बांदा से प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 24-6-2002 में उल्लिखित कार्यों की जाँच तकनीकी अधिकारियों की दो सदस्यीय संयुक्त जाँच कमेटी गठित कर सौंप दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया, तहसील रुद्रपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु इन्डिया मार्का हैण्डपम्प गरीब परिवारों के बीच न लगाकर प्रभावशाली लोगों के दरवाजों पर स्थापित कराये जाने सम्बन्धी कार्य की जाँच की माँग

26—श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर जनपद देवरिया में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प गरीब परिवारों के बीच न लगाकर प्रभावशाली लोगों के दरवाजे पर लगाये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गरीब, पिछड़ों एवं दलितों हेतु उक्त हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन —

जी नहीं।

लागू नहीं होता है।

लागू नहीं होता है।

जनपद हरदोई के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, साण्डी के द्वारा नगर पालिका परिषद् की सम्पति को निजी सम्पति मानने तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की जाँच की माँग /कृत कार्यवाही

27--डा0 विनोद तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, साण्डी, जनपद हरदोई द्वारा नगर पालिका परिषद् की सम्पति को निजी सम्पति मानना तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद्, साण्डी के सदस्यों का एक शिकायती-पत्र मई, 2002 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन --

जी हाँ।

एस0 डी0 एम0, विलग्राम द्वारा जॉच की गई जिसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

28--श्री सुरेश कुमार खन्ना--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद सहारनपुर में पर्यटक कार्यालय स्थापित किये जाने की माँग सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

29--श्री संजय गर्ग --

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 जून, 2001 जो जनपद सहारनपुर में पर्यटक कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन --

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के झांसी जल संस्थान में 6 वर्ष से उपर के तैनात अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित नहीं किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

30--श्री छोटे लाल यादव --

क्यो नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री बृजेन्द्र सिंह कुशवाहा, विधायक, माधौगढ़, जनपद जालौन का शिकायती-पत्र, जो झांसी जल संस्थान में तैनात अवर अभियन्ताओं के सन्दर्भ में है, जून 2002 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवही की गयी है ? यदि नही, तो क्यों ? क्या सरकार 6 वर्ष से ऊपर के तैनात अवर अभियन्ताओं को हटाकर शिकायतों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन --

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकयती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

शिकायती-पत्र प्राप्त न होने के फलस्वरूप अपेक्षित कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के नगर पंचायत शेरगढ़ में नवनिर्मित वाटर टैंक, लाइन विस्तार तथा आवास निर्माण कार्यों के निर्माण में अनियमितता की शिकायत

31–श्री सुल्तान बेग –

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत शेरगढ़, जिला बरेली में नवनिर्मित वाटर टैंक, लाइन विस्तार तथा आवास निर्माण में मानकों के आधार पर कार्य न कराकर लाखों रुपये की अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-6-2002 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी डा0 महेन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य द्वारा की गयी गबन की शिकायत पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री सुल्तान बेग –

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 महेन्द्र पाल सिंह, पशु चिकित्साधिकारी तह0 विलासपुर, जिला रामपुर को गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या डा0 महेन्द्र पाल सिंह पूर्व स्थान पर ही तैनात हैं ? क्या उक्त के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 4-6 2002 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में डा0 महेन्द्रपाल सिंह के प्रत्यावेदन पर विचार करते समय यह प्रकाश में आया कि डा0 सिंह द्वारा लेवी विलम्ब से जमा की गयी है। अत: कठोर चेतावनी देकर जांच समाप्त की गयी।

जी हाँ।

जी हाँ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच उप निदेशक पशुपालन, मुरादाबाद से करायी जा रही है। जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पीलीभीत में, पीलीभीत-टनकपुर रोड पर जिला संयुक्त चिकित्सालय तक, नजूल भूमि पर सड़क के दोनों ओर किये गये अवैध अतिक्रमण हटाने की माँग

33–श्री रियाज अहमद –

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि पीलीभीत टनकपुर रोड पर जिला संयुक्त चिकित्सालय तक नजूल भूमि पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी हाँ।

जांचोपरान्त जिला चिकित्सालय मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु विधिक प्रक्रियान्तर्गत नोटिस निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान, लखनऊ के सेवाकाल में मृतक कर्मचारी मो0 सलमान अंसारी की मृतक आश्रित कार्यरत धर्मपत्नी को 1-1-1996 से नवीन वेतनमान के अनुसार अवशेष धनराशि के भुगतान करने हेतु कार्यवाही की माँग

34–श्री रियाज अहमद –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल संस्थान, लखनऊ में कार्यरत मो0 सलमान अंसारी, लिपिक का देहान्त दिनांक 16-1-2000 को सेवाकाल में हो गया था, क्या उनकी उत्तराधिकारी पत्नी को वेतन आयोग वर्ष 1996 की वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार नवीन वेतनमान में वेतन को निर्धारित करके वर्ष 1996 से जनवरी, 2000 तक वेतन की अन्तर की अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान कर दिया गया है।

जनपद सहारनपुर में स्थित सिद्धपीठ माँ शाकुम्बरी देवी मन्दिर के प्रबन्धन हेतु ट्रस्ट बनाये जाने की माँग के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री संजय गर्ग –

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 जून, 2002 जो जनपद सहारनपुर में स्थित सिद्धपीठ माँ शाकुम्बरी देवी मन्दिर के प्रबन्धन हेतु ट्रस्ट बनाये जाने के

सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हाँ, उक्त पत्र जिलाधिकारी सहारनपुर को प्राप्त हुआ है।

इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से प्रकरण में परीक्षण कराकर आख्या माँगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के चन्द्र बिला माधौनगर में स्थानीय निकाय निदेशालय के अधीन कार्यरत सेवानिवृत्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री नैथानी को सेवानिवृत्ति के बाद शेष देय उपादान की धनराशि भुगतान करने की माँग

36–श्री संजय गर्ग –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 को सी0 बी0 नैथानी, सेवानिवृत्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, चन्द्र बिला माधौनगर, जनपद सहारनपुर का पत्र दिनांक 19-5-2002 जो सेवानिवृति के पश्चात् शेष उपादान की धनराशि भुगतान करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी नहीं, अपितु श्री सी0 बी0 नैथानी, सेवानिवृत्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का पत्र दिनांक 19-5-2001 प्राप्त हुआ है।

श्री नैथानी को दिनांक 01-1-96 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन/ राहत एरियर एवं अन्तर उपादान का भुगतान आदेश, निदेशालय के आदेश संख्या पी0 सी0/9774/863 पें0/98-933, दिनांक 1-8-02 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।.

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम में मनमाने ढंग से विभागों में परिवर्तन एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण करके वाँछित अधिकारी को निदेशक बनाने की अनुचित कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

37–श्री छोटे लाल यादव तथा डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सी0 एण्ड डी0 एस0 शाखा के निदेशक एवं कुछ वरिष्ठ प्रबन्धकों का सी0 एण्ड डी0 एस0 को जल निगम से अलग करने एवं सचिव प्रशासन जल निगम को सी0 एण्ड एस0 का निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता बनाने की मांग से सम्बन्धित पत्र जो सचिव, प्रशासन जल निगम के माध्यम से शासन को मार्च, 2002 को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद गाजीपुर की जिला पंचायत गाजीपुर के मद में आवंटित धनराशि को प्रस्तावित एवं निर्धारित सड़कों के निर्माण में मानक के अनुरूप खर्च न करके दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में शिकायत

38–श्री कमाल यूसुफ मलिक –

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि से कुल कितनी धनराशि किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु जिला पंचायत, गाजीपुर को आवंटित की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त आंवटित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित/निर्धारित सड़कों को मानक के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, क्या इन सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप न होने तथा इनके निर्माण कार्य से अधिक धनराशि के भुगतान किये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई जांच करायी गयी है। यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं ठेकेदारों से अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पूर्वांचल विकास निधि से जनपद गाजीपुर में वर्ष 97-98 में 2 सड़कों– 1--शादियाबाद भितरी मार्ग से भदौला घिनहां मार्ग तथा 2--नारी पचदेउरा मार्ग से नारी गांव तक निर्माण हेतु कुल रु0 4.732 लाख की धनराशि जिला पंचायत गाजीपुर को आंवटित की गयी थी । उक्त आवंटित धनराशि का उपभोग न होने के कारण इसे दिनांक 13-7-2000 को वापस कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड देसही देवरिया के ग्राम इमलिया में 33/11 के0 वी0 का विद्युत सब-स्टेशन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित कराने की माँग

39–श्री शाकिर अली –

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद -देवरिया के विकास खण्ड-देसही देवरिया के ग्राम इमलिया में 33/11 के0 वी0 का सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 15-10-2001 को तत्कालीन आबकारी मंत्री द्वारा तथा विकास खण्ड पथरदेवा में सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु दिनांक दिनांक 18-10-2001 को तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में आन्तरिक संसाधन का पूर्णतः अभाव है जिसके कारण सन्दर्भगत दोनों 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण अभी तक स्वीकृत करना संभव नहीं हो सका है। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए उपकेन्द्रों की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

अनपरा तापीय विद्युत परियोजना, सोनभद्र में राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ों रुपयों के घोटाले की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री दिनेश सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ों रुपयों के घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31-8-96 के सम्बन्ध में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है ? यदि हाँ, तो चार्जशीट में कौन-कौन से अधिकारियों /कर्मचारियों को दोषी पाया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय –

प्रश्नगत प्रकरण में परिषदीय सतर्कता द्वारा दिनांक 28-8-96 को अभियोग अपराध संख्या 301/96 धारा (13) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना अनपरा सोनभद्र पर परिषद सम्प्रति निगम के 19 अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसका अनुसंधान सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा किया गया और जांचोपरान्त आरोप अप्रमाणित पाया गया । सी0 बी0 सी 0 आई0 डी0 द्वारा इस संबंध में न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर नगर की पांवधोई नदी का सौन्दर्यीकरण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

41–श्री संजय गर्ग –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 जून, 2002 जो जनपद सहारनपुर नगर की पांवधोई नदी का सौंदर्यीकरण कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल ली टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर नगर में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री संजय गर्ग –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 जून, 2002 जो सहारनपुर नगर में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन –

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में रस्तोगी नगर बालागंज, लखनऊ स्थित मरी माता मन्दिर के सामने अनधिकृत रूप से सड़क तथा नाली बनाये जाने विषयक क्षेत्रवासियों के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

43–डा0 सियाराम सागर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रस्तोगी नगर, बालागंज, लखनऊ के मरी माता मन्दिर के सामने सड़क तथा नाली बनाये जाने के संबंध में वहां के क्षेत्रवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-11-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

रस्तोगी नगर अनधिकृत रूप से बसी हुई कालोनी है, जिसमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित आवासीय समिति अथवा क्रेताओं/विक्रेताओं का है।

यू0 पी0 अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत यदि किसी समिति द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से ले-आउट प्लान स्वीकृत कराकर विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा की ग्राम सभा मानपुर तथा ओझापट्टी के मध्य से जाने वाली सड़क पर 2002 में लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की माँग

44–डा0 सियाराम सागर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा की ग्राम सभा मानपुर तथा ग्राम सभा ओझापट्टी के मध्य से जाने वाली सड़क जिला पंचायत द्वारा 2001-2002 में लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृत हुई थी ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण पूरा न कराकर मिट्टी व गिट्टी डालकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हाँ,

तो क्यों ? क्या सरकार मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कराते हुये उक्त अपूर्ण कार्य को लेपन स्तर तक पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह –

जिला पंचायत, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उक्त मार्ग जिला पंचायत को मिलने वाले किसी अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है ? और इस मार्ग पर कोई कार्य जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया जा रहा है अत: अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

45–श्री श्याम देव राय चौधरी –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी स्थित विश्व प्रसिद्ध पवित्रतम तीर्थों में एक काशी विश्वनाथ मन्दिर को भव्यतम स्वरूप देने एवं उसके सौन्दर्यीकरण तथा जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकार की विचाराधीन/प्रस्तावित योजना की जानकारी

46–श्री श्याम देव राय चौधरी –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काशी विश्वनाथ मन्दिर को भव्यतम स्वरूप देने के लिए माह जून, 2002 में न्यास परिषद् द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है और इस पर कुल कितनी लागत आने का आंकलन किया गया है ? क्या उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कितना ?

सुश्री मायावती –

जी हाँ।

दिनांक 3-6-2002 को मा0 न्यास परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के विस्तारीकरण के उद्देश्य से उसके समीपस्थ श्री रानी भवानी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका रुपया 55.99 लाख का अनन्तिम आगणन शासन में प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के पनकी वाष्पशक्ति विद्युत गृह, पनकी में निर्धारित निविदा के अनुसार आवंटित दुकान संख्या-48 के अवैध कब्जे को हटाकर वास्तविक आवंटी को कब्जा दिलाने की माँग

47–श्री छोटे लाल यादव –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पनकी वाष्पशक्ति गृह, पनकी, कानपुर में निविदा संख्या-24-पीटीपीएस/90-91 के अन्तर्गत व्यावसायिक केन्द्र में दुकानों का आवंटन किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या इन आवंटित दुकानों में से दुकान संख्या-48 का कब्जा आवंटी को दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी अवैध कब्जे के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दुकान संख्या-48 का कब्जा दुकान का निर्माण कराकर देने के आदेश देंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्नगत दुकान हेतु निर्धारित भूखण्ड के आंशिक भाग पर विद्यमान अवैध कब्जे को न हटाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अभी भी प्रभावी है, जिसके कारण उक्त दुकान का निर्माण किया जाना सम्भव न हो सका। अवैध कब्जा कब हुआ का भी समय निश्चित नहीं है, जिसके कारण किसी को दोषी ठहराना भी सम्भव नहीं है। भूखण्ड पर दुकान का निर्माण मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश के अपास्त के बाद ही सम्भव हो पायेगा।

48–श्री संजय गर्ग –

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ शहर के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किये जा रहे बिजली के इलेक्ट्रानिक मीटरों से काफी आर्थिक हानि उठाये जाने के कारण पूर्ववत् ठीक गति से चलने वाले मेकेनिकल मीटर पुन : लगाये जाने की सरकार से माँग

49–श्री मान पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ शहरी क्षेत्र में बिजली के मेकेनिकल मीटरों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं जो मेकेनिकल मीटरों की उपेक्षा काफी तीव्र गति से चलने के कारण उपभोक्ताओं को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इलेक्ट्रानिक मीटरों के स्थान पर मेकेनिकल मीटर ही लगाये जाने की कोई योजना बनायेंगी ? यदि हाँ, तो उक्त योजना कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि इलेक्ट्रानिक मीटर ठीक कार्य कर रहे हैं।

जनपद लखनऊ में असमय विद्युत कटौती से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने के कारण विद्युत कटौती कम करने की सरकार से माँग

50–श्री मानपाल सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक विद्युत कटौती होने से छात्र -छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कटौती को सायंकाल 4 बजे से 6 बजे तक करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय –

1–दिनांक 10-7-2002 से लखनऊ लोक सभा क्षेत्र में विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी है।

2–जनपद लखनऊ के अन्य क्षेत्रों में कटौती करायी जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान विद्युत मांग के आधार पर कटौती के समय में परिवर्तन करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

51–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

[दूसरे सोमवार के अता 0 प्र0 सं0 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में की जा रही कटौती को रोकने/कम किये जाने की मांग

52–श्री सिद्ध गोपाल साहू –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कटौती को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय –

जी हाँ।

विद्युत कटौती को समाप्त करने हेतु यथा सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा में वर्तमान में कुल /कार्यरत पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं नये पशु चिकित्सालय एवं उनमें पशु चिकित्सकों को तैनात किये जाने की मांग

53–श्री सिद्ध गोपाल साहू –

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या उनमें डाक्टर तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद महोबा के विकास खण्ड कबरई के ग्राम सिजहरी ग्योडी व ब्लाक जैतपुर के ग्राम कुडई व स्यावन में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद महोबा में 9 पशुचिकित्सालय हैं।

जी हाँ।

पांच पशु चिकित्सालयों पर डाक्टर तैनात हैं। पशु चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने के कारण 4 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है। पशु चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है।

जी नहीं।

जिला योजना में इन ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में विचाराधीन नहीं है।

जनपद महोबा के ग्राम ग्योड़ी के इलाही पुरवा (चुरेर पुरवा) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

54–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा के ग्राम ग्योड़ी के इलाही पुरवा (चुरेर पुरवा) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उक्त कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है अत: समय सीमा देना संभव नहीं है।

रिहन्द जल विद्युत परियोजना, पिपरी सोनभद्र में, विद्युत उत्पादन कीअक्रिय/क्रियाशील मशीनों की जानकारी एवं खराब मशीनों को ठीक कराने की समयावधि तथा विद्युत उत्पादन की जानकारी

55–श्री परमेश्वर दयाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द जल विद्युत परियोजना, पिपरी सोनभद्र में विद्युत उत्पादन की सभी मशीनें चालू हालत में हैं ? यदि हां, तो उनसे वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत उतपादन हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी मशीनें खराब हैं ? खराब मशीनों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

रिहन्द जल विद्युत परियोजना, पिपरी, सोनभद्र में स्थापित 6 मशीनों में से मशीन संख्या-4 को छोड़कर शेष सभी 5 मशीनें चालू हालत में हैं।

रिहन्द जल विद्युत परियोजना, जलाशय पर आधारित (स्टोरेज) परियोजना है। जलाशय में कुल उपलब्ध पानी का उपयोग सम्पूर्ण वर्ष में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन के प्रणाली नियंत्रण के निर्देशानुसार जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। परियोजना की चालू 5 मशीनों से लगभग 210 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हो रहा है।

वर्तमान में मशीन संख्या-4 जीर्णोद्धार हेतु तथा बाँध में हुई क्षति के कारण बन्द है। रिहन्द जल विद्युत गृह की सभी मशीनें अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुकी है, अत: एजिंग फैक्टर के कारण चालू 5 मशीनों में से 4 मशीनें 50 मेगावाट क्षमता के स्थान पर लगभग 45 मेगावाट के स्थान पर 30 मेगावाट क्षमता पर ही चल रही हैं। रिहन्द जलाशय पर आधारित परियोजना है, इस कारण इससे विद्युत उत्पादन की कोई हानि नहीं हो रही है।

रिहन्द जल विद्युत परियोजना की क्षतिग्रस्त मशीन संख्या-4 के विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों को माह जनवरी, 2003 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में विद्युत ट्रान्सफार्मर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा से किसानों एवं जनता को होने वाली असुविधा दूर करने की मांग

56—श्री मदन चौहान—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में ट्रानसफार्मर न बदलने के कारण किसानों व क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रान्सफारमर को बदले जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रान्सफार्मर पहले ही बदले जा चुके है।

57—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा के नगर बांदा मुख्यालय में स्थित ऐतिहासिक छाबी तालाब के सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य में सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये गबन की जाँच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

58—श्री समर पाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा के नगर बांदा मुख्यालय में स्थित ऐतिहासिक छाबी तालाब में कराये गये निर्माण कार्यों की दिनांक 9-1-2002 को नगर मजिस्ट्रेट, बांदा के द्वारा की गई स्थलीय जांच में आर0 के0 सिंह सहायक अभियन्ता, जल संस्थान बांदा को रु0 1.36 लाख के गबन करने का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में आरोपी उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता हैं।

59—श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया तथा श्री दिनेश सिंह—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा कार्यदायी संस्था, उ0 प्र0 समाज कल्याण, निर्माण निगम लि0 से कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

60—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा कार्यदायी संस्था, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम

लि0 से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं ? क्या कराये गये निर्माण कार्यों की टी0 ए0 सी0 से जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश में कार्यदायी संस्था, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा जनपद बांदा में वर्ष 2000-2001 में 31 (सड़क, खड़ंजा, नाला, गली एवं नाली, सीढ़ी, घाट तथा पुलिया से संबंधित) परियोजनाओं एवं राज्यांश में एक सड़क की परियोजना पर तथा वर्ष 2001-2002 में जिलांश में 12 (नाली, पुलिया, स्नान घाट, पुलिस चौकी, बाऊन्ड्री एवं भवन, सामुदायिक केन्द्र से संबंधित) परियोजनाओं पर कार्य कराये गये। राज्यांश में वर्ष 2001-2002 में इस निगम से कार्य नहीं लिया गया।

टी0 ए0 सी0 से जाँच कराये जाने के बिन्दु पर विचार निर्माण कार्य में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाये जाने पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की सरकार की वर्तमान/प्रस्तावित कार्य योजना एवं उसके क्रियान्वयन की समयावधि की जानकारी

61–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

वाराणसी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के क्रम में वाराणसी स्थित चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर यात्री-सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित आय-व्ययक व्यवस्था होने पर ही योजना क्रियान्वित की जायेगी।

जनपद लखीमपुर में नगरपालिका लखीमपुर स्थित रामनवमी मन्दिर व पटवा मण्डी चौराहा के समीप पीपल पेड़ के चबूतरे के आस पास की समस्त जमीन नगरपालिका द्वारा फ्री-होल्ड घोषित किये जाने की जाँच की माँग एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

62–डा0 कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका लखीमपुर जनपद लखीमपुर में रामनवमी मंदिर व पटवा मण्डी चौराहा के पास जहां पीपल का पेड़ है जिस पर चबूतरा बना है की समस्त जगह नगरपालिका रिकार्ड में जनता के उपयोगार्थ (रफेआम) लिखी है ? क्या यह सही है कि इस सार्वजनिक भूमि को फ्री होल्ड कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

जी नहीं। नवीन नजूल नीति के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, नेडा (वैकल्पिक उर्जा) द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु दो असरकारी संस्थाओं (एन0 जी0 ओ0) को अधिक अनुदान देने की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अध्यक्ष नेडा ने 21 सितम्बर, 2001 को अपनी तथा एक अन्य संस्था (एन0 जी0 ओ0) को प्रचार-प्रसार के लिए 5-5 लाख रुपये स्वीकृत किये थे ? क्या यह सत्य है कि इस मामले में प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन वैकल्पिक ऊर्जा ने आपत्ति की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के तत्कालीन निदेशक/अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21-9-2001 को अपनी संस्था भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति, उ0 प्र0, लखनऊ एवं यायावर नुक्कड़ नाटक विंग, लखनऊ को प्रचार-प्रसार हेतु पाँच-पाँच लाख रुपये स्वीकृत किये जाते थे।

प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, वैकल्पिक ऊर्जा ने इस पर आपत्ति की है, क्योंकि प्रचार-प्रसार मद में उस समय धनराशि उपलब्ध न होने पर भी संबंधित अधिकारी ने स्थानान्तरण के उपरान्त ब्याज की धनराशि से गलत तरीके से उक्त स्वीकृति प्रदान की थी।

उपरोक्त दोनों संस्थाओं के कार्यादेश को निरस्त करते हुए संस्थाओं को दी गई 50% अग्रिम धनराशि रुपये ढाई -ढाई लाख को किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। यायावर नुक्कड़ नाटक विंग द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि नेडा को वापस कर दी गई है। दूसरी संस्था भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा कई अनुस्मारकों के बाद भी अभी धनराशि वापस नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत द्वारा तत्कालीन निदेशक/अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कृत कार्यवाही से संबंधित एक विस्तृत टिप्पणी मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी उ0 प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के नादान महल रोड पर निर्मित 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र चालू किये जाने की मांग

64–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में नादान महल रोड पर निर्मित 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र चालू है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त उपकेन्द्र को कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के नगर पालिका परिषद सांडी के अधिशासी अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

65–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? क्या सरकार उक्त नीति के तहत हरदोई जिले की नगरपालिका परिषद् सांडी के अधिशासी अधिकारी श्री जे0 पी0 शर्मा का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2002 के संबंध में शासनादेश दिनांक 21-6-02 द्वारा निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:–

(1) प्रशासनिक दृष्टि से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जायं।

(2) प्रशासनिक कारणों के अतिरिक्त वेतनमान रु0 8000-13,500 से उच्च वेतनमान के अधिकारियों को एक स्थान पर 05 वर्ष, वेतनमान रु0 8000-13,500 के समकक्ष अधिकारियों को एक स्थान पर 06 वर्ष तथा वेतनमान रु0 8000-13,500 से कम वेतनमान के अधिकारियों/कर्मचारियों को 07 वर्ष या उससे अधिक अवधि होने पर जनहित में स्थानान्तरण किया जायेगा।

यह भी व्यवस्था की गयी है कि संवर्ग में कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण को सीमित रखा जाय।

जी हाँ। निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक 29.6.02 द्वारा श्री जे0 पी0 शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सांडी जनपद-हरदोई को स्थानान्तरित कर नगर पालिका परिषद, जायस (रायबरेली) में तैनात किया गया है, जहाँ श्री शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

66–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

67–श्री दिनेश सिंह–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2002 से जून, 2002 तक क्षेत्र में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों को रिबोर कराने विषयक जानकारी

68—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2002 से जून, 2002 तक लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों को रिबोर कराने के लिए कितनी धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

कोई धनराधि नहीं दी गयी है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-144 के अन्तर्गत निगम जल कलों का प्रबन्धन एवं संधारण तथा पर्याप्त जल संभरण के लिये नये कार्यों का निर्माण नगर निगमों का दायित्व है।

प्रस्तावित कार्य स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयेग/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराना होगा।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001 तथा 2002 में लगाऐ गये इन्दारा कुआँ योजना के अन्तर्गत नलकूपों की संख्या, चलाने के दायित्व की, एवं सूडा द्वारा जल संस्थान को हस्तगत किये गये तथा खराब, सुचारू रूप से कार्यरत नलकूपों की जानकारी

69—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में इन्दारा कुआं योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 तथा 2002 में कितने नलकूप लगाये गये ? क्या सभी नलकूपों को चलाने का दायित्व जल संस्थान का है ? यदि हां, तो क्या सूडा द्वारा बनाए गये सभी नलकूप जल संस्थान को हस्तगत कर दिए गये हैं ? क्या उक्त सभी नलकूप सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खराब नलकूपों को ठीक करायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में इन्दारा कुआं योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में कुल 13 इन्दारा कुओं का कार्य पूर्ण किया गया ।

जी नहीं। 12 नलकूपों (इन्दारा कुओं) के संचालन का दायित्व जल संस्थान, लखनऊ का है।

सूडा द्वारा 10 नलकूपों (इन्दारा कुओं) को जल संस्थान को हस्तगत कर दिया गया है एवं दो को हस्तगत कराने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील क्षेत्र में बने पशु-बधशाला को स्थानान्तरित करने हेतु लिये गये निर्णय को कार्यान्वित किये जाने की मांग

70—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोतीझील में बने हुए पशु बधशाला को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसे स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पशु बधशाला को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

जी नहीं।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत बधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम-पंचायत-तैतरिया में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत पाली के विरुद्ध अनियमितता की जाँच की माँग

71—श्रीमती माया प्रसाद—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महाबीर प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत-पाली, गोरखपुर के ग्राम पंचायत-तैतरिया में तैनाती के कार्यकाल में उनके विरुद्ध आर्थिक अनियमितता की जांव कराई जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या जांच पूर्ण होने तक इन्हें ब्लाक मुख्यालय से सम्बद्ध रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, सहारनपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के पदों की जानकारी एवं शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने हेतु नई नियुक्तियों की मांग

72—श्री संजय गर्ग—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, सहारनपुर में कितने सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? शहर के विस्तार को देखते हुए क्या उक्त पद पर्याप्त हैं ? क्या यह सही है कि सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण शहर की सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां , तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

नगर पालिका परिषद, सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों के 934 पद सृजित हैं। प्रदेश के नगर निगमों/नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नयी नियुक्तियाँ न कर उपलब्ध संसाधनों के

आधार पर, संविदा पर कार्य कराकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश शासनादेश संख्या-1783/9-1-2002-66 सा/2001, दिनांक 22 जून, 2002 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त तथा समस्त जिलाधिकारी को दिये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

73—श्री संजय गर्ग—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

74—श्री श्याम देव राय चौधरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बरेली के नगर फरीदपुर में विद्युत आपूर्ति का समय बढ़ाने की मांग

75—डा0 सियाराम सागर—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर फरीदपुर जनपद बरेली में बिजली की सप्लाई मात्र 8 घण्टा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आपूर्ति बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हां।

जी नहीं।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घंटे से अधिक आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

76—श्री अनिल सिंह—

[3सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद के ब्रजघाट को विकसित करने हेतु सरकार की विचाराधीन/प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

77—श्री मदन चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रजघाट जनपद गाजियाबाद को विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां।

गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट जनपद गाजियाबाद को विकसित किये जाने हेतु शासकीय अधिसूचना दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 द्वारा गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

किया गया है जिसके अन्तर्गत घाटों का निर्माण व जीर्णोद्धार कुछ सड़कों का चौड़ीकरण, बृजघाट पर विद्युत शवदाह गृह व पर्यटन सूचना केन्द्र आदि योजनायें चिन्हित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमती नगर विकास खण्ड-5 और समीप के ग्वारी गाँवों में रिक्त पड़ी जमीन एवं सड़क पर अनधिकृत रूप से चलाई जा रही डेरियों को बन्द करने की मांग

78—श्री अजीम भाई—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरी सीमा के अन्तर्गत डेरियां चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया ? यदि हां, तो गोमती नगर विकास खण्ड-5 और उसके समीप ग्वारी में भैंस पालकों द्वारा रिक्त पड़ी जमीन व सड़क पर अनधिकृत रूप से डेरियां चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विकास खण्ड-5, ग्वारी गाँव, उजरियागाँव, डिगडिगा, गडेरियन पुरवा आदि क्षेत्रों में कई बार अभियान चलाया गया तथा अभियान के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र से 42 पशुओं को पकड़ा गया है। पकड़े गये पशुओं पर रु0 18,700.00 जुर्माना करके नगर निगम कोष में जमा किया गया। दिनांक 13 अगस्त, 2002 को पुन: गोमतीनगर थाना की सहायता से उक्त क्षेत्र से 07 जानवरों को पकड़कर बन्द कर दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ के आदेश दि0 27-5-99 एवं 24-5-2000 के अनुसार पुनर्स्थापित दूध डेरियों को हटाने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जानी है। अतएव उक्त स्थलों पर पुन: दूध डेरियाँ न चलने पाये इस हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गोमतीनगर के क्षेत्राधिकारी को सूचित कर दिया गया है।

जनपद रायबरेली में, ग्राम लल्ला खेड़ा, ब्लाक खीरों, निवासी, महापुरुष स्वर्गीय बैजनाथ कुरील की मूर्ति लगाने एवं समाधि स्थल बनवाने की सरकार से मांग

79—श्री अजीम भाई—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम सोनकर पूर्व सांस्कृतिक राज्य मंत्री के आदेश सं0-31/वी0 आई0 पी0/दि0 5-12-2000 और संख्या-17/वी0 आई0 पी0/18-1-2001 द्वारा सचिव, सांस्कृतिक को ग्राम लल्ला खेड़ा ब्लाक खीरों जनपद रायबरेली में महापुरुष बैजनाथ कुरील की मूर्ति लगाने एवं उनकी समाधि स्थल को स्मारक बनाने हेतु आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

ग्राम लल्ला खेड़ा ब्लाक खीरों जनपद रायबरेली में महापुरुष बैजनाथ कुरील की मूर्ति लगाने हेतु उनकी प्रतिमा का निर्माण संस्कृति विभाग द्वारा कराया जा चुका है और इस मूर्ति को प्राप्त कर

स्थापित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन रायबरेली के किसी अधिकारी को नामित करने के लिए जिलाधिकारी, रायबरेली से अनुरोध किया जा चुका है।

80—श्री कौशल किशोर—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद महोबा के बुर्यवारा गाँव में अधूरे पड़े विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

81—श्री सिद्ध गोपाल साहू—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा के बुर्धवारा गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी नहीं। विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उक्त कार्य माह सितम्बर, 2002 तक पूर्ण हो जायेगा।

जनपद महोबा में, संतोषजनक जलापूर्ति न होने के कारण समस्या के समाधान हेतु, सरकार से प्रभावी योजना बनाने की मांग

82—श्री सिद्ध गोपाल साहू—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में सन्तोषजनक जलापूर्ति न होने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

चित्रकूट धाम मण्डल में शहरी व ग्रामीण पेयजल योजनाओं में कार्यरत/प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

81—श्री सिद्ध गोपाल साहू—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल में कितनी शहरी व ग्रामीण पेयजल समूह योजनाएं स्वीकृत हैं ? उनमें से कितनी पेयजल समूह योजनाएं चालू दशा में हैं ? क्या यह सही है कि 80% योजनाएं बन्द हैं ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? क्या उसके दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद खीरी के गोला गोकरणनाथ नगर में विद्युत् आपूर्ति एच0बी0-2 मानक के शहरों के अनुरूप प्रदान किये जाने की माँग

84—श्री अरविन्द गिरि—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोला गोकरणनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में विद्युत आपूर्ति देहात क्षेत्र के मानक के अनुसार की जा रही है ? क्या सरकार गोला गोकरणनाथ को एच0बी0-1 से एच0बी0-2 की श्रेणी प्रदान कर शहरी क्षेत्र के मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

गोला गोकरणनाथ नगर जनपद लखीमपुर खीरी को विद्युत की आपूर्ति हेतु तहसील स्तर (एच0बी0-1) प्राप्त है तथा प्रदेश के अन्य तहसील स्तरीय नगरों की भांति इस नगर में भी विद्युत् की आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

विद्युत् की आपूर्ति हेतु जनपद स्तर (एच0बी0-2) उन्हीं नगरों को प्रदान किया गया है जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 60,000 या अधिक हो या फिर वह नगर जनपद का मुख्यालय नगर होना चाहिए।

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की मांग

85—श्री प्रेमपाल सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद-बदायूं में बिजली की आपूर्ति मात्र छः घण्टा की जा रही है ? क्या विद्युत आपूर्ति बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ में प्रतिदिन लगभग 08 घंटे विद्युत् आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घंटे से अधिक विद्युत् आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

जिला कारागार, सहारनपुर के प्रधान बन्दीरक्षक की सेवाकाल में हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के पुत्र को सेवायोजित किये जाने की मांग

86—श्री मूलचन्द्र—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि श्री कुँवरपाल सिंह, प्रधान बन्दीरक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर की मृत्यु 12-11-2000 को हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतक आश्रित सेवा

नियमावली के तहत मृतक आश्रित के पुत्र राम कुमार सिंह को सेवायोजित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त को कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी नहीं।

स्व0 श्री कुँवर पाल सिंह, प्रधान बंदीरक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर के पुत्र श्री राम कुमार सिंह की उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा-संशोधित) के अंतर्गत बंदीरक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने पर विचार किया गया परन्तु उनकी ऊंचाई बंदीरक्षक पद के निर्धारित ऊंचाई 167.7 से0मी0 से कम पाये जाने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में हजरतगंज के नरही मोहल्ले स्थित रामतीर्थ वार्ड के निर्माणाधीन कसमण्डा हाऊस भवन को अवैध नक्शे के आधार पर बनाने के जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने की माँग

87–श्री बलराम यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कसमण्डा हाऊस, रामतीर्थ वार्ड , नरही हजरतगंज, लखनऊ में बहुमंजलीय इमारत का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत किये जाने के संबंध में श्री अतुल यादव, सभासद, लखनऊ नगर निगम का कोई शिकायती-पत्र सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 16-2-2001 एवं जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 16-2-2001, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिनांक 13-3-2001, मण्डलायुक्त, लखनऊ को दिनांक 23-3-2001, 17-12-2001 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ। पत्र दिनांक 13-3-2001 लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था।

कसमण्डा हाऊस पार्क रोड पर प्राधिकरण से मानचित्र परमिट संख्या 3611, दिनांक 7-12-95 को स्वीकृत कराने के उपरान्त समूह आवासीय निर्माण किया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर प्राधिकरण द्वारा निर्माण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। निर्माण स्थल को दिनांक 15-2-2001 को धारा-28 क के अन्तर्गत सील करा दिया गया था। सील करने के उपरान्त निर्माण कार्य करने पर आई0पी0सी0 की धारा 447 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा शासन के गठित पुनरीक्षण शमन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया गया। पुनरीक्षण समिति द्वारा अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने पर कुछ शर्तों के साथ नियमानुसार शमन करने हेतु अनुमोदन दिया गया। इसी मध्य केन्द्रीय उत्पाद

आयुक्त द्वारा मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायत की गयी जिसके उपरान्त निर्माण कार्य बन्द कराने पर निर्माणकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में शमन मानचित्र निर्गत कराने के निर्देश हेतु याचिका दायर की गई । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01-8-2002 को आदेशित किया गया कि समस्त प्रभावितों तथा पिटीशनर को सुनने के बाद दो माह में शमन प्रकरण का निस्तारण किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 7-8-2002 को अध्यासियों, निर्माणकर्ता तथा अग्निशमन विभाग को सुनने के पश्चात् आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 11-9-2002 निर्धारित की गयी है। तब तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

88, 89, 90--श्री सुरेश कुमार खन्ना--[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

वाराणसी में अस्सी घाट के निकट रानी लक्ष्मी बाई की जन्म-स्थली को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

91–श्यामदेव राय चौधरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में रानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली को अधिग्रहीत करने एवं उक्त स्थल पर रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति स्थापित कर उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वाराणसी में अस्सी घाट के निकट रानी लक्ष्मी बाई के जन्म स्थल पर स्मारक निर्माण एवं पर्यटन विकास हेतु रुपये 2.24 लाख की लागत से एक योजना स्वीकृत की गयी थी। योजना हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध न हो पाने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं हो सका है तथा इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती स्थित मे0 सन्त कबीर सहकारी कताई मिल्स लि0, मगहर, बस्ती के सेवायोजकों द्वारा मिल को स्थायी रूप से बन्द किये जाने के कारण बेरोजगार हुये कर्मचारियों के समस्त देयों की संविदा शर्तों के अनुसार भुगतान कराने की मांग

92–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मे0 सन्त कबीर सहकारी कताई मिल्स लि0 मगहर, बस्ती उ0 प्र0 के कर्मचारियों को सरकार के शासनादेश सं0-724/36-2-2000-138 एस0एम0/92 टी0सी0, दिनांक 12-7-2000 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ देने की शर्त के साथ बन्दी की अनुमति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 5-10-2000 को सेवायोजकों ने मिल को स्थाई रूप से बन्द कर दिया ? यदि हाँ, तो क्या कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

कताई मिल संघ लि0, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो जाने पर मिल द्वारा भुगतान किया जायेगा।

जनपद संतकबीर नगर स्थित मेसर्स संजय पेपर एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0, खलीलाबाद के मिल मालिकों द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को समस्त देयों के भुगतान कराने की मांग

93–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स संजय पेपर एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0, खलीलाबाद, जनपद सन्तकबीर नगर के मिल मालिक ने दिनांक 22-3-2000 को मिल बन्द कर फरार हो गया है ? क्या यह सही है कि उप श्रमायुक्त, गोरखपुर द्वारा 30,45,292 धनराशि की आर0सी0 जारी कर श्रमिकों एवं कर्मचारियों के देयों के भुगतान हेतु जिलाधिकारी, संतकबीर नगर को निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या आर0सी0 जारी कर मिल मालिक से श्रमिकों/कर्मचारियों के समस्त देयों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

दि0 23-3-2000 से मिल बन्द है।

जी हाँ।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, संतकबीर नगर से वसूली होकर प्राप्त होने पर।

जनपद बांदा की नगर पंचायत, मटौंध में पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण में धन का दुरुपयोग

94–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा की नगर पंचायत, मटौंध में पेयजल हेतु एक पानी की टंकी के निर्माण में आगणन के विपरीत कार्य कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर के नगर पंचायत क्षेत्र पचपेड़वा में 3 माह पूर्व से बाधित जलापूर्ति ठीक कराने की शासन से मांग

95–डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत क्षेत्र पचपेड़वा, जनपद-बलरामपुर में 3 माह पूर्व से जलापूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का दायित्व है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नेपाल सीमा से सटे माओवादी प्रभावित पचपेड़वा एवं गैसड़ी क्षेत्र के गावों एवं कस्बों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

96–डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माओवादी प्रभावित नेपाल सीमा से सटे पचपेड़वा एवं गैसड़ी क्षेत्र के गांवों एवं कस्बों में सुरक्षा की दृष्टि से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 20 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना संभव नहीं है।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत थाना गोरा चौराहा सीमान्तर्गत ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके क्षेत्र पंचायत बनाने की मांग

97–डा0 शिव प्रताप यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत थाना गोरा चौराहा सीमा में आने वाले ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए सरकार गोरा चौराहा को नयी क्षेत्र पंचायत सृजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बलरामपुर के अंतर्गत अभी तक गोरा चौराहा नामक विकास खण्ड सृजित नहीं है। अत: क्षेत्र पंचायत के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

98-99–श्री विजय सिंह–

[चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद लखीमपुर में नगर पालिका लखीमपुर की तहसील की बाउन्ड्री के पूरब दिशा की ओर बनायी गयी दुकानों के कारण मुख्य मार्ग के बाधित होने की जाँच तथा अतिक्रमण हटाने की माँग

100–डा0 कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका लखीमपुर, जनपद लखीमपुर में तहसील की बाउन्ड्री के पूरब की तरफ नगरपालिका द्वारा बनवाई गयी दुकानों के कारण मुख्य मार्ग सकरा हो गया है जिससे यातायात बाधित रहता है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, लखीमपुर द्वारा तहसील लखीमपुर की बाउन्ड्री के पूरब कोई दुकान निर्मित नहीं कराई गयी है। अत: मुख्य मार्ग के सकरा होने एवं यातायात बाधित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

101–श्री अनिल सिंह–

दिनांक 14-8-2002 को अता0 प्र0 सं0–127 द्वारा उत्तरित।

जनपद गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु बड़ा पावर हाउस निर्माण कराने हेतु वर्तमान/प्रस्तावित शासन की नीति की जानकारी

102–श्री बीजू पटनायक–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई बड़ा पावर हाउस निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र में सादात के अन्तर्गत मिर्जापुर में नये 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र, क्षमता 1x5 एम.वी.ए. का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत ग्राम गदाईपुर गाँव में विद्युत आपूर्ति ठीक कराने की मांग

103—श्री बीजू पटनायक—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात के अन्तर्गत ग्राम गदाईपुर गांव में लगभग पांच वर्ष पहले चक्रवात से विद्युत के सभी खम्भे उखड़ गये और तार टूट गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक कराकर पुन: विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ।

लाइनों को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की सादात विधान सभा क्षेत्र स्थित चकेरीधाम तीर्थस्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग

104—श्री बीजू पटनायक—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सादात विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकेरीधाम एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां हजारों तीर्थ यात्री व विदेशी पर्यटक रामनवमी के समय पहुंचते हैं ? यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण धाम के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो यहां पर रुके हुए थे ? सरकार उक्त स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं सृजित की जाती हैं। चकेरी धाम में पर्यटकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की संप्रति कोई योजना नहीं है।

105—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—[तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

106— श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित]

107—श्री राम विशुन आजाद—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित]

लखनऊ, मोहल्ला छोटा चाँदगंज निवासी श्री विष्णु कुमार पाण्डेय द्वारा अपने घर के सामने के रास्ते पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की शासन से माँग

108–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री विष्णु कुमार पाण्डेय, निवासी म0नं0 496/138, छोटा चांदगंज, लखनऊ ने बिना नक्शा पास कराये अपने घर के सामने आम रास्ते में शौचालय का टैंक, सीढ़ियां तथा चबूतरे का निर्माण करा लिया है, जिसके कारण आधा रास्ता बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आम जनता की सुविधा हेतु उक्त शौचालय के टैंक, सीढ़ियों तथा चबूतरे को तुड़वाकर रास्ते से आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

-तदैव-

जनपद चन्दौली में लागू जलनिधि योजना के अन्तर्गत प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 2001 से अब तक खर्च किये गये धन की जानकारी

109–श्री राम किशुन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चन्दौली में लागू जलनिधि योजना के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2001 से अब तक कितना धन खर्च किया गया है ? उक्त योजना पूर्णरूप से कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर 132 के0 वी0 ए0 विद्युत् सब-स्टेशन को चालू किये जाने की अवधि की जानकारी

110–श्री वंशीधर राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर 132 के0 वी0 ए0 के विद्युत् सब-स्टेशन का भवन बनकर तैयार है ? परन्तु विद्युत् सप्लाई चालू नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त सब-स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मोहम्मदी तहसील मुख्यालय पर 132 के0 वी0 ए0 विद्युत् उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत सब-स्टेशन के चालू होने का लक्ष्य मार्च, 2003 प्रस्तावित है।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ के गावों में वर्ष 1999, 2000, 2001 में अपूर्ण/प्रस्तावित विद्युतीकरण कार्य कराये जाने की जानकारी

111–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच गांवों के विद्युतीकरण कराने का फैसला लिया गया था ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में 1998-99, 99-2000, 2000-2001 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कराया गया ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में वर्ष 1998-99, 1999-2000 के लिये चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य निम्नवत् पूर्ण हो चुका है :

वर्ष 1998-99 हेतु चयनित :

	ग्राम	ब्लाक	विद्युतीकरण की तिथि
1.	ओहनी	तहबरपुर	31.3.2001
2.	कोल्हपुर	तहबरपुर	30.6.2000
3.	मडया	तहबरपुर	08.08.1999
4.	बुढ़ान पट्टी	रानी की सराय	14.3.1999

वर्ष 1999-2000 हेतु चयनित

	ग्राम	ब्लाक	विद्युतीकरण की तिथि
1.	रैसिंगपुर	तहबरपुर	18.7.2002
2.	लखमनपुर पट्टी बोदलराय	तहबरपुर	20.7.2002
3.	गोविन्दपुर	तहबरपुर	20.7.2002
4.	खालिफतपुर	तहबरपुर	29.2.2001
5.	मंगगोभी	पल्हनी	31.7.2001

वर्ष 2000-2001 में चयनित ग्रामों धनिया कुड़ी, नवापुरा, खुटिया, सोफीपुर में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद खीरी के विकास खण्ड गोला गोकरण नाथ पर्यटन स्थल को और अधिक विकसित किये जाने की माँग

112–श्री अरविन्द गिरि–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोला गोकरण नाथ जो कि छोटी काशी के नाम से भी विख्यात है, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोला गोकरणनाथ में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण, मन्दिरों के जार्णोद्धार, कुंड के विकास/सौंदर्यीकरण, मेले के आयोजन आदि कार्यों हेतु रु0 33.99 लाख की धनराशि से गत वर्षों में कार्य कराए गए हैं। वर्ष 2001-02 में रु0 10.00 लाख कुंड के सौंदर्यीकरण हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

जनपद महोबा में पावर कारपोरेशन कार्यालय में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की माँग

113–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पावर कारपोरेशन कार्यालय जनपद महोबा में कार्य कर रहे कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद महोबा स्थित पावर कारपोरेशन के विद्युत् वितरण खण्ड महोबा कार्यालय में वर्तमान में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा की कबरई नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने की माँग

114–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा की कबरई नगर पंचायत को क्या नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पंचायत कबरई की जनसंख्या निर्धारित मानक के अनुरूप न होने के कारण नगर पंचायत कबरई को नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में विद्युत् मीटरों को लगाने में लाखों रुपयों के कथित घोटाले की जाँच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

115–श्री किरन पाल सिंह–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2002 के दूसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र जो जनपद बुलन्दशहर में विद्युत् मीटरों के लगाने में लाखों रुपयों के घोटाले की जांच सम्बन्धी था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

क्षेत्रीय स्तर पर मीटरों का क्रय नहीं किये जाने का प्रावधान नहीं है, बल्कि मीटरों की खरीद केन्द्रीय स्तर पर करके विद्युत भण्डार खण्डों के माध्यम से उन्हें क्षेत्रीय इकाइयों को उपलब्ध करा दिया जाता है। अत: स्थानीय स्तर पर मीटरों पर पालिश कराकर लगाये जाने अथवा इस हेतु किसी के विरुद्ध कार्यवाही के किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के श्रीनगर सेमरहा से लंगड़पुर मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं मार्ग निर्माण प्रारम्भ करने की जानकारी

116–श्री वसीम अहमद–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़ में श्रीनगर सेमरहा से लंगड़पुर मार्ग के निर्माण के लिए तत्कालीन नियोजन मंत्री ने पूर्वांचल स्टेट सेक्टर से वर्ष 2001 में लगभग 30 लाख रुपये स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

117 व 118–श्री राम विशुन आजाद–

(चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित)

लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को आवंटित भवनों का विवरण

119–श्री कौशल किशोर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आवासों हेतु 30 जून, 2002 तक कितने पंजीकरण किये गये हैं ? सरकार उक्त पंजीकृत लाभार्थियों को कब तक आवास आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड (पश्चिम विहार) योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आवासों हेतु कुल 2295 पंजीकरण किये गये हैं, जिसमें से 2250 पंजीकरण आश्रयहीन योजना में कराये गये हैं।

आश्रयहीन योजना के तहत 500 व्यक्तियों को आवास लाटरी द्वारा अब तक आवंटित किये जा चुके हैं।

500 आश्रयहीन भवन निर्माणाधीन है, निर्माण पूर्ण होते ही लाटरी के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य उनका आवंटन कर दिया जायेगा। जैसे-जैसे भवन निर्मित होते जायेंगे,

उपलब्धता के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों के पक्ष में लाटरी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अपेक्षित भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन हेतु असफल रहने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी पंजीकृत धनराशि प्राधिकरण में प्रचलित व्यवस्थानुसार सब्याज वापस कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

120–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

(चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित)

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की सीवर की भंवावह समस्या के निराकरण की माँग

121–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की सीवर की भयावह समस्या का निराकरण करने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि वर्ष 2002-2003 में आवंटित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में सीवर की कोई भयावह समस्या नहीं है।

लागू नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ शहर के पुराने कुओं व बावलियों की मरम्मत, सफाई एवं जल संचयन हेतु शासन की प्रस्तावित योजना की जानकारी

122–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाटर हारवेस्टिंग स्कीम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ शहर के पुराने कुओं व बावलियों की मरम्मत व सफाई कराकर जल संचय हेतु जीर्णोद्धार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

इस तरह की कोई योजना नगर विकास विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया मुख्यालय स्थित विद्युत् उपखण्ड चतुर्थ का कार्यालय रुद्रपुर में बनाये जाने की माँग

123–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या उर्जा मंत्री को जानकारी है कि विगत 5 वर्षों से विद्युत् उपखण्ड चतुर्थ रुद्रपुर का कार्यालय देवरिया जनपद मुख्यालय पर किराये के मकान में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार रुद्रपुर में उक्त विद्युत् उपखण्ड का कार्यालय स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपखण्ड चतुर्थ देवरिया के कार्य क्षेत्र में रुद्रपुर एवं बरहज तहसील आते हैं जो कि विपरीत दिशाओं में स्थित है। अतएव इनका देवरिया जनपद मुख्यालय ही उपयुक्त मुख्यालय है क्योंकि यह दोनों मध्य में स्थित है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत ग्रामों में वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001 में विद्युतीकृत ग्रामों की जानकारी

124–श्री वसीम अहमद–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़ में प्रति वर्ष 5 गाँवों का विद्युतीकरण कराने की शासन की घोषित नीति के अन्तर्गत वर्ष 1998, 1999, 2000 व 2001 में कितने गाँवों का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 1998-1999 के 5 गावों एवं वर्ष 1999-2000 के 5 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 2000-2001 में 5 गाँवों के विद्युतीकरण की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय गाँवों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने का प्रकरण

125–श्री वसीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर, बिलरियागंज, वनकट, महराजगंज, सरदहा, कन्धरापुर, कप्तानगंज, मालताड़ी, भीमवर व पटवध गाँवों में कई-कई दिनों तक बिजली नहीं आती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

परन्तु मई एवं जून, 2002 में आये चक्रवात के फलस्वरूप विद्युत लाइनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी जिसे जून, 2002 के अंत में ठीक कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

126–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

(तीसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद आजमगढ़ ब्लाक तहबरपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु मंझारी में एक सब-स्टेशन स्थापित किये जाने की माँग

127–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत ब्लाक तहबरपुर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण मंझारी बाजार के निकट एक सब-स्टेशन स्थापित किये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हाँ।

प्रस्तावित स्थल पर नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु क्षेत्र का तकनीकी परीक्षण शीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2000 में सम्पन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों की जमानत धनराशि की वापसी का प्रकरण

128–श्री बीजू पटनायक–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 में सम्पन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के समय जमा की गयी जमानत धनराशि की नियमानुसार विजयी प्रत्याशियों को सरकार वापस करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हाँ।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 30-7-2002 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि के तीन माह के अन्दर निर्वाचन व्यय विवरण दाखिल कर जमानत वापसी हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, तो उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाए।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 तक प्रस्तावित एवं विद्युतीकृत गाँवों की जानकारी

129--श्री राम नरेश यादव--

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि फूलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 तथा 2001 एवं 2002 में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण विधायक कोटे से होना प्रस्तावित है ? क्या उन सभी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा।

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में 5-5 ग्रामों कुल 10 ग्रामों का विद्युतीकरण होना था।

वर्ष 1999-2000 के सभी पाँच ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है।

संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 2000-2001 के हेतु चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

संसाधनों की कमी के कारण समय सीमा निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला में कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग पर रेलवे लाइन के दक्षिण पगार के पास 5 × 3 मी0 की आर0 सी0 सी0 पुलिया के निर्माण की योजना की जानकारी

130—श्री बादशाह सिंह—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कुशीनगर द्वारा पत्रांक 970/पू0वि0नि0/राज्यांश/00-01,दिनांक 01 दिसम्बर, 01 जो पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) योजना से 15.00 लाख रुपये की लागत से विकास खण्ड रामकोला में कप्तानगंज-नौरंगियां मार्ग पर रेलवे लाइन के दक्षिण पगार के 5 × 3 मी0 की आर0 सी0 सी0 पुलिया का निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस स्थान पर पुलिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

जी नहीं।

योजना स्वीकृत नहीं।

जनपद कुशीनगर की छितौनी दरगौली बांध निर्माण की परियोजना के स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्य प्रारम्भ किये जाने की माँग

131—श्री बादशाह सिंह—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधान सभा सदस्य श्री दीपपाल भारती का पत्र सं0 क-1 नं0 231691, दिनांक .12.4.2000 जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी जनपद कुशीनगर को पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अन्तर्गत स्वीकृत धन 58.00 लाख रुपये से छितौनी-दरगौली बांध निर्माण की परियोजना को परिवर्तित कर मड़ार-बिन्दवलिया के बरई-पट्टी से सिरसिया-बुजुर्ग के खेखड़ा नाले पर व दो अन्य योजनाओं पर उक्त धन को व्यय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

श्री दीपलाल भारती मा0 पूर्व विधायक के पत्र दि0 12-4-2000 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के प्रस्ताव पर स्वीकृत छितौनी-दरगौली बांध निर्माण रु0 58.00 लाख के स्थान पर तीन कार्यों का प्रस्ताव यू0पी0 प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लि0 से गठित शासन को संस्तुत करने हेतु प्राप्त हुआ था । निधि नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव नामित कार्यदायी संस्था के न होने के कारण जनपद को इस आशय से वापस किया गया था कि यदि उक्त प्रस्ताव जनहित में आवश्यक हो तो शासनादेश के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था से प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को संस्तुति सहित प्रस्तुत किये जाय। वर्तमान में स्वीकृत बांध निर्माण के परियोजना के परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या एवं शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की अवधि की जानकारी

132–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक की संस्तुति पर प्रति वर्ष 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद, फर्रुखाबाद में 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के प्रस्तावित ग्रामों में अभी तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है ? शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं, वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 हेतु विधायकों द्वारा 5-5 ग्राम प्रति वर्ष चयन का प्राविधान था।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद, क्षेत्र फर्रुखाबाद में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 हेतु चयनित /प्रस्तावित 10 ग्रामों में से 2 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

शेष 8 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रगति पर है उनका विद्युतीकरण अगले 3 माह में होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड मोहम्मदाबाद में नवगठित टाउन एरिया आफिस में अधिकारी एवं स्टाफ की नियुक्ति करने की माँग

133–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद को टाउन एरिया बना दिया गया है ? यदि हां, तो स्टाफ की स्वीकृति व नियुक्ति न होने के कारण टाउन एरिया का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टाउन एरिया में स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

टाउन एरिया मोहम्मदाबाद में अधिशासी अधिकारी नियुक्त है तथा अन्य कार्यों हेतु स्टाफ की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

134–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

(चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को तहसील मुख्यालय बिलग्राम में 12 घन्टे विद्युत आपूर्ति करने विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

135—श्री विश्राम सिंह यादव—

क्या उर्जामंत्री बतायेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 7वां तल शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ को लिखे गये पत्रांक 56/आर0-15, दिनांक मई, 31, 2002 जो हरदोई की तहसील मुख्यालय बिलग्राम में 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने तथा सायंकाल 6 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने सम्बन्धी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय—

जी हाँ।

जी नहीं।

उ0 प्र0 पावर कारपो0 लि0 में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घण्टे से अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अहरौला बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का परीक्षण

136—श्री राम नरेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अहरौला बाजार की समस्त औपचारिकाताएं पूरी कर ली गई हैं ? क्या सरकार अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल ली टण्डन—

आजमगढ़ जनपद में अहरौला बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

जी नहीं।

प्रस्ताव टाउन एरिया बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों की परिधि में नहीं आता है।

लखनऊ नगर में मध्य विधान सभा क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

137—श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत मध्य विधान सभा क्षेत्र में कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

नगर निगम, लखनऊ द्वारा मध्य विधान सभा क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है।

नगर निगम, लखनऊ के पास आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण फिलहाल नगर निगम द्वारा कोई योजना / कार्य प्रस्तावित नहीं है।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पुरानी एक इंच से तीन इंच तक पानी की पाइप-लाइनों को बदलने की सरकार की योजना की जानकारी

138–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में पुरानी एक इंच से तीन इंच तक पानी की पाइप लाइनों को बदलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की अनपरा तापीय विद्युत परियोजना (सोनभद्र) के बेलवादह ऐश डैम से परिवारों को जमीन का मुआवजा एवं नौकरी देने सम्बन्धी विवरण की जानकारी

139–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनपरा तापीय परियोजना के बेलवादह ऐश डैम में कितने लोग विस्थापित हुए ? क्या उन विस्थापित परिवारों को जमीन का मुआवजा और नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित ऐश डैम से ग्राम बेलवादह के विस्थापित हुए परिवारों की कुल संख्या 193 है तथा उन्हें ली गयी जमीन का प्रतिकर दिया जा चुका है। 23 विस्थापित परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी भी दी जा चुकी है। परियोजना में पद रिक्त न होने के कारण शेष विस्थापित परिवार के सदस्य को नौकरी देना सम्भव न हो सका। परिषदादेश दिनांक 7-2-94 के अनुसार अब कोई भी सदस्य नौकरी का पात्र नहीं रह गया है।

140--श्री अनिल कुमार वर्मा–

(चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड घाटमपुर में 1993 में स्वीकृत पेयजल योजना शीघ्र पूर्ण किये जाने की माँग

141–श्री राकेश सचान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के कस्बा घाटमपुर में पेयजल योजना 1993 में स्वीकृत की गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त योजना आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है ? यदि हाँ, तो उक्त पेयजल योजना को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

142–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

(चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद ललितपुर के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, ललितपुर द्वारा वर्ष 1998 से वर्ष 2002 में हैण्ड पम्प लगाने एवं अन्य कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण

143–श्री रामजीत राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, ललितपुर को वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में कितना धन हैण्डपम्प लगाने, उनका प्लेट फार्म बनाने, रिपेयर मद एवं अन्य मदों में वर्षवार प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि बिना कार्य कराये मरम्मत एवं अन्य मद की धनराशि आहरित कर ली गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

विद्युत/यांत्रिक शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, ललितपुर को हैण्डपम्प लगाने, उनका प्लेटफार्म बनाने, रिपेयर मद एवं अन्य मदों में वर्षवार प्राप्त धनराशि का विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ .....पर।)

जनपद लखनऊ स्थित छन्दोइया (दुबग्गा) में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पशु चिकित्सालय की इमारत के पुनर्निर्माण एवं अवैध रूप से कुछ हिस्सों पर बने भवनों को हटाने की शासन से माँग

144–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित छन्दोइया (दुबग्गा) में पशु चिकित्सालय की इमारत जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय की इमारत का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि अस्पताल की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से भवन निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

जी हाँ।

जिला योजना से भवन निर्माण हेतु धन प्राप्त होने पर पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

अवैध कब्जे को हटाने के लिए विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा के कतिपय मोहल्लों में प्रकाश व्यवस्था सुचारु ढंग से किये जाने की माँग

145–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के जीवनी मण्डी चौराहे से लेकर पालीवाल पार्क तक मोती लाल नेहरु रोड, सेन्ट्रल बैंक रोड कमला नगर, मेन मार्केट कमला नगर से कावेरी मन्दिर कमलानगर, वाटर वर्क्स चौराहे से बल्केश्वर महादेव मन्दिर, पीपल मण्डी चौराहे से पथवारी बेलनगंज मार्ग पर प्रकाश हेतु लगे बल्ब एवं ट्यूब लाइटें खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब बल्ब एवं ट्यूब लाइट बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

जी हाँ।

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत उक्त कार्य नगर निगम के दायित्वों के अन्तर्गत आता है।

जनपद ललितपुर में, विद्युत यांत्रिक शाखा द्वारा वर्ष 2000-2001 में यूनीसेफ के सहयोग से निर्मित कार्यरत एवं खराब रेन हरवेस्टिंग वाटर टैंकों की संख्या की जानकारी

146–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम को विद्युत यांत्रिक शाखा द्वारा जनपद ललितपुर में वर्ष 2000-2001 में यूनीसेफ के सहयोग से कुल कितने रेन हरवेस्टिंग वाटर टैंक बनाये गये ? प्रति टैंक की लागत क्या है, वर्तमान में कितने वाटर टैंक कार्य कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जल निगम की विद्युत/यांत्रिक शाखा द्वारा ललितपुर में वर्ष 2000-2001 में यूनीसेफ के सहयोग से कुल 100 नग रेन हास्वेस्टिंग टैंक बनाये गये हैं।

प्रति टैंक की लागत रु0 11,373/- (रु0 ग्यारह हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) है।

सभी टैंक कार्यरत स्थिति में लाभार्थियों को मई, 2001 में हस्तगत किये जा चुके हैं, जिनके रखरखाव व संचालन का दायित्व लाभार्थियों का है।

उपरोक्तानुसार।

बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम, बांदा द्वारा कराये गये कार्यों में धांधली की टी0 ए0 सी0 द्वारा जाँच कराये जाने की माँग

147–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 15-4-2002 प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन को जो कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि से जनपद बांदा में कराये गये कार्यों में की गयी धांधली की टी0 ए0 सी0 से जांच कराने के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम, बांदा द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 1998-99 के अन्तर्गत कराये गये 15 कार्यों के जांच के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर बाजार क्षेत्र को टाउन एरिया घोषित किये जाने की माँग

148–श्री योगेश प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की करनैलगंज तहसील के अन्तर्गत स्थित मुख्य परसपुर बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से वाराणसी नगर की जवाहर नगर, (एक्सटेंशन) कालोनी की अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण आदि की जानकारी

149–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी में जवाहरनगर / जवाहर नगर एक्सटेंशन कालोनी की अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण तथा जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से धन अवमुक्त किये जाने हेतु कार्य का आगणन एवं आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का पत्र सं0 संविआ / पूर्विनि / 2002-2003, दिनांक 4 मई, 2002

तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2002 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रश्नगत परियोजना का प्रस्ताव प्रथम दृष्ट्या निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अन्तर्गत आच्छादित नहीं पाया गया। अत: मूल आगणन अग्रेतर कार्यवाही हेतु आवास विभाग को संदर्भित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

150–श्री शिवेन्द्र सिंह–

(दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में वर्ष 1999 से मार्च 2002 तक पूर्वान्चल विकास योजना के जिला / राज्यांश के अन्तर्गत अपूर्ण/पूर्ण मार्ग निर्माण सम्बन्धी कार्यों की जानकारी

151–श्री मशहूद खाँ–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 मार्च, 2002 तक पूर्वांचल विकास योजना के जिला अंश / राज्यांश के अन्तर्गत कितने मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है ? स्वीकृत मार्गों पर किन-किन कार्यदायी संस्थाओं से कार्य कराया गया है ? क्या स्वीकृत सभी मार्गों पर कार्य पूर्ण करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करवाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पूर्वांचल विकास निधि योजना के जिलांश / राज्यांश के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में निम्नानुसार मार्गों का कार्य स्वीकृत हुआ है :

वर्ष	स्वीकृत कार्य की संख्या		
	जिलांश	राज्यांश	योग
99-2000	16	3	19
2000-01	11	-	11
2001-02	15	2	17
योग . .	42	5	47

स्वीकृत मार्गों पर सी0एण्ड डी0 एस0 उ0 प्र0, जल निगम यूनिट-51 बलरामपुर, यू0 पी0 प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबेल कार्पो लि0 फैजाबाद ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा / बलरामपुर द्वारा कार्य कराया गया।

जी नहीं।

स्वीकृत 47 मार्गों में से 40 मार्ग पूर्ण, 5 मार्गों में कार्य प्रगति पर तथा 2 मार्गों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

धनराशि दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र उतरौला में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से वर्ष 1999 से 30 अप्रैल 2002 तक कराये गये सम्पर्क मार्गों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों में अनियमितता की जाँच

152–श्री अनवर महमूद–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 31 अप्रैल, 2002 तक पूर्वांचल विकास योजना / पूर्वांचल राज्यांश योजना के अन्तर्गत कितने स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का कार्य कराया गया ? कितने पर अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 और 30 अप्रैल, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र, उतरौला में सम्पर्क मार्गों का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में जिला पंचायत द्वारा एस0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कराये गये कार्यों में अनियमितता की जाँच

153–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला पंचायत द्वारा एस0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कराये गये कार्य की अनियमितता की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र, दिनांक 22 मई, 2001 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जिलाधिकारी द्वारा भूमि दर संशोधन हेतु निर्धारित अवधि एवं मापदण्ड के विरुद्ध अप्रैल, 2002 से नई भूमि दर संशोधित सूची लागू किये जाने का आधार एवं औचित्य की जानकारी

154–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ में अप्रैल, 2002 से कोई भूमि दर सूची प्रभावी हुई है ? यदि हां, तो कितने अन्तराल के उपरान्त संशोधन किये जाने का प्राविधान है एवं उसका क्या मापदण्ड निर्धारित है ? क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दो महीने के अन्तराल पर ही मनमाने ढंग से संशोधित भूमि दर सूची जारी की गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

उ0 प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत जनपद के कलेक्टर को भूमि दर/निर्माण की न्यूनतम दर द्विवार्षिक रूप से लागू करने का अधिकार है, परन्तु यदि किसी क्षेत्र/स्थान का कलेक्टर रेट वास्तविक बाजारी मूल्य से भिन्न जारी हो गया हो, तो दो वर्ष के भीतर किसी भी समय संशोधन करने का प्राविधान है, जिसमें कलेक्टर भूमि की स्थिति, सिंचाई की स्थिति, सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय और सरकारी कार्यालय आदि के महत्व को ध्यान में रखते हैं । गैर वाणिज्यिक भवनों में निर्माण दर के निर्धारण में कलेक्टर भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, लेबरचार्ज, सम्पत्ति की आय के मूल्यह्रास का ध्यान रखते हैं। वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की दर के निर्धारण में कलेक्टर क्षेत्र में प्रचलित आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखते हैं।

जी नहीं। संशोधन मनमाने ढंग से नहीं किया गया है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उक्त भूमि दर सूची में कतिपय संशोधन विगत दो माह के भीतर किये गये हैं, उ0 प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली के नियम 4 (2) के अन्तर्गत जनपद के कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह स्वयं अथवा किसी आवेदन पर संतुष्ट होने पर कि भूमि दर सूची के न्यूनतम् मूल्य में त्रुटियों के निवारण हेतु दो वर्ष के भीतर संशोधन कर सकते हैं। जिन स्थानों की दर 1 अप्रैल, 2002 की सूची में कलेक्टर रेट वास्तविक बाजारी मूल्य से कम थी, उन स्थानों की दरें वास्तविक बाजारी मूल्य के अनुरूप कर सूची संशोधित कर दी गई है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं हैं उनके नाम हैं--श्री शंखलाल माझी, श्री रामनरेश यादव, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भगवत सरन गंगवार, श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री मदन गोपाल वर्मा । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं हैं उनके नाम हैं- श्रीमती सुखदेवी वर्मा एवं श्री रामजीत राजभर। यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद संत रविदास नगर की तहसील घनघटा में ढढवा एवं जिगना ताल नाले की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

1—श्री शंखलाल माझी—

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-301 के अंतर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर सदन में सूचना देना चाहता हूँ - (1) तहसील धनघटा, जनपद-संत कबीर नगर में ढढवा व जिगनाताल हर वर्ष वर्षात में पानी निकास न होने से अगल-बगल के सैकड़ों गांवों की जमीन डूब जाती है तथा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। नाले की सफाई न होने से किसान परेशान हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी उक्त सूचना स्वीकार किये जाने हेतु तथा नाले की सफाई करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं महाराजगंज में भैरव बाबा के स्थान को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

2—श्री रामनरेश यादव—

[आजमगढ़ जनपद में दुर्वासा ऋषि की तपस्थली दत्तात्रेय ऋषि की तपोभूमि के नाम पर क्रमश: दुर्वासा, दत्तात्रेय स्थान तथा महाराजगंज में भैरव बाबा का स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां प्रतिवर्ष कई बार मेले लगते हैं जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। दूसरे प्रदेशों से तीर्थ स्थान होने के नाते पर्यटक भी आते हैं। यह स्थान हमारी संस्कृति की धरोहर है। इनका विकास किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब इसे पर्यटन केन्द्र बनाकर विकसित किया जाए। बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए पर्यटन केन्द्र, पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के सरेनी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

3—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह—

[मैं आपका ध्यान जनपद रायबरेली की पेयजल संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जल स्तर नीचे होने से साधारण हैण्ड पम्प असफल हैं, वर्षा का अभाव एवं जल दोहन से 90 प्रतिशत कुंए समाप्त हो चुके हैं। नलकूपों के कारण प्रथम स्ट्रेटा खतम हो गया है व दूसरे स्ट्रेटा में अपेय खारा पानी है। पानी की टंकी से चिन्हित ग्रामों तक पाईप लाइन का अभाव है। कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है जिससे पानी का नुकसान के साथ दूषित जल पहुँच रहा है। मोटर जल जाने से मीलों जलापूर्ति बाधित रहती है। 150 आबादी पर एक हैण्डपम्प देने से पानी की पूर्ति असंभव है। अर्थात् लोगों को घण्टों खड़े रहना पड़ता है। पानी की कमी से अस्वच्छता एवं असंक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बढ़ती है। अकाल जैसी स्थिति से जलस्तर और गिर गया है, तालाबों एवं नदियों में पानी खत्म हो चुका है, मवेशी मर रहे हैं। ये सारी समस्यायें सरेनी क्षेत्र की हैं। अत: इस लोक महत्व के विषय में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों में नलकूपों से पानी भरे जाने, पानी रोकने के लिए नदियों में बांध, पानी टंकी एवं खराब पाइपों का सुधार एवं 40 लोगों के मध्य एक हैण्डपम्प की तत्काल व्यवस्था की जाए। ताल, बावली आदि व पानी रोकने के जल संस्थानों के दुरुपयोग को दण्ड की परिधि में लाया जाय।]

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के नवाबगंज बहिर जागीर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

4—श्री भगवत सरन गंगवार—

[मान्यवर, जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में नवाबगंज बहिर जागीर-मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण लगभग एक लाख जनता को तहसील मुख्यालय आने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती रही है। मार्ग का कोई एक मीटर का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें गड्ढे न हों, इस कारण साइकिल, तांगा, रिक्शा, कार, जीप, मोटर साइकिल, बस, ट्रक का चलना दूभर है और जो एक बार गलती से इस मार्ग पर आ गया तो किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहां तक कि पैदल व्यक्ति भी पैरों में ठोकर लग कर लहू-लुहान हो जाता है। ग्रामीण कृषकों की उपज गन्ना, गेहूँ, धान व अन्य तहसील मुख्यालय के बाजार में नहीं आ पाते, विभागीय अनियमिततायें बरती गयी हैं, स्वीकृत धन का उपयोग नही किया गया है, मरम्मत के धन में भी अनियमिततायें बरती गयी हैं। अत: उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण व अनियमितताओं की जांच कराने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद महोबा के कस्बा कबरई के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषि योग्य पट्टे वाली भूमि को बिना अनुमति आवासीय प्लाट के रूप में बेचे जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

5—श्री सिद्ध गोपाल साहू—

[महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि जनपद महोबा के कस्बा कबरई में अनुसूचित जाति के श्री सागर मल पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी कस्बा कबरई , तहसील व जिला महोबा के नाम कृषि कार्य करने हेतु पट्टा हुआ था जो अनुसूचित जाति के कोटे से हुआ था जिसे बगैर जिलाधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता तथा कृषि योग्य भूमि को आवासीय में बिना जिलाधिकारी के अनुमति के नहीं बदला जा सकता। पट्टेदार सागर मल की मृत्यु के बाद उसके वारिसानों द्वारा कृषि योग्य भूमि को आवासीय भूमि में बिना अनुमति के परिवर्तित कराकर प्लाट बनाकर विक्रय किया जा रहा है जिसकी स्टाम्प ड्यूटी भी अदा नहीं की जा रही है। निर्माण कार्य जारी है जिसे रोका जाना अतिआवश्यक है। उक्त प्रकरण की शिकायत करने पर जिलाधिकारी, महोबा द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता से राय प्राप्त होने के बाद, जिलाधिकारी, महोबा के उप जिलाधिकारी, सदर, महोबा को उक्त भूमि को राज्य सरकार/ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2001 को दिया गया था। इसके बाद भी एस0 डी0 एम0 सदर ने राज्य सरकार/ग्राम समाज के नाम दर्ज करने का कोई आदेश न देकर सम्भवत: अनुचित तरीके से प्रभाव में आकर निर्माण कार्य कराया गया जो आज भी जारी है। इस कारण शासन स्तर से इस प्रकार की जांच कराकर कार्यवाही कराना आवश्यक है। अत: श्रीमान् जी से आग्रह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व की उक्त सूचना को स्वीकृत कर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें।]

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बाँदा में जिला राजकीय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकें एवं अन्य सामान गायब कराने की जाँच कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

6--श्री मदन गोपाल वर्मा--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद-बांदा में राजकीय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा घोर अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है तथा पुस्तकालय की पुस्तकें एवं अन्य सामान गायब कराकर कई बार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ऊपर चोरी तथा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट लगवाया गया जिससे हमेशा झगड़े कि स्थिति बनी रहती है जबकि शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से पत्र संख्या-307, दिनांक 24 नवम्बर, 1997 द्वारा उक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को निलम्बित किया गया था। लगभग दस वर्षो से अधिक कार्य करने के बावजूद अभी तक उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है। विभाग के कर्मचारी श्री बाबादीन तथा श्री कमलेश कुमार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हमेशा अधीनस्थ कर्मचारियों को फर्जी केस लगाने की धमकी देकर अवैध वसूली की जाती है तथा हमेशा कार्यालय से अनुपस्थित रहकर राजनैतिक माहौल में लिप्त रहती हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक के अर्धशासकीय पत्रांक-41-43/2001-2002, दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 द्वारा विशेष कार्याधिकारी, पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जिला पुस्तकालयाध्यक्षा द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता एवं कार्यालय से हमेशा गायब रहने जैसे गम्भीर आरोपों के कारण दूरस्थ स्थानान्तरण करने एवं कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था किन्तु अभी तक इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिए इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अत: आपसे आग्रह है कि उक्त लोक महत्व के विषय को सदन में चर्चा कराने हेतु स्वीकृत करने की कृपा करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 300 के अंतर्गत आज दिनांक 16-8-2002 को 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिसमें से माननीय राम नरेश यादव जी की सूचना स्वीकार की गयी है। बाकी 4 सूचनायें जो माननीय श्री प्रमोद कुमार, माननीय श्री जगदम्बिका पाल, श्री किरनपाल सिंह, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की हैं, यह सूचनायें अग्रह्य की गयी हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मान्यवर, इसको सुन लें और उसके बाद अग्राह्य कर दें।

केन्द्र की भांति प्रदेश में बजट प्रस्तुतीकरण से एक दिन पूर्व 'आर्थिक-समीक्षा' सदस्यों में वितरित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव--

अधिष्ठाता महोदय, यह सदन, भारत के संविधान, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और समय-समय पर पीठ से दिए गए निर्देश और परम्परा के आधार पर

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चलता है। विनियमित होता है। जिस संबंध में मैंने नियम-300 के अंतर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद-112 के अनुसार 'राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा' जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जिसे हम लोग बजट भी कहते हैं। उसी आधार पर विधान सभा में अनुच्छेद-202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है। इसी आधार पर महोदय नियमावली के नियम-183 में आय-व्ययक और उसका उपस्थापन व नियमावली के नियम-186 में आय-व्ययक संबंधी विवाद के प्रक्रम साधारण चर्चा अनुदानों पर मतदान का विवरण है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आय-व्ययक के संबंध में जो व्यवस्था संसद में चलती है वह यहां पर भी चलती है। बजट का साहित्य यहां भी वितरित होता है, वहां भी वितरित होता है लेकिन जब वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है उसके एक दिन पहले केन्द्र में संसद में वित्त विभाग की तरफ से आर्थिक समीक्षा सदस्यों को वितरित कर दी जाती है जिस आर्थिक समीक्षा में पिछले वित्तीय वर्ष का आर्थिक लेखा-जोखा हर विभाग का मदवार होती है। उससे सम्मानित सदस्यों को साधारण चर्चा में भाग लेने के समय सहायता मिलती है। हमारे यहाँ विधान सभा में भी सारा बजट साहित्य वितरित होता है। आर्थिक समीक्षा यहाँ भी वितरित की जाती है लेकिन महोदय, उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जिस समय अनुदानों की मांगों पर बहस होती है उस समय सदन के पटल पर रख दिया जाता है व सदस्यों को बांट दिया जाता है। जब विधान सभा में भी संसद की भांति व्यवस्था लागू है तो यहाँ पर भी बजट साहित्य के साथ आर्थिक समीक्षा भी बजट के पहले वितरित किया जाना चाहिए ताकि मान्यवर, सदस्यों को चर्चा में भाग लेने में मदद मिले व माननीय सदस्य उसका लाभ उठा सकें व उसी के अनुसार सदस्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। यह प्रदेश के लिए, शासन के लिए हितकारी होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें कि लोक सभा के आधार पर यहां पर भी आर्थिक समीक्षा बजट के पहले ही वितरित की जाय ताकि माननीय सदस्यों को उसका लाभ मिल सके। अब तो बजट अगले साल आएगा तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि एक कमेटी बना दी जाय वह कमेटी विचार कर ले व अगला जब बजट आयेगा तो उसको तैयार करके आर्थिक समीक्षा रख सकें। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री) श्री सुखदेव राजभर –

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य राम नरेश जी ने नियम-300 में जो सूचना दी है वह एक अच्छे सुझाव के सन्दर्भ में है। लेकिन जहां तक ग्राह्यता का सवाल है इसमें कोई ऐसा कारण नही दिखाई दे रहा है जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, इसलिए यह 300 में ग्राह्य करने योग्य नहीं है। जिन अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है वह वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। संसद में वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमोदित होता है और यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित होता है। वहाँ पर उस पर पार्लियामेन्ट विचार करता है और यहाँ पर सदन। बजट को नियोजन विभाग तैयार करता है। जिस दिन बजट होता है उस दिन उसकी प्रतियाँ दी जाती हैं। यह सही है कि पहले दी जानी चाहिए। भविष्य में इसको देखा जायेगा कि बजट के मतदान

की जो तिथि है उससे पहले वह प्रतियाँ मिल जायें। जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट दिये जाने की बात है, आपके इस सुझाव से मैं सहमत हूँ लेकिन यह प्रश्न 300 में नहीं आता है।

श्री राम नरेश यादव–

आर्थिक समीक्षा जो बाद में देते हैं, यदि वह पहले दे दी जाय तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय मंत्री जी उससे सहमत दिखाई दे रहे हैं। मैं भी शासन से अपेक्षा करता हूँ कि इस पर विचार करके निर्णय लेकर सबको अवगत करा दें।

'आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के लिये निर्धारित समय' के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमने परसों एक बात सदन में उठायी थी। अध्यक्ष जी इस पीठ पर बैठे थे। नियमावली के नियम-187 में साधारण चर्चा के लिये दिन नियत हैं। इसमें स्पष्ट है कि जिस दिन बजट पेश होगा उसके दो दिन के बाद साधारण चर्चा शुरू होगी। दो दिन का समय इसलिये रखा गया है ताकि दो दिन माननीय सदस्यगण उसका विधिवत अध्ययन कर लें और फिर अपने विचार उस पर रखें। दो दिन के बाद 5 दिन का समय निश्चित कर दिया गया है कि साधारण चर्चा 5 दिन होगी। 9 तारीख को बजट रखा गया और 10-11 को छुट्टी थी। 12 को बहस शुरु हुई। 12, 13, 14, 15, 16 पाँच दिन हुए। 12-14 को कोई कार्य नहीं हुआ बजट के सम्बन्ध में । अब आज और कल दो दिन ही बचे हैं। आज के दिन सभी दलों के नेता बोल लेंगे तो कल का दिन रह जायेगा जिसमें तमाम माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं। इस पीठ से निर्णय हुआ था कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में विचार कर लिया जायेगा बजट पर चर्चा के बारे में। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई कि उसमें क्या निर्णय लिया गया। कल अंतिम दिन है। कल अगर बहस का दिन खत्म हो जायेगा तो जो हमारा अधिकार है और हम महत्वपूर्ण सुझाव रखना चाहते हैं वह नहीं रख पायेंगे। मेरा अनुरोध है कि इन नियमों का पालन करने के लिये दो दिन चर्चा के लिये और बढ़ा दिये जायं ताकि सभी माननीय सदस्य उस पर बोल सकें और नियमावली के नियमों का अनुपालन हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

जहां तक आपने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लेने की बात बताई है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लूँगा। दो दिन कैसे जाया हुए, उससे हम सभी जानते हैं और उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस विभाग में एक जाति विशेष के कर्मियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार–

औचित्य की व्यवस्था के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप स्वयं ज्ञाता हैं। आप नियमावली का 300 (3) देखें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना अग्राह्य कर दी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। आप 300 का उप नियम (3)-(1) तथा (2) देखें। इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य-प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा। (4) में लिखा है कि किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे। मैं आपके उसी विवेक की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो नियम-300 में सूचना दी है, उस पर बोल रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

रुक तो जायं। मान्यवर, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना नियम-56 में आ चुकी है, जो नियम-300 में दी थी।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप एक नया विषय दे रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप अनुच्छेद-164(2) पढ़ लें। वैसे आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। आप ज्ञानी हैं, आपको कंठस्थ होगा फिर भी पढ़ देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान के अनुच्छेद 14 (2) में लिखा है-"मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लोकदल के सदस्यों ने बुलन्दशहर में 100 उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण हुए हैं इस संबंध में चुनौती दी है कि तीन दिन में निर्णय नहीं बदला तो वह निश्चित रूप से समर्थन वापस ले लेंगे। लोकदल के तीन दिन पूरे हो गए हैं और आज लोकदल का कोई माननीय सदस्य, कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है, जो उन्होंने धमकी दी थी वह उन्होंने सदन में परिलक्षित कर दी है आज पूरी तरह से सरकार का एक अंग लोकदल भी है, अगर वह समर्थन नहीं देता है तो यह सरकार अल्पमत में आ जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर सरकार अल्पमत में है तो इस सरकार का औचित्य क्या है मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे है उनसे कहें कि संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी से कहें कि वह राज्यपाल महोदय के पास जाएं और अपना त्याग पत्र दे दें, यह बहुत ही गम्भीर बात है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। लोकदल ने कहा था कि तीन दिन में निर्णय इस मामले में नहीं किया तो मंत्रिमंडल से समर्थन वापस ले लेंगे और तीन दिन में निर्णय नहीं हुआ है। पूरे लोकदल ने सदन से बहिष्कार कर दिया है कोई भी लोकदल का मंत्री सदस्य सदन में मौजूद नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप किस सूचना पर बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मैंने भी सूचना दी है। मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में आ गई है मैंने भी लिखकर दिया है, मैं बुलन्दशहर से निर्वाचित होकर आया हूँ,

श्री प्रमोद कुमार–

किरनपाल भाई, मैं बोल लूँ फिर आप बोल लें।

श्री किरनपाल सिंह–

श्रीमन् यह बहुत महत्वपुर्ण बात है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी आपकी बात आ गई है आप बैठ जाएं।

श्री प्रमोद कुमार–

अन्तिम बात कहनी है।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना अग्राह्य कर दी गई है उस पर प्रमोद जी आप बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ, पहले जानकारी नहीं थी जब मैं 11.00 बजे सदन में आया तो देखा कि राष्ट्रीय लोकदल का कोई माननीय सदस्य, कोई

मंत्रिगण सदन में मौजूद नहीं है, लोकदल के मंत्री को कब हमीद जी, लोक निर्माण मंत्री भी सदन में मौजूद नहीं हैं। यह 11.00 बजे के बाद मामला आया है आप इसमें मौखिक अनुमति दे दें, लिखित आ जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अनुमति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

जाति विशेष के साथ इस तरह से किया जा रहा है क्या ब्राह्मण होना ठाकुर होना, क्या गलत है जाति विशेष के आधार पर सामूहिक रूप से स्थान्तरण किया जा रहा है, और इस मामले पर पूरा लोकदल बहिष्कार कर रहा है। श्रीमन् कोई भी लोकदल का माननीय सदस्य, माननीय मंत्रिगण नहीं है उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वह माननीय मुख्य मंत्री जी से जाकर कहें कि वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

ऐसा मालूम हो रहा है कि प्रमोद जी लोकदल के संदेशवाहक के रूप में आए हैं, अग्राह्य सूचना हो गई, प्रमोद जी की सूचना पर विचार हो गया। मैं बताना चाहता हूँ की कौकव हमीद साहब की माताजी का देहान्त हो गया है, उनके यहां ट्रेजडी हो गई है। किसी के यहां दुख हो तो संवेदनायें व्यक्त करने जाया जाता है।

श्री किरनपाल सिंह–

मैंने मान्यवर, नियम-300 में दिया है और 56 में भी दिया है। मेरा जिला भी बुलन्दशहर है।

श्री अधिष्ठाता–

जब 56 का समय आयेगा तब विचार किया जायेगा। नियम-300 में यह अग्राह्य हो गया है।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जिस पीठ पर जिसमें आप सुशोभित हैं, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है या तो विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के माध्यम से नियमों का संचालन होता है या फिर इस पीठ से जो टिप्पणी होती है उससे चलता है। आज जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित हुआ है उससे कदाचित् और कोई गम्भीर प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब शपथ लिया था तो यह कहा था कि हम किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर काम नहीं करेंगे। मान्यवर, आज सामूहिक रूप से स्थानान्तरण जाति के आधार पर किये गये हैं। जो संविधान की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

मूल भावना है उसका हनन किया गया है। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

नियम-300 की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जितने ठाकुर और जाट बिरादरी के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एस0 पी0 थे उनको शासन से सूची मंगाकर स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अग्राह्य कर दी गयी है उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह–

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-14 तथा 15 के अन्तर्गत फण्डामेंटल राइट्स हैं। इसमें यह है कि किसी जाति, धर्म, लिंग और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भेद नहीं किया जायेगा। लेकिन संविधान की इस मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो इसके मूलभूत अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। इसमें जाति विशेष के लोगों के साथ जो ठाकुर-जाट बिरादरी के लोग हैं उनका दूर-दूर स्थानान्तरण कर भेज दिया गया है, जबकि उनका कोई कसूर नही था। इसमें कोई दो महीने पहले आया था और कोई दो साल पहले आया था उन सबको हटाया गया है। कसूर यह था कि मा0 मुख्य मंत्री जी के पिताजी अपने फार्म हाउस जा रहे थे। उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली। बगल में एक उपनिरीक्षक अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था। जब खिड़की खुली तो उसको चोट लगी वह गिर पड़ा तो सब लोगों को थाने ले जाया गया ड्राइवर से भी कहा सुनी हुई। जैसे ही यह पता चला कि गाड़ी में मुख्य मंत्री के पिताजी बैठे हैं, मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री के श्रद्धेय पिताजी सभी के लिए आदरणीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब यह पता चला तो माफी मांगी गयी और उनका सत्कार किया गया। उनको चाय-पानी पिलाया गया। माफी मांगी गयी। अगले दिन अखबारों में छपा। फिर एक-एक ठाकुर और जाट बिरादरी के लोगों को दूर स्थानान्तरण करके भेजा गया ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम-300 की सभी सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया गया है। अब मैं नियम-56 की सूचनाएं ले रहा हूँ।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न प्रमोद जी ने रखा वह अग्राह्य कर दिया गया। अब माननीय किरनपाल जी किस इश्यू पर बोल रहे हैं। अगर इसकी कोई नोटिस हो तो बता दें मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 में प्राप्त सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया गया है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

आज दिनांक 16 अगस्त, 2002 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सुचनाएं प्राप्त हुई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है –

पहली सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा0 अशोक बाजपेयी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री अम्बिका चौधरी एवं श्री मदन चौहान की और यही सूचना श्री उदय राज, श्री राम लाल अकेला तथा श्री राम विशुन आजाद की भी है-पूर्व विधायक डा0 धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के संबंध में है।

(व्यवधान)

पुलिस विभाग में एक जाति विशेष के कर्मियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे पास बुलन्दशहर के एस0 पी0 की प्रति है। यह सरकार इस तरह से नहीं चलेगी। ठाकुर, ब्राह्मण को चुन-चुन कर स्थानांतरित किया गया है, कभी भी एक दिन में 25 सब इंस्पेक्टर ट्रांसफर नहीं हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को नियम 56 की सूचना पर बोलने के लिये कह चुका हूँ। माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

माननीय किरन पाल जी आपको सुन चुका हूँ, आपको सुनने के बाद मेरी व्यवस्था आ चुकी है। अब नियम 56 की सूचना ले चुका हूँ।

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही स निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय किरन पाल जी ने नियम 56 में नोटिस दिया है जाति विशेष के लोगों को ट्रांसफर इसमें किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

वह नियम 56 में शलाका में नहीं आयी है वह स्वीकार नहीं हुई है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही निकाल कर देख लीजिये, माननीय अध्यक्ष जी ने परसों 14 तारीख को कहा था कि हमारी सूचना पाँचवें नम्बर पर है। किसी साजिश के तहत उस सूचना को हटवाया गया है।

मान्यवर, जो आपका फैसला होंगा वह मानेंगे लेकिन यह नही होगा कि हमारा हक मारे। हमारी सूचना स्वीकार हुई थी, पीठ से कहा गया था कि सूचना स्वीकार हो गयी है। पाँचवें नम्बर पर बताई थी तो मैंने कहा था कि पहले नम्बर पर ले लें, यह कार्यवाही में दर्ज है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे--जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

(धेल से) मान्यवर, व्यक्ति विशेष खराब हो सकता है, जाति विशेष नहीं खराब हो सकती।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 में यह सूचना सुन ली गयी और सुनने के बाद वह अग्राह्य घोषित हुई है नियम 56 में वह शलाका में नहीं आई है।

(विपक्ष के कई सदस्य श्री किरन पाल सिंह, श्री दिनेश सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल तथा श्री प्रदीप माथुर आदि सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 52 मिनट पर 1 बजकर 7 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपसे केवल एक बात कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल अधिकार हैं और यह सदन केवल परम्पराओं से चलता है, नियमों से चलता है, और आप द्वारा समय-समय पर लिये गये फैसलों से चलता है। संविधान के अनुसार सरकार शपथ लेती है कि हम पक्षपात के साथ कोई निर्णय नहीं लेंगे। आज जब जातिगत आधार पर सामूहिक रूप से जो ठाकुर दरोगा थे उनको एक साथ स्थानान्तरित किया गया, जिससे यह संदेश गया कि आज सरकार जातियों के आधार पर तबादले कर रही है। जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही की जाये। लेकिन एक व्यक्ति को दोष, दो व्यक्ति के दोष के लिए पूरे जनपद के जितने भी थाने हैं, जाति के आधार पर लोग हटाये जायें, कल पूरे प्रदेश में हटाये जायें। यह किसी भी सरकार के लिए पक्षपात-पूर्ण आचरण है और यह निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। जनपद में कितने दरोगा है तथा उनमें से कितने जाट, राजपूत दरोगा हैं उस आधार पर सूची जारी की गयी है। अगर इस तरह के पक्षपातपूर्ण निर्णय सरकार लेगी तो यह सरकार संविधान के आचरण के विपरीत कार्य कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी आप कृपया आसन ग्रहण करें। श्री किरन पाल जी आप बोलिये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि बुलन्द शहर जनपद में जितने भी ठाकुर, जाट, उपाधीक्षक एवं निरीक्षक, उप निरीक्षक हैं, शासन से सूची मांगी गयी कि ठाकुर तथा जाट बिरादरी के कितने लोग हैं तथा सूची मांगने के बाद लखनऊ से आदेश हुआ है कि उन सभी को, किसी को गोरखपुर रेंज में किसी को देवी पाटन तथा किसी को नेपाल बार्डर पुलिस में, इस तरह सभी को हजारों किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। उनका दोष कुछ नहीं है। आज वही पुलिस के अधिकारी लखनऊ की सड़कों पर और हाइकोर्ट में यह पूछते घूम रहे हैं कि आखिर उनका दोष क्या है और मान्यवर, दुःख इस बात का होता है कि जिन बिरादरियों की बदौलत जो लोग जीत कर आते हैं वह लोग भी उन्हीं पर जुल्म ढहा रहे हैं और अखबारों में बयान दे रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। इससे संविधान में जो मूल अधिकार मिले हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में यह अधिकार मिला हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर कोई भेद-विभेद नहीं किया जायेगा। इसलिए सरकार द्वारा संविधान की भावना को चोट ही नहीं पहुचायी गयी बल्कि उसकी धज्जियां उड़ायी गयी हैं। हमारे प्रदेश की पुलिस पर व्यवहार को लेकर आरोप लगाया जा सकता है, पैसा लेने के नाम पर आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन हमें अपने प्रदेश की पुलिस पर इस बात के लिए गर्व है कि हमारे प्रदेश की पुलिस जाति के आधार पर किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करती है। इसलिए लखनऊ से शासन से पुलिस के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है इससे प्रदेश की पुलिस में जो बुराई अभी तक नहीं थी वह पैदा होने जा रही है और यदि यह आदेश

नहीं रोका गया तो यह बुराई पुलिस के लिए अभिशाप बन जायेगी। इसी के साथ मान्यवर, एक बात और गौर करने लायक है कि पुलिस और प्रशासन को जो भी हो, वह जनता के सहयोग से ही काम कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम-300 पर बोलिये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, क्या पुलिस का प्रशासन जाट और ठाकुरों के सहयोग के बगैर चल सकता है, आपके संज्ञान में इस बात को लाकर मैं पृष्ठभूमि बताना चाह रहा था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरन पाल जी आप अपना विषय रख चुके है, कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

किरन पाल जी, जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर आपस में टोका-टाकी किये जाने पर--व्यवधान) आप अनुमति लेकर बोलें, मुझे कोई एतराज नहीं है। सदन नियमों, परम्पराओं से चलेगा, आप आसन ग्रहण करें।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

माननीय अम्बिका चौधरी जी, कृपया आप आसन ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह स्पष्ट होना चाहिये कि जाति के आधार मर इस प्रदेश में तैनाती नहीं होगी।

(पुन: सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के मध्य टोका-टाकी से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार है, प्रशासन है, सदन है, संविधान है। ऐसी स्थिति में सरकार जो भी हो, संविधान के अन्तर्गत ही चलेगी, चलती है और चलती रहेगी। इस समय जिस तरह से स्थानान्तरण के सवाल को लेकर बुलन्दशहर में तथा दूसरे जिलों में भी जातिगत आधार पर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं, उसके संबंध में, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या संदेश देना चाहती है, प्रशासन में किस तरह से भदभाव करके चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है। हमारा एक संविधान है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अन्तर्गत स्वंय स्पष्ट है कि किसी भी तरह का भेदभाव नही किया जायेगा, लेकिन आज सकार ने यह स्थिति पैदा कर दी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर इस प्रशासन में इस तरह का आदेश किया जायेगा, भेदभव बरता जायेगा तो क्या यह संविधान विरोधी नही है?

संविधान का उल्लघंन हो रहा है अथवा नहीं? और यदि उल्लघंन हो रहा है तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चहता हूँ।

नेता विराधी दल (मोहम्मद आजम खाँ)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मामला इस वक्त सदन में है, उसकी सच्चाई के बारे में सदन भी जानता है और प्रदेश भी जानता है कि नई सरकार के गठन के बाद, मायावती जी के मुख्य मंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्थानान्तरण हुए हैं, जिस तरह अधिकारी हटाये गये हैं, जैसी नियुक्तियां हुई हैं उनमें जातिगत आधार रहा है लेकित क्योकि किसी खास जिले में और किसी खास जाति पर इस तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस तरह की चोट नहीं पहुंची थी, यह मामला उठा नहीं था लेकिन पूरा सदन जानता है कि बुलन्द शहर में जिस तरह से अपमानित करके एक बिरादरी के अधिकारियों को हटाया गया है, वह निन्दनीय तो है ही, किरन पाल सिंह जी ने जो कहा है, बहुत वरिष्ठ सदस्य है कि यह आने वाले दिनों में अभिशाप बन जायेगा। इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता। बहुत पुराने सदस्य हैं और उन्होंने उसी सभ्यता से अपनी बात रखी है, जैसे रखनी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस वोटर के आधार पर, जिस तरह की बिरादरियां वहां रहती हैं, जिनकी ताकत की बुनियाद पर आज की यह सरकार टिकी है। क्या कोई ऐसा आदेश जाति या बिरादरी के नाम पर हटाये जाने का हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अमल दरामद हुई है या नहीं है, मान्यवर खुद आपकी जानकारी है कि यह सच्चाई है। मान्यवर, आपको भी व्यक्तिगत तौर पर, समाचार पत्रों की सूचना के तौर पर एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी के तौर पर आप के संज्ञान में है या नहीं है कि अमुक बिरादरी के अधिकारियों को अपमानित करके वहां से निकाला गया है और जिन्हें इस तरह से अपमानित करके निकाला गया है, जब वे दूसरी जगह जायेंगे तो क्या वह सर उठाकर कुर्सी पर बैठने की हैसियत में रहेंगे? यदि इसमें सच्चाई है और यदि ऐसा कोई निर्देश या आदेश गया है तो सरकार को सच्चाई बता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(सपा तथा लोकदल के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता माहेदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता हूँ और विपक्ष के सामने भी रखना चाहता हूं। आमतौर पर यह होता है कि उधर बैठने पर नजरिया और होता है और इधर बैठने पर नजरिया दूसरा हो जाता है लेकिन आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं कि जाति और धर्म के आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा। बुलन्दशहर की जिस घटना का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है, वहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है कि जाट और ठाकुर जाति के जितने उप निरीक्षक थे, उन सब का स्थानान्तरण गोरखपुर और बनारस रेन्ज में कर दिया गया है। जिस व्यक्ति ने गलती की, जिस उप निरीक्षक ने गलती की थी उसे कितनी बड़ी सजा दी जाती तो शायद उसका कोई विरोध नहीं होता लेकिन जो 50 कि0 मी0, 60 कि0 मी0 दूर बैठा है उस जिले के अन्दर, जाति के आधार पर उसका उत्पीड़न किया जाए, मान्यवर, यह न्यायोचित नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

न्यायोचित नहीं कह सकता। जहां तक उनका कहना है कि हम संवेदनहीन हैं और सत्ता में बैठ कर इस बात की जानकारी नहीं रख रहे हैं तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है। हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर वार्ता भी की थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा होगा कि जाति के आधार पर उनका स्थानान्तरण किया जाय या उनको गोरखपुर या नेपाल बार्डर पर भेज दिया जाय।

श्री किरन पाल सिंह –

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नही है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात को सदन ने शन्तिपूर्वक, ध्यान से सुना और आप नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी बात सुन तो लें।

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप सीमा से बाहर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय किरन पाल जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, क्या हम अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते हैं? हमें अपनी बात कहने का अधिकार नही है?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरन पाल जी आप अपनी बात कह चुके हैं, आप बैठ जायं।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाय तो यह निन्दनीय ही नहीं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। न ही मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा कि जातीय आधार पर स्थानान्तरण कर दिया जाय और न ही किसी मंत्री ने कहा होगा कि उनका स्थानान्तरण गोरखपुर रेन्ज या नेपाल बार्डर पर कर दिया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ तथा उन दोषी अधिकारियों के भी खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसी नजीर देनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा कार्य न होने पाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना का उत्तर माननीय समर पाल सिंह जी (लोकदल) ने दे दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री देंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

चूँकि मेरी सूचना है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ श्री समरपाल सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैंने कहा था कि स्थानान्तरण हुए तो स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने मेरी बात पर बल दिया है, सत्ता पक्ष के एक अंग ने बल दिया है। इसके लिए लोकदल को बधाई देना चाहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर स्थानान्तरण न रूके तो जाट की तरह व्यवहार करना, किसी कमजोर आदमी की तरह नहीं।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मूलत: आपने नियम-300 की सूचना को निरस्त कर दिया है। इसके बावजूद स्थानान्तरण के संबंध में माननीय सदस्यों की भावनाओं का आपने आदर किया और सूचना निरस्त होने के बाद भी सबको सुना। जहाँ तक जातिगत आधार पर किसी कर्मचारी/अधिकारी को जोड़ने का सवाल है या चिन्हित करने का सवाल है, वह एक दु:खद सवाल है। जो लोग जातिगत व्यवस्था से दु:खी हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि जातिवाद रहे। हम लोग खुद कहते हैं कि इस व्यवस्था से दु:खी हैं। सदन में आये दिन जातिवाद पर बहस होती रहती है। हम तो कहते हैं कि खुलकर बहस हो जाये। नेता प्रतिपक्ष हो जायें मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो जाऊँ और अन्य नेता लोग हो जाँये, जाति बनाया किसने ? यह चिन्हित कर लें कि यह जो व्यवस्था बनी, वह किस आधार पर बनी और जातिवाद से दु:खी कौन है ?

(श्री अम्बिका चौधरी जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ से इस विषय पर निर्णय आ जाये कि जाति किसने बनाया है ? संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत करा दें कि जाति किसने बनाया है ?

श्री सुखदेव राजभर–

स्थानान्तरण के संबंध में चौधरी साहब ने और पूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी ने भी अपनी बात रखी है। आप सबकी आत्मा जानती है कि पुलिस की भर्ती में जातिवाद को किसने बढ़ाया ? अगर दिल पर हाथ रखेंगे तो उन्हें पता चल जायेगा। मैं उसे बताना नहीं चाहता। ट्रांसफर के सवाल पर जातिवाद का आरोप लगाया गया। इसी सदन में बोला जा रहा था कि जाति के आधार पर पुलिस की भर्ती बहुत जयादा हो गयी है। कहीं जाति के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुये है, प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर हुये हैं। लेकिन जब यह बात आयी कि लोग दु:खी हैं और मेरठ और बुलन्दशहर के जनप्रतिनिधियों ने, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने, मुख्य मंत्री जी से बात की तो उन्होंने उसे संशोधित कर दिया। .....

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, ट्रांसफर नहीं रुके हैं। .....

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले कहा कि उनका ट्रान्सफर रुकवा दिया गया है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, ट्रान्सफर रुकवाया नहीं जाना चाहिए बल्कि निरस्त कर दिया जाना चाहिए। जो ट्रान्सफर जातिगत आधार पर किए गये हैं उसके संबंध में इस सदन में ही इसकी घोषणा होनी चाहिए कि ये ट्रान्सफर निरस्त किये जाते हैं, तभी सही होगा।

श्री सुखदेव राजभर–

श्री किरन पाल सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका ट्रान्सफर नहीं होगा। आप उधर ही रहेंगे। मान्यवर, यह पूरे के पूरे ट्रान्सफर निरस्त करके जो बरेली जोन है और जो मुरादाबाद है वह .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया पहले सुन तो लीजिए।

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप उन्हें सुनना चाहते है कि नहीं ? यह सब लिखा नहीं जाएगा।

* श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किए गये। मेर पास उनकी सूची है जिसके ट्रान्सफर हो गये हैं। उनके सामने उनकी जाति लिखी हुयी है। अगर उस सूची में जाट और ठाकुरों के अलावा एक भी नाम हो तो जो सजा देना चाहें वह आप मुझे दे दें। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्थानान्तरण रुक गये हैं।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पहले हमारी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

देखिए यह उचित नहीं है।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा सिर्फ यह आग्रह है कि सदन का समय बहुत कीमती है और इस बात का मुझें अहसास भी है लेकिन बात इतनी सी है कि माननीय मंत्री जी केवल एक वाक्य यह कह दें कि पूरे तबादलों को निरस्त किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

बोलने नहीं दे रहे हैं और सदन के समय को कीमती बता रहे है।

(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

कुछ लिखा नहीं जा रहा है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जाएगा।

(व्यंवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जिन लोगों के ट्रान्सफर किए गये है वे सब जाति के आधार पर किए गये हैं। वे या तो जाट जाति के है या ठाकुर हैं। उनके नाम हैं–श्री दिलीप कुमार सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री नकली सिंह पुण्डीर, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री शिवपाल सिंह, श्री उदयवीर सिंह चौहान, श्री छत्रपाल सिंह, श्री सन्तपाल सिंह, श्री सूरज पाल सिंह, श्री अजय कुमार, श्री बृज मोहन सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री थानेदार सिंह, श्री उदय पाल सिंह, श्री विशनपाल सिंह मलिक, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विजय, श्री बहादुर सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री करन सिंह, श्री रामजी लाल, श्री रणधीर सिंह, श्री विजेन्द्र सिंह।

श्री अधिष्ठाता जी–

आप कृपया आसन ग्रहण करें। सरकार का वक्तव्य सुनने के लिए आपका इस प्रकार का व्यवधान उचित नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह स्थानान्तरण जातीय आधार पर नहीं किए गये हैं, यह प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं और जिन लोगों का किया गया है उसको संशोधित करके, बुलन्दशहर, मेरठ जोन में किया गया है, बरेली जोन में अब कर दिया गया है। संशोधन-आर्डर पास कर दिया गया है। कोई जातीय आधार पर स्थानान्तरण नही किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किया गया है। आर्डर को संशोधित कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार–

समर पाल जी, संशोधन हुआ है, निरस्त नहीं किये गये हैं। अब आप जाट की तरह आचरण करें।

(शोर)

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि एक साथ जो ठाकुर, जाट लोगों के तबादले जातीय आधार पर किये गये हैं वह गलत है। निकम्में, बेइमान कर्मचारी उन पर हँस रहे हैं और पुलिस के जो वीर कर्मचारी हैं, बदमाशों से लोहा लेने वाले लोग थे उन लोगों को स्थानान्तरित करके दूर भेज दिया गया है। जो जातिगत आधार पर तबादले किये गये हैं क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहने का कष्ट करेंगे कि उनको निरस्त किया जाता है। आपने कहा कि संशोधित किया गया है, यह बात भ्रम पैदा कर रही हैं। माननीय समर पाल जी ने भी अपनी बात रखी है उनकी बात का सम्मान करके आप तबादले निरस्त करिये। माननीय समरपाल जी आप भी जाट बिरादरी के हैं, आपकी बात भी सदन में नहीं मानी गयी है। आपने कहा कि निरस्त कर दिये गये हैं, लेकिन निरस्त नहीं किये गये हैं संशोधन कर दिया गया है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा बुरी घटना और नहीं हो सकती है। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दीजिये लेकिन बिरादरी, जाति के आधार पर ठाकुर और जाट लोगों का जो स्थानान्तरण किया गया है उसको निरस्त करने की घोषणा करिये।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है; चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो या जनता का क्षेत्र हो, सरकार की वचनबद्धता है कि जातिगत आधार पर कोई काम नहीं किया जायेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के समता मूलक समाज की अपेक्षा के अनुसार यह सरकार कार्य कर रही है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे कोई भी क्षेत्र हो सभी जगह समतामूलक समायोजन किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम-300 की सूचनायें पहले भी अग्राह्य की जा चुकी हैं फिर भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये उनको सुना गया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ जाने के बाद यह सब सूचनायें अग्राह्य करते हुये मैं नियम-56 को प्रारम्भ कर रहा हूँ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार ने जातिगत आधार पर जाटों के तबादले किये हैं इसलिये मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(संसदीय कार्य मंत्री के कथन से असंतुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री किरन पाल सिंह–

मुझे अफसोस है कि सत्तापक्ष के वरिष्ठ सदस्य समरपाल जी की बात नहीं मानी गयी। उन्होंने जातिगत आधार पर हुये तबादलों की निन्दा की है और तबादले निरस्त करने के लिये मांग की लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि तबादले निरस्त किये जाते हैं। मैं जातिवादी नहीं हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि जाति एक सच्चाई है। सारे नेता अपनी बिरादरी के भाइयों के वोट पर यहाँ आये हैं यह किसी से छिपी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दूसरे जिलों की स्थिति से या प्रदेश की स्थिति से उसका मिलान न किया जाए। बस एक घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी कर दें कि यह जो तबादले हुए थे किस तरह से हुए इस पर न जाकर जिसने गलती की हो उसे सजा मिलनी चाहिए चाहे वह कोई भी हो लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है जिस पर कोई चार्ज नहीं है जो किसी इल्जाम का पात्र नहीं है उनके तबादले निरस्त करने की घोषणा कर दें यह एक अच्छी बात होगी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि उस स्थानान्तरण की लिस्ट को निरस्त करने की घोषणा कर दें। यदि ऐसा न करें तो इसके विरोध में मैं निन्दा करते हुए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करेगा।

(विरोध स्वरूप नेता विरोधी दल अपने दल के सभी सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री सुखदेव राजभर–

यह स्थानान्तरण बुलन्दशहर जोन से बरेली जोन में हुए हैं, यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।

*श्री कल्याण सिंह–

अधिष्ठाता जी, कोई भी सरकार आती है तबादले होते हैं यह भी सत्य है कि तबादले करना सरकार के कार्यक्षेत्र में है और मुख्य मंत्री उसके लिए अधिकृत हैं। बहुत सारे तबादले हुए उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सफाई में सरकार की ओर से कुछ भी कहा जाए लेकिन एक बात स्पष्ट की गई है कि बुलन्दशहर जनपद में मात्र केवल एक घटना को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मानित पिता जी जा रहे थे उनकी गाड़ी के ड्राइवर के साथ दरोगा ने जो किया वह अच्छा नहीं किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मुख्य मंत्री के पिता का सम्मान नहीं होगा तो आम जनता और हम जैसे लोगों की पुलिस के हाथों सुरक्षा नहीं रहेगी। एक घटना को लेकर वह दरोगा किसी न किसी जाति का रहा होगा। उस एक घटना को लेकर जाट ठाकुर का गिनगिनकर तबादला किया जाए तो क्या मैसेज जायेगा ? संसदीय कार्य मंत्री जी तबादले बहुत हुए हैं उस पर जब समय आएगा तो चर्चा भी होगी लेकिन इसका मैसेज क्या गया है। आपके साथ लोकदल के साथी बैठे हुए हैं, सहयोगी हैं कुछ बातें कह जाते हैं कुछ बातों की फिर से सफाई देने की कोशिश करते हैं। दिल से नहीं करते। लेकिन प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का अन्दर ही अन्दर इस बात की चिन्ता कर रहा है कि बुलन्दशहर में जिस प्रकार तबादले हुए हैं ठीक भाव से नहीं हुए हैं जाटों व ठाकुरों के चुनचुन कर तबादले हुए हैं इससे प्रशासन तंत्र के अन्दर क्या संदेश जायेगा ? इसका प्रशासन तंत्र के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा । मेरा निश्चित मत है कि जिस प्रकार तबादले हुए हैं उससे प्रशासन तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे प्रशासन के अन्दर इसका जहर न फैले इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ इसे जिद का प्रश्न न बनाएं और जो धीरे-धीरे जातिवाद का असर फैल रहा है उस पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है, इससे प्रशासनतंत्र बंट जाएगा। इसका परिणाम कमजोर जनता को भुगतना पड़ेगा। कानून व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कोई कैसे मनोयोग से काम करेगा। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाइए। इसका गलत मैसेज जा रहा है। यह जो तबादले हुए हैं इसको सदन में निरस्त करने की घोषणा करें। यह सरकार के हित में भी होगा और प्रदेश के हित में भी होगा। कहीं गलत संदेश न चला जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए भी कह रहा हूँ कि यह तो आपकी सरकार की वाहवाही होगी कि गलती हो गयी थी किसी वजह से, उसको सुधार रहे हैं। आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया। तो फिर किसी अधिकारी को इतना इशारा कर दिया होगा कि यह करना है और उसने कर दिया। यदि मुख्य मंत्री जी ने किसी अधिकारी को ऐसा करने को नहीं कहा और उसने अपनी मर्जी से कर दिया तो एक मिनट भी वह अधिकारी पद पर बने रहने के लायक नहीं है जिसने सरकार को कठघरे में लाकर खड़ाकर दिया है। यह सब एक वाक्य में खत्म हो सकता है यदि आप कह दें कि इसको निरस्त किया जाता है। आपके साथ लोकदल के जो मित्र बैठे हैं हकीकत यह है कि वे भी दिल से यही चाहते हैं लेकिन कुछ उनकी मजबूरियां हैं कि वे आधा खुलासा कह जाते हैं और आधे के ऊपर से लेपन लगाने की कोशिश करते हैं। आप कह दें कि मुख्य मंत्री जी से बात करके इसको निरस्त कर दिया जायेगा।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय कल्याण सिंह जी की बात से सहमत हूँ और सही है श्रीमन्, कि ट्रांसफर करना तो सरकार और प्रशासन का काम है लेकिन यह एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हैं। मान्यवर, आप भी चुनाव लड़कर आये हैं और हम भी चुनाव लड़कर आये हैं। जातिवाद का ऐसा जहर हो गया है समाज में कि अच्छे-अच्छे लोगों का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। आप कैसे जीतकर आये हैं, जानते होंगे। जातिवाद के जहर को और फैलने से रोकने के लिये आवश्यक है कि जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने, नेता क्रांति दल ने और नेता कांग्रेस ने जो अपनी बात रखी है और किरनपाल जी ने जो कहा है कि जन हित में प्रदेश हित में और प्रदेश की राजनीति को जातिविहीन बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बुलन्दशहर में जितने ट्रांसफर हुए हैं उनको निरस्त करने की घोषणा की जाय। इस प्रदेश में जातिविहीन अमन-चैन का वातावरण पैदा हो। यही मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने शुरू में बता दिया था। भूतपूर्व मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह सही है कि यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर समता का माहौल बने। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह मैसेज प्रदेश के अन्दर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह मैसेज कौन दे रहा है और रोक कौन रहा है, इसका अन्तर-आत्मा से चिन्तन होना चाहिए। जिस ट्रांसफर को जातिवाद से जोड़कर इस सदन में जो इतने समय तक चर्चा हुई। जाति के आधार पर कोई ट्रांसफर नहीं किया गया है। पुलिस भर्ती से ट्रांसफर तक में चिन्हित करके कितने मसले हुए थे ? मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बुलन्दशहर मेरठ जोन के अन्तर्गत आता है। वहाँ से स्थानान्तरित लोगों को बरेली जोन में तैनात करने के आदेश कर दिये हैं। पूर्वांचल या और कहीं जिनको बुलन्दशहर से कर दिया था, उनके लिये आदेश कर दिया गया है कि वे बरेली जोन में चले जायेंगे।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलती सुधारने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह गलती नहीं सुधार रहे हैं इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने भी सदन का त्याग किया।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 16 अगस्त, 2002 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, डा0 अशोक बाजपेयी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री अम्बिका चौधरी, श्री मदन चौहान, श्री उदय राज, श्री राम लाल अकेला, श्री राम विशुन आजाद की पूर्व विधायक डा0 धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, राजनीतिक जीवन में हम सबका एक कर्तव्य है कि.....

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, नियम-56 में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोटिस दिया था.....

श्री अधिष्ठाता–

वह सूचना शलाका में चयनित नहीं हुई होगी। यह सूचना पिछले 3 कार्य दिवसों से स्थगित हो रही थी। पूर्व सदस्य से संबंधित है, कृपया इन्हें बोलने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिये हम जनता की बातों को सुनें और उन बातों का समाधान करवायें। यह जरूरी नहीं है कि समस्या का समाधान या नेतृत्व करने के लिये विधायक, एम0पी0 हैं। पूर्व एम0एल0ए0, एम0पी0 सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। मान्यवर, किसी भी सरकार को यह मौलिक अधिकार नहीं है कि जनता की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति, जिसके हाथ में न लाठी है, न डंडा है जो जबान से अपनी बात कह रहा है जो गांधीवादी नीति में विश्वास रखते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए बर्बरतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद सत्तापक्ष के लोग इधर आ जाएं और विपक्ष सत्ता पक्ष में चला जाए, अधिकारी हमेशा एक रहते हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति का नहीं होता है जबकि आई0ए0एस0 अधिकारी है तो वह आई0ए0एस0 के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, आई0पी0एस0 जो होगा वह आई0पी0एस0 के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होती है, राजनीतिक व्यक्ति दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है। "डिवाइड एण्ड रूल" की पद्धति में अधिकारी ज्यादती करते हैं यह किसी के साथ नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, 10 तारीख को हरदोई में जो हुआ, पूरे प्रदेश में लालबत्ती और नीली बत्ती की लड़ाई चल रही है, चाहे इसे मुँहनोचवा कह लें या प्रशासन का भ्रष्टाचार कह लें, फरखनगर क्रासिंग

के पास करीब ढाई-तीन हजार गाँववासी इकट्ठे थे उनको इस बात का क्षोभ था कि उनकी रिपोर्ट थाना मल्लांवां में नहीं लिखी गयी और उनके साथ थानेदार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनको भगा दिया, वह भीड़ क्रासिंग पर इकट्ठा हो गई। डा0 धर्मज्ञ मिश्र जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के हैं वह भी वहां पर पहुँच गए वह शान्तिपूर्वक बात कह रहे थे उनका कहना था कि प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी आ जाए, जनता की बात पर कार्यवाही करा ले तो जाम हट जाएगा और जनता की बात भी आ जाएगी लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं गया, जब संसदीय कार्य मंत्री जी जबाब देंगे तो इन चीजों को स्पष्ट कर देंगे जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनके लिए क्या अलग-अलग कानून हैं ? इस तरह का अन्तर इन्हें नहीं करना चाहिए इन्द्रदेव सिंह जी की हत्या हुई तो कुछ लोग नामजद हुए लेकिन रात में ही कार्यवाही कर दी गई है। अखिलेश सिंह इस सदन के सदस्य हैं अतीक अहमद इस सदन के सदस्य हैं उनके लिए दूसरी तरह का मापदण्ड बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है। हरदोई में इन्होंने जनता से बात नहीं की सीधे गोली डंडे बरसाना शुरू कर दिया। चार सौ राउण्ड गोली चली, 23 लोगों को मारपीटकर स्पाट पर अरेस्ट कर लिया, 2,500 अन्य लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी, सारी दफायें आई0पी0एस0 और अन्य ऐक्ट जो लगा सकते थे वह उन पर लगा दीं। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई, आप कहें तो मेडिकल रिपोर्ट पीठ की तरफ भेज दूँ उनके साथ लोगों के साथ कितनी इंजरी हुई, पुलिस कितनों से पैसा वसूल कर रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है सत्तापक्ष में बैठकर यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ित कर रहे हैं, इस तरह से इनकी तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलेगा हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो इस सरकार की तानाशाही क्या चलेगी। यहाँ एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं हैं तो कितने दिनों तक यह सरकार चलेगी यह सरकार चलने वाली नहीं है।

[सत्ता पक्ष से आवाजें--खूब चलेगी]

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ क्योंकि माननीय विश्राम सिंह यादव वहाँ पर मौके पर पहुँच गये थे। वे इस सदन के माननीय सदस्य हैं। इन्होंने एफ0आई0आर0 दी लेकिन नहीं लिखी गयी, इसलिए मेरी मांग है एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय, झूठे मुकदमें वापस लिये जायें और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर एक हाउस की कमेटी बना दें जो वहाँ पर जाकर मुआयना करे जिससे सत्यता सामने आये। जो पुलिस उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों को एरेस्ट किया गया, उसको रोका जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आज पूरा हरदोई बन्द पड़ा है इसलिए इस पर सरकार का जवाब दिलवाने का कष्ट करें।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश की आजादी के बाद जनता को यह अधिकार मिला था कि वह अपनी बातों को कहे, अपनी मांगों को कहे। यदि उसके अधिकारों का हनन, उत्पीड़न और अतिक्रमण होता है, तो, वह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह सकती है और जनतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि जब किसी जनता को यह महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो शांतिपूर्ण ढंग से धरना, प्रदर्शन या फिर आन्दोलन कर सकती है। इसी कड़ी में मान्यवर, 10 तारीख को फरकनगर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिक, किसान आन्दोलन कर रहे थे। वह महीनों से बिजली न आने के खिलाफ तथा मुँहनोचवा के आतंक के कारण यह कर रहे थे। मुँहनोचवा से पीड़ित अगर

कोई व्यक्ति थाने में जाता था तो पुलिस वाले उसे दण्डित करते थे, उन्हें अस्पताल में दवा तक नहीं मिलती थी। जो शिकायत लेकर जाता था उसे जेलों में बन्द कर देते थे। इसी सब आक्रोश को लेकर वहाँ पर पाँच-सात हजार लोग इकट्ठा हुए थे। सुबह 10 बजे से धरना चल रहा था। उन सब की मांग थी कि कोई अधिकारी आये मगर कोई अधिकारी नहीं आया। एक नायब तहसीलदार वहाँ पर पहुँचा। वहाँ की जनता ने कहा कि परगनाधिकारी स्तर का व्यक्ति आये जिससे ज्ञापन दिया जा सके। लेकिन गजेटेड आफिसर भेजने का काम नहीं किया। शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था। कोई आक्रोश और उपद्रव वहाँ पर नहीं था। पाँच-सात हज़ार किसान वहाँ पर इकट्ठा था। मान्यवर, वहाँ से एक मालगाड़ी निकलती है उसे रोका गया। लेकिन जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया, लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं हैं। सारे जनपद की पुलिस बुला ली गयी, पी0ए0सी0 भी बुलायी गयी। शांतिपूर्ण ढंग से सुनने के बजाए उन पर कहर ढाया गया। वहाँ पुलिस अधीक्षक पहुँचता है और कहता है कि "मारो सालों को।" चार सौ से ज्यादा गोली फायर की गयी उन निर्दोष किसानों, गरीबों के ऊपर। बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चलायी जाती है। उस दृश्य को देखकर उस समय मानवता भी कराह उठती है। कुछ लोग वहाँ पर मुर्दा दफनाने गये थे, वहाँ पर एक शवदाह गृह भी है, उनको भी बन्द किया गया। धर्मज्ञ मिश्र जी, जो कि इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके भाई भी इस सदन के सदस्य रहे हैं और विशुद्ध गाँधीवादी यह परिवार रहा है, वह मल्लावाँ जा रहे थे। फरकनगर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो किसानों ने उनको रोका और बताया। उन्होंने ज्ञापन लिखा। बिजली की व्यवस्था करायी जाय और मुंहनोचवा से व्यवस्था करायी जाय। वह ज्ञापन लिखकर दे रहे थे कि पुलिस वालों ने कहा कि यह टोपी वाला बड़ा नेता बनता है इसको पीटो। मान्यवर, उनको पीटा गया। उनको 22 चोटें आयी हैं, मान्यवर, उस 68 वर्षीय गांधीवादी राजनीतिक व्यक्ति के साथ यह घटना हो गयी (विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, ऐसी घटना का जनतंत्र में कोई स्थान नहीं है कि बदले की भावना से जिस तरह से हरदोई की पुलिस ने सत्ता बल के रूप में वहां काम किया है उन किसानों के हाथ में डण्डे होते, कोई चीज होती जिससे उन्होंने प्रतिवाद किया होता जो उन पर लाठी चार्ज हो जाता। जो मुकदमें उसके बाद बनाये गये हैं जो धारायें लगाई गयी हैं--147/48, 233/2, 349, 332, 353 और 7-क्रिमिनल अमेण्डमेंट ऐक्ट की और न जाने अधिनियम की कितनी धारायें लगा दी गयी हैं जो गैंगस्टर्स के ऊपर भी नहीं लगती हैं। इन राजनीतिक व्यक्तियों और किसानों पर लगी एफ0आई0आर0 में चोट भी नहीं दिखाई गयी है। और मान्यवर, कोई चोट इन पुलिस कर्मियों के ऊपर नहीं लगी है। फिर यह 307 की धारा किस बात के लिए लगाई गयी है। उन निरीह लोगों को हवालात में बंद करके रखा गया है और जेल में ठूंस दिया गया है। कोई जांच भी नहीं कराई गयी और न दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की गयी है। श्री विश्राम सिंह यादव, सदस्य ने मांग की थी कि किसानों की एफ0आई0आर0 लिखी जाय लेकिन आज तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी है, 31 लोग जेलों में बंद हैं और अन्य 2500 लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 है, इसमें पैसा उगाहने का काम किया जा रहा है कि तुम्हारा भी नाम एफ0आई0आर0 में है। वहां भय व्याप्त है। ऐसी स्थित में कैसे वहां काम हो सकेगा। इससे ज्यादा तात्कालिक और गंभीर विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता है। आप संसदीय मान्यताओं के ज्ञाता हैं यह सदन सर्वोच्च है। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जायेगी, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जायेगा उन किसानों को न्याय नहीं मिलेगा उस गरीब गांधीवादी पूर्व विधायक को न्याय नहीं मिलेगा

तो लोकतन्त्र कैसे जिन्दा रहेगा ? आज दलों से ऊपर उठकर जिस तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति और किसानों के साथ घटना हुई है उसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। जाँच के आधार पर मान्यवर, स्थानान्तरण की बात उठी थी। यह बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं मान्यताओं की बात है। माननीय मंत्री जी के मन में निश्चित रूप से वेदना होगी। आप एक जन-नायक के रूप में कठोर निर्णय लेने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि धर्मज्ञ मिश्र जी व अन्य लोग जो बंद हैं उनकी तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज होनी चाहिये । झूठे मुकदमें समाप्त किये जायें। उनको जेल से छुड़ाने का काम करें। जो दोषी अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण किया जाये और कठोर कार्यवाही किये जाने का काम करें। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब यह घटना घटित हुई, मैं 25 कि0मी0 दूर था और 25 कि0मी0 दूर तक यह बड़े जोर की हवा फैली थी कि पुलिस ने गोली चला दी और कई लोग माधोगंज में मारे गये और डा0 धर्मज्ञ मिश्रा को एस0पी0 ने गिरा गिराकर मारा है। हम लोग मल्लावाँ कोतवाली पहुँचे। डा0 धर्मज्ञ मिश्रा वहाँ पर बन्द थे, मैंने अपनी आँखों से देखा था कि उनके कपड़ों पर खून लगा था और सारे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उनको गिरागिराकर एस0पी0 हरदोई ने मारा था। वहाँ एडीशनल एस0पी0 बैठे थे तो मैंने पूछा कि क्या गोली चली है ? पुलिस ने गोली चलाई है ? तो उन्होंने बताया कि किसी की तरफ से गोली नहीं चली है, न जनता की तरफ से और न ही पुलिस की तरफ से, उस समय पुलिस की तरफ से यह वायरलेस हो रहा था कि अजय वर्मा नामक किसी आदमी को गोली लगी है जिसकी लाश ले जायी जा रही है इसकी लाश जाने न पाये उसको गायब कर दो। मैंने वहां पर कोतवाली में कहा कि धर्मज्ञ मिश्रा जी की तरफ से मुकदमा कायम करो, लेकिन मुकदमा कायम नहीं हो पाया। इस तरह से मान्यवर, पुलिस ने गोली चलने की बात को पूरी तरह से नकार दिया जबकि वहाँ गोली चली थी और लोग घायल हुये थे और धर्मज्ञ मिश्रा जी को एस0पी0 ने गिरागिराकर मारा था, उनको चोट लगी थी, उनका कुर्ता, धोती, टोपी सब कीचड़ से सने हुए थे। पी0ए0सी0 वहां तब पहुँची जब एस0पी0 और उनका गनर गोली चला चुका था। मान्यवर, सुरेश, नरेश को गोली लगी है और वह पुलिस के डर से भाग कर अपना कहीं अलग इलाज करा रहे हैं। अजय वर्मा पुत्र सूबेदार वर्मा, निवासी भिठाई, थाना मल्लावाँ पुलिस की गोली से घायल हैं और वह मेडिकल कालेज में जिन्दगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मान्यवर, मैंने कहा कि मेरे लोगों को गोली लगी है। 23 लोग लाकअप में बन्द थे और एक आदमी लाकअप में बेहोश पड़ा था। मेरे कहने पर उसको बाहर निकाला गया। मान्यवर, मैंने कहा कि क्यों नही इनकी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया जा रहा है, लेकिन नहीं कराया गया, केवल दो लोगों का डा0 धर्मज्ञ मिश्रा पूर्व विधायक और चाँद मियां नगर अध्यक्ष-मल्लावाँ, का ही डाक्टरी मुआयना करवाया गया और 21 लोगों का नहीं कराया गया। मैंने कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखी जाय लेकिन नहीं लिखी गयी तो मैंने फैक्स के जरिये रिपोर्ट लखनऊ भेजी लेकिन तब भी नहीं लिखी गयी। मान्यवर, घटना 2-00 बजे की बताई जा रही है जबकि रिपोर्ट 4-30 बजे लिखी गयी। मान्यवर, उसके बाद धर्मज्ञ मिश्रा जी को रिमान्ड पर क्यों नहीं भेजा गया ? मान्यवर, उन्हें रात भर कोतवाली देहात में बन्द किया जाता है, और दूसरे दिन 4 बजे रिमान्ड मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख को रिपोर्ट कतई नहीं लिखी गयी, एफ0आई0आर0 रिपोर्ट दूसरे दिन लिखी गयी है जब मालूम हो गया कि घायल मेडिकल कालेज में भर्ती है और गोली चलाने की

घटना को नकार नहीं सकते हैं। इसलिये दूसरे दिन एफ0आई0आर0 लिखी जाती है और पुलिस दिखाती है कि हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है और गोली चलाई गयी है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदर्शनकारी लाठी-डण्डा लेकर प्रदर्शन के लिए नहीं जाते हैं इसलिये मेरी मांग है कि इस एफ0आई0आर0 को स्पंज किया जाये। वहाँ 23 आदमी बन्द थे मैंने एडीशनल एस0पी0 से पूछा कि और कितने लोगों को बन्द करेंगे तो कहा कि अब नहीं बन्द करेंगे तो फिर से 11 और आदमी कहाँ से आ गये। धर्मज्ञ मिश्रा जी का लड़का सुधीर मिश्रा जो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है लखनऊ में था, उसे नामजद कर दिया गया, सुखसागर मिश्रा उर्फ मधुर, धर्मज्ञ मिश्रा जी का भतीजा है वह हमारे साथ कोतवाली मल्लावाँ में रहा तो उसको उसी दिन कस्टडी में क्यों नहीं लिया ? इसका मतलब है कि उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । मेरा कहना है कि एफ0आई0आर0 बनायी गई है और दो -ढाई हजार आदमियों पर पुलिस कहर बरषा रही है उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। मान्यवर, आप कहेंगे कि कप्तान साहब ने क्यों मारा, उसके गनर ने क्यों गोली चलाई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 29 जुलाई को माननीय नरेश अग्रवाल और अशोक बाजपेयी के नेतृत्व में कचेहरी पर प्रदर्शन किया गया था जब कचेहरी पर जुलूस पहुँचा था तो वहाँ पर बैरीकेडिंग लगा रखी गयी थी तो धर्मज्ञ मिश्रा जी ने कहा था कि जनता नहीं आ पा रही है बैरीकेडिंग को तोड़ दिया जाय। यही रंजिश थी जिसके कारण डा0 धर्मज्ञ मिश्रा जी को पुलिस कप्तान ने गिरागिराकर मारा, उनको चोटें आई हैं। हमारा कहना है कि धर्मज्ञ मिश्रा जी के खिलाफ जो एफ0आई0आर0 लिखाई गयी है उसको पूरी तरह से स्पंज कर दिया जाय*। जो हमारी मांगे हैं, जो कि सारी जनता कहती है कि पुलिस कप्तान ने मारा है, पुलिस कप्तान ने गोली चलवायी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हरदोई, एस0 पी0 के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए , यह हमारी मांग है। हमारी दूसरी मांग यह है कि जो पुलिस मां-बहिनों की बेइज्जती करती है, हर तरफ कहर मचा रही है और पुलिस कहती है कि कह दो गोली प्रदर्शनकारियों ने चलाई है नहीं तो हम तुमको बन्द कर देंगे। इसलिए मेरी मांग है कि यह नंगा-नाच बंद किया जाए, पुलिस के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए तथा डा0 धर्मज्ञ मिश्रा को रिहा किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

श्री जगदीश सिंह राणा, श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री मदन चौहान (तीनों सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित रहे)।

*श्री उदय राज–

मान्यवर, आज जिस तरीके से इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो लोग किसानों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को ले करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इन बातों को अभी श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री बाजपेयी जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताने का काम किया है। मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, जब बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, चाहे वह लखनऊ में हत्यायें हो, डकैतियां बढ़ रही हों या दूसरी बारदातें हों रही हों तो सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस यह कह कर काम चलाती है कि वह बाबरिया गिरोह का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम है, कच्छा-बनियान गिरोह का काम है अथवा किसी अन्य का नाम ले लेती है। अपराधों को रोकने का नाम तक नहीं लेती। जब किसान मजदूर अपनी मांगों को ले करके धरना-प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चलायी जाती है। 10 तारीख को धर्मज्ञ मिश्रा, जिस समय बिजली की समस्या पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर जिस तरह से पुलिस लाठी चलाने का काम किया गया, गोली चलाने का काम किया गया, वह छिपा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की नजर में हर नागरिक दोषी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की मा0 मुख्य मंत्री के पिता के साथ कोई पुलिस वाला कुछ करने का काम करे तो पूरे प्रदेश के अधिकारियों का तबादला करने का काम किया जाता है तथा हरदोई के पूर्व सदस्य धर्मज्ञ मिश्रा के साथ हो तो उन्हें जेलों में बन्द किया जाता है तथा उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया जाता है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो धर्मज्ञ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसे वापस लिया जाये और जिन पुलिस वालों के द्वारा लाठी चलाने का काम किया गया उन लोगों के खिलाफ तुरन्त मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाये। हमारी दूसरी मांग है कि जो लोग बन्द हैं उनको रिहा करने का काम किया जाये। यह जो नियम-56 की सूचना है इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय और नहीं हो सकता है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाये।

*श्री राम लाल अकेला–

जिस तरह से हरदोई जनपद के अन्दर इस सदन के पूर्व सदस्य माननीय धर्मज्ञ मिश्र जी के साथ पुलिस ने अन्याय किया, जो अत्याचार किया, उसकी मिसाल बरतानिया हुकूमत में भी देखने को नहीं मिलती। आपने सुना होगा, माननीय मुख्य मंत्री के पिता के साथ कोई वारदात हुई कि नहीं हुयी, लेकिन एक खबर और अफवाह के आधार पर पूरे मंडल के पुलिस अधिकारियों को बदलने का काम किया गया। जब हरदोई के अन्दर किसान बिजली के लिये मर रहा है, एक-एक बूँद पानी के लिये तरस रहा है, नहरों में पानी नहीं है, धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, बच्चे रोटी के लिये परेशान हैं, तब ऐसे में किसान सड़कों पर नहीं उतरेगा तो फिर क्या करेगा, उसके सामने रास्ता क्या है ? वह रास्ता बताने का काम किया जाय और जब वहाँ का किसान सड़कों पर उतरता है तो पुलिस में बैठे लोग जो जनता की गाढ़ी कमाई का वेतन पाते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा निन्दा की बात नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि ऐसे क्रूर एस0 पी0 के खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भिजवाने का काम किया जाय और माननीय धर्मज्ञ मिश्र के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसे तुरन्त वापस किया जाय और सारे लोगों को जेल से छोड़ने का काम किया जाय।

*श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी माँग रखने का अधिकार है, चाहे किसान की समस्या हो, मजदूर की हो, हम अपनी मांग को शान्तिपूर्ण ढंग से रख सकते हैं।

मान्यवर, माननीय धर्मज्ञ मिश्र जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और आप उनको विधिवत् जानते हैं कि इस सदन के अन्दर उन्होंने क्षेत्र की कोई भी समस्या रही हो, उसको जबरदस्त तरीके से उठाया है। हरदोई जनपद में तो क्या पुलिस पूरे प्रदेश में मुँहनोचवा का आज तक कोई पता नहीं लगा सकी कि आखिर यह कौन सी चीज है और अगर कोई व्यक्ति थाने पर सूचना देने भी गया तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उल्टा उसे डाँटा गया, फटकारा गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो थाने पर इसकी सूचना देने वाले लोग गये थे, उनको 24-24 घन्टे तक वहाँ बैठाया गया। आज पूरे प्रदेश में बिजली नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2-2, 4-4 घन्टे केवल बिजली की आपूर्ति हो रही है, एक तरफ अकाल और सूखा पड़ा है। किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है और जब धर्मज्ञ मिश्र किसानों की इन माँगों को लेकर विद्युत् की माँग को लेकर रेलवे क्रासिंग के पास धरना-प्रदर्शन करने गये थे तो वहाँ की पुलिस ने माननीय धर्मज्ञ मिश्र के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, जैसा कभी अंग्रेज हुकूमत में भी नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जनरल डायर ने भी जलियाँ वाला बाग में गोलियाँ चलवाई थीं, तो उन अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसी प्रकार जो सरकारें किसानों पर, मजदूरों पर गोलियाँ चलवाती हैं, उनकी भी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। उनको वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं पीटा, उनके शरीर पर 22-22 चोटों के निशान हैं, उनको लहूलुहान किया गया, ऐसे पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 होनी चाहिये। एक तरफ तो पुलिस स्वयं चोरी करवाती है और इस पुलिस ने जिस तरह से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके माननीय धर्मज्ञ मिश्रा के ऊपर आई0 पी0 सी0 और सी-आर0 पी0 सी0 की कोई ऐसी दफा नहीं बची है जो दर्ज न की हो। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई उसे समाप्त किया जाए और पुलिस अधीक्षक के ऊपर जब तक एफ0 आई0 आर0 नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसी तरीके से इसे उठाते रहेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यहाँ कहना होगा कि जिस पुलिस अधीक्षक ने माननीय धर्मज्ञ मिश्र के ऊपर कार्यवाही की है, उस पर एफ0 आई0 आर0 लाज होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ बैठ जायेंगे, हम कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि आज वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन वह इस सदन के सदस्य थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। मान्यवर, जो इस घटना में गोली से मरे हैं, अजय वर्मा उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपये दिए जायें। इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना पर बोलने की अनुमति दी, मैं आभारी हूँ। श्रीमन्, आज के इस स्थगन का जो विषय है उस पर माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, अशोक बाजपेयी जी ने और रामबिशुन आजाद जी ने प्रकाश डाल दिया है। मैं इसकी विषय वस्तु में नहीं जाना चाहता। कार्य-स्थगन की ग्राह्यता पर जिस बिन्दु पर सबसे अधिक बल देना चाहता हूँ वह विषय वस्तु यह है कि जिस कारण यह परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, डा0 धर्मज्ञ मिश्र को जिन कारणों से जनता के बीच जाना पड़ा उसकी पृष्ठभूमि में मेरी माँग है कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और धर्मज्ञ मिश्र जी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जिसकी पुलिस ने हत्या कर दी है, धर्मज्ञ मिश्र जी को पीटने का काम किया गया, इसकी पृष्ठभूमि में मुँहनोचवा का आतंक है। मान्यवर, लाल और नीली बत्ती मिलकर मुँहनोचवा बनता है। इन दोनों के मिलने से मुँहनोचवा की संरचना बन जाती है । एक बात और कहना चाहता हूँ कि लाल और नीली बत्ती के लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मानित सदन में मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी अफवाह फैलाकर लोगों को आतंकित करने का काम किया जा रहा है इनमें लाल और नीली बत्ती का पूरा-पूरा योगदान है। जितने भी लोगो ने इस

मुँहनोचवा को देखा है, लाल और नीली बत्ती के रूप में देखा है। जब इसका इतना योगदान है तो बेंत के भी निशान डा0 धर्मेश मिश्र जैसे जुझारू नेताओं की पीठ पर नजर आते हैं। नीली और लाल बत्ती वाले इस मुँहनोचवा की साँठगाँठ ने पूरे प्रदेश को आतंकित कर रखा है। मान्यवर, इस नीली और लाल बत्ती वाले मुँहनोचवा के आतंक से पूरे प्रदेश को बचाने का काम किया जाए। पुलिस अधीक्षक जिसने स्वत: बर्बरता से पीटने का काम किया है उसको तत्काल निलम्बित करके, उसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने और मुकदमा चलाने का आदेश संसदीय कार्य मंत्री जी करने का कष्ट करें। धर्मेश मिश्र जी और उनके साथियों के विरुद्ध जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। आतंक फैलाने की दृष्टि से मुँहनोचवा की जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, जो लोग सारे देश में एक दिन में गणेश जी को दूध पिलाने का काम करवा सकते हैं यह उसी तरह की एक बड़ी साजिश है और एक नई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है और उसी की पृष्ठभूमि है। मैं इसी सूचना पर बल देते हुए यह माँग करता हूँ कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ उनके निलम्बन की कार्यवाही की घोषणा की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इसी सूचना से सम्बन्धित सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल की है जो माननीय अतीक अहमद से जुड़ी है, मैं निवेदन करूँगा कि वह अपनी बात रखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह अलग मामला है। इसको इससे न जोड़े, इसे अलग से रखें। माननीय अतीक जी की हत्या का प्रयास हुआ है, मान्यवर यह विषय अलग है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अतीक जी से जुड़ी जो सूचना दी गई थी, शलाका के आधार पर वह निरस्त हो चुकी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक अनुरोध है, एक प्रश्न चौधरी जी का है और एक प्रश्न हम लोगों का भी है। आप कृपया उस विषय को सुन लें और फिर अन्य कोई प्रश्न सुनें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले इसका जवाब आ जाय, बाकी उसके बाद। मान्यवर, नियम-56 में कार्य-स्थगन की सूचना है। इसके पूर्व मान्यवर, एक दृष्टान्त रहा है कि सूचना को इसी आधार पर निरस्त कर दिया जाता है कि आपकी सूचना कई विषयों पर निर्धारित है, इसलिए मान्यवर, एक विषय पर एक ही सूचना को लीजिए। किसी भी स्थिति में कई चीजों को मिलाकर कार्य-स्थगन नहीं बनता है।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इस लोकतांत्रिक देश में हर आदमी को अपनी बात कहने-सुनने और लोकतांत्रिक तरीके से शासन -प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने का पूरा हक है और जो भी सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हैं, हम सब भी राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के हित में ही अपनी चर्चा करते हैं। चाहे यहाँ

अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, आई0 ए0 एस0 हो, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। यहां का अन्न, जल, हवा और पानी लेते हैं। जिम्मेदारियों के निर्वहन के तरीके भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, इसी भिन्नता के आधार पर इस भारत का ढाँचा, चाहे प्रशासनिक ढाँचा हो, चाहे लोकतांत्रिक ढाँचा हो, चला जा रहा है। मान्यवर, जिस दिन की यह घटना है और जहाँ पर हम राष्ट्रीय भावनाओं का आदर करते हैं, वहीं राष्ट्रीय सम्पत्ति का भी आदर करना चाहिए तब तो राष्ट्र मजबूत होगा। जब हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति और भावनायें दुरुस्त रहेंगी तो हमारा देश भी मजबूत देश भी मजबूत रहेगा। यहाँ पर एक माँग थी जिसको अभी डिफाइन्ड किया गया है, चौधरी साहब ने डिफीनिशन दिया है। पूरे प्रदेश को पता नहीं था कि मुँहनोचवा है क्या ? आज अम्बिका चौधरी जी ने डिफाइन किया है। यह बात कही गयी कि मुँहनोचवा पर एफ0 आई0 आर0 किया जाय, इन लोगों को इतना आइडेन्टीफिकेशन मालूम है कि नामजद रिपोर्ट .....

(श्री विश्राम सिंह यादव के खड़े होने पर विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

सरकार का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इन लोगों की माँग थी कि और माँग पत्र भी दिया था कि मुँहनोचवा को पकड़ा जाये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, उनकी माँग थी कि जो इन्जर्ड हैं उनकी रिपोर्ट लिखी जाये, उनकी माँग थी कि बिजली दी जाये और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नोटिस देख लें। इसमें है कि मुँहनोचवा को पकड़ा जाये और हम लोगों के मुकदमें दर्ज किये जाँय। पूरे प्रदेश में आज शंका का वातावरण है। नामजद रिपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे। चौधरी साहब ने परिभाषित किया है, वह जानते होंगे। इन्जरी का मुआयना डाक्टर करेगा। लेकिन 2500 आदमी रेलवे लाइन पर जाम लगाये हुये थे। लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन करने की मान्यता सभी को मिली हुई है। यह भी मान्यता है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे अपमानित भी होना पड़े तब तो यह राष्ट्र मजबूत होगा। मान्यवर, 2500 आदमियों ने मिलकर रेलवे पटरी को उखाड़ दिया।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, यह गलत कह रहे हैं। जो कप्तान साहब ने लिखकर दे दिया है वही पढ़ रहे हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, वहाँ जो रेलगाड़ी थी वह माल गाड़ी थी, उसमें न शीशे लगे होते हैं न उसे क्षति पहुँचा सकते हैं। उसको एक पैसे की भी क्षति नहीं पहुँचायी गयी। अगर जाँच कराये होंगे तो स्थिति साफ हो गयी होगी।

श्री सुखदेव राजभर–

यह मालगाड़ी पर ज्यादा अटैक करते हैं, पैसेन्जर ट्रेन पर कम करते हैं। 6 घण्टे तक रेलवे लाइन पर जाम लगाया गया। 6 घण्टे तक ट्रेनों को रोका गया, पटरियाँ उखाड़ी गयी और जाम चलता रहा। जब वहाँ पर अधिकारियों ने कहा, "नायब तहसीलदार (न्यायिक) माँग पत्र दे दिया जाये वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा देंगे" तो उन अधिकारियों को गाली देना शुरु किया। शांति-व्यवस्था के लिए जो पुलिस लगी थी वह भी चाहती थी कि मसला हल हो जाय, पटरियों को क्षतिग्रस्त करना देश हित में नहीं है और जब उनको रोकने की कोशिश की तो पथराव किया गया। उसमें एक पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस उप निरीक्षक, 7 आरक्षियों को गम्भीर चोटें आयी। राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान किया। मुकदमा दर्ज है उसकी तफतीश हो रही है। पुलिस को भी गंभीर चोटें आयीं हैं। इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। मान्यवर, इन्होंने राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का कार्य किया, उसे रोकने का ही कार्य पुलिस ने किया इस कारण से ही यह अप्रिय घटना हुई । कई अधिकारियों के खिलाफ अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया गया। इस कारण से यह मामला नियम-56 में ग्राह्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज होना चाहिए। उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कृपया इसके लिए आप आदेश देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य खड़े होकर कार्यवाही की मांग करने लगे।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह रहे हैं कि रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गयीं।

(व्यवधान)

(इस बीच कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और वेल में आ गये और नारे लगाने लगे कि "लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर खड़ी यह सरकार नहीं चलेगी।")

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, एक विधायक को मार दिया जाता है और कोई कार्यवाही नहीं होती है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे पास यह मांग पत्र है जिसमें 17 मांगे प्रदर्शनकारियों की थीं और पहली मांग इसमें थी कि किसानों को तत्काल राहत और सहायता उपलब्ध करायी जाए। ऐसा जाहिर है कि सारी बातें आपके सामने हैं। प्रदेश अकालग्रस्त है, और भयानक सूखा पड़ा है। हरदोई भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और किसानों की मांग इन मांगों में पहली मांग है। एक गाड़ी चालक के साथ विवाद के सिलसिले में एक पुलिस वाले ने कुछ ज्यादती की और उसे फिर उसका प्रकोप जिले के तमाम अधिकारियों को भुगतना पड़ा। जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाला यह सदन है। प्रदेश के 75 प्रतिशत लोग किसान है और उनकी मांगों को लेकर हजारों लोग सड़कों पर आ गये। मुझे अंग्रेजों का वह वक्त याद आता है जब बापू काला कोट पहनकर पहले दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहे थे तब उस वक्त गोरी चमड़ी वाले ने जो पूरी दुनिया को सबक देता है, ह्यूमन राइट्स के लिए कमीशन बनाता है, गोरी चमड़ी वाले ने बापू को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जब देश में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ देश में विगुल बजा था तो बापू की लाठी की आवाज ने हिन्दुस्तान की आजादी के दरवाजे खोले। एक तरफ पुलिस के खिलाफ दूसरा रवैया और किसानों के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाता है कि पटरियाँ उखाड़ दी गयीं। क्या एस0 पी0 के ऊपर इतना भरोसा किया जाएगा ? किसानों पर लाठी चार्ज होगा, गोलियां चलाई जाएंगी, पुलिस अधीक्षक खुद अपने गनर के साथ गोली चलाएगा। किसान जख्मी हो जाएगा और सरकार इसको इस हीलाहवाली से लेगी। इस तरह से सारे प्रदेश को आतंकित करेगी। बिजली नहीं है लेकिन बिजली न देकर लोगों को इस तरह से दहशतजदा किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान इन चीजों की तरफ से हटाया जा सके। उनको डराया जा सके। हरदोई में जो घटना हुई है उस घटना के पीछे यही बात है। 17 मांगें लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह सच्चाई है कि पुलिस अधीक्षक का नाम उसकी जाति, उसका इतिहास, उसका नाम किसी नेता से जुड़ा हुआ और उस जुड़े हुए नाम के कलंक को धोने के लिए उसने किया है। यह कलंक गरीब किसानों के खून से वह धोना चाहता है। यह बहुत महत्व का मामला है सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए उसे थोड़ा सा अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। गरीबों के खिलाफ जो मुकदमें हैं वह मुकदमें वापस लेने चाहिए, जो मुल्जिम हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

एफ0 आई0 आर0 लिखवाने का अधिकार पुलिस को है, यह भी व्यवस्था है कि कोई भी पुलिस के खिलाफ अगर एफ0 आई0 आर0 लिखवाना चाहे तो वह लिखवा सकता है। लेकिन आजकल यह हो रहा है यह आदेश हैं, खुफिया आदेश हैं कि इस सरकार में कम से कम एफ0 आई0 आर0 लाज की जाएं। मैं मांग करना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी के अन्दर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, नेता के नाते होनी चाहिए, एक व्यक्ति के नाते होनी चाहिए केवल कह देने भर से काम नहीं चलता है कि जाति के आधार पर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है। एक नेता ने कह दिया कि हमारे फायदेमंद है कि देश कमजोर होना चाहिए। क्योंकि तभी हमको माना जाएगा। जब देश कमजोर होगा। लेकिन आज देश की सत्ता ऐसे ही हाथों में है और प्रदेश की सत्ता भी ऐसे ही हाथों में है। इतना संवेदनहीन होकर सदन को चलाया जाए, प्रदेश को चलाया जाए तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी ही। मेरी इसलिए मांग है कि एफ0 आई0 आर0 एक्सपंज की जाए जिन लोगों को जेल में बन्द किया गया है उनको रिहा किया जाए। जो अधिकारी मुल्जिम हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष ने जो पुन: अपनी बातें रखी हैं। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

अभी शुरू में ही मैंने कह दिया चाहे जो भी हो पूर्व प्रधान मंत्री हों, पूर्व मुख्य मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों सभी कानून के दायरे में है। धरना प्रदर्शन का लोकतंत्र में पूरा हक है। लेकिन हक के साथ-साथ यह भी जिम्मेदारी है कि हमें ऐसा आचरण निर्वहन करना पड़ेगा जिससे कानून-व्यवस्था पर असर न हो। मांगे चाहे 10 हों, 20 हों, मांग पत्र पेश करना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन हम आक्रामक हो जाएं यहाँ पर यही बात हुई। पुलिस अधीक्षक से पहले से ही रंजिश है, रंजिशवश मुकदमा कायम किया जाए ? यह खुद का वर्जन है। एस0 पी0 ने कोई गोली नहीं चलाई । एक तरफ आप 25 चोटें इंजरी की प्रदर्शित कर रहे हैं, धर्मज्ञ मिश्र जी को मैंने यहां देखा है, उनके लिए मेरे मन में कहीं कोई वर्जन नहीं हैं। इसके बारे में कंट्रोवर्सी हुयी है, आफ्टर-थाट यहां पर कहा गया है। विश्राम सिंह यादव जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर दूर था, सुन रहा था कि वहाँ गोली चल रही है।

श्री विश्राम सिंह–

मैंने यह नहीं कहा है।

(शोर)

श्री सुखदेव राजभर–

आपने जनता द्वारा सुना कि वहाँ गोली चल रही है। मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि 25 कि0मी0 दूर विधायक थे जनता द्वारा अफवाह पहुँची कि गोली चली है। पुलिस कप्तान से दुश्मनी है इसलिये एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी, यह कहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने गोली नहीं चलायी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसे फैसला सुनाया जैसे किसी सेशन ट्रायल का फैसला गवाहों को सुनकर दिया जाता है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के आधार पर बताया। लेकिन उस पर न जाकर आपने एक वरिष्ठ सदस्य विश्राम सिंह यादव के बारे में कह दिया कि 25 कि0 मी0 दूर वह गोली की आवाज सुन रहे थे। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप उस जगह से आते हैं जहां अगर सैकड़ों मील दूर आजमगढ़ में किसी की पीठ पर बेंत चले तो उसकी चोट उभर कर आ जाती है। वह चोट अपनी पीठ पर महसूस करते हैं। माननीय धर्मज्ञ मिश्र के साथ हजारों लोग थे। आप कह रहे हैं कि 25 कि0 मी0 दूर विश्राम सिंह जी ने गोली चलाने की आवाज सुनी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। वहाँ सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं। संसदीय कार्य मंत्री को पूरी-पूरी सूचना है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री नाजायज तरीके से पुलिस कप्तान को बचाना चाहते हैं। यह सरकार लाठी गोली के सहारे चल रही है। हम कमेटी के सामने बयान दिलाने के लिये तैयार हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप सदन की एक कमेटी बना दें जो वहां जाकर जांच कर ले और अगर यह आरोप झूठे निकल जायं तो हम और हमारे

साथी लोग सदन से इस्तीफा देकर चले जायेंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस कप्तान ने माननीय धर्मज्ञ मिश्र को मारने का काम किया है और जनता को मारने का काम किया है उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो और अगर संसदीय कार्य मंत्री में नैतिकता और शर्म बाकी है तो वह इस्तीफा देने की घोषणा करें, हम तैयार हैं। यह सवाल जनता का है यह जो घटना घटी है पूरी की पूरी सत्य है और घटना पर लीपापोती करना और इसको दबाना ठीक नहीं है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दूसरे नोटिस देने वाले सदस्यों ने जो मांग रखी है उसको पूरा करने की सदन में घोषणा करें। मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता है। माननीय धर्मज्ञ मिश्र की आवाज इस सदन में 5 साल तक गूँजती रही है। जिस तरह से पिछली बार तक जीतते रहे वह पुराने सदस्य रहे हैं। उनके मामले में यह हालत है तो साधारण जनता के साथ क्या हाल होगा ? मंत्री जी को अपने क्षेत्र में भूख से मरने वालों की चिन्ता नहीं होगी, अपने क्षेत्र के लोगों का नाम लेने में डर लगता होगा कि राजभर का उत्पीड़न होगा और वे नाम ले लेंगे तो मायावती जी नाराज हो जायेंगी। यह नहीं लेना चाहते हैं, न लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हरदोई में हमारे पूर्व सदस्य धर्मज्ञ मिश्र जी के साथ पुलिस अधीक्षक ने जो व्यवहार किया है, उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने की घोषणा करें।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को एस0 पी0 के कारनामों के बारे में नाम और दिनांक देना चाहता हूँ कि वे किस तरह से लोगों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। राम शंकर गुप्ता, पुत्र सालिग राम, ग्राम कुतुबापुर, थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई, की है। उस आदमी की 12 हजार की गाय चोरी चली गई वह 18 जुलाई को एस0 पी0 के सामने अपनी फरियाद लेकर गया। एस0 पी0 ने कहा कि मुकदमा कायम कर दिया जायेगा। दोबारा वह फिर 27 जुलाई को जाता है और कहता है कि आपने कहा था कि कार्यवाही होगी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एस0 पी0 ने उसको अपने कार्यालय में ही एक गाल पर 20 थप्पड़ मारे। उसने कहा कि दूसरी गाल छूट गई है तो उस पर भी 20 थप्पड़ मारें। ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं। कार्यालय में कोई फरियादी जाता है तो तत्काल कोई कार्यवाही नहीं करवाते हैं। उस पुलिस अधीक्षक के ऊपर तो 307 का मुकदमा चलाना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री से कह रहा हूँ कि 25 किलोमीटर दूर से गोली चलने की खबर सुनी और पूरे जिले में चर्चा है कि गोली चली। पुलिस ने गोली चलाई । यह सही है कि गोली चली है नहीं तो चर्चा कैसे हुई। हमको सिर्फ इतना बता दें कि कोई मजिस्ट्रेट, कोई कलेक्टर घटनास्थल पर क्यों नहीं पहुँचा ? कोई वहाँ घटनास्थल पर अधिकारी नहीं पहुँचा। अगर पहुँचा होता तो कार्यवाही हुई होती। इसका मतलब है कि वहाँ केवल पुलिस अधीक्षक था। पी0 ए0 सी0 तो बाद में आई है वह तो जो गोलियां चली थीं उसके खोखे उठाते पी0 ए0 सी0 को मैंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों को मैंने सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना और उसके बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूँ। अब मैं अगली सूचना लेता हूँ ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा सूचना को अग्राह्य किये जाने पर श्री राम करन आर्य, श्री उदयराज, श्री बीजू पटनायक, श्री वसीम अहमद तथा श्री अरविन्द गिरि आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर चले जायं।

(सदस्यों के द्वारा सदन के बेल पर नारे लगाने का क्रम जारी रहा।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजे सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 25 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

3 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये सदन का स्थगन बढ़ा दिया है।

3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

(श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होने पर)

(सदन के फ्लोर पर बैठे समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम विशुन आजाद एवं अन्य माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे)।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

इस सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों को सुना गया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया। लोकतंत्र की परम्पराओं में यही है कि हम अपनी बात कहकर सरकार की बात सुनते हैं। मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप अपने आसनों को ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि कृपया वे अपने माननीय सदस्यों को अपना आसन ग्रहण करने का निर्देश दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मंत्री जी किसी राहत का ऐलान करें। मान्यवर, आपके चलते वह हालात तो पैदा नहीं हुए जो अभी तक हो रहे थे तो आप भी इसमें थोड़ा सहयोग कर दीजिए और संसदीय कार्यमंत्री से कहिये कि कोई ऐसी घोषणा करें जिससे सदन अच्छा चले।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कह दें। संसदीय कार्य मंत्री को पुन: आग्रह किया जायेगा कि कुछ कहना चाहें तो कह लें।

(नेता विरोधीदल के आग्रह पर बेल में आये हुए सभी सदस्य
अपने-अपने आसन पर चले गये)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह मामला चूँकि इस सदन के पूर्व में सदस्य रहे, वरिष्ठ सदस्य माननीय धर्मज्ञ मिश्र से संबंधित है और इस पर जिन माननीय सदस्यों की सूचना थी उसको पूरे सदन ने सुना है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूँगा कि जो कुछ विषय उन्होंने सदन में सरकार की तरफ से रखा है, विचार विमर्श के बाद कुछ और अधिक सूचना सदन को देना चाहें तो कृपा कर देने का कष्ट करें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, शुरू में ही मैने कहा था कि हम सब की जिम्मेदारी है चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो, जहाँ कानून व्यवस्था का सवाल होगा वहाँ सबकी कहीं न कहीं जिम्मेवारी बनती है, उसमें आप सहयोग करें। जहाँ तक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तफ्तीश चल रही है तफ्तीश के बाद अगर दोष नहीं होता है तो लोग छूटते हैं, बरी हो जाते हैं और दोषी होते हैं तो सजा मिलती है। तोड़फोड़ से लेकर रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दाखिल है और कई लोग मुल्जिम हैं। जो उत्पीड़न का आपने बताया है तो उसमें उत्पीड़न नही होगा, निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होगा।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री उदयराज, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री बीजू पटनायक आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के बेल में आकर बैठ गये और नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं जो नहीं हुई हैं। मुँहनोचवा के सम्बन्ध में भी चर्चा होनी है, नियम 52 में सूखे के संबंध में चर्चा होनी है, सामान्य बजट पर चर्चा प्रारम्भ नहीं हो पायी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपना भाषण पूरा करना है फिर आप हम सबको बजट पर बोलना है। अगर इस तरह गतिरोध रहेगा तो बजट पर सामान्य चर्चा नहीं हो पायेगी, इससे हम अपना और प्रदेश की जनता का भी अहित करेंगे।

माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें । मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूँगा कि वह माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण करने के लिए कहें।

मैं सदन की कार्यवाही 4 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

4 बजकर 20 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है।

4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुन: सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है।

4 बजकर 45 मिनट पर श्री अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री धर्मज्ञ मिश्र, पूर्व विधायक के सम्बन्ध में अभी कुछ बातों को सदन के सामने लाया गया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना जवाब भी दिया लेकिन जवाब इतना गोल-मोल था कि कोई भी चीज स्पष्ट नहीं आई। अगर इसी परम्परा का निर्वहन कर लिया गया कि किसी सदस्य के साथ सदन में सरकार न्याय भी न करे तो यह अच्छी परम्परा नही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अगर कुछ बातें स्पष्ट कर दें तो ज्यादा न्यायपूर्ण होगा और हमारा विश्वास भी बना रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस सम्बन्ध में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि यह सुनिश्चित कर लें कि किसी निर्दोष सदस्य या व्यक्ति का नाम एफ0 आई0 आर0 में न रहने पाए। दूसरे जो इस घटना के सम्बन्ध में जो उच्च अधिकारी हैं उनको सोमवार को बुलाकर स्वयं प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको संज्ञान में लेकर और प्रशासन की जो रिपोर्ट आई है, दोनों का परीक्षण करा लें ताकि किसी वर्तमान या पूर्व सदस्य का उत्पीड़न न हो।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, उसमें क्या है, पीठ के निर्देश को मानना हम लोगों की संवैधानिक बाध्यता है। जो ऊपर से निर्देश होंगे, उनको हम लोग मानने को तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की पूरे प्रदेश में मुँहनोचवे के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हमने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, श्रीमन् और जो ग्राह्यता की शर्तों के अनुरूप है और इसके लिए तीन शर्तें रखी गई हैं, वह प्रस्ताव निश्चित हो, घटना निश्चित हो और अविलम्बनीय हो और लोक महत्व का हो। हमने जो प्रस्ताव उठाया है वह एक निश्चित घटना है। वह घटना क्या है श्रीमन् कि पूरे पूर्वान्चल में बलिया, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र आदि जितने भी उधर के जनपद हैं, उधर एक आतंक का वतावरण जनता में बना है। लोग कहते हैं कि मुँहनोचवा आता है और मुँह नोच कर चला जाता है, इसकी जनता में बड़ी दहशत है और मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग इसको अफवाह मान कर हँसी उड़ा रहे हैं और इस प्रदेश के अधिकारी भी इस बात को नकार रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी छोटी घटनायें भी प्रदेश के लिए भीषण घटना हो जाती है। मान लीजिए कि यह गलत है जैसे कि शासन, प्रशासन और सरकार के लोग कहते हैं, एस0पी0, डी0 आई0 जी0 और आई0 जी0 कहते हैं लेकिन कल कोई ऐसी घटना घट गयी कि हम और आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। श्रीमन्, प्रत्यक्षदर्शियों के देखने और लोगों के जुबानी कहने से ऐसा लगता है, एक दिन अखबार में बड़े अधिकारियों का बयान भी आया था कि आतंकवादी गतिविधियां नेपाल और बंगलादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में गहरी पैठ बना रही हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि पंजाब और कश्मीर के बाद अब उत्तर प्रदेश में नेपाल और बंगलादेश के रास्ते से आतंकवादी गतिविधियों के

संचालन का रिहर्सल हो। गाँवों में स्त्री-पुरुष, बूढ़े-बच्चे सब रात-रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। एक तरफ सूखे की मार किसानों पर पड़ रही है, एक तरफ यह सरकार किसानों की पेट नोच रही है दूसरी तरफ मुँहनोचवा लोगों का मुँह नोच रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। रिमोट कण्ट्रोल के जरिये कोई मशीन चलाया जा रहा है। जब बिजली नहीं ही रहती है, उसी समय उसको संचालित किया जाता है। बलिया में तो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि बंसवाड़ी या कहीं और यदि वह मशीन फंस गयी तो लोग मोटर साइकिल या कार से आते हैं और पुलिस भेजने की बात कहकर नंगा रिवाल्वर दिखाते हुए मशीन को लेकर चले गये हैं। पंथ निरपेक्षता में जिनका विश्वास नहीं रह गया है ऐसे लोग इस मसले को हिन्दू-मुस्लिम का साम्प्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। मेरे जनपद में इस तरह की घटना घटाने की प्रयास किया गया कि यह मुस्लिम बस्तियों से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कई वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं और सारे विधान सभा के सदस्य बैठे हैं आज नहीं तो कल इस प्रदेश में भीषण घटनायें होने जा रही हैं। एक तरफ इस बात को नकारा जा रहा है, दूसरी तरफ बलिया, गाजीपुर, मऊ में कम से कम सैकड़ों लोग उसके आक्रमण से घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। यह आशंका है कि यह जहरीला भी है। एक आदमी एक महीने बाद बीमार होकर अस्पताल गया उसकी अस्पताल में मौत हो गयी। हम मजाक मान लें, इस बात को और हजारों नागरिक उसके आक्रमण से कालकवलित हो जायं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, पूरी जनता रातभर जाग रही है। दहशत के मारे लोग सशंकित हैं। इसलिए यह विषय लोकमहत्व का है। अभी कल ही एक घटना पूर्वान्चल के बलिया जिले में घटी है। इस कारण यह विषय अविलम्बनीय है। इसलिए कार्य स्थगन की जो तीनों शर्तें होती हैं निश्चित घटना होनी चाहिए, अविलम्बनीय होनी चाहिए, लोक महत्व की होनी चाहिए यह तीनों ही इसमें हैं। यह ग्राह्यता की तीनों शर्तों को पूरा करती है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब पूरे प्रदेश की जनता ऊहापोह की स्थिति में हो, न जाने कितने लोग छत से कूदकर अपनी टांग तुड़वा बैठे हैं ऐसी भीषणतम परिस्थिति बनी है इस प्रदेश में। हमें इस प्रदेश की जनता को राहत दिलाने का काम करना है। अत: मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सदन की कार्यवाही को रोकें और इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराने की व्यवस्था करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

आय-व्ययक पर साधारण चर्चा कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री ददद प्रसाद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आज आठ तारीख से सदन चल रहा है, सोलह तारीख हो गयी है। यह छठा सरकारी दिन है। अभी तक हम लोग आय-व्यय पर चर्चा नहीं कर सके हैं। यह मुँहनोचवा की बात एक कल्पना पर आधारित है। मैं चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य आ जाए। इसलिए यह प्रश्न व्यवस्था का है।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि 5 बज चुके हैं और संशोधन प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। सदन का वक्त कीमती है।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया नियम-56 को शिथिल करते हुए आय-व्यय पर चर्चा करा लें। नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य आ जाए तो इस सम्बन्ध में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ।

(इस समय सायंकाल 05 बजकर 02 मिनट)

श्री अधिष्ठाता

यह सूचना नियम-56 में स्वीकृत है। परसों सदन में कहा गया था कि इस पर चर्चा होगी इसलिए नियम-56 के बाद सामान्य चर्चा प्रारम्भ होगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री शारदानन्द अंचल

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह घटना हो रही है। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ यह घटना न हुई हो। सत्ता पक्ष के द्वारा टीका-टिप्पणी यह बताती है कि देश के अन्दर मुँहनोचवा की घटनाओं को छिपाने के लिए, अन्य घटनाओं को छिपाने के लिए कहीं सत्ता पक्ष की ओर से ही ऐसा तो नहीं हो रहा है और कहीं इसमें [x x x] और इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों का तो ऐसी घटनाओं के पीछे हाथ नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि पूर्वनियोजित तरीके से हो रही हैं, और हर क्षेत्र में हो रही हैं। पूर्वी पूर्वान्चल प्रदेश में यह व्यापक तौर पर हो रही हैं। लोग रात भर जागते रहते हैं अनेक बार घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जाति विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि [x . x x] ओर से ऐसी घटनाएं करायी जा रही हैं दहशत पैदा करने के लिए, दंगे पैदा करने के लिए और जिस तरीके से पुलिस बोल रही है कि प्रश्न गंभीर नहीं है इससे शक सरकार की तरफ हुआ है। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टीका-टिप्पणी कर रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार भी इस साजिश में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। इसलिए यह एक गंभीर मामला है। यह रोज ही घटित हो रहा है इसलिए यह अविलम्बनीय मामला है।

इसलिए मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, तात्कालिक मामला है। ऐसी घटनायें रोज घट रहीं है यह अविलम्बनीय लोकमहत्व की है। इसलिए माननीय राम गोविन्द चौधरी, जी ने जो कहा है उससे अपने को जोड़ते हुये इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ ताकि इस महत्वपूर्ण मामले का समाधान हो सके।

(श्री जियाउद्दीन रिज़वी के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी

मान्यवर, सर्वाधिक प्रभावित माननीय सदस्य का इलाका है इनकी बात । मिनट सुन लें।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी

श्रीमन्, माननीय राम गोविन्द चौधरी ने जो नियम-56 का नोटिस दिया है वह बिल्कुल वास्तविक है। मैं खुद मौके पर गया हूँ। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मौनी बाबा का पुरुषार्थ आश्रम है। यह बहुत बड़ा आश्रम है और देश विदेश के बहुत से साधू वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर यज्ञ होता है। वहाँ पर एक मशीन उतरी जिसमें लाल-हरी बत्तियां जल रही थीं। वहाँ पर 3 साधू जो मिर्जापुर और दूसरी जगहों के थे उनके मुँह बुरी तरह नोच लिये गये। यह सुनी सुनायी बात नहीं है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[x ,x x] यह अंश की अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हमारे यहाँ मौनी बाबा जो हैं उनकी बहुत प्रसिद्धि है और लोग उनको देवता की तरह पूजा करते हैं। 12 बजे रात को मुँहनोचवा ने वहाँ साधुओं को लहूलुहान कर दिया और उनको बाबाजी अस्पताल लेकर गये। मेरे यहाँ सिकन्दरपुर कस्बे में एक मुस्लिम महिला को मुँहनोचवा ने नोच लिया और एक तेली बिरादरी के बूढ़े आदमी का मुँह भी नोचा गया। उसके नोचने से जबरदस्त जलन थी। अस्पताल में देखने वाले लोगों का मेला लग गया। बलिया जनपद में 100 लोगों को मुँहनोचवा ने इंजर्ड किया है। जब मैंने प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया तो वहाँ के एस0 पी0 और कलेक्टर मौके पर गये। वहाँ एक पर्चा छपा जिससे भ्रान्तियां पैदा हुयी। हमको घेराव करना पड़ा। 10 हजार लोग सिकन्दरपुर चौराहे पर जमा हुये। रात भर डी0 एम0 के साथ पूरे इलाके का दौरा किया जो पर्चा छपा उससे लगा कि यहां उन्माद फैल जायेगा। हमारे यहाँ औरतें, बच्चे, मर्द रात भर डंडा, गड़ासा, भाला, बंदूक लेकर जागते हैं। ऐसा कोई गाँव बलिया में नहीं है जहाँ हजारों-हजार लोग लालटेन, लाठी डंडा, भाला लेकर पहरा न देते हों। इससे तनाव पैदा हो रहा है, भ्रांतियां पैदा हो गयी है। जौनपुर, मिर्जापुर के कलेक्टर को अपना बयान समाचार पत्रों में देना पड़ा। पहले वह भी नहीं मानते थे, मुँहनोचवा को। माननीय रामगोविन्द चौधरी और माननीय शारदानन्द अंचल जी ने जो कहा है मैं उस पर बल देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिये और इसको गंभीरता से लेना चाहिये कि आखिर यह कौन सी चीज है जो लोगों को इंजर्ड कर रही है। जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमें कायम होने चाहिये। मैंने गरीबों को उपचार के लिये खुद हजारों रुपये दिये हैं। आप खुद चलकर देखें मैं खुद जांच करवा दूँगा कि कितने लोग इंजर्ड हैं। जो लोग इसके शिकार हुये हैं वह 25 दिन से बेड पर पड़े हुये हैं। बलिया जनपद में सिकंदरपुर विधान सभा क्षेत्र इससे विशेष रूप से प्रभावित है इसलिए मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस ओर ठोस कदम उठाये जायं। यह बहुत गंभीर घटना है इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम, उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)

मान्यवर, इस मुँहनोचवा प्रकरण को लेकर प्रदेश भर में व उसकी आकृति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कहीं-कहीं पर वैज्ञानिक परीक्षण कराए गए हैं। वैज्ञानिकों से परीक्षण कराकर स्थिति स्पष्ट कराकर जनता को विश्वास में लेने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी सदस्य बोल रहे हैं। भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न आकृति बताई जा रही है। एक जनपद में सियार मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और कहा गया कि यही मुँहनोचवा है। एक जनपद में बिलार मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और बताया गया कि यही मुँहनोचवा है। कहीं पर बताया गया कि लाल नीली बत्तियां जलती हैं। रिमोट कंट्रोल से चलता है। जैसी कि चौधरी साहब ने चिन्ता व्यक्त की इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने कहा है कि कुछ लोग इसको लेकर साम्प्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा प्रयास हो रहा है।

श्री सुखदेव राजभर

अगर इस तरह का प्रयास किया जाएगा तो विचित्र स्थिति हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी

बलिया जनपद में ऐसा हुआ। हम लोगों ने आगे बढ़कर रोका कि ऐसी अफवाह न फैलाएं।

श्री सुखदेव राजभर–

जो भी शरारती तत्व हों जो माहौल बिगाड़े तो ऐसी स्थिति में आम जनता और बुद्धिजीवी पीढ़ी के सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है कि इस भ्रम की स्थिति को बन्द करके अच्छा माहौल बनाएं। जैसा कि कौशल किशोर जी ने बताया कि एक जल निगम के ड्राइवर को लोग मारे, उसे मुँहनोचवा समझा उसको लोगों ने पीट डाला, तो कहीं -कहीं भ्रम की स्थिति में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस पर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया जाए। यह भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है जिसकी कोई आकृति नहीं, इंजरी की पुष्टि हो रही है कि किस तरह की चोटें पहुँचायी जा रही हैं। सरकार ने ऐसी स्थिति को देखते हुए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विश्राम सिंह यादव–

आम जनता को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। कहती है अफवाहें फैलाते हो और उनसे पैसे वसूलती हैं। जेल में बन्द किया जा रहा है।

श्री सुखदेव राजभर–

कहीं-कहीं कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। उसके लिए सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। आम जनता को विश्वास में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है। एस0 डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 स्तर के अधिकारी आम जनता के साथ मिलकर गश्त कर रहे हैं। पिकेट व्यवस्था की गई है। रात में गश्त की जा रही है।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिये अपने अधिकारियों को आदेश दिये हैं। कहीं पर इस तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, लोग अफवाह फैला रहे हैं तो उनको पकड़कर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करें। बिजली आने-जाने से परेशानी हो रही है तो वहाँ पर इस तरह की भ्रामक स्थिति बताकर उस सम्बन्धित क्षेत्र में अधिक बिजली आपूर्ति हो सके इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ कि यह जो 10-12 बिन्दु हैं जिन पर निर्देश देकर सावधानी बरती जा रही है। आप सबसे अपील करता हूँ कि ऐसी भ्रामक स्थिति और आकृति को लेकर माहौल बनता है कोई घायल हो रहा है जिसमें इस तरह की अफवाह, बात को माना जा रहा है तो हम उसका वैज्ञानिक परीक्षण करा रहे हैं। कोई इस तरह का इक्यूपमेन्ट अगर मिलता है तो उसका परीक्षण कराया जायेगा। आप सबसे अपील है कि इस तरह की अफवाहों को रोकने में सहयोग करें और जनता जो अंधविश्वास की तरफ जा रही है उसको उससे उबारने में सहयोग करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि जो लोग इस मुँहनोचवा के द्वारा घायल हुए हैं उनके लिये जो इन्जक्शन आ रहा है वह हजार डेढ़ हजार रूपये का है। तो मेरा निवेदन है कि कुछ इसके उपचार के लिये दवाओं का इंतजाम कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री सुखदेव राजभर–

ऐसे लोगों के लिये उपचार की व्यवस्था स्पेसिफिक तौर पर है। कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाती है, मैं स्पेसिफिक मुँहनोचवा की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग घायल हो रहे हैं जैसा आपने बताया जो

उनके अच्छे उपचार के लिये व्यवस्था है। जो माहोल प्रदेश में इस भ्रामक स्थिति को लेकर है और बताया जा रहा है। इस सूचना में कोई जनपद की किसी निश्चित घटना का जिक्र नहीं है, इसलिए अग्राह्य करने योग्य है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

एक तरफ सत्ता पक्ष इसको अफवाह बता रहा है और दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, कार्यवाही में है कि जिनको चोट लगी है, उनको वैज्ञानिक आधार पर जाँच करा रहे हैं कि यह किस तरह का घाव है। यह बात सही है, मैंने अपने बोलते समय कहा था कि कुछ चोटों पर लोग शंका जाहिर कर रहे हैं। आज उनका असर नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद होगा। कुत्ता काटता है तो तुरन्त असर नहीं होता है अगर दवा न करी जाय तो कुछ समय के बाद असर होता है और उसमें आदमी मर जाता है। ऐसी परिस्थिति इसमें है श्रीमन्। मैं आपके माध्यम से सरकार से और सरकार में बैठे सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि इसको गम्भीरता से लें। संसदीय कार्य मंत्री जी, मान लिया जाय आपके कहने से, कि यह अफवाह है। लेकिन इस अफवाह से भी तो लोगों की जान जा रही है। लोग रात भर जग रहे हैं। इस अफवाह के धोखे में लोग हमला कर रहे हैं। जैसा अभी कहा गया आपने भी कहा कि एक ड्राइवर को मारा गया। कहीं ड्राइवर मारा जा रहा है इस अफवाह के चलते तो कहीं कोई पागल व्यक्ति मारा जा रहा है। इस हल्ले के चलते एक औरत ने पीढ़ा उठाकर अपने शौहर के सिर पर मार दिया कि यह मुँहनुचवा है। यह अफवाह है तो सरकार जनता को इस अफवाह से दूर रखे अगर यह अफवाह से जनता को सुरक्षित नहीं रख सकती है, दूर नहीं कर सकती है तो इन्हें सरकार चलाने का हक नहीं होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति मुँहनोचवा के कारण पंगु हो गई है। यह आपके लिये समस्या नहीं होगी लेकिन जनता के लिये अहम समस्या है। इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। आप इनके झांसे में न आयें। आपको अधिकार मिला है, इस कुर्सी पर बैठे हैं। आप निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही चलायें लेकिन इस पर चर्चा करायें। वोटिंग करा लें जो झूठ मानते हों वे विरोध में और जो सही मानते हों वो पक्ष में वोट दें। सही स्थिति सामने आ जायेगी तो यह बेनकाब हो जायेगें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, बलिया जनपद में पत्नी पति को न पहचान पावे इसको क्या कहें ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम-56 में श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री शारदानन्द अंचल को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

बलिया वालों को ऐसी पत्नियां दिलवा दें जो अपने पति को पहचान पावें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शिवकुमार बेरिया ने उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले विकास कार्य एस0 आर0 वाई0 के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपद रायबरेली में विद्युत् कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

श्री रामजीत राजभर ने कानपुर स्थित वाष्प शक्ति गृह पनकी में तैनात कर्मियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जो सूचना दी है इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अतीक अहमद की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सुरेन्द्र पटेल को बुलवा रहा हूँ।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल

श्रीमन्, अतीक अहमद जो इस सदन के पांच बार माननीय सदस्य रहे और अब भी हैं उनकी यह गल्ती थी कि जिस समय सदन में मत विभाजन के समय बहस चल रही थी और चर्चा चल रही थी उन्होंने उस समय पिछली घटना की पुनरावृत्ति की, याद दिलाई और उसे याद दिलाने का परिणाम यह रहा कि नेता सदन ने खड़े होकर पूरे सदन में, पूरे सदन के समाने कहा कि "मैं वह लड़की नहीं हूँ जो मेरी आँख में आँसू आवें, मैं आप जैसे लोगों की आँख में आँसू लाना जानती हूँ"।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, जो चार-पांच बार सदस्य रहे अतीक अहमद, जो इस समय भी विधायक हैं वह इस कोप भाजन के शिकार हुए। इलाहाबाद के एस0 एस0 पी0 एवं एस0 पी0 सिटी लालजी शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है, जब मैं उनके कक्ष में उनसे बात करने गया तो लालजी शुक्ला जो इलाहाबाद के हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऊपर से आदेश मिला है, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, शासन का व्यक्तिगत मामला है, इसमें जो कुछ हो सकता है वह किया जा रहा है आपको जो करना हो वह करें।

(व्यवधान)

मैं इस बात को, कि लालजी शुक्ला ने जो कहा, एफीडेविट देने को तैयार हूँ। जो हमला आज माननीय सदस्य अतीक अहमद के ऊपर हुआ है वह आपके ऊपर भी हो सकता है।

(व्यवधान)

आप भी इसी सदन के सदस्य हैं, आज आप उधर हैं हो सकता है कल आप इधर हों, इस तरीके की कार्यप्रणाली सही नहीं है अगर किसी ने व्यक्तिगत निर्णय लेने का काम किया, उसके साथ ऐसा किया जाएगा तो इस प्रदेश से लोकतंत्र का विश्वास उठ जाएगा।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस गम्भीर विषय पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहता हूँ और 8 अगस्त को जो इलाहाबाद में पेशी के दौरान अतीक अहमद को लाया गया उस समय उनके ऊपर अराजक तत्वों ने हमला किया इस सम्बन्ध में प्रशासन ने मनगढ़न्त कहानी बनाकर आरोप लगा दिया जब उसमें शासन-प्रशासन सफल नहीं हुआ तो उस 8 अगस्त की घटना के मद्देनजर रखते हुए नैनी जेल से ट्रांसफर की अनुमति दी जा रही है और वह अनुमति इसलिए दी जा रही है कि आगरा ले जाते समय उन्हें... द्वारा संघर्ष दिखाकर उनकी जान खत्म कर दी जाय। इसलिए आगरा ट्रांसफर किया जा रहा है। यह एक गम्भीर विषय है इस पर सदन में चर्चा कराकर न्याय प्रदान किया जाय यही मुझे कहना है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धीरे-धीरे एक दुखद परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पूर्व विधायक के ऊपर हमला होता है तो कुछ लोग आनन्द लेते हैं, वर्तमान विधायक पर होता है तो लोग आनन्द लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वर्तमान सदस्य, एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष, अगर उनके ऊपर आरोप हो तो निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जिस तरह से बन्द किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है उससे तो समझ में आता है कि एक आवाज को बन्द करने की कोशिश की जा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन को संवेदनशील होना चाहिए। हम भी कभी उस पक्ष में बैठते थे। इस समय आप जिस पीठ पर बैठे हैं उस समय हरीश जी बैठते थे। आजम खाँ जी के साथ घटना हुई न्याय दिलाया, रजनी कान्त दत्ता जी के साथ घटना हुई न्याय दिलाया। तो यह गलत परम्परा बन रही है। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष, विधायक को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उससे साफ लगता है, उन्हें इलाहाबाद से आगरा ले जाया जा रहा है, आगरा से यहाँ लाया जायेगा, इसके पीछे मनसूबा क्या है ? मैं बल देकर आग्रह करूंगा कि इस पर न्याय होना चाहिए एक विधायक हैं, राजनीतिक दल के नेता है उनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें जेल में बन्द किया जा रहा है, उनके पिता और भाई के ऊपर मुकदमा कायम किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि वह अपनी राजनीतिक विचार धारा से मेल नहीं खाते हैं। अखिलेश सिंह जी के साथ पाँच-पाँच गाड़ी लगे हैं, वेतन भोगी कर्मचारी हैं। उन्होंने गवाही दी है कि अखिलेश सिंह जी उस समय लखनऊ में थे, रायबरेली में नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा अतीक अहमद जी के सम्बन्ध में है। आप उसी तक सीमित रहें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वह हमारे सम्मानित सदस्य हैं। यह मामला तात्कालिक है क्योंकि वह जेल में बन्द हैं।उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया जा रहा है। यह लोक महत्व का विषय है क्योंकि एक विधायक के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–

माननीय अधिष्ठाता जी, अतीक अहमद साहब का मामला, कई रोज़ से सदन में ध्यान दिलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सदन और मामलात को लेकर गम्भीर था इसलिए आगे बढ़ गया। यह बात जरूर अहमियत की है क्योंकि लोकतंत्र में यकीन रखने वालों के बारे में यह जरूर ध्यान रखेंगे उनके साथ किस तरह से मामला सरकार करेगी। सत्ता आती है जाती है। लोग इधर-उधर चले जाते हैं यहाँ तक कि सदन गवाह है जो लोग भगोड़े हुए, अपराधी घोषित हुए वही आज मंत्री बने हुए हैं और आगे की सीटों में बैठे हैं। इस वक्त न हो। मान्यवर, एक ऐसा हमारा साथी जो पांच बार इस विधान सभा में इलाहाबाद की जनता के जरिये चुन कर आया हो और जो घटना है उसके पीछे एक वाक्या हो, भूमिका हो। नेता सदन ने जो कहा था वह मेरे हाथ में है कहा था ऐसा कभी नहीं हुआ बल्कि आप जैसे लोगों की आंखों में आंसू तो अब मैं देखूंगी। मेरे पास यह फोटो कापी है। 17 मई, 2002 की कार्यवाही। क्योंकि यह भूमिका है जो होने वाला था और जो

हुआ उसका यह डिक्लेरेशन है। इसलिए इस डिक्लेरेशन के सामने और इसकी मौजूदगी में जो मेरे हाथ में है उसके बाद नेता सदन को यह कहते हुए सुना गया इलेक्ट्रानिक मीडिया पर और फिर अगले दिन अखबारों में छपा कि मेरी हत्या का षड़यन्त्र रच ही नहीं लिया गया है बल्कि मेरी हत्या होनी है। इसके वीडियो कैसेट्स निकाले जा सकते हैं।

मान्यवर, उसके बाद अखबारों में बी0 जे0 पी0 की तरफ से केन्द्र सरकार की तरफ से यह मांग की गयी कि मुख्य मंत्री की सुरक्षा कम है सुरक्षा बढ़ा दी जाये। मान्यवर, प्रदेश की मुख्य मंत्री जो 17 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देकर सत्ता में हो कि उनके दुख-दर्द और आये दिन की परेशानियों का निदान उनको करना है उसकी जिम्मेदारी है और यही उनकी शपथ भी रही है और समाज से यह वादा करके इस सूबे की सबसे ऊँची कुर्सी को संभाला है। वह व्यक्ति जिसके साथ 25 गाड़ियों की सुरक्षा काफिला चलता हो । 22 ए0 के0 47, एल0 एम0 जी0 धारी सुरक्षाकर्मी रहते हों, वह जब सुरक्षित नहीं हैं तो फिर मान्यवर, उस देश का हर गरीब आदमी जिसके लिए सुरक्षा नहीं मुहैया करायी जा सकती है, उसका क्या हाल होगा ? मुंहनोचवा का जिक्र यहाँ पर हुआ। हम उसे टाल दें यह अपनी जगह है लेकिन लोगों में भय है। इसके नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। हम भी कह दें कि समाचार पत्र जो भी लिखते हैं सारा झूठ है लेकिन यह सच्चाई है कि नाश्ता करते वक्त हिन्दुस्तान का पढ़ा-लिखा तबका 80 प्रतिशत लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ लेते हैं उनको नाश्ता मुकम्मल नहीं होता है। वह अपने गुजरे हुये दिन को अपनी आँखों से नहीं पढ़ लेते अगला कदम नहीं तय करते। अखबारों में यह छपा कि मुँहनोचवा फलां आबादी से निकलकर फलां आबादी में छिप गया वापस लौट कर नहीं आया। यह चीजें नकारी नहीं जा सकती हैं। मान्यवर, जब (व्यवधान) मुख्य मंत्री जैसी शख्स को जिनको जान का खतरा है तो प्रदेश का कौन सा ऐसा शख्स होगा जो खतरे में नहीं होगा आज हर शख्स डरा हुआ है। मान्यवर, जो तीन बार प्रदेश की मुख्य मंत्री है अगर उन्हें भी जान का खतरा है तो फिर क्या दूसरे लोगों की जान खतरे में नहीं है ? क्या यह नाटक है ? क्या यह व्यवस्था के नाम पर माथे पर कलंक है ? मान्यवर, यह भूमिका थी। मान्यवर, हमारे यहां क्रिमिनल मुकदमों में, फौजदारी के मुकदमों में रोजमर्रा में हमने यह देखा होगा कि दखांस्तें लग जाती हैं कि मुझे खतरा है। आज हमारे ऊपर हमला हुआ, तमंचा निकाल लिया गया और फिर उस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाता है। यह तरीका है। यह डिक्लेरेशन मुख्य मंत्री का, यह कहना कि मुझे जान का खतरा है यह दोनों चीजें इकरारे जुर्म हैं।

मान्यवर, यह भूमिका है उस शख्स की हत्या कराने की जिस पर 8 अगस्त को इलाहाबाद की अदालत में कातिलाना हमला हुआ बम फेंककर मारा गया। मान्यवर, बात यहीं नहीं खत्म हो जाती, मामला यहीं नहीं निपट जाता बल्कि जब अगले दिन खबर पढ़ी जाती है तो उसमें यह कहा जाता है टेलीवीजन पर बराबर आया कि हत्या का प्रयास उस शख्स ने किया है जिसके भा भाई की हत्या अतीक अहमद के द्वारा कराया जाना बताई जाती है और यह भी कहा कि यह एक ही बम था जो उसने मारा उसके थैले में बहुत से बम थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो बम लेकर आया था वह एक बम मार सका बाकी नहीं मार सका। अगले दिन दो खबरें अखबार में एक साथ पढ़ी जाती हैं एक तरफ मुख्य मंत्री का बयान कि अतीक अहमद पर जो कातिलाना हमला हुआ है वह उस शख्स ने किया है जिसके भाई का कत्ल अतीक अहमद ने किया था उसके साथ-साथ दूसरी खबर यह पढ़ी जाती है कि अतीक अहमद ने यह कातिलाना हमला अपने ऊपर खुद कराया है। मान्यवर,

यह सदन अदालत नहीं है, यहाँ कोई कटघरा नहीं है, यहाँ मुजरिम कटघरे में खड़े नहीं किये जाते, यहाँ जिरह नहीं होती है, यहाँ मुजरिम गवाह की जिरह नहीं होती, बहस नहीं होती, यहाँ ऊँची कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाने का हक नहीं होता। मान्यवर, यहाँ तो उससे बड़ी अदालत है यहाँ खुले मन से सभी को हक है अपनी बात कहने का। वह सदस्य जिसको अपनी दुख और पीड़ा यहाँ कहनी चाहिए थी वह यहाँ नहीं है, वह जेल के सीखचों के पीछे है। यहीं बात खत्म नहीं होती वह शातिर बदमाश है, गुण्डा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मुख्य मंत्री की हत्या कराना चाहता है यह कहकर यह बात मान्यवर, इसलिए खत्म नहीं हो सकती कि लोगों को, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को अपने गलीज पोशीदा और गन्दे गिरेबानों में मुँह डालकर देखना चाहिए कि वह कितने बड़े गुंडा, बदमाश और क्रिमिनल हैं। मामला बहुत गम्भीर है, मामला आसानी से समाप्त कर देने की बात नहीं है क्योंकि बात यहाँ से शुरु हुई है कहाँ खत्म होगी। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई कि बजट पेश हो रहा है सदन में और हजरतगंज में बजाज शाप लूटी जा रही है, कानून का भय खत्म हो गया, डर, लिहाज खत्म हो गया। इसलिए यह जो डिक्लरेशन मेरे पास है और जो समाचार पत्रों में आया है उससे यह यह बात पूरी तरह से साफ होती है कि अतीक अहमद की हत्या कराने का षड्यन्त्र और किसी का नहीं है [x x x] लिहाजा यह जो ट्रान्सफर करने की बात आ रही है, आपने कुछ पढ़ा हो या न पढ़ा हो आजादी का इतिहास जरूर पढ़ा होगा, आपसे मेरा मतलब सारे हिन्दुस्तानियों से है। मान्यवर, जंगे आजादी के कैदी जा रहे हैं और उन पर फर्जी हमले हुए हैं और इनकाउन्टर में लोग मारे गये हैं। मैं आजादी के मतवालों की मिसाल अतीक अहमद से नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं इस व्यवस्था की मिसाल, अंग्रेज शासन के जुल्म की मिसाल आज उन लोगों से दे रहा हूँ जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हरदोई के अधिकारियों से कुछ फैसला करवाते हैं और बुलन्दशहर के अधिकारियों से कुछ फैसला करवाते हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह सरकार जो भी अपना बयान दे जो भी वक्तव्य दे, वह ऐसा दे जिससे यह लगे कि उनका यह वक्तव्य एक ऐसे सदस्य के बारे में है जो पांचवी बार इस विधान सभा में चुनकर आये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अतीक अहमद पर जो हमला हुआ है वह सरकार के द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के तहत कराया गया है। विरोधी दल के नेताओं को धमकी दिलाई गयी है। सबको हटाने का काम सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। एक वर्तमान विधायक पर सरकार सोची-समझी रणनीति से हमलो करा रही है। पुलिस महानिदेशक, इलाहाबाद ने बयान दिया कि नेता सदन ने बताया है कि उन्हें दो लोगों से खतरा है। इससे बड़ा खतरा है ही नहीं इस प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री से कि इस पर चर्चा करायी जाये। इधर के लोगों की बात आ जाये उधर के लोगों की बात आ जाये, फैसला हो जायेगा। कृपया इस पर चर्चा कराइये।

(संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम मंत्री) श्री सुखदेव राजभर –

मान्यवर, सूचना जो नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी है वह आशंकाओं पर और भ्रम की स्थिति में दी गयी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जननेता के रूप में हैं। जनप्रतिनिधि बनना आसान है,

---

नोट :--- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जननेता बनना बड़ा मुश्किल है इसलिए लोगों की ज्यादा इच्छा होती है कि वह जननेता बनें। इसलिए आज हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं इसे एक जन प्रतिनिधि के बारे में कह रहा हूँ जो इस सदन के पांच बार सदस्य रहे और उस जनप्रतिनिधि की जिन्दगी का इतिहास खुला। सन् 1992 में एच0 एस0 खुला।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं उधर नहीं जाऊँगा। लेकिन मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने माननीया मुख्य मंत्री सुश्री बहन मायावती जी के बयान का उल्लेख किया। इस सदन में सब लोग रहे, उन्होंने वहीं से शुरू किया और कहा कि वह लाबी में रो रही थीं, जब समर्थन वापस हुआ था। मायावती जी ने कहा था कि मेरी आँख में आँसू नहीं आता बल्कि जो लोग दूसरे की आँखों में आँसू निकालते है, उनकी आँख को मैं ठीक कर देती हूँ। मान्यवर, ऐसा इसलिये उन्होंने कहा कि 5-5 हत्याओं के मुकदमों का मतलब यही है कि किसी न किसी माँ का सिन्दूर खत्म हुआ होगा, किसी बहन का सिन्दूर धोया होगा। धारा-302 के मुलजिम का मतलब यही है कि जरूर किसी न किसी माँ-बहन का सिन्दूर धोया होगा। किसी की आँख में आँसू बहाया होगा। मैं तो कहता हूँ कि यदि सुखदेव राजभर भी इस तरह मुलजिम हो तो उसके साथ भी यही होना चाहिये। जिसके ऊपर हत्याओं के 5-7 मुकदमें, अपहरण के 10 मुकदमें हों, कुल 38 मुकदमों की अभी लिस्ट है, इनके ऊपर आई0 पी0 सी0 के संज्ञेय अपराध हैं।

हमारी सहानुभूति है कि किसी माननीय सदस्य का उत्पीड़न न हो। आज ही उनकी सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई, चूँकि वह अस्वस्थ हैं और उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, इसलिये पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गयी, इस समय वह नैनी जेल में हैं। किसी माँ-बहन की माँग का सिन्दूर धोना, हम भले ही बर्दाश्त कर लें, लेकिन ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोगों ने कहा कि 5 बार के सदस्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह माँ-बहनों का सिन्दूर पोंछ सकते हैं और 50 लोगों की जमीनों का अपहरण कर सकते है, छोटे बच्चों को मरवा सकते हैं। इस तरह का सर्टीफिकेट देना इस विपक्ष के लिये महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर इस तरह कहा जायेगा तो फिर कहीं न कहीं न्याय की सुई रुकेगी। इस तरह का आरोप लगा देना मुख्य मंत्री पर, कि उनके द्वारा साजिश रची गयी, यह उचित नहीं है, सब जानते हैं कि इस तरह के लोग किस तरह का ब्रेन और दिमाग रखते हैं। इस सबके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है और वह नैनी जेल में हैं। मान्यवर, यह विषय किसी भी तरह से नियम-56 के अन्तर्गत आता नहीं है। इस तरह के विषय को महत्व देना न्याय की सुई को रोकना है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से भी चाहूँगा कि वह न्याय की सुई को रोकने का काम न करें। जो भी आरोप उधर से लगाये हैं, सब झूठे लगाये गये हैं। यह हमला किसी भी प्रकार से बहन मायावती जी की तरफ से नहीं हुआ है। वहाँ बयान से पूरी स्थिति साफ हो गई है और मीडिया के लोगों ने भी बताया है, पूरी रिपोर्ट आ गई है, मैं उस रिपोर्ट को पढ़े दे रहा हूँ। विषय के सन्दर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-एस0टी0/एस0एस0पी0-सी-1/2002 दिनांक 8 अगस्त, 2002 के पत्र के माध्यम से गिरफ्तार अभियुक्त एखलाक पुत्र अहमद हुसैन निवासी खुदाबख्श का पूरा थाना नवाबगंज, इलाहाबाद से विवेचना के दौरान 161, सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत बयान / पूछताछ का विवरण

प्रेषित किया है। उसके अनुसार अभियुक्त एखलाक अहमद ने यह कहा है कि अतीक अहमद विधायक से मेरी व मेरे मृतक भाई अख्तर की पुरानी रंजिश थी। मेरे एक भाई को अतीक ने एक्सीडेंट में मरवा दिया था। अख्तर की हत्या वर्ष 1995 में कचहरी में करवा दिया था। हत्या करने वाले चारों आदमी को कचहरी में ही पुलिस ने मौके पर ही मार दिया था इसकी जांच अतीक ने सी0 बी0 आई0 से करवाई थी और अपने को बचाने का पूरा जाल रच दिया था लेकिन सी0 बी0 आई0 ने अतीक को मुल्जिम बनाया और चार्जशीट कर दिया। अतीक के दुश्मन जावेद इकबाल मेरी मदद करते थे। कुम्भ मेला के दौरान अतीक ने अपने आदमियों से जावेद इकबाल को जान से मारने के लिए हमला करवाया था जिसमें जावेद इकबाल का गनर मारा गया थां और जावेद इकबाल बाल-बाल बच गये थे और अतीक अहमद उस मुकदमें में काफी दिनों तक जेल में रहे। अतीक जब जेल से छूटे, एलेक्शन होने वाला था और जावेद इकबाल ने अतीक से दोस्ती कर ली थी। जब जावेद इकबाल ने दोस्ती कर ली तब जावेद ने अतीक से मेरी सुलह करा दिया। मेरी माँ जिसने मेरे भाई अख्तर के कत्ल का मुकदमा अतीक के खिलाफ लिखवाया था मेरी माँ ने समझौता का कागज लिख दिया था। हमें पता नहीं कि वह कागज कहां गया। इसके बाद जावेद के सामने अतीक ने मुझे 10 हजार दिया था। मैं जावेद के साथ रहता था उन्हीं के साथ अतीक के घर जाता था। इस बार करीब 2 महीने पहले जब अतीक गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ रहने वाले ही पकड़े जाने लगे हैं तब जावेद व मैं तथा उनके साथ रहने वाले लोग ज्यादातर इधर-उधर भागे रहते हैं। परसों मैं जावेद इकबाल के घर गया था। जावेद इकबाल ने मुझसे कहा था कि कल जाकर अतीक भाई के वालिद व उनके भाई अशरफ से बात कर लेना। मेरी बात हो चुकी है। तभी उसके पास कोई आदमी आ गया। मुझसे चले जाने को कहा तब मैं वापस चला आया। उनके बताने के अनुसार शाम के समय अतीक भाई के घर गया गेट पर ही अतीक के वालिद और भाई अशरफ मिले। अशरफ ने कहा कि मेरी विधायक जी से बात हो चुकी है। विधायक जी ने ही हमारे लिए एक काम करने को कहा है। उस काम को तुम्हीं कर सकते हो। मैंने पूछा बताओ जो भी होगा करूँगा। अशरफ ने आज के लिए बताया कि विधायक जी पेशी पर कचहरी आयेंगे जब दंगा वाहन से उतरें तुम इधर-उधर रहना और विधायक जी के साथ चलने लगना जब विधायक जी कहेंगे तो विधायक जी के आगे गड्डा पटक देना जिससे केवल आवाज़ होगी किसी को चोट नहीं आयेगी। मैं भी साथ में रहूँगा और तुमको गड्डा फोड़ने के बाद तुरन्त एक बैग जिसमें बम रखे होंगे, दे दूँगा और भगदड़ में तुम भाग जाना। अगर कोई पब्लिक व पुलिस पकड़ने का प्रयास करे तो तुम बम चलाते हुए भागना। चाहे जितने आदमी मरें, चिन्ता मत करना। इससे हम लोगों को दो फायदे होंगे एक फायदा यह होगा कि कचहरी में यह वारदात होने पर भगदड़ मच जायेगी और हम लोग अशरफ जो मेरे मकान के पास है, का रहने वाला है लुक छिप कर हम लोगों के यहाँ आने-जाने वालों की सूचना पुलिस को देता है उसको नामजद करेंगे और शासन इलाहाबाद के अफसरों का ट्रान्सफर यह हल्ला मचा कर कराएंगे कि यह सब इन लोगों की साजिश से हुआ है। इसके लिए यह जरूरी है कि तुम मौके पर पकड़ में न आना। अगर पकड़ लिये गये तो सब खेल खराब हो जायेगा। मैंने कहा था मैं बम फोड़ता हुआ निकल जाऊँगा मुझे कोई पकड़ नहीं पायेगा। अशरफ ने कहा था यह जो हम लोगों की बातचीत हो रही है कहीं खुलने न पाये। अगर मान लो पकड़ ही लिये जाते हो तो यह कहना कि अतीक के घर के पास रहने वाले अशरफ ने यह काण्ड करवाया है।

इस प्रकार मान्यवर, यह सब एक साजिश के तहत कराया गया है। इसलिए मान्यवर, नियम 56 में यह सूचना निरस्त होने वाली है और इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इस सम्बन्ध में मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना और इसे निरस्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मेरा आपसे कहना यह है राजभर जी, अगर इसी तरह सारे जमाने को जानना चाहते हैं तो अभी मुश्किल होगा, दो-चार सदी लग जायेंगी। आपके मन में जो पीड़ा है मैं भी समझ सकता हूँ। आप जो बदलाव चाहते हैं समाज में जो तब्दीली चाहते हैं मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जिस चीज को अभी आपने सदन में मानक बनाया है, 302 का मुजरिम, मुल्जिम नहीं जिस पर अभी जुल्म साबित नहीं हुआ है। क्या ऐसे तमाम 302 और डकैती के राहजनी और अपहरण के मुजरिम और बलात्कार के मुजरिम जो इस सदन में हैं सत्ता पक्ष में हों और सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों में हों.....।

(व्यवधान)

मान्यवर, क्या राजभर जी इन मुजरिमों को भी जो सत्ता पक्ष में और उसके सहयोगी दलों में वह सारी बाधाएं जो पढ़कर सुनाई हैं जिसकी वजह से अतीक अहमद आज ये दिन देख रहे हैं कि वह जेल के सीखचों में है, पूरे परिवार को जिस तरह से उनको जेल में परेशानी, दुश्वारी, जिस तरह से तंग किया गया है वे सारी पीड़ायें क्या राजभर जी इस बात को कहने की हिम्मत करेंगे, केवल जहाँ सुधार में कदम रख दिया है, बड़े काँटे हैं। आपने इधर के लोगों के गिरेबान में हाथ डाल दिया है, लेकिन उधर जो बैठे हुए हैं उन पर कब तक हाथ जाएगा ? मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है, पूरा विपक्ष, पूरा सदन आपसे संरक्षण चाहता है। नियम-56 के तहत ही यह सूचना तमाम शर्तों को पूरा करती है इसलिए इस पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 के तहत अग्राह्य है इसलिए इसे अस्वीकृत करता हूँ।

निम्न माननीय सदस्यों, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री अंसार अहमद, श्री किरन पाल सिंह, श्री मदन चौहान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री कुंवर अरुणवीर सिंह, डॉ0 वकार अहमद शाह की सूचनाएं चयनित नहीं हुई हैं अत: इन्हें मैं अस्वीकृत करता हूँ।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

छ: बज रहे हैं अभी बजट पर सामान्य चर्चा होनी है।

(इस पर प्रतिपक्ष के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गए और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(वेल में आये हुये सदस्य उक्त सूचना पर चर्चा कराने की माँग करते रहे तथा नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने स्थान पर चलें। इस प्रकार सदन बाधित होगा तो इससे आप अपना अवसर खो रहे हैं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि उनके सामने जो अन्य अवसर अपने विषय को रखने का है, उससे स्वयं को वंचित कर रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, अतीक अहमद के जान को खतरा है, इस पर चर्चा कराइये।

(सदन की वेल में आये हुये सदस्य चर्चा कराने की माँग करते रहे

जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 5 बजकर 57 मिनट पर सदन की कार्यवाही

6 बजकर 7 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

6 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री कैलाश यादव जी आप कहें।

श्री कैलाश यादव–

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय पर चर्चा कराके चर्चा आगे बढ़ायी जाए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जी, आपका विषय नियम-56 में चयनित नहीं हुआ था। माननीय सदस्य के सम्बन्ध में यह सूचना थी। इस पर आपको भी, प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी, सुनने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात कही और इस सूचना को ग्राह्य किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में पूरे सदन से आग्रह है कि आज का दिन सामान्य चर्चा का दिन था। 6 बजे रहे हैं, सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा कराकर भी अगर आप सरकार की आलोचना करना चाहते तो सरकार की आलोचना भी कर सकते थे। संवैधानिक सुझाव भी दे सकते थोड़ा हम उस अवसर को प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से हमारी परिस्थिति रही और हमने सदन में मिलने वाले प्रत्येक अवसर का प्रयोग नहीं किया तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी नहीं होगी। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आपका विषय आ गया है और सरकार का भी विषय आ गया है। अब अगर सामान्य चर्चा कर लेंगे तो प्रत्येक को बोलने का मौका मिलेगा और अगर आप लोग इसी प्रकार से अमर्यादित व्यवहार करेंगे तो .....

(व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और सरकार से सुरक्षा के सवाल पर

चर्चा कराने की माँग करने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जब तक सुरक्षा के विषय पर चर्चा नहीं होगी तब तक [x x x] मान्यवर, इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए।

(श्री अधिष्ठाता जी के आग्रह पर सदस्य वेल से अपने आसन पर चले गये।)

श्री राम करन आर्य (सदन के बेल से)–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कैलाश यादव जी आप अपनी सूचना पर अपने विचार रखें।

(सदन में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये।)

श्री कैलाश यादव –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जबसे उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद एक दौर चला है कि हर जनपद में कितने लोग 110 के मामले में निरुद्ध किये गये हैं। आज गुंडा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट में लोगों को निरुद्ध किया जा रहा है। मेरे जनपद गाजीपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को निरुद्ध किया गया है जिनके खिलाफ किसी भी थाने में 107 में भी मुकदमा कायम नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनके मरने के बाद उन पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगाया गया है। मेरे यहाँ चंद्रमा यादव जो लालनपुर के रहने वाले थे उनकी मृत्यु 22-10-2000 को हो चुकी है और उनके खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट 11-6-2002 को लगाया गया है। उनके पूरे परिवार पर गैंगेस्टर ऐक्ट लगाया गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ करन्डा थाने के अन्तर्गत राजेन्द्र यादव के खिलाफ किसी थाने पर 107 का भी मुकदमा कायम नहीं किया गया है लेकिन उनको 110 में निरुद्ध किया गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक अब्दुल जफर प्रधान हैं बड़सरा में, उन पर 110 का मुकदमा लगाया गया है। हमारे गाजीपुर जनपद में एक दौर चला है, पुलिस लोगों का उत्पीड़न कर रही है। यह संवेदनहीन सरकार जबसे बनी है खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और लोगों को फर्जी मुकदमें लगाकर उनको जेल भेजा जा रहा है।

हमारे यहाँ सहेंडी गाँव में केदार यादव को 2/3 की रात को साढ़े आठ बजे गोली मारी गयी उनको चारपाई पर लोग ला रहे थे। पुलिस मिली और पुलिस ने अपनी जीप पर बैठाकर केदार यादव को हॉस्पिटल भेजा। जिनकी शह पर उनको गोली मारी गयी थी पुलिस उनसे मिली थी। जब मारने वाले का नाम बताया गया तो पुलिस उस व्यक्ति को थाने ले आयी और पुलिस की मिलीभगत तथा शासन प्रशासन के दबाव के कारण उसको छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं हॉस्पिटल में दूसरे दिन कट्टा रखकर पुलिस ने केदार यादव के खिलाफ धारा 25 में आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा कायम किया। यह संवेदनहीन सरकार है, यह आँकड़ो पर चल रही है।

जिन लोगों के खिलाफ एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है उनके खिलाफ गुण्डा ऐक्ट व गैंगेस्टर ऐक्ट का मुकदमा कायम किया गया जबकि जिनके खिलाफ 29-29, 30-30 मुकदमें दर्ज हैं वह खुले आम सड़कों पर घूम रहे हैं। जिनके खिलाफ थाने में कभी 107 का मुकदमा दर्ज नहीं

नोट:---[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुआ उनके खिलाफ गुण्डा ऐक्ट, गैंगेस्टर ऐक्ट व 110 के तहत मुकदमा दर्ज किये गए। पूरे गाजीपुर की यह हालत है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसकी जाँच कराकर पता करवा लें कि यह सही है कि गलत। यह सरकार अपने को संवेदनशील सरकार बताती है, भयमुक्त समाज देने की बात करती है इससे गई गुजरी, इससे गुजरा प्रशासन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है इस मामले की जाँच करा ली जाए चाहे सी0 बी0 आई0 से जाँच कराएं या सी0 आई0 डी0 से चाहे किसी से जाँच करा लें। सच्चाई का पता लग जाएगा जिनके खिलाफ 29-29 मुकदमें अपराध के छिनौती के, डकैती के चल रहे हैं ऐसे अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, पुलिस जान रही है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आप इसकी जाँच करवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आप दिखला लीजिए। जो विशेष प्रकरण सदस्य ने उठाए हैं उनको कृपा कर दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे।

श्री अधिष्ठाता–

यह विशेष उल्लेख का मामला है। इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, एक बहुत गम्भीर मामला है। हम लोग 1984 से विद्यार्थी राजनीति से ऊपर उठकर आए हैं। लेकिन आज तक हम लोगों की व्यक्तिगत रंजिश किसी से नहीं रही है। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे किसी की हमसे दुश्मनी हो। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वन्दता रहती है। 1993 में, मैं विधान सभा सदस्य हुआ था और आज फिर जनता ने चुनकर भेजा है। हमको 9-8-2002 को डाक से एक गुमनाम पत्र आया है। इसकी एक कापी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर को इस आशय से दी थी कि इसकी जाँच करवा लें। इस पत्र में कानपुर में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार नेताओं के यहाँ कुछ चर्चाएं हुई होंगी, वहाँ पर हो सकता है कि हमारा कोई समर्थक वहाँ रहा हो उसने कुछ चर्चाएं सुनीं, जैसा भी हो लेकिन एक पत्र 9 तारीख को मिला है। इस पत्र में मूल रूप से यही लिखा है कि आप होशियार रहिए, नेता सदन जो मुख्य मंत्री हैं इनके तीन दुश्मन इसमें दिए गए हैं। कानपुर में राकेश सचान, शिव कुमार बेरिया और फतेहपुर के वीर अभिमन्यु जी। हम लोगों ने दो तीन मर्तबा पुलिस अधीक्षक से चर्चा की है। इस पत्र की कापी अध्यक्ष जी को भी दी है इसमें लिखा गया है कि इनका भी वही हश्र होगा जो संतोष शुक्ला का हो चुका है। जेल से छूटने के बाद आप लोगों की हत्याएं कर दी जायेंगी। इस तरह से मान्यवर, इस पत्र में लिखा है। आज इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं कि जो विभिन्न मुकदमों में अपराधी हैं, आज वह खुले आम घूम रहे हैं। आज टापटेन के अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी सामान्य चर्चा भी प्रारम्भ होनी है। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज अपराधियों के ऊपर सरकार की कोई लगाम नहीं है। यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उनकी कहीं न कहीं राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता है। आज हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं और जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण सरकार दे रही है उससे उनका मनोबल बढ़ा है। आज जिस तरह से माननीय सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। अतीक साहब के ऊपर हमला किया गया। उनके ऊपर कातिलाना हमला कराया गया। माननीय नेता सदन ने जिस तरह से कहा था अभी नेता प्रतिपक्ष ने विधान सभा की कार्यवाही भी दिखाई थी। जब उन्होंने पद ग्रहण किया तो कहा था कि मैं रोती नहीं हूँ, रूलाना जानती हूँ। मान्यवर, अगर इस तरह से कार्य होगा, बदले की भावना से कार्यवाही होगी तो उचित नहीं है। यह जो पत्र मुझे मिला है, मैंने इसकी मूल प्रति अधिकारियों को दे दी है। आप भी सरकार को निर्देश कर दीजिये कि इसकी जाँच करा ली जाय और जाँच कराकर इसमें कार्यवाही कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, नोटिस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी नियम-56 में दूसरी सूचना पर हस्ताक्षर हैं।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, इस पत्र में मेरा नाम भी है और मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम-56 में एक सदस्य की एक ही सूचना ली जाती है। आपकी सूचना 3 नम्बर पर थी, वह ले ली गई।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, हमको भी सुन लीजिये। जब किसी सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना हो जायेगी तब सुनेंगे। हमको जान से मारने की धमकी दी गई।

श्री अधिष्ठाता–

वह पत्र संज्ञान में लिया जा चुका है। उस पर राकेश सचान जी ने विस्तार से बात रख दी है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा *

श्री अधिष्ठाता–

साधारण चर्चा प्रारम्भ की जाती है, यह सदन नियमों से चलेगा।

नेता विरोधी दल [श्री मोहम्मद आज़म खाँ]–

मान्यवर, मैं सन् 2002-2003 के बजट पर जो नेता सदन के जरिये रखा गया है, उस पर बोल रहा था और वहीं से जहाँ मैंने अपनी बात खत्म की थी लगभग वहीं से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि पिछले 12 सालों में रोजगारों में बहुत कमी आई है

नोट:---*दिनांक 14 अगस्त, 2002 की कार्यवाही से।

और उस कमी के बहुत से कारण हैं जिनमें से एक कारण यह भी है कि खास तौर से केन्द्र सरकार की नीति के मुद्दे नजर जिससे प्रदेश सरकारों भी मुतासिर होती हैं बहु राष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे बहुत से व्यापारों पर कब्जा कर लिया है और उसकी वजह से बहुत बेरोजगारी बढ़ी है जिन कारखानों में मशीनें काम करती हैं। बहुत छोटी-छोटी मशीनें लगी हुई फैक्ट्रियों ने कई सौ एकड़ जमीन लेकर पूंजीपतियों को उनका मालिक बना दिया है। मिसाल के तौर पर मोदी जिराक्स मोदी आलीविटी बहुत बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं इनकी जो पानी की टंकी है उसकी छतों पर चढ़कर यदि आज देखेंगे तो पूंजीपतियों की जमीन की सीमा की समाप्त नहीं होती है। यह खोखलापन नहीं है ? कानपुर जिसे उत्तर प्रदेश का मेनचेस्टर कहा जाता है, इस हार्ट आफ सिटी में वहाँ मालिकानों की फैक्टरियां बन्द हो गयी हैं। मालिकान चाहते हैं कि इन फैक्टरियों को बचाने का अधिकार मिले इन जमीनों को बचाने का अधिकार मिल जाये। जब यह जमीन सरकार ने पूंजीपतियों को दी थी तो नाम मात्र का पैसा लिया गया था। आज यह जमीन सोना, मोती हो गयी है। सोना मोती के भाव से ज्यादा मंहगी हो गयी है।

मान्यवर, गाजियाबाद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों से गुजर रहा था। वहाँ की सड़कें ऐसी थीं जैसे विदेशी हों। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैंने गाड़ी को रूकवाया और गेट पर जाकर पुछवाया कि मैं वहाँ से गुजर सकता हूँ। क्योंकि वह रास्ते विदेशी जैसे थे। तब उन्होंने कहा कि 15-20 रूपये की पर्ची कटवाकर इस रास्ते से गुजरा जा सकता है। वहाँ का रख-रखाव, वहाँ का माहौल, वहाँ की शानो-शौकत देखकर यह नहीं लगता था कि हम अपने देश से गुजर रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं, इमारतें बनी हुई हैं। जो हथियार उनके पास हैं वह विदेशी हथियार हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी जब यहाँ आयी तो अंग्रेज गोला बारूद लेकर उतरे तो बहादुर शाह जफर को भी पता नहीं था। वही हालात रोजगार के क्षेत्र में इस प्रदेश का है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बीकानेरी भुजिया से लेकर आटा पीसने तक तथा मछली पालन के लिए किसानों की जमीनें ले ली हैं। इससे बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। जाहिर है इसके पूरे असरात पूरा छाप हमारे बजट पर पड़ी हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ—"रोम जल रहा था, न्यूरो बंसी बजा रहा था। पूरा प्रदेश बेरोजगारी, गरीबी, ला-कानूनियत, साम्प्रदायिकता, ना-बराबरी की आग में जल रहा है और न्यूरो बंसी बजा रहा है। गद्दी में बैठे हुए लोगों ने गद्दी पर बैठकर सारे रास्ते बंद कर दिये हैं, न्यूरो बंसी बजा रहा हैं।" मान्यवर, 2001-2002 के बजट में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9,719 करोड़ रुपया हानि बतायी है जबकि बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे में दस प्रतिशत की कमी आनी चाहिए थी । लेकिन मौजूदा घाटे में राजकोषीय घाटे का 22 प्रतिशत बढ़ाने का संकेत दिया है इसी बजट में दरमियां दर्जे के लोग जिन्हें हम मध्यम दर्जे के कहते हैं उनके सामने भी मायूसी है।

प्रदेश में लगभग ढाई करोड़ या इससे भी अधिक लघु और सीमान्त किसान भुखमरी का शिकार हैं। वह ज्यादा प्रभावित होंगे। सूखे और अकाल से इसीलिए हमने मजबूती से माँग रखी थी और इससे क्या अंजाम होगा ? आने वाले दिनों में जो हमें केन्द्रीय सहायता मिलती है, बाह्य सहायता कर्ज केन्द्र पोषित योजना, मार्केट लोन आदि का पैसा मिलता है वही इधर उधर होगा और उसका सीधा असर गरीब के पेट पर पड़ेगा जिसका कि मैंने जिक्र किया है। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है, अगर हम 21 हजार करोड़ के कर्जे को जो प्राप्त होगा, जिसमें अनुमानत: 13 हजार करोड़ मूलधन वापसी होनी है तो शेष आठ हजार करोड़ इनमें से सात हजार 250 करोड़ रुपया की

वार्षिक योजना है तो इससे पेट भरना कठिन है। ऐसे में जो बाह्य सहायतित योजनाएं और पेंशन हैं उसके बारे में सोचना होगा। जो अन्य योजनाएं हैं उनका उपाय क्या होगा उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी ? जब इतना मूलधन देंगे ब्याज देंगे तो बचे हुए पैसे से कितना हम कर पायेंगे इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला गया है। विभिन्न विभागों में चाहे वह सही हो या गलत हो, जो भ्रान्तियां होती हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से आयेगी, जो पेंशन और ग्रेच्यूएटी फंड हैं वह कहाँ से दिया जायेगा। इन सबके बारे में यह बजट मौन है। जो हादशायी मौत हो रही है, मेरे नेता, विरोधी होने के बाद से मैंने चिट्ठियां दी हैं, उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली। जो उन्होंने सेवाएं की हैं तो न तो उनको फंड मिला है, न ग्रेच्यूटी मिली है और न ही अभी तक उनके परिवार वालों को पेंशन ही दी जा रही है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ मरने के बाद मृतक आश्रित रखे जाते हैं मगर सरकार के पास पैसा नहीं है जो मृतक आश्रित को रख सके उनकी जरूरीरियात को पूरी कर सके। जो लोग मर जाते हैं लेकिन उनके परिवार वालों को कष्ट तो बहुत होता है लेकिन उसके आगे रोजी रोटी का जरिया मृतक आश्रित के रूप में रहता है लेकिन वह भी छूट गया है।परिवहन विभाग में बन्द कर दी गयी। आये दिन बस की टक्कर होती है। ड्राइवर मर जाते है, क्लीनर मर जाते हैं लेकिन उनके मृतक आश्रितों को जगह नहीं मिल पाती हैं। इस पर सरकार ने परदा डालने का काम किया है।मान्यवर, 2000-2001 में कुल प्राप्तियां बावन हजार छः सौ उन्तालीस करोड़ की थी जिसमें 31 हजार तीन सौ इकहत्तर करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा 21 हजार दो सौ अड़सठ करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां थीं। वर्ष 2001-2002 में यह कुल प्राप्तियां इक्यावन हजार चार सौ सत्तर करोड़ की थी जिसमें तीस हजार एक सौ उन्तीस करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां थीं। राजस्व प्राप्तियों में कहा गया है कि 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह राजस्व प्राप्तियां तीन प्रतिशत से कम है जबकि मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 13 प्रतिशत बतायीं हैं।

मान्यवर, क्या मुझे यह कहने का हक होगा कि नेता सदन प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पूरे देश के साथ साजिश की है, धोखा किया है, गलतबयानी की है, झूठ शब्द का एहतियातन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मुख्य मंत्री कोई भी हो, कोई नाम हो अगर प्रदेश की जनता का बजट पेश करते हुए, ऐसे वक्त सदन में बजट पेश हो रहा हो, जब हजरतगंज में लूट हो रही हो तो ऐसे में क्या होगा ? मैंने फर्जी बजट कहा था। 400 करोड़ रुपये की गलतबयानी की बात कही थी जो पहले दिन का पुलिंदा मैंने बोला था। तो क्या इस बजट पर प्रदेश की जनता की आस्था होगी ? वह 17 करोड़ लोग जो इस प्रदेश के तहत, इस बजट के तहत आने वाले कल का सपना देख रहे हैं क्या उनका सपना साकार हो सकेगा ? यह फरेब का बजट है, यह सरकार दो नापाक पार्टियों का गठबन्धन है उसी तरह इस बजट से प्रदेश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, बजट के अनुसार 2002-03 में 54,903 करोड़ रुपये का व्यय होने की सम्भावना है।

मान्यवर, इसके पिछले साल 2001-02 में 53,946 करोड़ रुपया खर्च हुआ था इस तरह 206 प्रतिशत राज्य का व्यय भार बढ़ा है। जिस प्रदेश पर राज्य का व्यय भार 206 प्रतिशत बढ़ा हो उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचा जा सकता है कि इस व्यवस्था ने प्रदेश की रीढ़ पर ऐसी लात मारी है कि रीढ़ की हड्डी टूट गयी। मान्यवर, बजट जिन खुली आंखों से बनना चाहिए था यह बजट आंख खोलकर नहीं बनाया गया है। इसे कठोर अनुशासित तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए था। कठोर अनुशासित तरीका यह नहीं था कि अदालतों में बम मारा जाता, अपनी सुरक्षा पर मुख्य मंत्री द्वारा खर्चा बढ़ा दिया जाता, अपने पी0 आर0 ओ0 इतने बढ़ा दिये जाते कि किसी

एक दफ्तर की तनख्वाह पी0 आर0 ओज0 से कम होती। इसलिए मेरा कहना है कि कठोर अनुशासित तरीका अख्तियार करना चाहिए था वह राज्य राज्य सरकार ने नहीं किया।

मान्यवर, जो वृद्धि दिखाई गयी है राजस्व प्राप्तियों में मैं कहना चाहूँगा कि यह सब सिर्फ आंकड़ों की की बाजीगरी है। जोड़-घटा कर के यह दिखाया गया है। मान्यवर, वर्ष 2000-01 की प्राप्तियों का इस आधार में राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण करें तो इसे आत्मघाती बजट कहेंगे। मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि राजनीतिक नारे कुछ भी रहे हों "तिलक, तराजू और तलवार-- इनको मारो जूते चार।" मान्यवर, जो व्यापार से जुड़े हुये लोग हैं। (सदन में व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे खुशी हुई और मैं प्रसन्न इसलिए हुआ कि कहीं कुछ गैरत है, लगता है। इनको बुरा लगा। मान्यवर, इससे लगता यह है कि मेरी उम्मीद की किरण जो बुझती हुई नजर आ रही थी उसमें रोशनी बढ़ गयी। सत्ता पक्ष में इन लोगों ने जिन लोगों को जूते मारने का काम किया यह बहुत दिनों से चल रहा था। मान्यवर, राज्य की आय का मुख्य श्रोत व्यापार कर है।

मान्यवर, व्यापार कर राज्य की आय का मुख्य श्रोत है और राज्य की 60 प्रतिशत आमदनी इससे हासिल होती है। मैं मान्यवर, एक बार जब यहाँ सदस्य था विधान सभा का और एक सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स कमेटी का मेम्बर था और अधिकारियों के साथ बैठा था तो बात यह आई कि व्यापारी चोर होता है तो मैंने कहा कि जो हमारी आमदनी का प्रमुख श्रोत है उन्हें ही बेइमान कहकर बात की शुरूआत करेंगे तो इससे तो बात बिगड़ जायेगी, बनेगी नहीं। इसलिए मुझे जब सरकार में रहने का मौका मिला और माननीय नेता जी इस सदन के और प्रदेश के मुखिया हुए तो व्यापारियों को सम्मान देने के लिए धारा 3/7 शिथिल कर दिया।

(शोर)

मान्यवर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो इतना सिकुड़ने के बाद इतनी अकड़ बाकी है तो पता नहीं ये किस अंजाम के इंतजार में हैं। सिकुड़ने के बाद अकड़ नहीं रहती लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी का कि सिकुड़ने के बाद भी अकड़ बनी है बजाय इसके कि अपनी गल्तियों से कुछ सीखते, सबक लेते। धारा 3/7 जो हमारी सरकार में शिथिल की गयी थी, चुँगी खत्म की गयी थी, व्यापारियों को सम्मानजनक जिन्दगी जीने का अधिकार दिया गया था लेकिन आज जिनके ऊपर सत्ता का ताज रखा है उसने अपने हाथों से व्यापारियों का गला घोंटकर धारा 3/7 फिर से लागू कर इंस्पेक्टर राज फिर से लागू कर दिया।

(शोर)

(इस समय 6 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं सिर्फ आपके सामने जो हमारी चीनी मिलें हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ हमारे निगम की मिलें कुल हैं 35, बन्द मिलें 11 जिनमें 2 उत्तरांचल चली गयी, चालू मिलें 22 जिनमें घाटे वाली 8 मिलों को बन्द करने का सरकार का इरादा है, दिनांक 12-8-2002 तक किसानों का बकाया है उन पर 219.50 करोड़ रुपये हैं। मान्यवर, निगम की मिलें, संघ की चीनी मिलों में कुल मिल 27 बन्द मिलें 21, किसानों का बकाया 169.95 करोड़ 12-8-2002 तक। प्राइवेट मिलें, कुल मिल 52, किसानों का बकाया 446.22 करोड़ रुपया यह कुल मिलाकर बनता है 835.71 करोड़, तकरीबन एक अरब किसानों का बाकी है। वह किसान जो जिन्दगी और मौत के झूले में झूल रहा है, अकालग्रस्त प्रदेश है।

क्या हुआ है इस सूखे से ? इस सूखे से क्या नहीं हुआ, धान की फसल नहीं लग सकी, बल्कि जो गन्ना खड़ा हुआ है। आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती पर जिन्दा है बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ठंडी हवाएं पूर्वी-उत्तर प्रदेश में आती हैं। गन्ना सूख गया है उसमें रस पड़ने वाला नहीं है और जो चीनी का उत्पादन होने वाला है उसमें फर्क आयेगा। यह सारा नुकसान भी प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा और जनता भुखमरी की कगार पर चली जायेगी। सन् 2005 के लिये जो विश्व बैंक से कर्ज लिया गया है उसकी वापसी का तकाजा है, वह अदायगी करनी है। सन् 2005 बहुत दूर नहीं है, दस्तक दे रहा है। दो बजट और पेश होंगे और सन् 2005 आ जायेगा। विश्व बैंक का कर्ज यदि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं अदा कर पायेगी तो फिर यह दिवालिया सरकार कैसे आगे चलेगी ? इसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं है। क्या खूब लिखा है:--

"बस एक ही उल्लू काफी है, बरबाद गुलिस्तां की खातिर ।

हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा ।।"

मान्यवर, इस वजह से भी इस बात की उम्मीद कम है। असल में अगर जनरल के साथ उसकी फौज और उसके दायें-बायें चलने वाले लोग, उसके सिपाही भरोसेमंद हों, मजबूत हों, बहादुर हों, तो जंग लड़ी भी जा सकती है और जीती भी जा सकती है लेकिन अगर फौज लंगड़ी हो, लूली हों, अपाहिज हो, टूटे हुए हथियार हो और उनके गिरेबान में 302, 395, 396 लटके हुए हों तो उसका सारा असर बजट पर पड़ेगा, जो कि जनता को भुगतना पड़ेगा।

अब कुछ राज्यों के व्यय के बारे में, सन् 2001-2002 में अनुमानित व्यय रु0 34, 161.34 करोड़। वास्तविक व्यय रु0 35,462.72 करोड़ था यानी कुल व्यय 13 सौ करोड़ रुपये बढ़ा है। ऐसे में सन् 2002-2003 में अनुमानित 36, 646.46 करोड़ है परन्तु यह बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये तक होगा क्योंकि मुख्य मंत्री का खर्च 50 गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने खर्च बढ़ाने में बड़ी महारथ हासिल की है, दो बार का उन्हें तजुर्बा है। उन्होंने आदमी की परेशानियों को तजुर्बे में मिला कर नहीं देखा। जिन्दगी के आगे के रास्तों की खोज नहीं कर सकीं । मुख्य मंत्री का पचास गुना खर्च बढ़ा है। नेता सदन के लिये 40 गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा, सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव और मुख्य मंत्रीं के साथ दिल्ली आवास पर 10 जन सम्पर्क अधिकारी तैनात किए गए है। मुख्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की और जन सम्पर्क अधिकारी दिल्ली में। प्रदेश में जहां भुखमरी का यह आलम हो, जहां रोजगार का यह आलम हो, पढ़े-लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए बेकार फिर रहे हों, हमारे अनपढ़ मजदूर हैं उनके पास काम नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री के दिल्ली के आवास पर जन संपर्क अधिकारी रखे गए हैं। मान्यवर, एक तरफ तो यह दिखावा कि खर्चे पर काबू पाया गया है ताकि घाटे पर काबू पाया जा सके। जब आलमपनाह निकलें, जब जहाँपनाह निकलें, तो सेक्रेट्रीज की लम्बी फौज होगी। वर्ष 1994-95 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब 14,853.21 करोड़ का खर्च था। वर्ष 1999-2000 में यह 19,761.88 करोड़ हो गया और उसके बाद वर्ष 2001-2002 में यह 32,923.78 करोड़ हो गया, यानि तकरीबन दुगना। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, केवल 5-6 साल का सफर है और फर्क दुगना है। ऐसे में जो हालात प्रदेश के सामने हैं, वह आपसे या इस प्रदेश की जनता से बिल्कुल भी छिपे हुये नहीं हैं।

मैं पूँजीगत व्यय के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। वर्ष 2001-02 में यह अनुमानित 4,457 करोड़ था और वर्ष 2002-2003 में यह अनुमानित 4101.50 करोड़ है यानि पिछले वर्ष के व्यय प्राविधानों से तकरीबन 8 प्रतिशत कम है। इससे फर्क यह होगा कि प्रदेश की प्रगति रुक जायेगी। विकास के जो काम होने हैं, वह नहीं हो सकेंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा कि बजट घाटे को कम दिखाने के लिये प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है, फरेब किया गया है और ऐसा सस्ती लोकप्रियता के लिये किया गया है। इससे सस्ती लोकप्रियता तो मिल सकती है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता से जनता का भला नहीं होगा। अब मैं राजस्व प्राप्तियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वर्ष 2001-2002 में 30144.8 और वर्ष 2002-2003 में इस मद में 31370.86 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान है। इस समय पूरा प्रदेश अकालग्रस्त है और पिछले वर्ष के तुलना में इस बार बजट खूबसूरत तो किया गया है, लेकिन जो इसमें कमी है, उससे इस प्रदेश की 17 करोड़ जनता का नुकसान होगा। इसलिये इस बजट के बारे में यह कहना कि इससे प्रदेश की जनता का भला हो सकेगा, यह 100 फीसदी फर्जी लगता है। हमारा प्रदेश किस तरह से दबा हुआ है, इस पर भी नजर चली जाय। इस तरह हम आने वाले रास्तों को नहीं ढूँढ़ पायेंगे ? वर्ष 2001-2002 में 83401.35 करोड़ था, यह 31 मार्च, 2002 तक की स्थिति है और 31 मार्च, 2001 तक 72,765.64 करोड़ था। इस प्रकार 83 हजार और 72 हजार यानि 11 हजार करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर एक साल में और बढ़ा है। अगर बुरा न माना जाय तो मैं कहने की हिम्मत करूँगा कि वर्ष 95-96 में यह जो कर्ज था, यह कुल 36,144 करोड़ था जो इस समय के आधे से कम था और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मान्यवर, 2002-2003 में जो अन्दाजा अर्थशास्त्री लगाते हैं और जो यहाँ के तजुर्बेकार हैं, जो बजट बनाते हैं, उनका अन्दाजा यह है कि अनुमानित जो कर्ज होगा 91869.30 करोड़ और सच्चाई यह है कि यह तो कागज पर लिखा हुआ होगा, असल में यह एक लाख करोड़ हो जायेगा जिसे अदा करना प्रदेश सरकार की हिम्मत में नहीं होगा। अब हमारा समेकित घाटा जो है, 1994-95 में यह 1369.49 करोड़ था। मैंने मुख्य मंत्री का नाम नहीं बताया, 1994-95 में जो मुख्य मंत्री थे, वह मुलायम सिंह यादव जी थे। 1998-99 में 5101.45 करोड़, 1999-2000 में यह 3421.7 करोड़, 2000-2001 में 3720.2 करोड़ और 2001-02 में 2476.79 करोड़। दर्शाया गया घाटा 4131.44 करोड़ है जो कि 1656.85 करोड़ ज्यादा है। ऐसे में मान्यवर, जहाँ घाटे का फीसद इतना हो और घाटे की रकम इतनी ज्यादा हो, प्रदेश की उन्नति का सपना नहीं देखा जा सकता। 2002-2003 में घाटा 2264.81 करोड़ पहुँच गया है जो मान्यवर, इतना नहीं रहेगा क्योंकि पहले जो दर्शाया जाता रहा है घाटा उससे तकरीबन दुगना बढ़कर हो जाता रहा है। यहाँ पर बहुत सी भ्रामक बातें कही गयी हैं और गलत आँकड़े दिए गये हैं। अगर हम भी उसको दुगना कर दें तो यह इससे दुगना होने के बाद 5 हज़ार करोड़ हो जायेगा। ऐसे में सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता और उसके नतीजे आप देख रहे हैं। जो हमारी सरकार है उसकी उपलब्धि अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर उद्यान है। उस पर 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा है 40 करोड़ रुपया मुख्य मंत्री जी ने दिया है।

मान्यवर, अगर यह पैसा दलित वर्ग के लिए कोई फण्ड कायम करने के लिए खर्च किया जाता जिससे मात्र जहनी [X X X] का अड्डा बनाया गया है जिससे इन दलितों को आगे तक पहुँचाने का अधिकार दिलाना चाहिए था वह इस अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर उद्यान से नहीं

नोट :--[x x x]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिलेगा। वह अधिकार उन्हें स्कूल की कक्षाओं से, टाट-पट्टी और किताबों से मिल सकता है, जिसकी व्यवस्था नहीं की गयी है। जनता की गाढ़ी-कमाई जिसके लिए थी, उसमें कोई जाति और धर्म नहीं था बल्कि 17 करोड़ लोगों की गाढ़ी कमाई का वह पैसा था जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया गया है और ऐसी सरकार जिसने राम मनोहर लोहिया के नाम पर सिर्फ एक करोड़ रुपये दिए हैं, ऐसी सरकार कैसे रहेगी . . . . .

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायें।

(इस समय 7 बजकर 5 मिनट)

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

मान्यवर, सरकार ने लोक लेखा निधि से 5 वर्षों में तकरीबन 15 हजार करोड़ रुपये निकाला है। मान्यवर, आप तो बहुत सीनियर लायर हैं, यह क्रिमिनल ऐक्ट है। मगर कौन कहे, क्या होगा इसका नतीजा, कैसे भरपाई होगी इसकी, नुकसान सीधे कर्मचारियों को पहुँचेगा। उनके सामने दिक्कतें होंगी, उनके वेतन की दिक्कत होगी। तो ये ऐसे सवाल हैं जिसके बाद इस बजट के बारे में यह कहना कि यह बजट जनता का बजट है, सही नहीं होगा। विकास कार्यों पर मान्यवर, मैं जिक्र करना चाहूँगा, अर्जुन सहायक परियोजना का, इसका प्राक्कलन वर्ष 1978 में अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल द्वारा तैयार किया गया था, अनुमानित लागत 28.29 करोड़ रुपये की थी मान्यवर, इसका निर्माण कार्य किया जाना था, इसके अन्तर्गत लहचूरा बांध जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से बनाया जाना था और फीडर चैनल द्वारा अत्याधुनिक निर्मित चन्द्रावन जलाशय और कौरई पर जलाशय के भण्डारण क्षमता में जो वृद्धि प्रस्तावित थी, इस परियोजना का निर्माण पूरा हो जाता तो मान्यवर, 44 हजार 56 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई हो जाती तो उस इलाके में जहां मान्यवर, पानी नहीं है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे यहां पर भी इसकी जरूरत थी जिससे कि ज्यादा सब्जियां पैदा हों, अन्न पैदा हो, लोगों को क़ाम मिले, भुखमरी कम हो, लेकिन मान्यवर, यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। साथ ही इससे फायदा यह था कि जल स्तर में बढ़ोत्तरी होती जिससे पेय जल संकट दूर होता। बुन्देलखण्ड के महोबा क्षेत्र में सिंचाई के साधन में 20 प्रतिशत का इजाफा हो जाता यानी 60 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई में इजाफा हो जाता। इससे मान्यवर, यह मानने के लिए तो है कि साहब हरित क्रान्ति लाई जाएगी लेकिन, इतने बड़ी अर्जुन सहायक योजना का कार्य पूरा नहीं हो रहा है, जिससे एक बहुत बड़े क्षेत्र में 20 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा हो जाती। तो इससे मान्यवर, मैं यह नहीं कहूँगा कि यह बजट जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है, उनकी भलाई करने वाला बजट है इसमें 86 हजार करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है, प्रदेश कर्ज से दबा हुआ है। इतना ही नहीं जब सरकार आई है तो जो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 के तबादले हुए हैं, उसमें मान्यवर, पैसे को इतना ज्यादा खर्च हुआ है जिसने जनता की कमर को तोड़ा है। इस प्रदेश की सरकार ने, सूखा बनाम अकाल की जो हमारी

मांग थी, उसे मानने से इन्कार कर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले साल 589.85 मिली मीटर वर्षा हुई थी और उसकी तुलना में 127.7 मिली मीटर वर्षा अब तक वर्षा हो गई है, उसके बाद वर्षा का यह अनुपात रहा है, ऐसी बारिश यहां उत्तर प्रदेश में हुई है और बादल अधिक हैं, बजट पेश होने वाले दिन तक। मैं समझता हूँ कि अगर यह बजट 24 से 48 घण्टे पहले बना था तो इसका फरदर इण्डोजमेन्ट भी होता। जो किसान गन्ना बहुत बोते हैं और गन्ना से केवल गुड़ ही नहीं बनता चीनी भी बनती है और उसका असर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यह चीनी बाहर के देशों को जाती है और वहां से बाहर का पैसा मिलता है और इस तरह हमारा देश चलता है। लेकिन मान्यवर, इस बजट में सूखे से निपटने का कोई भी प्राविधान नहीं हैं और इस तरह से 7 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। इसमें 1 प्रतिशत पैसा भी जनता या किसानों के हित के लिए इस्तेमाल में नहीं आया। यह आपके संज्ञान में है। जहाँ तक मेरी जानकारी है केन्द्र सरकार से 60 करोड़ रुपया अभी तक मिला है, हो सकता है कि ज्यादा मिल गया हो। इसमें से कोई भी सदस्य जो इस सदन में बैठे हुये हैं, जिसे लेकर तीन रोज तक गतिरोध रहा, कोई भी माननीय सदस्य नहीं बता पायेंगे कि 60 करोड़ रुपये में से 60 पैसा भी सूखे से निपटने के लिए इस्तेमाल हुआ हो। मान्यवर, आपकी कृपा रही और सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए कुछ बातें कही, गतिरोध खत्म करने में आपका बड़ा सहयोग रहा लेकिन वह सब कुछ काफी नहीं था आज भी इस बजट भाषण पर बोलते हुए आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं और आप भी इस पर बल देंगे, हमारी फिर माँग है कि उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त नहीं अकालग्रस्त घोषित होना चाहिए। आजाद भारत में इससे पहले इतना भीषण सूखा कभी नहीं पड़ा इसलिए वह नियम नहीं बन सका क्योंकि भयंकर सूखा नहीं देखा था। जब देश का संविधान बदला जा सकता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस नियम को किसानों की भलाई के लिये नहीं बदल सकती है, उनकी आँखों के आँसू पोछने के लिये, इसलिए कि किसान सल्फास की गोलियाँ खा कर हमेशा की नींद न सो जाये। अकालग्रस्त घोषित करने का अब उत्तर प्रदेश सरकार का क्या मापदण्ड होगा ? यह मांग विपक्ष ने रखी है, इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल है, यह प्रतिष्ठा का सवाल करोड़ों गरीब भूखों मरते हुए किसानों के लिए है, यह प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए है कि यह माँग विपक्ष ने रखी है तो हम उस माँग को वापस लेने के लिए तैयार होंगे। हमारी मांग की वापसी के बाद सत्ता में बैठे हुये लोग यह कहें कि हम उत्तर प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करते हैं। हमारा यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जितनी वसूलियाँ हैं फौरी तौर पर रोक दी जाँय। इसी के दौरान यह बात आयी कि ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट लेने वाले किसान गरीब नहीं होते। जयादातर लोग जो यहां बैठे हैं वह किसान के बेटे हैं और आज भी राजनीति में सारे लोग अपराधी नही हैं, सारे बेईमान नहीं हैं, घूसखोर नहीं हैं, जिस दिन हमारे समाज से और राजनीतिक समाज से अच्छाई का परदा हट जायेगा उस दिन दुनिया ही खत्म हो जायेगी, उस दिन अच्छाई का चिराग बुझ जायेगा, कयामत आ जायेगी। सत्तापक्ष में भी ज्यादातर लोग हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, इधर भी कितने साथी बैठे हैं जिनके दामन पर कोई धब्बा नहीं है। लेकिन जिदों से काम नहीं चलेगा, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हर किसान जिसने ट्रैक्टर, पम्पिंगसेट ले लिया है वह खुशहाल किसान है। पम्पिंगसेट लेने वाला खुशहाल होगा, अगर कुर्की हो गयी तो जेल में बंद हो गया। क्या खायेंगे उसके बच्चे, क्या मिलेगा उसके बच्चों को ? आज का किसान ट्रैक्टर इसलिए नहीं ले रहा है

कि उससे 5 बीघा या 10 बीघा जमीन जोतना है। अगर वह ट्रैक्टर नहीं रखेगा तो उसके बच्चे को भरपेट रोटी नहीं मिल सकती, वह बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे सकता, वह अपने बच्चे के लिए किताब नहीं खरीद सकता, उसका बच्चा यूनिवर्सिटी और कालेज में नहीं जा सकता। इसलिए आज का किसान ट्रैक्टर लेकर सामान ढोने का काम करता है लेकिन इससे किसान की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। पहले वह जिस शरीर से सिर्फ किसानी करता था लेकिन आज वह इंसान नहीं रह गया है, वह जानवर की तरह काम करने लगा है, सारा दिन खेत में काम करने के बाद अब वह रात-रात भर काम करने लगा है, उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। यह कह कर उसकी वसूली करें कि यह खुशहाल किसान है, हमारे जैसे दर्दमंद दिल रखने वाले इसको समझ सकते हैं। किसान खून का आँसू रोता जब 20 हजार रुपये में उसका ट्रैक्टर तहसीलदार और लेखपाल के माध्यम से इस भ्रष्ट सिस्टम के तहत बिक जाता है और किसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए मान्यवर, हमने यह मांग की थी कि प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करें और जो भी वसूली की जा रही है उसे तत्काल रोका जाए। सारे ब्याज माफ नहीं किए जाएं क्योंकि किसान जब कर्ज लेता तो गुनाह नहीं करता है। माफी गुनाह की होती हैं। मेहनत के काम के लिए लिया हुआ पैसा, बैंक से लिये हुए पैसे को कम करना माफी नहीं होती। कर्ज लेना गुनाह नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कर्ज की शब्दावली से माफी का शब्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि माफी भीख है, रहम है, तरस है। हम राजनीति में काम करने वाले लोग एक-एक वोट के लिए लोगों के पास जाते हैं। मांगते तो हम हैं। माफी तो हमें मांगनी चाहिए जनता को नहीं। जनता के इस अधिकार के लिए माफी का शब्द जनता की तौहीन है इसलिए आपसे कम से कम मेरा यही निवेदन है कि कर्ज वसूली की माफी नहीं होगी बल्कि समाप्ति होगी, ब्याज की माफी नहीं मिलेगी। कम से कम 54 साल से आजाद हिन्दुस्तान में आज जरूरतमंद आदमी का सम्मान न करें तो अपमान तो न करें। आज जब हम सरकारी खजाने से पैसा खर्च करते हैं तो माफी शब्द किसान के लिए इस्तेमाल करना एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। मेरी मांग है कि प्रदेश अकालग्रस्त घोषित हो, दवाएँ मुफ्त बांटी जाएं, बच्चों को, छात्रों को किताबें मुफ्त दी जाएं। पीने के पानी के लिए तत्काल इंतजाम किए जाएं, खाद, बीज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। मैंने इस सदन में पहले भी कहा।

मैं बहुत ही कम ही टेलीविजन के सामने बैठता हूँ। एक दिन टेलीविजन के सामने बैठा श्री हुकुम सिंह जी का इंटरव्यू आ रहा था। हुकुम सिंह जी दरियादिली दिखा रहे थे वह कह रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश के किसानों में 9 लाख रुपये के दवा और बीज मुफ्त बाटेंगे। मान्यवर, ऐसी दरियादिली के तो हम कायल हो गये। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए सिर्फ नौ लाख रुपये। इसलिए मान्यवर, खाद और बीज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलनी चाहिए ओर कम और मध्यम वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलनी चाहिए । डीजल पम्प के लिए डीजल, और ट्रैक्टर के लिए आधी कीमत पर डीजल उपलब्ध कराया जाए। उसका सत्यापन किसान की हैसियत के हिसाब से सरकार जो उचित समझे उस हिसाब से सरकार करे। जो मांग रखी गयी है वह यह कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह कितने निचले दर्जे का किसान है, किसान की हैसियत क्या है इस हिसाब से सहायता होनी चाहिए। अगर सरकार यह नहीं करती है तो जनता का पैसा जनता के ऊपर नहीं खर्च करती है तो सरकार का क्या मतलब है ? मान्यवर, यह इमारत अंग्रजों ने बनायी थी। आज इस इमारत में हम बैठे हैं आजाद भारतवर्ष में। उससे पहले कोई और बैठेगा। इमारत

यही रहेगी जाहिर है चेहरे बदलते रहेंगे। मान्यवर, यह जो खजाना है यह मेरा नहीं है, यह उधर सत्ता में बैठे लोगों का भी नहीं है, आपका भी नहीं है, यह प्रदेश के लोगों का है। अगर यह पैसा उनके लिए ही खर्च नहीं होगा तो यह पैसा किस काम का हैं। इसलिए आधे दामों पर किसानों को डीजल मिलना चाहिए। कीटनाशक दवाएँ मुफ्त मिलनी चाहिए। सरकार की जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनसे कीड़ा मरना तो दूर की बात है बेहोश भी नहीं होता है। इसलिए इसकी अच्छाइयां और बुराइयां हम सभी जानते हैं। जो कमजोर लोग है उनको राहत देने के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं हैं। मान्यवर, मैं यह भी आरोप लगाना चाहूँगा कि सूखे और बाढ़ से निबटने के लिए 15 जून से कार्य योजना शुरू होती है सारे देश में। अगर यह सरकार इस कार्य योजना को 15 जून से शुरु कर देती तो इससे निबटने में सरकार को मदत मिल सकती थी। ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूँग, अरहर के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि किसान उसे बो पायेगा या नहीं। कैसे उसके रिजल्ट्स आयेंगे और सरकार की तरफ से बजट में ऐसा किसी तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि ऐसी फसलों को बोने वाले किसान को यदि घाटा होता है उसकी फसल नहीं होती है तो उसको सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी। पूरे प्रदेश में हमारा कुल 236.28 वर्ग किलोमीटर में जो सिंचन क्षमता है वह 29684 हेक्टेयर की है। इसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 12012 हेक्टेयर है। सकल सिंचन क्षमता में से सिर्फ 26619 हेक्टेयर का ही उपयोग हम कर पाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब आसमान से पानी नहीं मिला और नलकूप हमारे 64.4 प्रतिशत खराब हैं और उनसे लाभ नहीं मिल रहा है, बिजली हमारें पास देने के लिये बिल्कुल नहीं है तो ऐसे हालात में हमने जो कार्य योजना बनाई है वह यह है कि हमें नहरों से 25.5 प्रतिशत नहरों से पानी मिलता है। जो सूखे के हालात हैं, इत्तिफाक से थोड़ा सा पानी हमें मिल गया है और इस समस्या को हो सकता है कि पूरब के हमारे साथी संजीदगी से न ले पाये हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। 25.5 प्रतिशत नहरों से पानी मिलने की बात है उसमें से कितने प्रतिशत मिल पायेगा और उसका कितना असर प्रदेश की फसल पर पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे प्रदेश के जो 21 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं वह सारे कटाई, जुताई, बुवाई से जुड़े हुये हैं और वह जमीन के मालिक नहीं हैं। जब पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहर में टेल तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि नहर में पानी नहीं है तो उसे काम नहीं मिलेगा। उसे काम नहीं मिलेगा तो उसको खाने के लिये गिजा नहीं मिलेगी। पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलेगा और वह बच्चों की फीस नहीं भर पायेगा। बेटी को व्याहने के लिये दहेज नहीं जुटा पायेगा। उसकी मौत हो जायेगी तो कफन नहीं होगा, उसको जलाने के लिये लकड़ी नहीं होगी और उसे दफनाने के लिये मिट्टी नहीं खोदी जा सकेगी। गरीब वर्ग के बारे में जो बहुत दुःखी है। हम लखनऊ के हजरतगंज की सड़कों पर घूमते हुये या अपने अच्छे-अच्छे क्वाटर्स में रहकर थोड़ी उसकी याद को भुला दें लेकिन मेरा यह तजुर्बा है कि जिन सदस्यों ने अपने निवास में अपने को महदूद कर रखा है वह अगली बार चुनकर नहीं आ पायेंगे।

एक सदस्य–

जैसे आप।

श्री मोहम्मद आजम खां–

6 बार मैं चुनकर आ चुका हूँ। 40 हजार वोटों से जीतकर आया हूँ इसलिये आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अम्बेडकर पार्क ही उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों का सामान नहीं हो सकता है

और बहुत से काम हैं। आपने कहा तो यह था "बुनकरों से कि वोट दो बिजली मिलेगी। मैंने बुनकरों से कहा था" कि हमारा तजुर्बा है, हमारा यह तजुर्बा हमारे इन बालों के इस रंग से नहीं है जो हमने रंग कर बनाया है, इसलिये तुमसे कहना चाहता हूँ कि सरकार उस दिन तक बिजली देती है जब तक वोट पड़ते हैं। जब वोटो की गिनती होती है तो सिर्फ उसी जगह रोशनी होती है जहां गिनती होती है बाकी सारी जगहों पर अंधेरा होता है। मैं बुनकरों की दुर्दशा की तरफ जाना चाहूँगा। बहुत सारे बुनकर मुस्लिम समाज से हैं। इतनी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर नमाज का निशान और उनके हाथों में जब मैं हथकड़ी देखता हूँ और उसकी जानकारी करता हूँ तो पता चलता है कि बिजली का बिल अदा नहीं है इसलिये हथकड़ी लगायी गयी है। बिजली नहीं है तो पावर लूम चल नहीं सकता है। हैंडलूम का जमाना नहीं रह गया है। बुनकरों को बिजली का बिल न दे पाने के कारण जिस समय पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी पकड़ कर ले जाते हैं तो उस वक्त ऐसा पता चलता है कि समाज में ऐसा वर्ग भी है बुनकर वर्ग जिसको न तो सूत का इंतजाम है, न धागे का इंतजाम है। सरकारों ने वायदे किए हमने भी किया था हमने भी वायदा किया था चन्द दिन पहले रह गया उन कामों को नहीं कर सके। हमने उनकी बिजली की समस्या हल करनी चाही। व्यापारियों को राहत देने के लिए धारा 3/7 का शिथिलीकरण कर दिया। हमने वायदा किया था चुंगी खत्म करने का एक आदेश से एक आदेश से चुंगी खत्म कर दी आज तक वह चुंगी खत्म है। सरकारें जो करना चाहती हैं वह करती हैं। जब हम किसी का नाम लेते हैं उत्तर प्रदेश में दशतकारी का नाम लेते हैं उस वक्त हम बुनकरों के दुखों का जिक्र न करें तो हम उत्तर प्रदेश के विकास का सपना नहीं देख सकते हैं। इण्डस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,282 बड़े और मंझोले स्तर के उद्योग हैं। इनमें 37,740 करोड़ साए की पूँजी लगी हुई है। 7.20 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला है। 3,72,134 लघु उद्योग इकाइयों में 3,630 करोड़ रुपए की पूँजी लगी है और 14,94,347 लोगों को रोजगार मिला है। इन लोगों का हाल यह है कि सरकार की तरफ से इन इकाइयों को किसी तरह से मदद नहीं मिलती। हमारा यू0 पी0 एफ0 सी0 जो लोन देता है इसका अंजाम यह है कि जो लघु इकाइयाँ है उसमें 90 प्रतिशत ऐसी हैं जो बन्द हो गई हैं। यू0 पी0 एफ0 सी0 पैसा वापस नहीं ले सकता है। इन हालात से निपटने के लिए बजट के अन्दर किसी तरह से कोई तस्करा नहीं किया गया है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि सरकार हर पढ़े लिखे को नौकरी नहीं दे सकती है, यह संभघ नहीं हो सकता है कि हर व्यक्ति को हर परिवार का बेटा सरकारी मुलाजिम हो। लेकिन सरकार यह तो कर सकती है कि नौजवान बेरोजगारों और पढ़े लिखे लोगों को काम मिल सके। आज पढ़े लिखे डिग्री-डिप्लोमा होल्डर लोग हैं उनके अन्दर जुल्म की मानसिकता बन रही है। उसकी वजह यह है कि उसे अपनी कलम में रिफिल डलवानी है उसके लिए पैसा चाहिए, जूतों की पालिस करवानी है, कपड़े सिलवाने हैं उसके लिए पैसा चाहिए। इस बजट में इन सब चीजों का कोई तस्करा नहीं है। पाँच सौ से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियाँ पक्की सड़क से जोड़ी जाएंगी, सभी ग्रामों का विद्युतीकरण होगा। शेख चिल्ली का सपना सुना था। इस बजट में शेख चिल्ली के सपने सरकार हमें दिखा रही है। मैं बिजली के बारे में कहना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से विद्युत प्रणाली में सुदृढ़ीकरण के लिये कुछ जिलों के नाम इस किताब में हैं। बरेली है, मुरादाबाद है। मुझे कुछ हक नहीं है यह बताने का कि चक्की के दो पाट जब चलते हैं तो बीच का सारा माल पिस जाता है। रामपुर का मुख्य मंत्री जी ने काफी ख्याल रखा है। सारी इनायतें बरेली और मुरादाबाद पर है लेकिन रामपुर को बड़ी कोशिश करके अंधेरे में रखा है, मैं इसलिये नेता सदन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

(किसी सदस्य द्वारा रामपुर का चाकू कहने पर)

मान्यवर, रामपुर चाकू के बारे में मान्यवर, सनद बहुत मशहूर है। रामपुर के चाकू से फोरेन एक्सचेंज मिलता था क्योंकि यह चाकू आज नहीं 20 साल पहले हत्या करने के काम आता था। यह चाकू दस्तकारी के नमूनों से सजाकर सजाने के काम आता था। इस पर नक्कासी की जाती थी फिर रंग भरा जाता था। यह सामान हिन्दुस्तान में नहीं विदेशों में जाकर बेचा जाता था। इससे फोरेन एक्सचेंज मिलती थी। उस गरीब बस्ती के रहने वाले लोग उससे अपनी जिन्दगी की गुजर-बसर करते थे। आज के जमाने में कोई किसी की चाकू से हत्या नहीं करता। आपको अंदाजा है टाटा और बिरला के बनाये हुए 48 इंच की छुरी को बिकने की खुले बाजार में छूट है जिससे बैल और भैंस की गर्दन एक बार में कट जाती है। हमने प्रतिबन्ध हटाया था 8 इंच के फल वाले चाकू को इसलिये बन्द कर दिया कि वह रामपुर की दस्तकारी थी। वहां के लोग इससे अपना रोजगार चला रहे थे, फोरेन एक्सचेंज मिलती थी इससे। टोपी, रामपुर की हामिद कैप करके मशहूर थी। वह भी खत्म हो गई। रामपुर के पास कोई काम नहीं है। रामपुर इसी प्रदेश का जिला है। रजा शुगर मिल बन्द हो गई, बुलन्द शुगर मिल बन्द हो गई, रजा टैक्सटाइल बन्द हो गई, हंसा फैक्ट्री बन्द हो गई, मेस फैक्ट्री बन्द हो गयी। फ्रूट का कारखाना बन्द हो गया। यह सारे कारखाने गुलाम हिन्दुस्तान में लगे थे लेकिन आजाद हिन्दुस्तान में यह कारखानें बन्द हो गये और नये कोई लग नही सकते हैं। मान्यवर, परिवहन में 800 नई बसें खरीदने का प्राविधान है। 17 करोड़ के प्रदेश में 800 बसें। मान्यवर, इसीलिये इस बजट के बारे में यह कहना.....

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां—

सरकार की प्राथमिकताएँ हैं, प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, विकास युक्त वातावरण बनाना। मैं तो यह समझ रहा था कि यह विकासयुक्त भी होगा। यहां गलती हो गई मान्यवर। इसलिए मैं चाहूँगा कि नेता सदन जब जवाब दें तो बतायें कि अन्यायमुक्त में कितने लोग एस0 सी0 एस0 टी0 एक्ट के तहत बन्द किये गये। कितने निरपराध लोग जेल जा रहे हैं। जिस समय अपराधमुक्त बजट पेश किया जा रहा था लखनऊ लुट रहा था। बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष की उसी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। लखनऊ की नाक के नीचे बसे फैजाबाद में तीसरी बार एक ही एस0 पी0 के वहां रहते हुए क्योंकि वह सरकार का चहेता है। एक ही एस0 पी0 के रहते 6 लोगों की जिनमें कि एक डेढ़ साल की बच्ची, जिसकी जमीन में पटककर हत्या कर दी गई। आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई यह सरकार अपराध मुक्त है, लखनऊ की कालोनी में पूरे परिवार को मार दिया गया सत्र चल रहा था यह है अपराध मुक्त, जहां इस किस्म के जुर्म होते हैं लूट हत्यायें होती हैं पुलिस को दो ग्रुप के नाम मिलें गए हैं बावरिया गिरोह और कच्छा बनियान गिरोह, जब यह कह दिया जाएगा तो कानून का कोई भय नहीं लगेगा कानून कुछ नहीं करेगा, बाबरिया अपराध मुक्त, कच्छा बनियान अपराध मुक्त पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कुछ

नहीं हो सकता है, यह विकासमुक्त भी होना चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं 2002-2003 के बजट के बारे में कहना चाहूँगा कि यह बजट किसी विशेष वर्ग के विकास के लिए हो सकता है, क्योंकि मैं समाज में बंटवारे का कायल नहीं रहा। जब मैं पहली बार चुनकर आया.तो मैं किसी धर्म, आस्था, मंदिर, मस्जिद के नाम पर चुनकर नहीं आया था। मैं, रामपुर टैक्सटाइल की हड़ताल को लेकर आया था, क्योंकि मैं नहीं जानता था प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है, मान्यवर, अगर कानून को नहीं माना जाएगा तो उसकी छाया बजट पर भी नजर आएगी। मान्यवर, इस किताब के अन्दर शब्दों का मायाजाल है और इससे ज्यादा कहीं कुछ देखने को नहीं.मिलता है।

(मेजें थपथपाई गई)

आवास में "लैण्ड यूज प्लान" है आवास हैडिंग में है इसमे सरकार की जो जमीन है उन पर कब्जा करके चहेतों को दे दिया जाएगा। कोई फुटपाथ कोई तिकोना चौकोर प्लाट ऐसा नहीं है जिस पर कब्जा नहीं हुआ है ऐसे में इस बजट के बारे में मान्यवर क्या कहें। नगरीय बेरोजगार की हैडिंग है इसमें 61वें पेज पर लिखा है– "राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2001-2002 में लगभग बयालीस करोड़ तीस लाख रुपये व्यय करके 39.16 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है, 20 लाख का फर्क है जबकि दाम बड़े हैं। मांन्यवर, इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी रकम इस्तेमाल हो जाएंगी तो सब इसी सांल सुधार हो जाएगा। सिर्फ बजट भाषण को सुन्दर बनाने के लिए जो अन्याय हुआ है ज्यादतियां हुई है यह नहीं होनी चाहिए थी यह बजट 50 गुना ज्यादा होना चाहिए था, 100 गुना ज्यादा होना चाहिए था, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ, सड़कों के किनारे कोई मां बेटी पेशाब बहाने के लिए नहीं आनी चाहिए, यह है हमारा दुख, यह समस्यायें हल होनी चाहिए, इन समस्याओं का हल होना चाहिए लखनऊ को 24 घंटे बिजली दी जाती है, एक दिन लखनऊ में अंधेरा करके देखें जिस दिन मंत्रियों के आवासों में बिजली नहीं आएगी, जिस दिन सरकार चलाने वाले अधिकारियों के घर में बिजली नहीं होगी उस दिन पता होगा कि अंधेरा है, चिराग जल रहा है और चिराग तले अंधेरा है। मैं इस बजट को जनता की भलाई का बजट, प्रदेश की भलाई का बजट मानने को तैयार नहीं हूँ इन आंकड़ों से जो बजट भाषण में है और वह आंकड़े जो हमारे द्वारा पेश किए गए हैं इससे प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है भला होगा हमारे कमिटमेंट से। जो हम समाज से वायदा करके आये हैं उससे भला होगा। कुछ चीजों को अल्लाह का मामला बनाया, मैं बहुत पीछे ले जाकर कहना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातों को लेकर जातीय झगड़ों को समाज की बरबादी का सामान बना दिया है। अगर इन चीजों को न देखा होता तो आज उन गरीब, दलित लोगों का कब्जा होता जिसका जिक्र मैंने किया है। समाज में कड़ुवाहट हो गयी है। हम दावा करते हैं वह सपना साकार होगा, जब कमजोर, दलित, पिछड़े, जो असल देश है, उसे देश को चलाने का मौका मिलेगा। मेरा कहना यह है कि मैं उस दिन की तलाश में हूँ, मैं इधर की बात करना चाहता हूँ उधर की नहीं। हमने भी एक सपना देखा है, एक रास्ता तलाशा है, हमारे हाथों में एक रोशनसमां हैं वह उसके हाथों में देना चाहता हूँ जिसने दो बार इस प्रदेश की सरकार बनायी हैं जो प्रदेश का मुखिया रहा है और जो हमारे दिल की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 16 अगस्त, 2002 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 17-8-2002 को नियम 51, 56, 300 तथा 301 की सूचनाएं न ली जायें।

2–दिनांक 17-8-2002 को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर विचार एवं उसे पारण की मदें रखी जायें।

3–विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधेयक प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समय के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन में जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनके तीन मुख्य काम हैं। एक तो विधायी कानून बनाना यह हमारा नैतिक अधिकार है। दूसरा प्रदेश को चलाने के लिए बजट पास कराना। मैं आज की कार्य सूची में जो मद है उसके बारे में ध्यान आकृष्ट करूँगा इसमें तीन विधेयक आये हैं। वह अपराह्न 5.00 बजे से शुरू होने थे। जो कानून बनाने के लिए जनता चुनती है उसे तब लिया जाता है जब सदन की कार्यवाही समाप्त हो रही होती है और मान्यवर, पूरे सदन की ओर जो सदस्य चुनकर आये हैं सबकी रुचि होनी चाहिए कि जिस कर्तव्य के लिए हम विधान सभा में आये हैं उस कर्तव्य का पालन करने में कितने सहायक हो रहे हैं। मान्यवर, पांच बजे के बाद विधेयक पेश किये जायेंगे तो कितने लोगों के विचार आ पायेंगे ? कानून कैसा बन रहा है ? जनहित में है या जनहित के विरुद्ध है। मान्यवर, जब कभी सदन में विधेयक आये तो उस दिन चाहे तो आप जीरो आवर या प्रश्न प्रहर को स्थगित कर दें या पांच बजे के पहले यह विधेयक सदन में पेश हों। क्योंकि कानून बनाने के लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा है हम कानून बनायें ठीक से परख कर बनायें।

श्री अध्यक्ष–

जिन परिस्थतियों में सदन चल रहा है वह हम सभी के संज्ञान में है हम सब यहां बैठ करके सामूहिक रूप से यह प्रयास करते हैं कि सदन के अधिकतर समय का हम उपयोग कर सकें जो हम

नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आज हम जितना काम कर लेंगे वह कर लेंगे शेष काम कल करेंगे। अभी पर्याप्त समय है थोड़ी देर तक बैठने की मानसिकता हम बना लें। रात को बारह बजे तक सदन में बैठ कर हमने काम किया है तो कोई घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कार्य पद्धति जैसे विकसित हो जायेगी वैसे-वैसे कार्य होता चला जायेगा। आय-व्ययक पर चर्चा में कई सदस्य भाग लेंगे। वह चर्चा अगर कल जारी रहेगी तो हम विधेयक को ले लेंगे।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

ठीक हैं। आप लोगों की सहमति है इस चर्चा को हम कल के लिए जारी रखते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश,2002 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:–

(1) यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

(2) यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो आज अध्यादेश आया है यह केवल अहं की भावना से यहां पर लाया गया है। जो सरकार आती है अपने हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है। इस प्रदेश में एक आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। माननीय राजनाथ सिंह की सरकार आई पिछली बार उसने दूसरी आरक्षण की व्यवस्था इस सदन में अध्यादेश ला कर विधेयक लाकर लागू कर दी और उन्होंने कहा कि यह जो हम आरक्षण विधि लागू करने जा रहे हैं उससे प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के अधिक गरीब लोग हैं जो पिछड़ों में गरीब हैं असहाय हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लाभ के लिए यह करने जा रहे हैं। उसमें उनकी मंशा क्या थी, मान्यवर, जब तक किसी ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी और वह मामला स्थगित हो गया। वर्तमान में सरकार में हो या पिछली सरकार अध्यादेश को लागू किया था वह भी इस सरकार में हिस्सेदार हैं। हाईकोर्ट में पैरवी करके उसको निस्तारित कराते। पुन: एक अध्यादेश आ गया। हमारी समझ में यह बात आती है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक का लाभ न देकर अध्यादेशों और विधेयकों में ही यह पूर्ववर्ती या वर्तमान सरकार इसको उलझाये रखना चाहती है। लाभ देना कतई इनके विचार में नहीं है। सस्ती लोकप्रियता और जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह कार्य

कर रही है । यह केवल अध्यादेशों की सरकार है, कार्यावन्यन में इनका विचार नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इस संकल्प में अननुमोदन का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

"माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक अध्यादेश का रूप लेकर इस सदन में रखा गया यह किन कारणों से रखा इसका विवरण इस अध्यादेश के उद्देश्य में दिया है। इस सरकार ने जो समाज में ऐसे लोग थे, जो अपने परिश्रम से, मेहनत से जो पिछड़े वर्ग के थे, अनुसूचित जाति के थे, कुछ स्थान प्राप्त कर लेते थे या तो उन्हें रोकने के लिए लाया गया अथवा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे कानून को बनाया गया। इनके पास इतना बड़ा विधि विभाग है, एडवोकेट जनरल हैं, जब यह कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी तो इसका परीक्षण कराना चाहिए था कि कोई संवैधानिक अड़चन तो नहीं पड़ सकती है लेकिन विचार नहीं किया और करोड़ों रुपये खजाने का इतनी मोटी पुस्तिका, मान्यवर, आज सबसे ज्यादा मर्माहत होंगे कृषि मंत्री जी, जिन्होंने इतनी मोटी पुस्तिका बनाने के लिए हिन्दुस्तान के कोने-कोने में दौरा किया और तमाम सुझाव दिये। अगर उसे इस स्तर पर लाना था तो इतना सरकारी खजाने का रुपया क्यों खर्च किया गया और दूसरी बात यह कहना है कि इसका समर्थन सब ने किया था। 27 सितम्बर , 2001 को जब यह पेश हुआ था तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी इसका स्वागत करती है, समर्थन करती है तो तो फिर आज क्या हो गया, क्यों परिस्थियाँ बदलीं और अगर परिस्थितियां बदली तो इसमें क्यों नहीं लिखा गया, यह विधान किया गया कि हम कोर्ट फैसले के बाद इसमें संशोधन करेंगे, इसमें जिक्र नहीं है। फिर बड़ी-बड़ी रैलियां निकाली गयी, मंडलीय रैलियां निकालीं गयीं, जनता का पैसा खर्च किया गया और लोगों में जुनून भरा गया कि समाज के कुछ वर्ग के लोग दूसरों का हक मार रहे हैं। यह कानून नहीं बनाया गया, द्वेष की भावना भरकर और उनके कंधों पर बैठकर बहकाने की कोशिश की गयी फिर असफल हो गये, हमारे यहां एक लोकोक्ति चलती है, इलाहाबाद में भी चलती होगी, उसको थूककर चाटना कहते हैं। (शोर)

मान्यवर, आप देखेंगे क्रीमीलेयर, कितना पिछड़े वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्रीमीलेयर एक लाख रुपया कर दिया गया पिछले विधेयक में तीन लाख था। अब सिंचाई मंत्री जी हैं यह क्रीमीलेयर में आते होंगे लेकिन बहुत से गरीब तबके के लोग हैं। आप जो एक लाख का संशोधन कर रहे हैं उसमें चपरासी भी आ जायेगा तो उसका क्या करेंगे तो यह कानून किसके लिए ? अभी प्रवर समिति पर मैं कुछ कहूँगा, आगे भी कहना है इसलिए इस अननुमोदन संकल्प पर बल देता हूँ और सदन से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि अननुमोदन करें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, इसका उत्तर देना चाहें तो दें अन्यथा मतदान करा लें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) –

हम तो कहेंगे कि इस पर कोई संशोधन की या प्रवर समिति की बात न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अभी प्रवर समिति की बात नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर–

ऐसे संकल्पों का यहाँ उल्लेख न हो। मान्यवर, यह तो एक निर्णय लिया गया है जो आरक्षण नीति लागू हुई थी, न्याय समिति के आधार पर उसके संदर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ उसको देखते हुए इधर तमाम पद रिक्त हैं, आरक्षण कोटा भी पूरा करना है इसलिए 1994 की नीति का विनिश्चय किया गया लागू करने के लिए। इसमें तो मैं पाण्डेय जी से भी कहूँगा कि इस संकल्प पर जोर न दें, यह तो आमसहमति से बन जाना चाहिए। इस विधेयक को पारित करायें जहाँ तक आपने एक लाख की बात कही वह ठीक है। पाण्डेय जी, संकल्प आप अपना वापस ले लें। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करायें, एक अच्छी आपको खबर जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्री मान, संसदीय कार्य मंत्री की बात है और उन्होंने निवेदन किया है कि इसको वापस ले लिया जाये लेकिन वापस लेने के लिए उन्होंने कार्य ही नहीं किया है। अगर यह क्रीमिलियर की बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में और पिछड़े वर्गों में समाप्त कर दें तो मैं इस संकल्प को वापस ले सकता हूँ अन्यथा इस बात की क्या गारंटी है कि कोई कोर्ट में नहीं जायेगा। जैसे राजनाथ सिंह की सरकार के खिलाफ रिट दायर कर दी तो क्या मायावती की सरकार के खिलाफ नहीं दायर कर देंगे। अगर रिट मंजूर हो गयी तो फिर यह लटक जायेगा। यह केवल अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को बरगलाने वाली बात है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का अननुमोदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री इसके बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, श्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा है कि क्रीमीलियर आप समाप्त कर दें तब मैं संकल्प वापस ले लूँ। माननीय राम गाविन्द चौधरी जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि हो सकता है कि सामाजिक परिस्थितियों में बहुत से ऐसे लोग समाज में हैं जिन्हें नमक रोटी भी नहीं मिलती, हो सकता है कि आपको दाल-रोटी मिलती हो।

श्री साम गोविन्द चौधरी–

श्री राज नाथ सिंह ने भी अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों को लाभ देने के लिए कहा था तो फिर इनको नया विधेयक लाने की जरूरत क्या थी ? यह जनता को लालीपाप दिखाने का विधेयक है। इसमें उनको अधिकार देने की कतई कोई मंशा नहीं है। इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों का घनघोर नुकसान है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का अननुमोदन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक ऐसी परिस्थिति में लाया गया है कि जब एक आरक्षण नीति बनी थी, जिसके सन्दर्भ में मैंने उल्लेख किया था, के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ और उस नीति को रोक दिया गया। मान्यवर, पहले से भी आरक्षण नीति की एक व्यवस्था रही है। जब देखा गया कि इधर तमाम पद रिक्त हैं, पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के और कोटा पूरा नहीं हो रहा है, तब इस तमाम वैकलाग के आधार पर रोस्टर प्रणाली के आधार पर जिन्हें भरना था, तब सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित होने के नाते यह विनिश्चय किया गया कि 1994 के विधेयक के आधार पर जो आरक्षण नीति बनी है, उसको लागू करके पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा किया जाय, इसलिये मान्यवर, यह विधेयक लाया गया है और मैं चाहूँगा कि आम सहमति से इस विधेयक को लागू किया जाय। इसे पूरी साफ नीयत से लाया गया है ताकि जो मसला लम्बित है, न्यायालय में, उस सन्दर्भ में जैसे न्यायालय निर्देश देगी, उसका सरकार अनुपालन करेगी, इसलिये यह विधेयक लाया गया है, मैं चाहूँगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने में सभी सदस्य सहयोग दें।

(इस समय रात्रि के 08 बजकर 02 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित ज़ातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) खण्ड-3 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में शब्द "ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित" के स्थान पर शब्द "ऐसी रिक्ति किसी भी जाति से सम्बन्धित" रख दिये जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड-5 (ग) द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की अनुसूची-दो के अनुच्छेद छः के खण्ड (क) में शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच लाख रुपये " रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विधेयक अभी लम्बित हैं, इसलिये लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन यह सही है कि जब यह विधेयक लाया जा रहा था तो इसमें बहुत से सुझाव ऐसे थे जो हमारे वर्तमान कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने दिये थे, उनको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिये था। केवल हाईकोर्ट का बहाना लेकर और हाईकोर्ट के स्टे के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को जिस ढंग से लम्बित किया जा रहा था जिससे लोगों में विद्वेष की भावना फैल गई। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने लम्बे-लम्बे भाषण देकर, लम्बे-लम्बे वादे करके पिछड़ी जातियों में जातीय विद्वेष पैदा करे उनको लड़ाने का काम किया। पहले ही इसका परीक्षण कर लेना चाहिये था। कोशिश यह की गई कि जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें भेद पैदा किया जाय। जो कानून पहले बनाया गया था, जो कृषि मंत्री के सुझाव पर बना था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य था कि समाज में मेहनत करके जो लोग आगे आ रहे हैं, उन पर रोक लगे, इन लोगों में, पिछड़े वर्गों में आपस में जातीय संघर्ष शुरू हो और उस संघर्ष को शुरू कराकर लोगों में विद्वेष की भावना पैदा करने का प्रयास उस विधेयक में किया गया था। मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा कि जब कोई कानून बनता है, अध्यादेश लाया जाता है, तब उसका विधिक परीक्षण कराया जाता है। इसका भी विधिक परीक्षण कराया जाना चाहिये था। इसके लिए कौन दोषी है। यह जानते हुए कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में--संवैधानिक प्रश्न उपस्थित होगा फिर भी ऐसा किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उसमें केवल पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था की गयी थी लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया तो उसके लिए कौन दोषी है और आज भी मान्यवर, इसमें जो सुझाव आये हैं उसमें अगर एक भी जोड़ दिया गया होता तो अच्छा होता। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है और माननीय कृषि मंत्री जी आप तो बहुत मर्माहत होंगे, बहुत जोर-शोर से आपने सुझाव दिये थे लेकिन मुख्य मंत्री जी आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। इसका जो 14वाँ अध्याय है उसमें आपने बहुत से सुझाव दिये हैं। एक-एक सुझाव पढ़ने का समय नहीं है लेकिन मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, उन सुझावों में भी कुछ अच्छे सुझाव भी थे। वह ऐसे सुझाव नहीं थे जो आरक्षण के थे। उसमें कुछ सुझाव ऐसे भी थे जो पिछड़े हैं, वंचित हैं उनके बारे में सुझाव हैं, उसमें तालाब देने के बारे में सुझाव हैं, उनको रोजगार देने के बारे में सुझाव हैं, बैंकिग कर्जे के बारे में सुझाव हैं, इन पर भी विचार करना चाहिए जिससे जो गरीब हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। मान्यवर, मैं निवेदन करूँगा कि यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह इस कानून को बनाया जा रहा था, उससे पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित हो रहा था। अगर आज के वेतनमान में एक घर के दो बेटे चपरासी भी हो जायेंगे तो उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। कितनी होशियारी से इसको लागू किया जा रहा था। मान्यवर, हमारे जो माननीय मुख्य मंत्री जी थे, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इसकी सीमा 10 लाख रुपये तक रखी थी। जब पिछली बार यह विधेयक लाया गया तब इसे 10 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया गया। अब की बार जब यह लाया गया है तो इसे एक लाख कर दिया गया है। आप अनुमान करें कि कितने ऐसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं जो इसके तहत् रोजी पा सकेंगे। इसमें बहुत से

संशोधन हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, जो आपने क्रीमीलेयर की सीमा 3 लाख रखी है और जिस प्रकार आप वेतन की संस्तुतियों को लागू करते जा रहे हैं, उसे बढ़ाने की जरूरत है। हम सब सहमत हैं कि पिछड़े और दलित को उचित सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। उन्हें समाज चलाने में हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हम इसके भी पक्षधर हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जहां एक पट्टे के बारे में अपना सुझाव दिया था आजकल जो पट्टे हो रहे हैं गांव में उसमें अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जाति को मिलता है, पिछड़े वर्ग को नहीं मिलता है, पिछड़े वर्ग के लोग भी भूमिहीन हैं तो मेरा निवेदन है कि संशोधन तो मैं नहीं दे पाया हूँ कि उसमें भी वह इस बात को जोड़ें कि पिछड़े वर्ग के भूमि-हीनों को भी पट्टा देने की व्यवस्था की जाय और इसी के साथ मेरा निवेदन है कि क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा करें।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर जो संशोधन माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने दिया है, मेरा भी यही संशोधन है, मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, यह जो विधेयक है, वास्तव में यह सरकार ब0स0पा0 और भा0ज0पा0 की है यह पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से इसकी मानसिकता स्पष्ट झलक रही है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) 16(4) और 29 के अन्तर्गत समाज के पिछड़े वर्ग के लोग जो सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको राज्य सेवाओं में स्थान नहीं मिला है, उसको दिलाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत भारत सरकार ने मण्डल कमीशन बनाया था और पिछड़ा वर्ग कमीशन बना था और पहली बार उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुलायम सिंह यादव की 1994 में सरकार थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम बना कर जहां पिछड़े वर्गों को जिनको पहले 18 प्रतिशत का आरक्षण मिलता था उसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत का रिजर्वेशन देने का काम किया था। मान्यवर, उसमें जातियों की सूची जो पिछड़ा वर्ग कमीशन ने दिया था, इन जातियों की सूची उसमें सम्मिलित की गयी थी और आर्थिक आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइरेक्शन दिए थे कि उनकी आर्थिक स्थिति को देख करके दिया जाय तो मान्यवर, उस समय यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। सरकार ने गम्भीरता से विचार किया और क्रीमीलेयर के सम्बन्ध में जो सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन थे, उसमें यह निर्णय लिया गया था, उसमें 10 लाख तक की वार्षिक आय की छूट दी गई थी। जिन लोगों की 10 लाख की आमदनी होगी ऐसे लोगों को पिछड़े वर्ग का पात्र मान कर उनको दिया जाएगा, मान्यवर, यह लागू हुआ उत्तर प्रदेश में लेकिन जब यहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने सन् 2001 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (संशोधन) अधिनियम लागू किया और उसमें यह व्यवस्था कर दी कि पहले तो जातियों

के नाम पर जो है उसको बांटने का काम किया, पिछड़े वर्गों को आपस में बाँटने का काम किया, पिछड़े वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया गया। उस समय के संसदीय कार्यमंत्री श्री हुकुम सिंह जी जो इस सरकार में भी मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनायी गयी थी, जिसने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और पिछड़े वर्गों की वास्तव में जनसंख्या क्या है, उसकी जानकारी भी करायी। इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जो संस्था है, जो जातियाँ हैं उनकी जनसंख्या 54.5 प्रतिशत है। लेकिन जब आरक्षण देने की बात आयी तो वही 27 प्रतिशत ही रखा। मान्यवर, जब सामाजिक न्याय समिति बनायी गयी थी तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को एक ऐसा सन्देश दिया था, ऐसा मालूम हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को आबादी के अनुपात में 54 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर एक ऐसा माहौल बनाया था। लेकिन जब परिणाम आया, संशोधित अधिनियम पेश किया गया तो 27 प्रतिशत का 27 प्रतिशत ही रखा गया और उसी को तीन भागों में बाँटने का काम करके यहां के पिछड़े वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया गया, माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया है और जो आशा उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को थी कि 54 प्रतिशत आरक्षण यह सरकार देगी वह नहीं दिया गया। मान्यवर, यह जो वर्तमान सरकार ब0स0पा0 और भा0ज0पा0 की है यह संशोधन विधेयक लाये हैं। 6 जून को एक अध्यादेश जारी हुआ और उस अध्यादेश को जारी करके उसमें पिछड़े वर्गों के हक को छीनने का काम किया गया। इस सरकार पर हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण के नाम पर जो कुछ मिला है, उसको छीनने का प्रयास कर रही है, एक साजिश और षडयंत्र किया गया है क्रीमीलेयर के नाम पर। 1994 में माननीय मुलायम सिंह जी ने मूल अधिनियम लागू किया था उस समय क्रीमीलेयर की सीमा 10 लाख रुपये रखी गयी थी । माननीय राजनाथ सिंह जी और सामाजिक न्याय समिति ने षडयंत्र किया और उसे घटाकर 3 लाख रुपया कर दिया और आज कहने को तो दलित की बेटी सुश्री मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं मैं समझता था कि पिछड़े वर्गों के बारे में इनको चिन्ता होगी और 27 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 54 प्रतिशत करेंगी लेकिन इन्होंने पिछड़े वर्गों का हक छीनने का काम किया है और एक लाख रुपये की सीमा क्रीमीलेयर का करके जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, चाहे वह सचिवालय में चपरासी हों, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हो, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल में अध्यापक हों, या अन्य विभागों में हों वह इससे आरक्षण से वंचित होंगे। 1996 में पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से यह सभी जानते हैं कि तनख्वाहें तीन गुना बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान वेतन की दरें हैं उसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं वह भी क्रीमीलेयर में आ जा रहे हैं। एक चपरासी का बच्चा,अध्यापक का बच्चा आज विद्यालयों कालेज और यूनिवर्सिटीयों में, मेडिकल, इन्जीनियरिंग और व्यावसायिक संस्थाओं में कहीं पर भी उनका एडमीशन नहीं हो पा रहा है। उनका दाखिला नही हो पा रहा है जब उनसे जाति प्रमाण-पत्र मांगा जाता है तो तहसीलदार जो प्रमाण-पत्र देता है उसमें लिख देता है कि यह व्यक्ति क्रीमीलेयर में आता है' इस कारण से इनका आरक्षण बंद हो गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने से रोकने के लिए यह साजिश रची गयी है, षडयंत्र रचा जा रहा है। यह अध्यादेश पिछड़े वर्ग के लोगों के आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाया गया है। इसके पीछे एक दूषित मानसिकता है। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ एक लाख का

क्रीमीलेयर लगाकर बहुत अन्याय किया जा रहा है। इससे सारे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों में बड़ी हताशा और निराशा है, और चिंता है। मान्यवर, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जब पिछली सरकार ने सामाजिक न्याय समिति बना करके क्रीमीलेयर को 10 लाख से कम करके तीन लाख किया था और पिछड़े वर्ग को तीन हिस्सों में बांट करके आरक्षण देने का काम किया तो विधान सभा के जो चुनाव होने थे उसमें उन्होंने सोचा था कि ऐसा करके पिछड़ों का वोट ले लेंगे। लेकिन जब वोट देने का मौका आया तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने सबक सिखा दिया और इनकी संख्या घटकर 88 रह गयी । यह इसलिए हुआ कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनको वोट देने से इंकार कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो भाजपा-बसपा गठबंधन की सरकार है यह आने वाले समय में इन लोगों को उत्तर प्रदेश के 54.5 प्रतिशत लोग उनको सबक सिखा देंगे। आने वाले लोक सभा के चुनावों में इनको सबक सिखा देंगे। चुनावों में जनता इनको हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मान्यवर, आज हम यह कहने के लिए मजबूर हो गये हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते। मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिले आरक्षण की तुलना में अनुसूचित जाति के लोगों को ही अधिक सम्मान देने का काम किया गया है। क्या वह क्रीमीलेयर में नहीं आते ? मैं कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी क्रीमीलेयर की सीमा के अंदर लाया जाना चाहिए। जो लोग उनमें सुदृढ़ हो गये है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति के लोगों में जो लोग गरीब हैं और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और उनमें भी क्रीमीलेयर करके, उनको इससे वंचित करके जिनको लाभ नहीं मिला है क्रीमीलेयर में लाने का प्रयास होना चाहिए। इस बात के साथ में यह जो संशोधन प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बल देता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि यह विधेयक बड़ा संवेदनशील है। मान्यवर उत्तर प्रदेश की 54.5 प्रतिशत जनता के हितों से जुड़ा हुआ यह विधेयक है। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश की आवादी के हितों को देखते हुए इसे पास न किया जाय और मूल अधिनियम जो 1994 का है जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। उसमें संशोधन करके 54.5 प्रतिशत का आरक्षण देने की व्यवस्था की जाय। क्रीमीलेयर की जो सीमा है उसमें 10 लाख निर्धारित की गयी थी वहीं बहाल करके यह क्रीमीलेयर की सीमा उसमें रखी जाए। इन शब्दों के साथ मैं यह मांग करता हूँ कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इन शब्दों के साथ में अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो एक महीने के अंदर इस संबंध में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस पर विचार करके उस पर निर्णय लिया जाय।

*डा0 शिव प्रताप यादव--

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय सीताराम निषाद के संशोधन पर बल देने के लिये मुझे बोलने की जो आपने अनुमति दी उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। यह जो क्रीमीलेयर की बात है आज दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। सरकार सारी जनता के लिये होती है केवल एक वर्ग के लिये सरकार नहीं बनती है। आज अनूसूचित जातियों के लिये क्रीमीलेयर का कोई प्राविधान नहीं है। इससे आई0ए0एस0 का लड़का आई0ए0एस0 बनेगा और आई0पी0एस0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का लड़का आई0पी0एस0 बनेगा। पिछड़ी जातियों के लिये सरकार अवरोध उत्पन्न कर रही है। क्रीमीलेयर को 10 लाख से घटाकर 1 लाख रुपया किया जा रहा है। इससे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी है और जो यहां सुरक्षा के लोग खड़े हैं इनके बच्चे भी पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं उठा पायेंगे। इसलिये मैं संशोधन पर बल देता हूँ। अगर इसी तरह विषमता को अपनाया गया, भेदभाव अपनाया गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में जो 54 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है वह सबक सिखाने के लिये, जो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की कुर्सी है, पिछड़े वर्ग का कोई आदमी प्रधान मंत्री होगा तब पिछड़े वर्ग का कल्याण होगा। मंडल कमीशन ने जो प्राविधान किया है, वह दिन दूर नहीं है जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर पिछड़े वर्ग के माननीय मुलायम सिंह यादव प्रधान मंत्री होंगे और तब पिछड़े वर्ग की तरक्की होगी।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये उनके सम्मान के लिये पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर ने आरक्षण की सिफारिश की थी और यह कहा था कि पिछड़े वर्ग के लोग दूसरे लोगों के बहकाने पर बहक जाते हैं, वैसा ही आज हो रहा है क्योंकि कोई कह रहा है कि क्रीमीलेयर को खत्म करो, कोई कह रहा है कि कम करो। जब बाबा साहब ने देखा कि पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं हो रहा तो उन्होंने पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये कहा था मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आरक्षण की बात मान लो और उन्होंने संविधान में पिछड़ी जातियों के लिये व्यवस्था की थी।

*श्री बलराम यादव–

पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की थी बल्कि संविधान सभा ने किया था।

(शोर)

श्री शारदानंद अंचल–

आरक्षण बाबा साहब ने नहीं किया था।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष –

निषाद जी, आपकी बात आ गयी।

श्री सुखदेव राजभर–

आज पिछड़ी जातियों के लोगों को मूलत: 1994 के अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति अधिनियम के आधार पर नौकरियों में भर्ती की गयी। जब बहन मायावती ने यह एलान किया तो उसका सभी ने स्वागत किया। आप स्वागत करें या न करें, गावों में स्वागत हो रहा है। इसीलिये मैं आपसे निवेदन करूँगा,--माननीय बलराम,यादव जी से और माननीय निषाद जी से कि आप अपने प्रवर समिति के संशोधन को वापस ले लें और इसका पारण करायें। पिछड़ी जातियों के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, अगर आपने इस संशोधन पर बल दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने इस विधेयक के संशोधन पर मत रखने के लिये अवसर दिया। पिछड़ा वर्ग सड़कों पर आ जाएगा। यह विधेयक बहुत ही गन्दी मानसिकता से यहाँ पर लाया गया है। संविधान निर्माताओं ने जिस अनुच्छेद के माध्यम से अनुसूचित जातियों के आरक्षण और विकास की बात कही थी उसके दूसरे अनुच्छेद की उप धारा में पिछड़े वर्गों के आरक्षण और विशेष अवसर के सिद्धान्त को संविधान से स्वीकारा था। एक लम्बी साजिश के तहत काका कालेकर की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसके बाद जब किसी तरह से जनता पार्टी की सरकार आई थी उसमें अध्यक्ष महोदय आप भी भागीदार थे, आपको याद होगा तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह ने मण्डल कमीशन बैठाया था पिछड़ों के लिए आरक्षण और पिछड़ों के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसकी रिपोर्ट आने के पूर्व वह सरकार चली गई उसके बाद 10 वर्ष बाद जब पुन: केन्द्र में जनता दल की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्य मंत्री बने तब इस रिपोर्ट को लागू किया गया। जिस दिन आरक्षण अनुसूचित जाति को मिला था उसी दिन आरक्षण पिछड़े वर्ग को भी मिलना चाहिए था लेकिन उसको रोकने का काम किया गया। बाद में एक नौटंकी करके जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई वह पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए नहीं थी बल्कि उनको बांटने के लिए बनाई गई थी। उनको बांटकर संघर्ष कराने के लिए व इनको वोट देने के लिए लेकिन पिछड़े वर्ग की जनता को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ वह इनकी साजिश को सफल नहीं होने दिया और मा0 सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी। अब कौन सी आवश्यकता पड़ गई। एक गन्दी मानसिकता के कारण यह विधेयक लाए हैं इसलिए पीड़ा होती है। जब विधेयक पेश करने वालों की मानसिकता खराब होगी तो ऐसा विधेयक ज्यादा दिनों तक टिक नही पाएगा। न ही ऐसे विधेयकों से किसी का कल्याण हो पाएगा। अगर इस विधेयक को मूल रूप में लाते तो हम लोग निश्चित रूप से इसको स्वीकार करते व नेता सदन को बधाई देते। लेकिन इनके मन में दूसरी बात छिपी हुई है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें जो विचारोपरान्त अपनी संस्तुति दे। पिछड़ा वर्ग अब रुकने वाला नहीं है। अब यह 27 प्रतिशत पर रुकने वाला नहीं है। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय अनुसचित जाति के भाइयों को जनसंख्या के बराबर भागीदारी के सिद्धान्त पर 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया था व अनुसूचित जनजाति के लोग जो थोड़े बहुत सोनभद्र में रहते हैं उनके लिए दो प्रतिशत आरक्षण किया था। अगर अनुसूचित जनजाति का पद रिक्त रहे तो अनुसूचित जाति से भरने की व्यवस्था की थी इस तरह से 23 प्रतिशत आरक्षण किया था। वह विधेयक हम लोगों ने बनाया था। स्वामी प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी बहुत पिछड़ों की मीटिंग किया करते थे लेकिन अब इस विधेयक के समर्थक हो गये हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर आन्दोलन खड़ा हो सकता है। क्रीमीलेयर की जो आपने सीमा इसमें रखी गयी है, इस पर दो वर्षों से पी0 सी0 एस0 का रिजल्ट रुक गया है क्योंकि जिस समय मण्डल कमीशन लागू हुआ था मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के सीने में दर्द हुआ था और वह अभी तक गया नहीं है। किसी न किसी रूप में इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को नहीं लेने देना चाहते हैं इसलिये यह संशोधन लाकर इस क्रीमीलेयर की जो 1994 में विधेयक लाये थे उसी रूप में प्रस्तुत कराकर पास कराना चाहते हैं। माता प्रसाद पाण्डेय जी ने पता नहीं पुराने विधेयक को देखा कि नहीं। पाँच लाख की मांग की है। मैं उनसे सहमति जताते हुए कहना चाहता हूँ

कि इस क्रीमीलेयर की आय सीमा दस लाख रख दिया जाय। यह चिन्ता छोड़ दें कि कौन पिछड़ा है और कौन अति पिछड़ा है। यह ऐसी बात करने वाले पिछड़े वर्ग के दुश्मन हैं। पहले भी इस मांग को रखने के लिये एक चाल चली गई थी। जिस जिले में इस समिति के लोग जाते थे वहाँ एक विशेष वर्ग के लिये ही कहते थे कि वहां पर सारा लाभ उन्होंने ले लिया। इस तरह से अन्य पिछड़ों के अन्दर द्वेष फैला रहे थे। लोग एक दूसरे से नफरत करके लड़ाई लड़ रहे थे। यह सामाजिक न्याय समिति असामाजिक न्याय उनके साथ कर रही थी। कह रहे थे कि हमने जो संस्तुति की थी वह तो है ही नहीं। उनकी संस्तुति को नहीं दिया गया पता नहीं कहां से लिखकर लाये थे दस्तखत करवा लिये। हिन्दुस्तान में पहली कमेटी बनी थी जिसने इतनी जल्दी में इतने लोगों के कल्याण की सिफारिश कर दी थी कृषि मंत्री के नेतृत्व में। इसलिये मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, माननीय नेता सदन से भी कहता हूँ कि इतनी चतुराई से ऐसा विधेयक मत प्रस्तुत करिये। यह पिडड़े वर्ग से जुड़ा मामला है उनका 27 प्रतिशत आरक्षण को 54 प्रतिशत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्रीमीलेयर को एक दो दिन टालकर, अपने अधिकारियों से बात करके एक लाख की जो सीमा रखी है उसको 10 लाख कर दीजिये तो निश्चित रूप से हम आपको बधाई देंगे।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का उत्तर आ गया है। बलराम जी को समय दे दिया क्योंकि संशोधन प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर हैं। मंत्री जी के उत्तर के बाद इसीलिये उधर भी समय नहीं दिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह तो मान्यवर, चर्चा है, यह नोटिस नहीं है। मंत्री जी का उत्तर इतनी जल्दी आ गया, मैं नहीं जानता कि क्यों ? यह महत्वपूर्ण विधेयक है कोई औपचारिक नहीं है। 54 फीसदी जनता से जुड़ा है। इतनी जल्दबाजी में नहीं पारित होना चाहिए। संशोधन प्रस्ताव में नाम नहीं है लेकिन मान्यवर, प्रस्ताव करने वालों के अलावा किसी को समय न दिया जाय यह मैं नहीं समझता कि ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, संशोधन प्रस्ताव रखते समय जिन तथ्यों का उल्लेख माता प्रसाद पाण्डेय जी ने, सीताराम निषाद जी ने किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। श्रीमन्, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इसकी पृष्ठभूमि में जाया जाय। कानून लागू होने के पहले जितनी लड़ाई लड़ी गई उनके परिणाम मण्डल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का काम जब हुआ तो आजाद हिन्दुस्तान में जितने भी आन्दोलन हुए हैं। बड़े-बड़े अधिकार गये। जमींदारी समाप्त हुई तो किसी ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालने का काम नहीं किया था। हजारों सालों से जिनके अधिकार छिने हुए थे उनको अधिकार देने की बात हुई 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हुई तो इस आजाद हिन्दुस्तान में कोई दूसरा आन्दोलन इतनी तेजी से किसी विधेयक के विरोध में नहीं हुआ था जितना इसके विरोध में हुआ। हर तरह से कोशिश थी कि उनको अधिकार से वंचित

रखा जाय, उनको किसी तरह से उनका अधिकार न दिया जा सके। इतनी लड़ाइयों के बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का काम सिद्धान्त रूप में हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव जी को जिनकी सरकार ने प्रदेश सरकार में मंडल कमीशन लागू करने का काम किया।

(व्यवधान)

बाबा साहेब का नाम लेकर क्या कहना चाहते थे सुखदेव राजभर जी, मैं नहीं जानता, लेकिन मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मन में शताब्दियों से सताए लोगों की पीड़ा थी उसके लिए आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया। मान्यवर, उन्होंने सतत् संघर्ष किया, हमारी पूरी श्रद्धा है, जहां तक पिछड़ों का सवाल है भीम राव अम्बेदकर जी किस संदर्भ में पिछड़ों की सहायता करना चाहते थे, मैं नहीं जानता।

(व्यवधान) मान्यवर, जो शताब्दियों से उनका हक लूटने में लगे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता वह लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने पर, नौजवान को भड़काने का काम करते थे, नौजवान भड़ककर किरोसीन डालकर आग लगाने का काम करता था। आज वही लोग सत्ता मे आ गये। मान्यवर, हुकुम सिंह जी की अगुवाई में एक समिति बनी थी और उसमें वही ताकतें काम कर रही थीं जिन्होंने शताब्दियों से पिछड़ों को हक नहीं दिया था जो मंडल कमीशन की सिफारिशों को खत्म करने का काम करती थीं, मैं बधाई देना चाहता हूँ नेता सदन को, माननीय मुख्य मंत्री जी को कुमारी मायावती जी को, सामाजिक न्याय समिति के नाम से पिछड़ों को आरक्षण पूरी तरह से नेस्तनाबूद की जो साजिश रची उसको नकारकर बधाई का काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ लेकिन उनकी दूसरों की साजिश में साझा सरकार है, उनके हाथों में वह पूरी तरह जकड़ गई हैं इसलिए उन्होंने इस विधेयक को इस रूप में लाने का काम किया है। एक लाख वार्षिक आय अगर होगी तो पूरे परिवार को चलाने के बाद, अपने बच्चे को इण्टरमीडिएट कराने के बाद, स्नातक में दो बच्चों को पढ़ाना हो तो क्या इस आय वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, फ्री-सीट इंजीनियरिंग कालेज मेडिकल कालेज की होगी हो सकता है मेरी ठीक जानकारी न हो लेकिन 40 हजार सालाना से कम फीस नहीं होगी अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को दो बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी औकात इण्टरमीडिएट से ऊपर पढ़ाने की नहीं है, इण्टरमीडिएट से ऊपर न पढ़ पाए यह साजिश का अंग हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस समय उद्धृत नहीं कर सकता हूँ लेकिन कल पटल पर रखने का काम कर सकता हूँ। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थान आरक्षित हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती की जाए और पिछड़े वर्ग को नौकरी न मिल सके अगर साजिश के तहत 54 फीसदी आबादी के साथ धोखा किया जाएगा तो हम सिर्फ राजनीतिक तौर पर विरोध की बात नहीं करते हैं, मात्र संशोधन प्रस्ताव के द्वारा हम विधेयक का विरोध करने का काम नहीं करते हैं, अपील करने का काम करते हैं। आप फिर से विचार कर लीजिये। आज संशोधन प्रवर समिति को सौंपने की बात कही गयी है, तो समय मिल जायेगा! दूसरी अपील करना चाहता हूँ, आदरणीय नेता है, कुछ हुकुम तो मानना ही पड़ेगा, मैं खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आज जो यह विधेयक पारित होगा उसमें जो भागीदार होगा उसको आने वाली औलादें कभी नहीं माफ करेंगी। अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर वोट देना। इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गयी है और उस लड़ाई को निष्फल करने वाला कार्य जो सदन के माध्यम से हो रहा है उसमें साझीदार मत होइये, और सचेत हो जायें और किसी भी दशा में

इस विधेयक को पास न होने देंगे, मैं यह अपील करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने में अपनी पराजय न समझे। यह संवेदनशील मामला है जिसमें जल्दबाजी से निर्णय नहीं लिया जा सकता। आप पढ़ी लिखी हैं आप इसका ख्याल रखेंगी। आप इन बातों पर गम्भीरता से सोचें। अंत में मैं अपनी अपील पर बल देता हूँ।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन और नेता विपक्ष और मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने, जिन्होंने संशोधन रखा है उनकी बातों का अनुमोदन करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी आपने भाषण में कहा था कि डा0 अम्बेडकर के सीने में पिछड़ों का दर्द था। तभी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा घटायी। तो मैं, अनुरोध करना चाहता हूँ कि डा0 अम्बेडकर के सीने में इस प्रदेश के हरिजन और अनुसूचित जाति के लिए बड़ा दर्द था तो क्या यह सरकार उनके लिए भी क्रीमीलेयर अलग से करने जा रही है।

कृषि एवं पंचायती राजमंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, कई बार मेरा नाम लिया गया। केवल दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, यह विधेयक जो है यह मूल रूप से आपका लाया है जो आज आ रहा है। एक सुझाव आया कि क्रीमीलेयर वाला इसमें क्रीमीलेयर का संशोधन है। क्रीमीलेयर एक लाख का है। जब वह दस लाख निकाल दिया जायेगा तो मूल अधिनियम में प्राविधान था वह लागू हो जायेगा। जो आपने रखा है वह लागू हो जायेगा। आपने आपत्ति की कि पिछड़ों को लड़ाने का काम किया। इस विधेयक में सूची सम्मिलित है। वे सब जातियां जो पिछड़े वर्ग में हैं वह हैं अगर मैंने या किसी रिपोर्ट में या सरकार में छान-बीन करने के बाद में यह पाया हो कि काछी, कुशवाहा, कहार, कश्यप आदि, यह सूची इसमें दी हुई है, यह सारी जातियां ऐसी हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व किसी प्रकार का था नहीं। पिछड़े वर्ग की जो सहूलियत मिली थी उस सहूलियत में अनेक जातियां ऐसी थीं 70 में से जो पूर्णतया वंचित हैं। वंचित जातियों के लिए कोई सिफारिश कर दी गयी उनका उल्लेख माता प्रसाद पाण्डेय जी ने भी किया तो वो न्याय किया गया या अन्याय किया गया (व्यवधान) मान्यवर, अगर किसी सरकार ने इमानदारी से प्रयास किया कि जितने वर्ग वंचित हैं उन वर्गों को भागीदारी मिल सके, केवल यह एक प्रयास था, अगर वह प्रयास सही था तो मेरे ख्याल में विधान सभा के इतिहास में कम अवसर ऐसे आते हैं जब किसी विधेयक को यहां सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। उसमें जो कमी थी, 2001 में विधेयक लाने का प्रयास किया गया था। पिछली बार ऐसे विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित किया आज वह आपको कमी दिखाई दे रही है।

श्री. अम्बिका चौधरी--

उस समय विपक्ष नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और बी0 एस0 पी0 चुनाव के पूर्व नूरा कुश्ती लड़ रहे थे विपक्ष नहीं था। विपक्ष होता तो आपकी यह चाल कामयाब नहीं होती ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मुख्य विपक्ष के रूप में एक बी0एस0पी0, उसके नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या विराजमान थे उनके पीछे उनकी पार्टी के सदस्य और उन्होंने खड़े होकर यहीं पर इस विधान सभा में उस सारी व्यवस्था का स्वागत किया था कि हम इसका स्वागत करते हैं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अम्बिका चौधरी–

दोनों की पोल खुल गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहिये।

श्री हुकुम सिंह–

अभी बड़े साहस के साथ में बड़े जोर से बड़े शोर से विरोध कर रहे हैं वे कहां थे ? अगर कोई तर्क आया था, कोई तर्क नहीं था अगर विरोध किया तो बाकी पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या होगा, मलाई खाने वाले कुछ लोग थे, सब लोगों को मलाई नहीं बांटना चाहते थे। मैं नेता सदन को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस सदन में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था। यह कहा था कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने जो यहां से विधेयक पारित हुआ अधिनियम बना वहां अदालत में गया। अदालत में जाकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे कर दिया। स्टे के बाद स्थिति जो आई है उसे हमें समझना चाहिए और उसमें हमें व्यवहारिक पहलू अपनाना चाहिए। 1994 का विधेयक विधान सभा में गया नहीं। 2001 में बना स्टे हो गया । तो हमारा वह सारा वर्ग जिसको आरक्षण का लाभ मिल सकता था वह वंचित रह गये। हमारे सरकारी काम में बाधा आने लगी माननीय नेता सदन ने इस सदन में आश्वस्त किया था। मान्यवर, जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

मान्यवर, यह भी था कि सर्वोच्च न्यायालय से जो व्यवस्था आ जायेगी तो वह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इन लोगों ने सत्ता में आकर केवल कुछ वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाया है, सारे पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया किन्तु नेता विरोधी दल के प्रयास से वे अपने स्थान पर बैठ गये।)

मान्यवर, जरा भी शर्म होती तो तर्क के आधार पर कोई बात कहते। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसका सर्वसम्मति से समर्थन करें। मैं अपनी बात पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी, सीताराम जी, बलराम यादव जी आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं या मैं मतदान कराऊँ ?

(व्यवधान)

आपकी बात इन लोगों ने शांतिपूर्वक सुन ली, इनकी बात आपने सुन ली अब आगे की प्रक्रिया हमको करने दें।

(नेता प्रतिपक्ष) श्री मो0 आजम खां –

मान्यवर, सिर्फ जरा सी मुतमईन होने वाली बात है इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता और झुठलाया भी नहीं जा सकता। हमने तो यह जाना था कि समूह (ग) की भर्तियां होनी थीं और यह विधेयक यहाँ पेश हुआ था तब बहुजन समाज पार्टी का समर्थन था। समाजवादी पार्टी वाले नहीं थे वह इस्तीफा देकर चले गये थे, नहीं छोड़कर चले गये थे।

श्री हुकुम सिंह–

समाजवादी पार्टी ने इस्तीफा नहीं दिया था, वह सदन में नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

त्याग-पत्र देने के बाद सदन की बैठक ही नहीं हुई। इनका बहिर्गमन हुआ था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी नहीं थी सदन में उस वक्त बहिर्गमन हुआ था उसके बाद में वायदा किया था कि मैं बहिर्गमन नहीं करूँगा तब शायद उसमें कुछ दोनों का गठजोड़ होना था तब खुद मुख्य मंत्री ने जो आज हैं इसे समाप्त किया था, नापसन्द किया था तो आज यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दोनों में से कौन सी बात सही है इसलिए आज जो बहस हुई है। विपक्ष की तरफ से मान्यवर, इतनी सी माँग है इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और जल्दबाजी में इसे पारित न किया जाय। यह बात अलग है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं जब इधर भाषण हो रहा था तो उनके चेहरे देखने लायक थे।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

यह लग रहा है कि यह फैसला इनके जमीर की आवाज पर नहीं हो रहा है मजबूरी से हो रहा है। जमीर की आवाज पर हम चाहेंगे कि फैसला लें।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, पशुधन, दुग्ध विकास, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

मान्यवर जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उस समय उन्होंने कहा था "हे खुदा इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं"

श्री अध्यक्ष–

इस समय किसे सूली पर चढ़ाया जा रहा है ?

श्री लाल जी टण्डन–

मैं अपनी बात को इस बात से जोड़ता हूँ। अगर इस विधेयक में कोई दोष है तो यह उस समय के विधेयक का दोष है जो सन् 1994 में बनाया गया था। कोई प्रदेश आरक्षण नीति के बिना नहीं रह सकता एक तीसरी और नीति बनाने के बजाय हम उसी विधेयक को ले आये जो पहले नीति चल रही थी। यह तय किया गया कि न्यायालय का फैसला होने तक उसे लागू कर दिया जाय। सिर्फ एक बात है क्रीमीलेयर की, तो मान्यवर, यह सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर

देखें। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं जो कर्मचारी हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के है। किसकी आमदनी 10 लाख रुपये की है। इसलिए हम आज भी उस बात पर प्रतिबद्ध हैं कि अनुसूचित जातियों से ऊपर के जो वर्ग हैं उनका सामाजिक स्तर कुछ ऊँचा था, लेकिन कहीं-कहीं पर वह उनसे भी बदतर स्थिति में थे, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। यह कहने की बात कि यह कोई नयी बात हो गयी है, ऐसा नही है। देश के कई इलाकों में यह नीति पहले से लागू है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर नारे एक साथ खड़े होकर बोलने पर लगाने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये, व्यवधान न कीजिए। देखिये आपकी बात शान्तिपूर्वक सुन ली गयी, अब आप उनकी बात शान्तिपूर्वक सुन लीजिए। बैठ जाइये आपकी बात आ गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपको भी बधाई देता हूँ, नेता सदन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के जमाने में सन् 1994 में आरक्षण के सम्बन्ध में जो कानून लागू किया गया था वही सही था और आज सदन ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

श्री लाल जी टण्डन–

उसी का तो आप विरोध कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

उस कानून पर यह जो प्रहार करने का काम है। श्री मुलायम सिंह यादव के कानून में न तो कोई संशोधन की गुंजाइश तब थी, न अब है और न आगे आने वाले दिनों में होगी।

(राम करन आर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये। पूरी बात आ गयी है। यह कोई तरीका नहीं है। जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, यह कहा जा रहा था, यहाँ पर हम लोग दुखी हैं। मान्यवर, दिल तो दुखी है, इसलिये कि उस तरफ ध्यान जाने नहीं दिया जा रहा है और जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिये था। अपनी सुविधा के लिये क्रीमीलेयर का विषय यह लोग उठा रहे हैं, अब तो 3 लाख किया जा रहा है, इन्हें आपत्ति क्या है ?

(श्री राम करन आर्य के खड़े होने पर

तथा सत्ता पक्ष की ओर से टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इधर नेता सदन खड़ी हैं, कृपया बैठ जाइये और शान्त रहिये।

(श्री राम करन आर्य को बोलने से सत्ता पक्ष द्वारा रोकने और टोका-टाकी पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जायें।

(वेल में आये हुए विपक्ष के सदस्य अपने -अपने आसनों पर वापस गये।)

इस समय रात्रि के 9 बजकर 02 मिनट।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। इस विधेयक के ऊपर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इधर माननीय मंत्री जी ने अपने विचार रखे, उसके बाद अम्बिका चौधरी को अवसर दे दिया गया। स्वस्थ राजनीति का यही लक्षण है कि हमने विचार रखे आपने शान्तिपूर्वक सुना और आपने विचार रखे, हमने सुना। अब मुझे मतदान प्रक्रिया अपनाने दीजिये। दोनों पक्षों की बात आ गई है। संसदीय लोकतंत्र में मतदान के द्वारा हम लोग निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। आपका अनुरोध है कि संशोधन के माध्यम से प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय लेकिन प्रवर समिति को जाय या न जाय, यह भी सदन मतदान के माध्यम से निश्चय करेगा जो विनिश्चय कर ले तो आप सदन के अन्दर भी बात कह सकते हैं और सदन के बाहर भी कह सकते हैं। अनेक बार ऐसे विधेयक पास हुए हैं जिनका विरोध सदन के बाहर भी हुआ है। लेकिन सदन में उत्तेजना पैदा नहीं करते। उत्तेजना के क्षणों में कभी मुँह से भी विरोध निकलता है, कभी मुँह भी बन जाता है लकिन उसके पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं होती है। भावुकता में लोग कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि इसे यहीं समाप्त करें। मैं अब माननीय माता प्रसाद जी से पूछ रहा हूँ कि क्या वह अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं इस पर बल दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इसे मतदान के लिए प्रस्तुत कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है" ;

(ख) खण्ड (ख-1), (ख-2), (ख-3) निकाल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–3

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा-3 में शब्द, "ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित" के स्थान पर शब्द, "ऐसी रिक्ति किसी भी जाति से सम्बन्धित" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1), (2), (3), के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :–

"(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	– इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में	– दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	– सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, किसी भर्ती का वर्ष में, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और साथ ही उस सेवा के संवर्ग की, जिसके लिए भर्ती की जानी है, सदस्य संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(2) यदि किसी भर्ती का वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चातवर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायगा और उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ, जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी ;

(3) जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपधारा (2) के अधीन तीन विशेष भर्ती करने के पश्चात् भी बिना भरी रह जाय तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जा सकती है";

(ख) (एक) उपधारा (3-क), (3-ख) निकाल दी जायगी ;

(दो) उपधारा (4) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए, अधिसूचित आदेश द्वारा, लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी जिसमें आरक्षण बिन्दुओं को इंगित किया जायगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायगा जब तक उपधारा (1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायगा जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और मूल रूप में स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—4

4—मूल अधिनियम की अनुसूची—एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्: — अनुसूची-एक का प्रतिस्थापन

"अनुसूची—एक

[धारा 2 (ख) देखिये]

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
3. जाट
4. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सेंथवार
5. गिरी
6. गूजर
7. गोसाई
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
9. कम्बोज
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
12. कहार, कश्यप
13. केवट,मल्लाह, निषाद
14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कुजड़ा या राईन
19. गड़ेरिया, पाल, बघेल
20. गददी, घोसी
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22. छीपी, छोपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू,रौनियार, गन्धी, अरांक
28. दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनूसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कशोधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
45. लोहार, लोहार-सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी

53. धोबी-(जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54. कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानवाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा/कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरो
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाडा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलवार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा,
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
78. मिरासी
79. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–5

अनुसूची-दो का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची-दो में,–

(क) अनुच्छेद एक में शब्द "या रहा हो" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के उपखण्ड (ड) में हिन्दी पाठ में आये हुए शब्द "अस्थाई" के स्थान पर शब्द "स्थाई" रख दिया जायगा;

(ग) अनुच्छेद छः के खण्ड (क) में शब्द "तीन लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें श्री राम जी शुक्ल और श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह का संशोधन है। आप संशोधन रखें।

श्री रामजी शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 के खण्ड --5 के उपखण्ड (ग) को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड--5 के उपखण्ड (ग) को निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

संशोधन संख्या--3 की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड--5 इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–6 से खण्ड–7 तक, अनुसूचियाँ, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अनुसूची-तीन का संशोधन निरसन और अपवाद

6--मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन निकाल दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2002 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2002

7--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

2--ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

"अनुसूची--एक

[धारा 2 (ख), (ख--1), (ख--2) देखिये]

भाग–क

1--अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय

भाग–ख

1--सोनार, सुनार, स्वर्णकार

2--जाट

3--कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार

4--गिरि

5--गूजर

6--गोसाई

7--लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत

8--कम्बोज

भाग--ग

1--अरख, अर्कवंशीय
2--काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
3--कहार, कश्यप
4--केवट, मल्लाह, निषाद
5--किसान
6--कोइरी
7--कुम्हार, प्रजापति
8--कसगर
9--कुजड़ा या राईन
10--गड़ेरिया, पाल, घघेल
11--गदही, घासी
12--चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक
13--छीपी, छीपा
14--जोगी
15--झोजा
16--डफाली
17--तमोली, बरई , चौरसिया
18--तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अरांक
19--दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ
20--धीवर
21--नक्काल
22--नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
23--नायक
24--फकीर
25--बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
26--बढ़ई, सैफी, विश्यकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड, धीमान
27--बारी
28--बैरागी
29--बिन्द
30--बियार
31--भर, राजभर
32--भुर्जी, भड़भूजा, भूंज, कांदू, कशोधन
33--भठियारा
34--माली, सैनी
35--स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
36--लोहार, लोहार-सैफी
37--लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
38--रंगरेज, रंगवा
39--मारछा
40--हलवाई, मोहदनवाल
41--हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
42--राय सिक्ख
43-- सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
44--धोबी (जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
45--कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
46-नानबाई
47--मोरशिकार
48--शेख, सरवरी (पिराई), पीराही
49--मेव, मेवाती
50--कोष्टा/कोष्टी
51--रोड़
52--खुमरा, संगतराश, हंसोरी
53--मोची
54--खागी
55--तंवर, सिंघाड़िया
56--कतुआ
57--माहीगीर
58--दांगी

59--धाकड़

60--गाड़ा

61--तंतवा

62--जोरिया

63--पटवा, पटहारा,पटेहरा, देववंशी

64--कलाल, कलवार, कलार

65--मनिहार, कचेर,लखेरा

66--मुराव, मुराई, मौर्य

67--मोमिन (अंसार)

68--मुस्लिम कायस्थ

69--मिरासी

70--नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे

करण (कर्ण)"

"अनुसूची-दो

[धारा3 (1)देखिए]

एक--संवैधानिक पद

ऐसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री जो,

(क) भारत का राष्ट्रपति हो या रहा हो,

(ख) भारत का उप राष्ट्रपति हो या रहा हो;

(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक हो या रहा हो;

(ङ) इसी प्रकार के किसी अन्य संवैधानिक पद पर आसीन हो या रहा हो।

दो--सेवा श्रेणी

(क) अखिल भारतीय, केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह-क या श्रेणी-एक के अधिकारी निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री--

XXX XXX XXX

(ङ) जिनके माता-पिता दोनों समूह-क या श्रेणी-एक के अधिकारी हों और ऐसे माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाय या वे अस्थाई अक्षमता से ग्रसित हो जायं और दोनों की ऐसी मृत्यु या अक्षमता के पूर्व उनमें से किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष की अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो।

छः--आय या सम्पत्ति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री--

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

XXX XXX XXX

"अनुसूची--तीन

[धारा 3(3) देखिये]

भाग--क

1--चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव

भाग--ख

1--अगरिया
2--बाँधक
3--बादी
4--बहेलिया
5--बैगा
6--बंसवार
7--बजनिया
8--बाजगी
9--बलहर
10--बलायी
11--बाल्मीकी
12--बंगाली
13--बनमानुष
14--बांसफोड़
15--बरवार
16--बसोड़
17--बावरिया
18--बेलदार
19--बेड़िया
20--भाण्ड
21--भुइया
22--भुइयार
23--भोंड़िया
24--चेरो
25--दबगर
26--धनगर
27--धानुक
28--धरकार
29--धोबी
30--डोम
31--डोमर
32--दुसाध
33--धरमी
34--घसिया
35--गोंड
36--ग्वाल
37--हबुड़ा
38--हरी
39--हेला
40--कलावन्त
41--कंजड़
42--कर्पाड़िया
43--करवल
44--खैराहा
45--खरवार (बेनबंसी को छोड़कर)
46--खटिक
47--खोरोट
48--कोल
49--कोरी
50--कोवा
51--लालबेगी
52--मझवार
53--मजहबी
54--मुसहर
55--नट
56--पंखा
57--परहिया
58--पासी, तरमाली
59--पाटरी
60--रावत
61--सहरया
62--सनौढ़िया
63--सांसिया
64--शिल्पकार
65--तुरहा"

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरेपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), द्वितीय परन्तु को छोड़कर, धारा 3 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) धारा 4, धारा 5, और धारा 6, 15 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, धारा 3 के खण्ड (क) के शेष उपबन्ध, खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग) 25 जून, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से खण्ड 7 तक, अनुसूचियां, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)--

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एवं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री राम गोविन्द चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा वाला संकल्प भी प्रस्तुत कर दें।

रामगोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन् यह जो अध्यादेश है, ये जनता को और उलझन में डालने वाले हैं, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ए0सी0ओ0, सी0 ओ0 ये जो अपने फैसले सुनाते हैं, उस फैसले के विपरीत जो डी0डी0सी0 हैं उनको इतना अधिकार दे दिया जाय कि उनके फैसलों को यह बदल सकें चाहे वह लिखित प्रार्थना पत्र दें या मौखिक। यह मैंने पहले भी पेश किया था। अब विधेयक को जनता के हित के लिए मान्यवर, नहीं लाया जा रहा है बल्कि जनता को भंवर जाल में डालने के लिए और जनता को अधिक लूटा जाय, इस प्राविधान के लिए लाया जा रहा है। चकबन्दी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि किसानों के हितों की रक्षा हो सके, जो उनके छोट-छोटे खेतों के टुकड़े हैं, वह एक जगह इकट्ठा कर दिए जायं, चकरोड छूटे, स्कूल की जमीन छूटे, लड़कों को खेलने के लिए खेल का मैदान छूटे, तमाम इन प्राविधानों के लिए चकबन्दी की प्रक्रिया की गई । श्रीमन् ये सारे लोग गांव और देहात से आने वाले लोग हैं। चकबन्दी जिस गांव और एरिया में प्रारम्भ जो जाती है उस गांव का अनाज ही हथिया लिया जाता है, जिस घर में किसानों का पैसा है वह सारा पैसा चकबन्दी कार्यालय तक दौड़ते-दौड़ते खत्म हो जाता है और मामला खत्म नहीं होता है। मान्यवर, 1978 में जब मैं चुनकर आया था तो 1975 से चकबन्दी की जो प्रक्रिया शुरू हुई और आज तक वह किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं। दावा तक नहीं खड़ा किया गया है। चकबन्दी की प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है और किसानों के पैसे तारीख दर तारीख उसमें चला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि डी0सी0 के हाथों में इतना पावर दे देने का क्या औचित्य है और यह कहां तक उचित है आप यह निर्णय दें कि चकबन्दी जिन गांवों में हो रही और एक निश्चित समय सीमा में अगर वहां की चकबन्दी नहीं खत्म हो जाती तो हम वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आज तक चकबन्दी से जो चकरोड छूटे हैं बड़े-बड़े लोग जो किसान हैं चकरोड़ों पर आज तक कब्जा किए हुए हैं। जो आवासीय पट्टे के लिए जमीन खाली छोड़ी गयी, अति पिछड़े, पिछड़े, दलित के लिए वह सारी जमीनों पर अब तक कब्जा है न उसका निराकरण हो पा रहा है न किसी का कब्जा हो पा रहा है जो दबंग किस्म के लोग हैं बड़े किसान हैं वह आज तक कब्जा किये हुये हैं। चकबंदी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गयी है कि किसान रो रहा है, इस चकबंदी प्रक्रिया से ऊब गया है, अधिकारियों की कार्यप्रणाली से उब गया है। चकबंदी कार्यालय किसानों के लूट का अड्डा बन गया है। वहां पर पैसे पर ही काम होता है और यह जो प्राविधान राजस्व मंत्री जी ने किया है उसमें और किसानों को लूटने की छूट दी गयी है। एक अधिकारी ने सही न्याय दे दिया और जिसके खिलाफ हो गया वह डी0डी0सी0 के यहां पहुंच गया, थैली दी और फैसला उसके पक्ष में हो गया। चकबंदी प्रक्रिया को जल्दी समाप्त करना होगा या नहीं, चकों की पैमाइश होगी या नहीं जहां शुरू हो गया है उसको अंतिम स्थिति में लाया जायेगा या नहीं इस पर क्यों नहीं विधेयक आता है, इस पर क्यों नहीं कार्यवाही होती है ? इसको अधिकार दे दिया जाय, उसको अधिकार दे दिया जाय, इस संबंध में विधेयक लाने का कार्य किया गया है। संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की व्यवस्था है केवल अधिकार की बात नहीं है। अधिकार दे दिया जाये, जनता को लुटवा लिया जाये। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले चकबंदी प्रक्रिया को सरल रूप में

जनता के सामने ले आने का प्राविधान रखना चाहिए। जो चकरोडों पर कब्जा है, उनको मुक्त कराना चाहिए। श्मशान की भूमि, खेल के मैदान की भूमि छूटी हुई है उस पर अनधिकृत रूप से कब्जे हैं उनको मुक्त कराया जाये। एक अभियान शायद चल रहा है चकरोडों को मुक्त कराने का लेकिन वह केवल नाटक है। लेखपाल तरह-तरह का साजिश, हथकण्डा अपनाकर आज तक लोगों को चकबंदी से राहत देने की मन:स्थिति में नहीं है। केवल भ्रम जाल फैलाने का काम किया गया है। जहां चकबंदी पहले हो गयी है वहां दोबारा कराने की बात कही गयी है लेकिन जहां प्रारम्भ हो गयी है वहां पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, चकबन्दी विभाग को दुरुस्त करने का काम होना चाहिए, जहां लूट होती है उसको समाप्त करने का काम होना चाहिए। सारे लोग जानते हैं कि किसान लुट रहा है, उसकी चिंता नहीं है। डी0डी0सी0 को अधिकार देने की चिंता है। जिस अधिकारी ने अपने विवेक से फैसला किया है वह भी पढ़ा-लिखा है, कानून के तहत उसने सुनवाई की है जिसके पक्ष में उसने फैसला दे दिया है उसके हित की उपेक्षा करने के लिए आपने सारा अधिकार डी0डी0सी0 को दे दिया। यह न तो समाज के हित में है, न प्रदेश की जनता के हित में है न, किसानों के हित में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश का अननुमोदन यह स्वीकार करें। मैं अपने इस अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या -13 को लेते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह तो अनावश्यक संशोधन है और यह केवल तकनीकी जटिलताओं के कारण जो तकनीकी प्रक्रिया है, जो तकनीकी जटिलता है और उसके कारण किसान के हित में होते हैं, उसकी सीमा प्रतीत होती है। सरकार की सिर्फ मंशा यह है कि किसी भी ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत लेने के लिए जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होती है और अधिसूचना के प्रकाशित होने पर उस क्षेत्र में सभी भूमि संबंधी अधिकार और दाखिल-खारिज के न्यायालयों में चल रहे वाद अवेट हो जाते हैं और वास्तव में पर्याप्त समय गुजरने के बाद एवं नक्शों के पुनरीक्षण के बाद खसरे व खतौनी की जांच होती है तथा खतौनी का पुनरीक्षण किया जाता है। इस बीच में वर्षों का समय जो व्यतीत होता है उस अवधि में उत्तराधिकार के आधार पर और अंतरण के आधार पर दाखिल-खारिज की कार्यवाही भी अवेट रहती थी जिससे कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और वे बैंक आदि से कृषि व अन्य कार्य हेतु कर्ज लेने की सुविधा से वंचित रहते थे। इस संशोधन के माध्यम से, धारा 6 क, जोड़ने से निर्विवाद उत्तराधिकारी के मामले चकबंदी कर्त्ता और निर्विवाद अंतरण के सहायक चकबंदी अधिकारी कर सकेंगे और इससे किसानों की समस्याओं का भी समाधान होगा।

जोत चकबंदी अधिनियम में धारा 48 का सृजन चकबंदी संगठन के अधीन कर्मचारियों पर संचालक द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखते हुए किसानों को न्याय प्रदान करने की न्यायोचित निर्णय देने हेतु अधिकारप्रदान करने के लिए है। एकाध ओर से यह शंका उठाई गयी थी कि संचालक जिसमें

अपर संयुक्त, उप एवं सहायक संचालक, चकबंदी भी सम्मिलित हैं को केवल निगरानी के अधिकार हैं तथा निगरानी का आशय केवल विधिक बिन्दु पर निर्णय देने से है। जिसमें तथ्यों तथा मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य की विवेचना का अधिकार उसे नहीं है।

इसके समाधान के लिए पूर्व प्रभाव से (रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से) धारा-48 में नया स्पष्टीकरण (3) जोड़कर यह व्यवस्था की गयी है कि चकबंदी संचालक को तथ्यों पर विवेचना के साथ मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों पर भी विवेचना करने व निर्णय देने का अधिकार होगा। इससे विधायन की मंशा की पूर्ति होगी तथा चकबंदी के अधीन कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए किसानों को न्याय दिलाया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। केवल विरोध के लिए विरोध करना है तो कुछ भी करें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह निर्विवादित प्रस्ताव है और यह निर्विविवादित पारित करने योग्य है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चकबंदी (संशोधन) विधेयक 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, यह जो संशोधन है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी कल्पना तक नहीं की इन्होंने।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, अननुमोदन का प्रस्ताव है तो आपने यह शुरू करा दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो केवल संशोधन की बात कही थी। माननीय हुकुम सिंह ने कहा कि एक साथ ले लीजिए। होता भी ऐसा ही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह जी ने गांवों के विकास के लिए किसानों के विकास के लिए चकबंदी योजना को एक ऐक्ट के माध्यम से लागू कराया था। तब से न जाने इसमें कितने संशोधन हो गये। मान्यवर, जिस संशोधन की बात माननीय मंत्री जी ने की है कि हमारे जो ए0 सी0 ओ0 स्तर पर पहले सी0 ओ0 के संबंध में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय मैं भी मंत्री था और नेता विरोधी दल उस समय राजस्व मंत्री थे। उसमें कुछ दिक्कत आयी थी। इन्होंने ए0 सी0 ओ0 का स्तर सी0 ओ0 कर दिया था। यद्यपि वह निर्विवाद मामले को देखता है, परीक्षण करता है लेकिन जो चकबन्दीकर्ता है और उपचकबंदीकर्ता है उनको जो अधिकार दिये गये हैं। जो निर्विवाद मामले हैं उनका कैसे पता चलेगा कि यह मामला निर्विवाद है। लेखपाल की जो मर्जी होगी उसी तरफ वरासत कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग गांवों में गरीब की जमीन अपने नाम करा लेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि वरासत के जो मामले हैं उनको निचले स्तर तक न लायें नहीं तो आगे चलकर यह विवाद का कारण बनेगा। इसीलिये मैंने कहा है कि इसको प्रवर

समिति को भेज दिया जाय। आजकल गांवों में लेखपाल और कानूनगो पैसे लेकर वरासत कर देते हैं जिससे लोग वर्षों तक मुकदमेंबाजी किया करते हैं और सही लोग अपनी जायदाद से वंचित रह जाते हैं। बेटे को पता नहीं चलता कि उसके बाप के मरने के बाद कैसे दूसरे ने वरासत करा ली। चूँकि लेखपाल वरासत कर देता है इसलिये सही मालिक सफर करता है इसलिये यह अधिकार निचले स्तर पर नहीं देना चाहिये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डी0 डी0 सी0 को जो अधिकार दिया गया है उसके तहत डी0 डी0 सी0 एक मुकदमे का 5-5 बार फैसला देते हैं। एक बार एक के पक्ष में फैसला दिया तो दूसरी बार दूसरे से पैसे लेकर दूसरे पक्ष में फैसला दे दिया। मेरे यहां सिद्धार्थ नगर में, टाइमी देने का अधिकार जो डी0 डी0 सी0 को दिया गया है, उसमें 8-8 बार पैसे को लेकर फैसले दिये जा रहे हैं और झगड़ा बरकरार रहता है। चकबंदी प्रक्रिया ए0 सी0 ओ0 और सी0 ओ0 की कमी के कारण, आज 10-20 साल से गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी है। चकबंदी प्रक्रिया को पूरी कराने के बजाय रोज-रोज संशोधन लाकर जो चकबंदी का मूल रूप था उसको अइंचा, ताना, काना बनाने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनकी स्थिति दुखदायी होती है। छोटे से झगड़े में लोग उनके रास्ते बंद कर देते हैं, टट्टी पेशाब जाने की मनाही कर देते हैं। अगर आप यह संशोधन लाये होते कि जो गांवों में 10 फीसदी जमीन की कटौती की जाती है उसको बढ़ाकर 12 फीसदी किया जा रहा है और उस जमीन के पट्टे भूमिहीनों को देते तो मैं आपको साधुवाद देता। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ कि गांवों में जितनी अपराध की घटनायें हो रही हैं वह सब राजस्व वादों को लेकर हो रही हैं। चकबंदी प्रक्रिया में 90 दिन के अंदर समरी ट्रायल का फैसला होना चाहिये, चाहे धारा-9 का मामला हो या चाहे हक का मामला हो 10-10 साल लग जाते हैं। आपने कभी परीक्षण कराया है कि कितने मुकदमें चल रहे हैं जिसमें गरीब मर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसका परीक्षण कराइये और प्रक्रिया को सरल करायें। मैं अपने सिद्धार्थ नगर के बारे में कहना चाहता हूँ कि जबतक मंडलायुक्त चौबे जी वहां पर थे तब तक चकबंदी अफसर डरता था। उनके जाने के बाद टाइमी का सहारा लेकर 8-8 बार फैसला दे रहा है और पैसा ले रहा है। दूसरा सुझाव मेरा आबादी की जमीनों के बारे में है। जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में 1954 के बाद संशोधन नहीं हुये है। सबसे ज्यादा विवाद गांवों में नाबदान, खूँटा गाड़ने की जगह, दरवाजे की जगहों को लेकर हो रहे हैं और सिविल नेचर के मामले क्रिमिनल नेचर में परिवर्तित हो रहे हैं और झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह से खेतों की चकबन्दी कराते हैं उसी तरह से गांव की आबादी की जमीन की चकबन्दी कराइए, उसका मानचित्र बनाइए, भू-लेख चित्र बनाइए ताकि यह पता चल सके कि किसका नाला किधर बहता है, किसका दरवाजा किधर है अगर यह हो गया तो इससे आये क्रिमिनल वाद और सिविल वाद कम हो जायेंगे। मैं इस पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए व इसके साथ जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर विचार कर लिया जाए। चकबन्दी अधिकारी कम हैं एक तहसील में एक सी0 ओ0 है वह मुकदमों के निस्तारण पर ध्यान न देकर चकबन्दी में ही रुचि लेता है। चकबन्दी में बहुत भ्रष्टाचार है। इसलिए मैं संबंधित प्रस्ताव पर बल देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को मानकर इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई अन्य सदस्य विचार रखना चाहते हैं।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के विद्वान सदस्य भी इसे स्वीकार कर रहे हैं केवल विरोध के लिए विरोध दर्ज किया है। यह किसान के हित में है, उसका समय बचाने के लिए है, उसको त्वरित न्याय दिलाने के हक में है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूँगा कि संशोधन वापस लेकर सर्वसम्मति से इसको पारित कराएं। यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह मेरा सुझाव मान नहीं रहे हैं इसलिए मैं संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम लोगों ने जो अननुमोदन प्रस्ताव रखा था जिसकी आशंका की थी मंत्री जी ने उसका निराकरण नहीं किया है। हस्तांतरण और वरासत के मामले में जो गड़बड़ियां हैं। हर जनपद में 10-12 ऐसे मुकदमें हैं जहां आदमी जीवित हैं लेकिन उनको मृतदिखाकर अपना नाम डलाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके रोकने के लिए कहीं भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। अनेक जगहों पर आदमी जीवित हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन यह विधेयक पास हो जाएगा सैकड़ों मुकदमें इस तरह के दाखिल हो जाएंगे जहाँ जीवित आदमी को मृत दिखाया जाएगा। एक बात मंत्री जी ने चकरोडों की कही यह छोटा सा प्राविधान है जो जनता के बृहद हित में हो ऐसे बृहद प्राविधान लाने चाहिए। चकबन्दी प्रक्रिया प्रदेश के किसानों के हित के बजाय उनका अहित कर रही है। चकबन्दी व्यवस्था बिल्कुल किसानों के लूट का कारण बन गई है। कहीं पर 15-15 वर्ष से चकबन्दी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। गांवों में कहावत है कि जहाँ चकबन्दी हो जाती वहाँ दो-तीन साल तक डाका नहीं पड़ता। वरासत के मामले तुरन्त हल हो जाएं।

निचली अदालत से फैसला हो गया लेकिन बी0 डी0 सी0 से उलझा दिया गया ताकि जो पैसा सी0 ओ0 को देने से उसके पास बच गया है वह बी0 डी0 सी0 को दे दे। इस तरह की मानसिकता है इसीलिऐ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं मतदान करा लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अनुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना का शीर्षक

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 में नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

(2) धारा 2 दिनांक 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की , जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :–

निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"6-क--(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4-क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवादमामले को का चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकवन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी विहित की जाय, निपटाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायगा, न ही जारी रखा जायगा या न ही निपटाया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।"

धारा 48 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 48 में, स्पष्टीकरण (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :—

"**स्पष्टीकरण (3)**—इस धारा के अधीन किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के परीक्षण करने के अधिकार में कोई निष्कर्ष , चाहे वह किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य का हो या विधि का हो, सम्मिलित है और इसमें किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्विवेचन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।"

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किये जाते है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2002 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवि गौतम—

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, कृषि मंत्री जी भी यही कहेंगे कि हमारा छोटा सा संशोधन है। इस सरकार का गठन ही छोटी मानसिकता के आधार पर हुआ है। जब छोटी मानसिकता के आधार पर गठन हुआ है....

(किसी सदस्य के बोलने पर व्यवधान)

अगर चौधरी साहब नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिये कोई विधेयक नहीं पढ़ेगा। श्रीमन, मैंने कहा कि इस सरकार का गठन छोटी मानसिकता के आधार पर हुआ है। मंत्री जी कहेंगे कि यह छोटा सा संशोधन है इस पर लम्बा भाषण क्यों हो रहा है ? छोटा संशोधन छोटी मानसिकता दोनों एक ही बात है। पहले विपणन अधिकारी उत्तर प्रदेश उक्त परिषद् का सदस्य होता था अब निदेशक कृषि विपणन उत्तर प्रदेश कृषि को उक्त परिषद् का सदस्य बनाया जायेगा। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 1964) की धारा-26-ख में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के गठन की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (च-3) में यह व्यवस्था की गयी थी कि राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, उक्त परिषद् का सदस्य होगा। सरकारी आदेश दिनांक 28 जून, 199। द्वारा कृषि निदेशालय का पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप उक्त राज्य विपणन अधिकारी का पद अस्तित्व में नहीं रह गया था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त राज्य कृषि विपणन अधिकारी के स्थान पर निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश को उक्त परिषद् का सदस्य बनाया जाय।

चूँकि पहले विपणन अधिकारी को बनाया जाता था लेकिन अब निदेशक को बनाया जायेगा इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, पुराने साथी भी हैं और चालाक भी हैं। विभागों पर पकड़ भी रहती है। यह छोटा सा संशोधन लाकर जोड़ दिया कि यह अधिकारी नहीं निदेशक को नामित किया जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1964 में मण्डी समिति का गठन हुआ था और 1964 से आज तक श्रीमन्, न तो उसकी सेवा शर्तों को बनाया गया न ही कभी चुनाव हुआ। मण्डी समिति में जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव नहीं हुआ और चुनी हुई संस्था को कभी मण्डी परिषद् के हाथों में नहीं दिया गया। अधिकारी मण्डी समिति को चला रहे हैं और मण्डी समिति के कार्यालय को आप देख लें। अगर आज गाँधी जी होते, वह किसानों के मसीहा थे, अगर वह देख लेते कृषि भवन और मण्डी समिति के कार्यालय को तो उनका हार्ट फेल ही हो गया होता। किसान खेतों में चौदह-पंद्रह घंटे मेहनत करता है। गरमी-बरसात में काम करता है और अपना माल बेचता है। मण्डी समिति में आता है और जो मण्डी समिति का अधिकारी है वह फुल एयरकंडीशन में बैठा रहता है, माननीय मंत्री जी भी बैठते हैं। किसान जो खेतों में काम करता है, मेहनत करता है उसको उसकी उपज का उचित मूल्य देने का सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। कई बार आपके सामने मसले आये कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बनाया जाय। उसके चुनाव कराये जायें। केवल अधिकारियों के हाथ में खिलौना इस विभाग को बनाने से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। मण्डी समिति में कितनी सड़कें कहाँ पर बनीं, पेयजल की व्यवस्था कहाँ पर हुई इसकी चिन्ता कृषि मंत्री जी के नहीं हुई वे किसान भी हैं। इन छोटे-छोटे अध्यादेशों से प्रदेश नहीं

चलेगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए मण्डी समिति का गठन हुआ और उन्हीं का हित नहीं हो रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक सशक्त मंत्री हैं, और अगर आप मण्डी समिति का चुनाव करा दें, उनकी सेवा शर्तें कर्मचारियों की बना दें, नियमावली बना दें तो यह उनके हित में होगा। आज ही यह घोषणा कर दें कि प्रदेश के किसानों को लाभ दिया जायेगा, सड़कें बनायी जायेंगी, पेयजल की सुविधा होगी, सवारियों को खड़ा करने की व्यवस्था की जायेगी, दुकानदारों की व्यवस्था होगी। लेकिन आपकी सरकार तो व्यापारियों के पक्ष में रहेगी। अंत में, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं इस संकल्प के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूँगा और कुछ बातें कहना चाहूँगा। मान्यवर, यह जो मण्डी समिति है जब से यह विभाग बना तब से आज तक चुनाव नहीं हुआ। इसका चुनाव करायें। दूसरा मण्डी समिति से सड़कें बनती हैं इनके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है सड़कें टूट जाती हैं मेरा निवेदन है जितनी सड़कें बनवायें उसका अपने स्तर पर रख-रखाव करें जब तक वह सड़कें पी0डब्लू0डी0 और अन्य विभाग में स्थानान्तरित न हो जाए। जैसे उप मंडल समिति इटावा में है, सातवें नम्बर की प्रदेश की समिति है उसकी बिल्डिंग नहीं बनी आप टैक्स लेते हैं, किसान व्यापारी के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं आप टैक्स वसूलते हैं उप मंडल स्थल को बनाने का काम करें मंडल समितियों के साथ अन्याय होता है जब पैसे की कमी होती है राज्य कर्मचारियों को वेतन देंगे, किसानों से टैक्स वसूलते हैं, कहीं गेहूँ की खरीदारी होती है, काम नहीं होता है, एस0 डी0 एम0 इसका प्रभारी होता है, उनके घर चपरासी भेजे जाते हैं सारी कमाई इन लोगों की जेब में चली जाती है सरकार की कुदृष्टि पड़ती है तो वह मांग लेती है कि हमारे यहां कमी है राजकोष में रख दें राज्य कर्मचारियों को वेतन देना है और फिर वह रुपया वापस नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ।

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय। मैं बधाई देना चाहता हूँ राम गोविन्द चौधरी और माता प्रसाद पाण्डेय जी को, 1980 के बाद में यह जोड़ी इकट्ठी हुई है, आज यह तीसरी बार विधायक हैं। आज चौधरी जी और माननीय पाण्डेय जी इस तन्मयता के साथ बोले हैं तीसरी बार, यह सही है और उनको दुख है कि छोटा विधेयक आया है बड़ा नहीं आया है लेकिन यह विधेयक छोटा होते हुए भी बड़ा है, मंडी परिषद् का कोई पक्ष ऐसा नहीं रह गया होगा जिस पर विचार न हुआ हो। आपने चुनाव की मांग की है सौभाग्य से आपको भी इधर बैठने का मौका मिला है, उस वक्त जब मंडी परिषद् का विधेयक आया था तो हमने भी यही कहा था कि चुनाव होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ हम अडिग हैं हमें खुशी है लोकतंत्र में किसी को यह शिकायत नहीं रही होगी कि हमें सत्ता पक्ष में बैठने का मौका नहीं मिला। जब आप सत्ता पक्ष में बैठे थे तो आपको चुनाव कराने चाहिए थे मैं कहना चाहूँगा इसी सत्र में प्रस्ताव आएगा इसमें हम संकल्पबद्ध हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इसमें चुनाव होने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

आपको सुनने वाला यंत्र ले लेमा चाहिए। मैंने खुद कहा मंडी परिषद् का स्वरूप पूरा होगा मंडी परिषद् का स्वरूप जो है इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है हम इसको लेकर इसी सत्र में आएंगे हम अपने वायदे को पूरा करेंगे। मंडी परिषद् के ढांचे को बहाल करेंगे। जहां तक इस वर्तमान संशोधन विधेयक का प्रश्न है, इसके ऊपर भी आपत्ति की है। क्या आपत्ति थी इसके बारे में आपकी ? यह धारा 26 (ख) है 1964 के अधिनियम की जिसमें संशोधन किया जा रहा है। इस धारा में सारे मंडी परिषद् का गठन होता है जो अधिकारी इसमें सदस्य होते थे, 1991 में निदेशालय का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के बाद यह पद समाप्त कर दिया गया। इस पद की जगह निदेशक पदनाम जोड़ दिया गया। विपणन निदेशक, यह राज्य कृषि विपणन अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया। निदेशक को मीटिंग में बैठने में दिक्कत आती थी। जब बताया गया तो यह संशोधन लाया गया है। राज्य कृषि विपणन अधिकारी के स्थान पर निदेशक कृषि विपणन उत्तर प्रदेश कर दिया जाये खाली यह संशोधन है। आप चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व वहां पर न हो। सारा वहां मार्केट कल्चर पर निर्भर है विपणन के कल्चर पर तो वह अपनी व्यवस्था को कैसे दुरूस्त कर पायेगे ? यह औपचारिक संशोधन है। इसमें आपत्तिर से विरोध नहीं किया जाता है आपसे और माता प्रसाद जी से भी अनुरोध कि जो अपना प्रस्ताव रखने वाले हैं आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, जब यह दूसरी बार पूरा विधेयक लायेंगे तो उसमें हो सकता है कि निर्विरोध पास करवा दें। आपकी सरकार पर अभी विश्वास नहीं है। मान्यवर, 1964 में इस परिषद् का गठन किया गया था ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यह बात कभी बन नहीं पायी कि मण्डी समिति को जनप्रतिनिधियों, किसानों के हाथ में दे दिया जाये जब से बनी है तब से अधिकारियों के ही हाथ में है। किसानों के हाथ बिल्कुल खाली है। अब कृषि मंत्री हुकुम सिंह जी हैं, पश्चिम के किसान बहुत जागरुक हैं। यह कृषि मंत्री किसानों की हालत को बदलेंगे और किसानों को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे और चुनाव कराके किसानों के हाथ में इसे सौंप देगें ताकि उसका प्रबन्ध किसान करें यह एक अच्छी बात होती। आप लालीपाप दिखा रहे हैं। मैं अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी उत्तर देंगें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, उत्तर क्या देना है लालीपाप के शौकीन हैं वह लेते रहें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक,

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 25 सन् 1964 की धारा 26ख संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 26-ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (च-3) में शब्द, "राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश" रख दिये जाएंगे।

निरसन और अपवाद

3--उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2002--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 का स्थगन

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या--18, 19, 20 और 21 को कल तक के लिये स्थगित करता हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 अगस्त, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई :--

पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री उदयराज की है जो प्रदेश के राजकीय शिक्षकों /प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री शिवकुमार बेरिया की है जो निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के अनुसार बाल विकास योजना, अकबरपुर, कानपुर देहात द्वारा की गयी अ0वि0कार्यकत्री/ सदायकाओं की चयन प्रक्रिया में की गयी धांधली के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री यशपाल चौधरी की है जो शारदा नदी के बायीं तरफ शारदानगर से शारदा पुल तक हो रहे कटान को रोकने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री सिद्धगोपाल साहू की है जो जनपद महोबा के कस्बा कबरई में अनुसूचित जाति के कृषि योग्य पट्टे वाली भूमि को जिला अधिकारी, महोबा की अनुमति के बगैर आवासीय भूमि के रूप में बेचने की स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना चौधरी बाबू लाल की है जो जनपद आगरा, कस्बा किरावली में चौ0 चरण सिंह स्टेडियम को बनाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग की है जो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपदों में स्थित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चंदौली के सिंचाई विभाग के चन्द्र प्रभा खण्ड से संबंधित बांधों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नौवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है जो जनपद बलिया के थानाध्यक्ष नगरा द्वारा महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं हवालात में बन्द करने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद एवं श्री बैजनाथ दुबे की है जो जनपद गोण्डा में फर्जी मोहर

एवं फर्जी हस्ताक्षर द्वारा अंक पत्र बनाकर नियुक्तियां दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है जो जनपद हरदोई स्थित गर्रा नदी पर छिबरामऊ रसूलाबाद गांव के मध्य रसूलापुर गर्रा घाट पर पक्का ब्रिज बनवाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है जो जनपद गाजियाबाद स्थित कृष्णानगर मेरठ रोड की आबादी के ऊपर से हाई सेशन लाईन तत्काल हटाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई --

1--श्री अजीम भाई, 2--श्री महेन्द्र कुमार सिंह, 3--श्री सीताराम निषाद, 4--श्री मदन चौहान, 5--श्री मदन गोपाल वर्मा, 6--श्री शारदानन्द अंचल, 7--श्री सुरेश कुमार खन्ना, 8--श्री रामजीत राजभर, 9--श्री प्रमोद कुमार, 10--श्री जियाउद्दीन रिजवी, 11--श्री सुन्दर लाल।

प्रदेश में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती पर शासन द्वारा रोक के कारण जन स्वास्थ्य के प्रति उत्पन्न गम्भीर खतरे के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूंचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)--

शासनादेश सं0 1703/9-1-02-66 सा/2001, दिनांक 22-06-02 द्वारा शासन में--

श्री अध्यक्ष--

यह पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी टण्डन--

शासनादेश सं0--1703/9-1-02-66 स्था0/2001 दिनांक 22-6-02 द्वारा शासन में [प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं स्थानीय निकायों को संविदा पर सफाई कराने के आदेश दिये हैं। वास्तविक रोक 1986 से लगा रखी है।

उपरोक्त आदेश इस तथ्य की अनदेखी करके जारी हुए है कि --

(1) स्थानीय निकायों में पिछले 10 वर्षों में नये ग्रामीण क्षेत्र शामिल कर उनकी सीमा वृद्धि की गयी है।

(2) सफाई कर्मचारी संघ कहीं भी संविदा पर सफाई कार्य होने नहीं दे रहा है, प्रयास होने पर आंदोलित होता है।

जब शासन राज्य वित्त आयोग/एकादश वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय निकायों को सहायता दे रहा है तब फिर रोक का कोई औचित्य नहीं है।

यदि कोई स्थानीय निकाय इसका वचन दे कि सफाई कर्मचारी भर्ती करने का अतिरिक्त व्यय भार शासन पर नहीं आयेगा तो उसको भर्ती की छूट होनी चाहिए। 16 वर्ष से रोक, जनसंख्या का बढ़ा दबाव, बढ़ा क्षेत्रफल, फैलती बीमारी, संक्रामक रोगों का आसन्न खतरा फिर भी शासन का यह निर्णय मात्र हठधर्मिता है। जनता के स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा भाव का द्योतक है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से सदन में वक्तव्य देने व भर्ती की अनुमति देने की मांग करता हूं।

इस संबंध सूचनीय है कि प्रदेश में वर्तमान परिवेश में विशेष रूप से शहरों की बढ़ती आबादी तथा नव आच्छादित क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश स्थानीय निकायों में जल स्वास्थ्य के

रक्षण एवं सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्णय लिये गये हैं कि बढ़े हुए क्षेत्र एवं वर्षा ऋतु में नाले-नालियों की सफाई का कार्य जनहित में संविदा पर स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से आवश्यकतानुसार कराये। अधिकांश स्थानीय निकायों द्वारा सफाई व्यवस्था अपने संसाधनों के सापेक्ष सुनिश्चित करायी जा रही है। राज्य वित्त आयोग/ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा जो धनराशि स्थानीय निकायों को दी जा रही है उसमें से अधिकतम धनराशि अधिष्ठान मद हेतु पर्याप्त नहीं हो पा रही है। वर्तमान में स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति सामान्यतया ठीक नहीं है। स्थानीय निकाय अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करने में सक्षम नहीं है। जहां तक मा0 सदस्य का कथन है कि यदि कोई स्थानीय निकाय इसका वचन भी देती है कि भर्ती के उपरान्त वह उसके वेतन आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने में सक्षम है तथा उसका व्यय भार शासन पर नहीं पड़ेगा तो इस संबंध में यह सुस्पष्ट करना है कि यद्यपि भर्ती पर रोक लगी है फिर भी यदि कोई स्थानीय निकाय वर्तमान में वेतन आदि पर होने वाले व्यय को वहन करने पर सक्षम भी है तो भी अन्ततोगत्वा भविष्य में निकाय की आर्थिक स्थिति खराब होने पर या संसाधनों के उपलब्ध न होने पर उसका व्यय भार शासन पर ही पड़ेगा और यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी निर्णय एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखकर ही लिया जा सकता है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के नगर निगमों/नगरीय निकायों में सफाई का कार्य नई नियुक्ति न कर संविदा पर कराये जाने हेतु शासनादेश सं01783/9-1-02-66 सा/2001, दि0 22-6-02 जारी किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों की भर्ती की अनुमति शासन द्वारा सम्प्रति दिया जाना संभव नहीं है और निकायों का सफाई कार्य उक्त संदर्भित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कराया जाना ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युक्तिसंगत तथा जनहित में है।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल स्तर कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदानन्द अंचल आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

कृषि, पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय सदस्यगण द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के.....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य कृषि मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री हुकुम सिंह--

मा0 सदस्यगण द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के [नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 09 अगस्त, 2002 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जल स्तर घटने की नयी समस्या आ गयी है। भारत सरकार की भूगर्भ सर्वेक्षण टीम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कर पाया है कि जल स्तर भूमि में 5 से 6 मीटर तक घट गया है। इससे

नोट :-- [ ] यह अंश पड़ा हुआ माना गया।

सम्पूर्ण प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है तथा नये जल संकट की काली छाया प्रदेश पर आ पड़ी है। इस नये संकट से आदमी के जीवन, भोजन, पानी, दवा और पशुओं के लिये भी चारा, पानी, दवा आदि की विषम स्थिति बन रही है। राज्य सरकार गम्भीर एवं संवेदनशील न होकर किंकर्त्तव्यविमूढ़ बनी बैठी है।

2--प्रदेश में विगत कई वर्षों से वर्षा की मात्रा, उसका क्षेत्रीय विस्तार, वितरण एवं अवधि की अनिश्चितता की स्थिति के साथ-साथ भूजल स्रोतों की निरन्तर बढ़ती हुई मांग व निर्भरता तथा अनियन्त्रित दोहन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट आयी है। प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी एवं आस-पास हो रहे औद्योगिक विकास से भूजल पर निर्भरता का दबाव अन्ततः भूजल स्तर पर ही आता है। विगत 10 वर्षों (1987-97) में, भूजल स्तर आंकड़ों के आधार पर, प्रदेश के 806 विकास खण्डों में से 559 विकास खण्डों में भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत कुल 29 जनपदों के 376 विकास खण्डों में से 292 विकास खण्ड विगत 10 वर्षों में भूजल स्तर में गिरावट की स्थिति से प्रभावित हुये हैं। केन्द्रीय भूजल परिषद् के लखनऊ में अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शासन को यह जानकारी दी गयी है कि भारत सरकार की भूगर्भ सर्वेक्षण टीम द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिसमें भूमि जल स्तर 5 से 6 मीटर तक घट जाने की पुष्टि हुई हो, जैसा कि मा0 सदस्यगण द्वारा अपनी सूचना में उल्लिखित किया गया है।

3--माननीय सदस्यगण द्वारा दी गयी अपनी सूचना में यह अंकित करना कि भूजल स्तर घटने की विषम स्थिति या आपदा में सरकार संवेदनशील न होकर किंकर्त्तव्यविमूढ़ बनी बैठी है, यह वास्तविक तथ्यों एवं सरकार द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसके सर्वथा विपरीत है।

भूगर्भ जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट को रोकने एवं जल संकट/आपदा से आदमी के जीवन, भोजन, पानी, दवा और पशुओं के लिये चारा, पानी, दवा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार सचेष्ट है एवं निरन्तर प्रयत्नशील है।

(क) भूगर्भ जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट को रोकने एवं भूगर्भ जल का स्तर ऊपर लाने हेतु किये जा रहे प्रयास :--

1--सरकार के लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परम्परागत जल स्रोतों के संवर्धन की योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत विद्यमान तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल चार वर्षों में (2000-01) से (2003-04) 888 तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है अभी तक 206 तालाबों/पोखरों का कार्य विभिन्न स्तरों पर ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। निःसंदेह यह योजना वर्षा ऋतु के पानी के संचयन तथा भूगर्भ जल स्तर के बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

2--सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को शासन से स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 25 प्रतिशत की धनराशि भूगर्भ जल रिचार्ज एवं वर्षा जल संचयन के लिए है, जिसकी कार्य योजना जिला स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित की जा रही है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3--सरकार के भूगर्भ जल विभाग द्वारा "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" हेतु सरल एवं सस्ती तकनीक को अपनाये जाने हेतु "तकनीकी गाइड-लाइन्स" तैयार की गयी है। शहरी क्षेत्रों में भूजल रिचार्जिंग हेतु "रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग" की योजना तैयार करने के लिये तकनीकी गाइडलाइन्स प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है।

4--सरकार के आवास विभाग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों को नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये है, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके।

(ख) भूमि जल स्तर घटने के संकट से आदमी के जीवन, भोजन, पानी, दवा और पशुओं के लिये चारा, पानी, दवा आदि की विषम स्थिति से निपटने हेतु शासन द्वारा किया गया प्रयास

1--शासन के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दिनांक 31-07-2002 की स्थिति के अनुसार स्टेट पूल एवं सेंट्रल पूल में खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) की उपलब्धता 51.53 लाख मी0 टन भण्डारित होना बताया गया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रदेश में भोजन की उपलब्धता की कोई समस्या सम्प्रति नहीं है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित 106.79 लाख परिवारों का चिन्हीकरण कराकर उनको 35 किग्रा0 (23 किग्रा0 गेहूँ व 12 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

2--शासन के नगर विकास विभाग द्वारा सूखे की स्थिति को देखते हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिये पेयजल सुविधा यथावत् बनाये रखने हेतु रु0 408.78 लाख की धनराशि दैवी आपदा राहत निधि से पूर्वान्चल के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है। यह धनराशि हैण्ड पम्पों/नलकूपों की रि-बोरिंग/मरम्मत, पुरानी पाइप लाइन का बदलाव तथा टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति हेतु दी गयी है।

3--सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की भूमि से पानी का जल स्तर घटने से उत्पन्न भीषण स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि जल स्तर को बढ़ाने तथा वर्षा जल के संचयन किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को समय-समय पर दिये गये हैं। विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में भी यह व्यवस्था की गयी है कि गांव, कस्बों अथवा नगर के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण विधायक निधि से मा0 सदस्यों की संस्तुतियों के अनुसार धनराशि की व्यवस्था की गयी है। स्पष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार सचेष्ट है।

4--सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा से निपटने हेतु सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को संक्रामक रोगों की रोक थाम एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संवेदनशील जनपदों में संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिये औषधियों, विसंक्रमण तथा प्रचार-प्रसार हेतु रु0 387 लाख

की कार्य योजना बनायी गयी है तथा यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

5--सरकार के पशुधन विभाग द्वारा पशुओं के लिये चारा, पानी, दवा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। आपदा/सूखे की स्थिति से निपटने हेतु पशुधन विभाग द्वारा दैवी आपदा राहत निधि से सूखे के प्रभावित होने वाले पशुओं को पशु आहार वितरण हेतु रु0 10 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। चारा, बीज, किट उपलब्ध कराये जाने हेतु 6.2 करोड़ कृषि विभाग के निर्वतन पर रखते हुये स्वीकृत किया गया है। किट वितरण कृषि विभाग के विभागीय बीज केन्द्र, यू0 पी0 एग्रो तथा पी0 सी0 एफ0 द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। सूखे की अवधि में पशुओं को वनों में चरने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गयी है। इसी प्रकार दैवी आपदा की स्थिति में पशुओं के लिये औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दैवी आपदा निधि से रु0 120 लाख वैक्सीन क्रय हेतु स्वीकृत किया गया है तथा अब तक कुल 173.08 लाख वैक्सीन उपलब्ध करायी गयी है।

6--सूखे से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने हेतु "आपदा राहत निधि से रु0 45 करोड़ (प्रथम किस्त के रूप में रुपया 30 करोड़) की धनराशि ऊर्जा विभाग को स्वीकृत करते हुये उनके निर्वतन पर रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।"

शासन एवं इसके विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे उपर्युक्त उल्लिखित प्रयासों से स्पष्ट है कि सरकार भूगर्भ जल स्तर के घटने के आसन्न संकट के प्रति संवेदनशील होकर कार्यवाही करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील एवं सचेष्ट है और यह कहना कि सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ होकर बैठी है, तथ्यों के आलोक में सही नहीं है।]

जनपद गोण्डा में मनकापुर मसकनवा -बभनान मार्ग तथा सिकन्दरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)--

देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र मनकापुर में मनकापुर - बभनान मार्ग -----

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी —

मान्यवर पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष —

ठीक है पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्रीमती अनुराधा चौधरी —

देवी पाटन मण्डल के अन्तर्गत विधान सभा के मनकापुर में मनकापुर-बभमान मार्ग [प्रमुख जिला मार्ग और मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग ग्रामीण मार्ग की श्रेणी का है। यह दोनों मार्ग लोक निर्माण विभाग के हैं। मनकापुर-बभमान मार्ग की औसत क्रस्ट की मोटाई लगभग 17 से0 मी0 तथा मसकनवा -सिकन्दरपुर मार्ग की क्रस्ट की मोटाई लगभग 14 से0 मी0 है। बभनान चीनी मिल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

होने के कारण गन्ने के भारी ट्रक व ट्रालियों के चलने से यह दोनों मार्ग प्राय: क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिन्हें उपलब्ध सीमित संसाधनों से लगातार मरम्मत एवं गड्ढामुक्त रखा जा रहा है। किन्तु मार्ग के क्रस्ट की मोटाई आवश्यकता से कम होने के कारण मार्ग की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रह जाती है।

अवगत कराना है कि नवीनीकरण में सड़कों की सतह का मात्र पुन: लेपन किया जाता है इससे सड़क की क्रस्ट की मोटाई नहीं बढ़ती है और भार वाहन क्षमता में भी कोई सुधार नहीं होता है। सभी मार्गों की लगभग 10 प्रतिशत लम्बाई में प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है।

मार्ग पर भारी यातायात को दृष्टि रखते हुए मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में रु0 736.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 294.66 लाख का धनावंटन किया गया था । साख सीमा प्राप्त न होने के कारण इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका है। प्रश्नगत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग के किमी0 10 से 21 तक के भाग की मरम्मत हेतु दैवी आपदा मद के अन्तर्गत 2001-2002 में रु0 7.55 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। आवंटित धनराशि से मानक के अनुसार कार्य कराया गया है।

मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता के कारण किसी योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है। यद्यपि वर्ष 2000-2001 में उक्त मार्ग जिसकी लम्बाई 5 किमी0 है का नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर पुन: निर्माण सम्भव है।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी में पीने के पानी के भंयकर संकट के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर) –

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अन्तर्गत . .

श्री अध्यक्ष –

पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर –

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है :-

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी विधान सभा के अन्तर्गत [सूखा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । मेरा क्षेत्र राजस्थान सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है भीषण सूखा पड़ने तथा वर्षात् न होने के कारण जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है विधान सभा क्षेत्र के सभी हैण्ड पाइप खराब पड़े हैं। 90 प्रतिशत पेयजल की योजनायें बन्द पड़ी है फतेहपुर सीकरी कस्बा में पीने के पानी की भारी परेशानी है। विदेशी पर्यटकों को पानी के लिए बिसलरी की बोतल खरीद कर पानी पीना पड़ता है। ज्यादातर बस्ती पहाड़ पर बसी होने के कारण पहाड़ पर पानी नहीं पहुँच पाता है । पहाड़ पर पानी की टंकी बनाकर तथा फतेहपुर सीकरी राजवाह के पास ट्यूबवेल लगाकर पानी सप्लाई करायी जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गहर किला पेयजल योजना का ट्यूबवेल खराब हो गया है। जजऊ पेयजल समूह की टंकी 2 साल से खराब पड़ी है तथा गिर गयी थी जिससे एक आदमी की मृत्यु हो थी। अमेदापुरा पेय समूह योजना शुरू से ही अधूरी पड़ी है । पनवारी पेयजल समूह योजना आंशिक रूप से पानी दे रही है मात्र एक आइस ग्राम को पानी मिल रहा है। कचौरा पेयजल योजना भी पानी नहीं दे रही है। लखदा पेयजल योजना भी आंशिक रूप से पानी दे रही है। सोढ़रा, बसेरी, खानपुर आदि ग्रामों में पानी नहीं जा रहा है। पूरा पेयजल योजना भी पानी एक ही ग्राम को पानी दे रही है । इसी तरह से जो भी पेयजल योजनायें हैं एक से अधिक ग्राम को पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जबकि अन्य गाँव पानी से प्रभावित होते हैं जहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र के सभी 26 नलकूप खराब पड़े हैं जिनके खराब होने की वजह से किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त समस्या का समाधान न होने से जनता में भारी रोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है किन्तु कोई राहत कार्य किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में सूचनीय है कि फतेहपुर सीकरी नगर की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 28754 है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 70 एल0 पी0 सी0 डी0 मानक के अनुसार वर्तमान में पेयजल की माँग 2.01 एम0 एल0 डी0 होती है। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी नगर में 5 नलकूप उपलब्ध है। जिनमें से प्रत्येक का स्राव 600 एल0 पी0 एम0 है जिनसे प्रतिदिन 2.01 एम0 एल0 डी0 पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी में वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति क्षमता निर्धारित मानक के अनुसार है। उक्त के अतिरिक्त नगर में 75 हैण्ड पम्प भी लगे हुये हैं। जल आपूर्ति के विचार से नगर को दो जोन में नामत : " अपर जोन " एवं " लोअर जोन " में बाँटा गया है। अपर जोन में जलापूर्ति उस क्षेत्र में निर्मित 250 किमी0 क्षमता के ओवर हेड टैक के माध्यम से होती है जबकि लोअर जोन की जलापूर्ति लगभग 225 कि0 ली0 क्षमता के अर्ध भूमिगत जलाशय के माध्यम से होती है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना का प्रस्तर - 2 ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित है जिसके संबंध में ग्राम्य विकास विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।]

शाहजहाँपुर नगर में पेयजल के भयंकर संकट के सम्बन्ध श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

शाहजहाँपुर नगर में पेयजल का भंयकर संकट है ------

श्री अध्यक्ष —

पढ़ा हुआ माना गया ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना प्रस्तुत करते हुए निम्नवत् उल्लेख किया गया है :—

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

"शाहजहाँपुर नगर में पेयजल का भयंकर संकट है [ज़ितने भी नलकूप पेयजल हेतु लगाये गये हैं उसमें से सात नलकूप खराब बताये जाते हैं जो नलकूप चालू हालत में हैं उनमें वाटर डिस्चार्ज 40-50% से ज्यादा नहीं है। आधे शहर में टंकी का पानी कई वर्षों से नहीं आ रहा है, लोग पेयजल के लिये त्राहि-त्राहि करते हैं। इण्डिया मार्का-2 नल जो नगर में स्थापित हैं उसमें से वर्तमान में 60% से ज्यादा खराब है उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूखे के वर्ष में पानी का संकट और भी गहराता नजर आता है।"

2. मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में सूचनीय है कि शाहजहाँपुर नगर में वर्तमान में 25 नग नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 14 नग नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में नगर की 46.98 मिलियन लीटर जल की आवश्यकता है, जबकि इसके सापेक्ष 22.87 मिलियन लीटर प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में शाहजहाँपुर नगर के एक बहुत छोटे से क्षेत्र में सीवरेज की व्यवस्था उपलब्ध है।अत: नगर के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर यथेष्टि है, जिसके अनुसार नगर में कुल 4.7% पेयजल की कमी है। नगर में कुल 746 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जिनमें से 77नग हैण्डपम्प रिबोर योग्य तथा 23 नग हैण्डपम्प साधारण मरम्मत योग्य है। साधारण मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को तुरन्त मरम्मत कर चालू लिये जाने हेतु निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं, जिसके अनुमान में सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने संसाधन से हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य कराया जाना जारी है।

3. नगर पालिका परिषद्, शाहजहाँपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि शाहजहाँपुर नगर में पेयजल वितरण की स्थिति सामान्य है। नगर में सभी स्थानों पर पानी प्रहुँचाया जा रहा है। 11 खराब नलकूपों में से 2 नलकूप अस्थाई रूप से खराब हैं, ज़िनको नगर पालिका परिषद द्वारा अपने संसाधन से ठीक कराया जा रहा है, जिसमें एक सप्ताह का समय लगने की सम्भावना है। जहाँ तक पानी की टंकियों में पेयजल उपलब्ध न होने का बिन्दु उठाया गया है, इन सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद द्वारा यह सूचित किया गया है कि पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जिन टंकियों से उक्त नलकूप सम्बद्ध है, उनसे दूसरे नलकूप भी सम्बद्ध है, जिससे टंकी को भरकर जल पूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

4. प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आपदा राहत निधि से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग को रु0 35.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे स्वीकृत किया जा रहा है।]

जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज में घाघरा नदी के ग्राम गोड़हिया नं0-3 के परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-5 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री रवि गौतम (राजस्व मंत्री)--

ग्राम गोड़हिया नम्बर-3 तहसील कैसरगंज जिला बहराइच.....

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री रवि गौतम–

ग्राम गोड़हिया नम्बर-3 तहसील कैसरगंज जिला बहराइच [घाघरा नदी के तट पर स्थित राजस्व ग्राम है। कालान्तर में नदी की धारा परिवर्तन तथा कटान के कारण उनकी आबादी नदी के धारा में समाहित हो गयी। उक्त ग्राम के कुछ परिवार तहसील नानपारा के विकास खण्ड मिहीपुरवा में स्थित राजस्व ग्राम निद्धिपुरवा में अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर रहने लगें। 1970 के दशक में उक्त ग्राम में उ0 प्र0 अधिकतम जी0 सी0 ओ0 अधिनियम के अन्तर्गत बड़े काश्तकारों की कुछ कृषि भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी जिसका विवाद खातेदार तथा सरकार के मध्य चल रहा था और नियत प्राधिकारी के स्तर पर 31.882 एकड़ भूमि उक्त राजस्व ग्राम में अतिरिक्त घोषित करके राज्य सरकार में निहित की गयी जो वर्तमान खतौनी के श्रेणी-4(क) के अन्तर्गत खाता संख्या-465 में अन्य अतिरिक्त भूमि (कुल 44.776 हे0) के साथ अंकित है। नियत प्राधिकारी के मूल आदेश दिनांक 13-1-1978 तथा अपीलीय निर्णय दिनांक 24-6-99 में स्थिति यथावत् है।

उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया चलने के कारण तथा अतिरिक्त घोषित भूमि पर विवाद होने के कारण तत्समय कोई आवंटन की कार्यवाही नहीं की गयी। इसका लाभ उठाते हुए वहां के निवासियों सहित ग्राम गोड़हिया नं0-3 के कथित विस्थापित लोगों ने उक्त अतिरिक्त घोषित भूमि के कुछ भाग लगभग 32 एकड़ पर चकबन्दी न्यायालय ने अवैध कब्जे के आधार पर घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया, जिसमें मूल खातेदार का नाम खारिज करके अवैध कब्जेदारों का नाम अंकित करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध मूल खातेदार ने मा0 उच्च न्यायाल में याचिका सं0 729/81 नरेन्द्र सिंह व तीन अन्य बनाम उप संचालक चकबन्दी, गोण्डा, शिविर बहराइच प्रस्तुत किया। इसमें अन्तरिम स्थगन आदेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो अब तक प्रभावी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालयों में दो विभिन्न तरह के वाद चल रहे थे। सम्भवत:चकबन्दी न्यायालयों में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लाया गया कि विवादित भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है अथवा निहित किया जाना प्रस्तावित है। वस्तुत: स्थानीय राजस्व प्रशासन द्वारा न तो इन्हें कभी पट्टा किया गया और न बसाया गया है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत घोषित भूमि पर सरकार का हित एवं स्वत्व स्थापित हो चुका है, जिसके अन्तर्गत मूल खातेदारों की 44,776 हे0 110.596 एकड़ भूमि उ0 प्र0 शासन के स्वामित्व में हैं।

इस प्रकार शिकायती-पत्र के आधार पर अवैध कब्जेदारों को काई भी स्वत्व दिया जाना संभव नहीं है। इन लोगों को न तो कभी आवंटन या पट्टा के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही

प्रस्तुत किया गया है। जहां तक लेखपाल द्वारा गड़बड़ी का प्रश्न है श्री बुद्धि सागर पाण्डेय सम्प्रति लेखपाल निद्धिपुरवा पूर्व में तहसील बहराइच में कार्यरत रहे हैं और जुलाई 1994 से नानपारा तहसील में कार्यरत हैं। उक्त अवधि के पूर्व ये तहसील बहराइच में तैनाती के दौरान इन्हें निलम्बित करते हुए आरोप पत्र दिया गया था जिसके विरुद्ध लेखपाल द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। किन्तु शिकायती-पत्र से यह पुष्टि नहीं होती है कि उक्त क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा नियमों के विरुद्ध भू-आवंटन किया जा रहा है। तथ्य यह है कि अब तक उक्त न्यायिक जटिलताओं के कारण उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सका है। जिलाधिकारी को स्थानीय निरीक्षण कर स्पष्ट आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद सहारनपुर में श्रम न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

आवास, नगर विकास पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)--

श्री संजय गर्ग, सदस्य विधान सभा ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के.....

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लाल जी टण्डन–

श्री संजय गर्ग, सदस्य विधान सभा ने विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के [नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी है कि सहारनपुर प्रदेश के औद्योगिक जनपदों में विशेष महत्व रखता है। वहाँ पर न केवल संगठित औद्योगिक क्षेत्र की अनेकों बड़ी और लघु इकाइयां है तथा कुटीर उद्योगों में होजरी के कारखानों के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला का वर्चस्व है, वरन् कृषि आधारित उद्योगों में अनेकों चीनी मिलें,चावल के कारखाने और खाण्डसारी उद्योग प्रचुर मात्रा में हैं। सहारनपुर जनपद में श्रम न्यायालय की स्थापना न होने के कारण सहारनपुर के वादकारियों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत न्याय पाने के लिए मेरठ और देहरादून जाना पड़ता है जिसके कारण आने जाने में समय तथा धन अपव्यय के कारण बहुधा कमजोर वर्ग रोजी रोटी का समय छोड़कर धनाभाव में सहारनपुर से बाहर जाकर न्याय की तलाश में असमर्थ हो जाता है।

2. उक्त सूचना के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि सहारनपुर मण्डल के श्रमिकों के औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु दिनांक 5 मई, 2001 को श्रम न्यायालय मेरठ को सहारनपुर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय (2) मेरठ

का पीठासीन अधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध तृतीय व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को पदों सहित जनपद सहारनपुर में वहाँ श्रमिकों के औद्योगिक विवादों के निपटारे हेतु जनहित में स्थानान्तरण का आदेश किया जा चुका है। सहारनपुर के रिक्त पीठासीन अधिकारी के पद पर श्री ओम पाल (सेवा निवृत्ति उच्चतर न्यायिक सेवा) की नियुक्ति शासनादेश संख्या 573/36-2-2002-171 (डब्लू) 92, दिनांक 21 जून, 2002 द्वारा कर दी गई है तथा श्री ओम पाल द्वारा पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है। श्रम न्यायालय सहारनपुर के लिए स्थाई भवन / भूमि हेतु स्थलीय निरीक्षण करने हेतु रजिस्ट्रार औद्योगिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद को निर्देशित किय जा चुका है।]

जनपद लखीमपुर में छात्रों के दाखिले की समस्या को देखते हुए डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य .

सिंचाई, गन्ना विकास उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह) –

माननीय सदस्य द्वारा प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से महाविद्यालयों की स्थापना.....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 सदस्य द्वारा प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से महाविद्यालयों की स्थापना [में वृद्धि न होने का उल्लेख करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी में छात्रों के दाखिले की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु 04 डिग्री कालेज खोले जाने की सूचना दी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में सूच्य है कि एक राजकीय महाविद्यालय के एक संकाय की स्थापना पर औसत रूप से आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय के रूप में रु0 1.20 करोड़ का व्यय भार निहित है। इस वित्तीय वर्ष (वर्ष 2002-03) के आय-व्ययक में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोई धनराशि प्राविधानित नहीं है। प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गयां है कि राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना न कीं जाय बल्कि निजी क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में यदि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया जाता है तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। शासन की इस नीति के परिप्रेक्ष्य में निजी प्रबन्ध तंत्रों को प्रदेश के असेवित

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रु0 2.00 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में कराया गया है।

3. प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक संकाय के लिए रु0 30.00 लाख तथा एक से अधिक संकाय के लिए कुल रु0 50.00 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

4. अत: यदि किसी स्वैच्छिक संस्था द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में स्ववित्त पोषित योजना में अपेक्षित क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो शासन द्वारा उस पर विचार कर उपयुक्त पाये जाने की दशा में अनुदान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्र में गड़वार नगरा आदि कतिपय मार्गों के निर्माण में फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)--

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उनके विधान सभा क्षेत्र .....

श्री अध्यक्ष--

पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्रीमती अनुराधा चौधरी--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उनके विधान सभा क्षेत्र [207--चिलकहर में एक ही सड़क पर चार नामों से विभाग द्वारा चार मदों के पैसे से अनुबन्ध किया गया है तथा उसके पेमेन्ट बिल बनकर तैयार हैं । अगर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो लाखों रुपये का फर्जी भुगतान हो जायेगा । इसे अविलम्ब रोकने व दोषियों को दण्डित करने का अनुरोध किया गया है ।

2--इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा संज्ञान में लाये गये तथ्यों के आधार पर यदि अभी तक उक्त भुगतान न हुए हों तो तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिनांक 14-08-2002 को निर्गत कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त प्रकरण में तथ्यों की जांच हेतु दिनांक 14-08-2002 को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं । जांच आख्या के आधार पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों को एक सूचना देनी है ।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-07, दिनांक 26 जुलाई, 2002 के पश्चात निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :--

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2002 को इस सचिवालय में दिनांक 16 अगस्त, 2002 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा निवासी (गाजीपुर) को दिनांक 13-08-2002 को मु0अ0सं0 106/99 धारा-302/307/120 वी0 भा0दं0वि0 में जामिनदार श्री अली मोहम्मद जाफरी पुत्र श्री आन मोहम्मद जाफरी, निवासी 195/149 एल0पी0 रोड, थाना वजीरगंज, लखनऊ ने उपरोक्त मुकदमें में जमानत वापस ले लिया । माननीय न्यायालय द्वारा श्री मुख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा (निवासी गाजीपुर) को कस्टडी में लेकर लखनऊ जेल भेज दिया गया ।

अब हम उठते हैं कल दिनांक 17-08-2002 को पूर्वाह्न 11.00 फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
दिनांक 16 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ -------- पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री राम नरेश राजभर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-143 के उत्तर का संलग्नक ।

विद्युत/यांत्रिक शाखा, उ0प्र0 जल निगम, ललितपुर को हैण्डपम्प लगाने, उनका प्लेटफार्म बनाने, रिपेयर मद एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण ।

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्रम सं0	वर्ष	हैण्डपम्प लगाने हेतु प्राप्त धनराशि	प्लेटफार्म बनाने हेतु प्राप्त धनराशि	रिपेयर कार्य हेतु प्राप्त धनराशि	अन्य मद	योग
1	1998-99	160.62	प्लेटफार्म बनाने हेतु प्रति प्लेट फार्म हेतु रु0 2250/- हैण्डपम्प की निर्माण लागत में सम्मिलित है ।	66.17	--	226.79
2	1999-2000	245.79	----तदेव-----	39.10	--	284.89
3	2000-2001	169.652	-----तदेव-----	56.16	--	225.812
4	2001-2002	231.05	-----तदेव-----	135.62	-	366.67
	योग :	807.112	--	297.05		1104.162

पी0एस0यू0पी0--7 विधान सभा --14-7-2003--813 प्रतियां (डी0टी0पी0) ।